सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के लिए

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2017 की प्रतिवेदन सं. 44
(वित्तीय लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17 के लिए

संघ सरकार

संघ सरकार के लेखे

2017 की प्रतिवेदन सं. 44

(वित्तीय लेखापरीक्षा)

विषय सूची

पैरा सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	ix
	विशिष्टताएं	xi
	अध्याय-1: संघीय वित्त 2016-17 का विहंगावलोकन	
1.1	प्रस्तावना	1
1.1.1	संघ सरकार वित्त का विहंगावलोकन	1
1.1.2	सकल घरेलू उत्पाद	3
1.2	संसाधन का सृजन	5
1.2.1	राजस्व प्राप्तियां	5
1.2.2	राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल	6
1.2.3	राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर	7
1.2.4	कर राजस्व	7
1.2.5	कर- जीडीपी अनुपात (प्रतिशतता में)	9
1.2.6	उपकर संग्रहण	9
1.2.7	गैर-कर राजस्व	10
1.2.8	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	14
1.2.9	निवेशों पर रिटर्न	15
1.3	व्यय विश्लेषण	17
1.3.1	क्षेत्रीय व्यय	18
1.3.2	राजस्व व्यय	19
(ए)	सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय	20
(बी)	सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय	21
(सी)	आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय	22
1.3.2.1	प्रमुख राजस्व व्यय की प्रवृति	24
(ए)	ब्याज भुगतान	24
(बी)	पेंशन भुगतान	25
1.3.2.2	आर्थिक सहायता प्रबन्धन	26
1.3.3	पूंजीगत व्यय	29
1.3.3.1	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में व्यय (राजस्व+पूंजीगत)	30

1.3.4	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण तथा सहायता	31
1.3.5	सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम	33
1.3.6	परिणाम बजट तथ लिंग बजटीकरण का विश्लेषण	34
(i)	चयनित परिणाम बजटों का विश्लेषण	34
(ii)	लिंग आधारित बजट	39
1.3.7	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु कल्याण योजना	40
1.4	घाटे	41
(ए)	राजस्व घाटा	42
(बी)	राजकोषीय घाटा	43
(सी)	प्राथमिक घाटा	45
1.5	ऋण प्रबंधन	46
1.5.1	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	49
1.5.2	ऋण स्थिरता	50
(ए)	देयता-जीडीपी अनुपात	50
(बी)	ऋण- जीडीपी अनुपात	51
(सी)	ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात	51
(डी)	औसत ब्याज लागत	52
(ई)	बाजार ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल	53
1.5.3	अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाहय सहायता	54
1.5.4	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में निष्पादन	55
1.6	संघ सरकार की गारंटियों में वृद्धि	56
1.7	निष्कर्ष	58
	अध्याय-2: वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां	
2.1	प्रस्तावना	59
2.2	पारदर्शिता के मुद्दे	59
2.2.1	सरकारी लेखे में अपारदर्शिता	59
(ए)	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय में अपारदर्शिता	59
(बी)	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां में अपारदर्शिता	60
2.2.2	सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ	61
(ए)	सरकारी लेखाओं के बाहर पड़ी नियामक निकायों की निधियां	61
(बी)	सरकारी खाते के बाहर टीआरएआई सामान्य निधि का प्रतिधारण	63
2.3	लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ	63

2.3.1	अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग	63
2.3.2	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	65
2.3.3	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर	66
2.3.4	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि	66
2.3.5	केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) को उपकर का कम अंतरण	67
2.3.6	लोक लेखे में अन्य चिन्हित निधियों को उपकर का कम अंतरण	68
2.3.7	आरक्षित निधि से संवितरित राशियों में विसंगतियां	69
2.3.8	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल अंत शेष	70
2.3.9	'6001-106-प्रतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड' के अंतर्गत बहुत पुराने शेष	71
2.4	डाटा प्रमाणिकता एवं पुर्नमिलान मामले	72
2.4.1	मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना सीएफआई को ₹6927 करोड़ का अंतरण	72
(ए)	सुरक्षा प्रतिदान निधि से संबंधित ₹5,000 करोड़ का सीएफआई को अंतरण	72
(बी)	सीएफआई में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से संबंधित ₹1,927 करोड़ का अंतरण	73
2.4.2	आरक्षित निधियों से वापसी के लिए अनुचित लेखांकन प्रक्रिया	74
2.4.3	निष्क्रिय आरक्षित निधियां और जमा	76
2.4.4	अन्य विसंगतियां	76
2.4.4.1	गारंटी शुल्क में विसंगतियां	76
(ए)	गारंटी शुल्क दर्शाने का मेल न खाना	77
(बी)	गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति	77
2.4.4.2	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में कमियां	77
(ए)	वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं के अनुबंध-ग में निवेश को दर्शाने में भिन्नता	79
(बी)	₹1,182.39 करोड़ के निवेश का कम बताया जाना	81
(सी)	निवेश की अपूर्ण सूचना	81
(डी)	सांविधिक कम्पनियों के संबंध में लाभांशों के भुगतान में कमी	82
2.4.4.3	बकाया ब्याज भुगतान	83
2.4.4.4	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 15 में विसंगतियां/कमियां	83
(ए)	कर्ज तथा अग्रिमों के लेखांकन में असंगतियां	84

(बी)	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज एवं अग्रिम	84
(सी)	कर्जों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति क्रेडिट किया गया ब्याज	85
(डी)	कर्जों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति पुनर्भुगतान	86
(ई)	कर्ज तथा अग्रिम के अंत शेष में अंतर	86
(एफ)	ऋणों के बकायों के संबंध में ब्याज को न दर्शाया जाना	87
(जी)	20 वर्षों से अधिक के लिए बकाया में ऋण तथा अग्रिम	88
2.4.5	सीमा-शुल्क प्राप्तियों का कम बताया जाना	88
2.5	लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक	89
2.5.1	मुख्य उचंत लेखाओं के अन्तर्गत बकाया शेष	89
2.5.2	ऋण, जमा एवं प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष	97
2.5.3	'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष	98
2.5.4	प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की न की गई संवीक्षा	100
2.6	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखाओं की स्थिति	101
2.7	हानियाँ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/माफ करना	102
2.8	निष्कर्ष	102
अध्याय-3: विनियोग लेखे: 2016-17		
3.1	प्रस्तावना	104
3.2	2016-17 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश	105
3.3	प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण	107
3.4	अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग	109
3.5	अनुदानों में निरंतर आधिक्य	111
3.6	लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय	112
3.7	अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत	113
3.8	बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)	114
3.9	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)	115
3.10	अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदानें (मूल प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक)	115
3.11	अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदान-वार)	118

3.12	लघु/उप-शीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन (₹ 5 करोड़ से अधिक)	120
3.13	लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹ 5 करोड़ से अधिक)	120
3.14	उप-शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	120
3.15	संपूर्ण प्रावधान की बचत (उप-शीर्ष वार)	121
3.16	एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत	122
3.17	निरंतर बचत (उप-शीर्ष वार)	124
3.18	मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अंधाधुंध व्यय	125
3.19	रक्षा सेवाएं अनुदानों में निरंतर बचत (लघु शीर्ष-वार)	128
3.20	रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण	128
3.21	निष्कर्ष	129
	अध्याय-4: विनियोग लेखे: विनियोग लेखे पर टिप्पणियां	
4.1	प्रस्तावना	130
4.2	भारतीय संविधान के भाग 114(3) का उल्लंघन - सीबीडीटी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय	130
4.3	प्रावधान के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता	132
4.3.1	वस्तु शीर्ष ‘31-सहायता अनुदान-सामान्य’ के लिए प्रावधान में संवर्धन	132
4.3.2	वस्तु शीर्ष ‘35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान’ के प्रावधान का संवर्धन	134
4.3.3	वस्तु शीर्ष ’36-सहायता अनुदान-वेतन’ के प्रावधान का संवर्धन	136
4.3.4	वस्तु शीर्ष ‘33-सब्सिडी’ के प्रावधान का संवर्धन	137
4.3.5	वस्तु शीर्ष ’53-मुख्य निर्माण कार्य’ के प्रावधान का संवर्धन	139
4.4	पूंजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण	140
4.4.1	पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय में गलत वर्गीकरण	140
4.4.2	राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	142
4.4.3	गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	143
4.5	गलत वर्गीकरण के अन्य मामलें	148
4.5.1	वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान वेतन’ का संचालन न होना	148

4.5.2	अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षों में गलत वर्गीकरण	148
4.5.3	गलत लघु लेखा शीर्ष के अंतर्गत 'विशेष केन्द्रीय सहायता' दर्ज करना	162
4.6	एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन	163
4.7	सूचना प्रौद्योगिकी पर किए गए व्यय को दर्ज करने के लिए विस्तृत शीर्ष '99-सूचना प्रौद्योगिकी' का संचालन न किया जाना	168
4.8	जल उपकर का गलत उपयोग	169
4.9	प्रासंगिक उप-शीर्ष का संचालन न किए जाने के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण	171
4.10	वेतन व्यय का गलत वर्गीकरण	172
4.11	रक्षा पेंशन पर व्यय को कम बताया जाना	172
4.12	लघु शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण	173
	रक्षा अनुदान	
4.13	पूंजीगत अनुदान से राजस्व अनुदान में निधियों का अप्राधिकृत अंतरण	174
4.14	वर्ष 2016-17 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग के चयनित वाऊचरों की जाँच	175
4.15	निष्कर्ष	176
	अध्याय 5: चयनित अनुदानों की समीक्षा	
5.1	**अनुदान सं. 15: इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**	**177**
5.1.1	प्रस्तावना	177
5.1.2	बजट, व्यय एवं बचत	177
5.1.3	अभ्यर्पित न की गई बचत तथा उन्हें व्यपगत होने दिया	178
5.1.4	अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़े अनुपूरक अनुदान	179
5.1.5	उप-शीर्ष के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना	181
5.1.6	निधियों का उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	182
5.1.7	उपशीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचत	183
5.1.8	निधियों की उपयोगिता	185
5.1.9	रोकड़ प्रबंधन प्रणाली	187
5.1.10	रिक्त पदों के लिए बजट प्रावधान	188

5.2	**अनुदान सं. 25: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**	**189**
5.2.1	प्रस्तावना	189
5.2.2	बजट, व्यय तथा बचत	189
5.2.3	अवास्तविक बजटीय अनुमानों के कारण बड़े अनुपूरक अनुदान	190
5.2.4	उप-शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	191
5.2.5	संपूर्ण प्रावधान की बचत	192
5.2.6	₹10 करोड़ (उप-शीर्ष स्तर) से अधिक बचत	193
5.2.7	बचतों का अभ्यर्पण	194
5.3	**अनुदान सं.61 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**	**194**
5.3.1	प्रस्तावना	194
5.3.2	बजट, व्यय एवं बचत	195
5.3.3	वित्त वर्ष के अंत में अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण	196
5.3.4	₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत	196
5.3.5	अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदान	197
5.3.6	₹ एक करोड़ से अधिक की बचत (उप-शीर्ष स्तर)	198
5.3.7	वित्त वर्षों के बिल्कुल अंत में पुनर्विनियोजन के अत्यधिक आदेश जारी करना	199
5.3.8	बकाया उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)	200
5.4	**अनुदान सं.95: शहरी विकास मंत्रालय**	**201**
5.4.1	प्रस्तावना	201
5.4.2	बजट, व्यय एवं बचत	202
5.4.3	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	202
5.4.4	अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण में विलम्ब	203
5.4.5	अवास्तविक बजट	204
5.4.6	वर्गीकृत सार तथा नियंत्रण पंजिका/सहायता अनुदान पंजिका में दर्शाए गए व्यय का समाधान न होना	205
5.4.7	बकाया उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)	206
5.5	निष्कर्ष	207

	अनुबंध	
	अनुबंध 1.1	209
	अनुबंध 2.1	210
	अनुबंध 2.2	211
	अनुबंध 2.3	212
	अनुबंध 2.4	213
	अनुबंध 2.5	215
	अनुबंध 2.6	217
	अनुबंध 2.7	219
	अनुबंध 2.8	221
	अनुबंध 2.9	223
	अनुबंध 2.10	227
	अनुबंध 2.11	230
	अनुबंध 3.1	231
	अनुबंध 3.2	234
	अनुबंध 3.3	236
	अनुबंध 3.4	237
	अनुबंध 3.5	241
	अनुबंध 3.6	245
	अनुबंध 3.7	251
	अनुबंध 3.8	252
	अनुबंध 3.9	256
	अनुबंध 3.10	258
	अनुबंध 3.11	259
	अनुबंध 3.12	265
	अनुबंध 3.13	268
	अनुबंध 3.14	282
	अनुबंध 4.1	284
	अनुबंध 4.2	288
	अनुबंध 5.1	302
	शब्दावली	305

प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

मंत्रालयों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियां विभिन्न प्रतिवेदनों में सम्मिलित है। संघ सरकार के लिए, वैज्ञानिक विभागों, रक्षा सेवाएं- थल सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं- वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।

विशिष्टताएं

राजस्व प्राप्तियां	:	इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
स्टॉक	:	स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तातरणीय न हो बल्कि जो हस्तांतरण दर्ज करके तथा लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके हस्तांतरित किया जा सके।
अनुपूरक अनुदान	:	यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित किसी कानून द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में परिकल्पित न की गई किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हो तो सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधान के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त किया जाता है।
बचत का अभ्यर्पण	:	केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में पायी गयी प्रत्याशित बचतों को वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की सूचना लेखापरीक्षा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित किया जायेगा।
बचत	:	जब व्यय बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती हैं।
दत्तमत्त अनुदान	:	अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित होता है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।

विशिष्टताएं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखाओं पर है तथा वर्ष 2016-17 हेतु संघ सरकार के वित्त साधनों का विश्लेषण करता है। इसमें विनियोग लेखे का विश्लेषण तथा वर्ष 2016-17 हेतु संघ सरकार के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी शामिल हैं।

अध्याय -1

- 2016-17 में संघ सरकार की वित्तीय स्थिति को प्राथमिक रूप से पिछले वर्ष से दोनों कर राजस्व प्राप्तियों (17.86 प्रतिशत) तथा गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (4.43 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण सकल राजस्व प्राप्तियों में 14.50 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा बताया गया है।

(पैरा 1.2.2)

- राजस्व व्यय 2015-16 में 4.98 प्रतिशत के प्रति 2016-17 के दौरान 8.63 प्रतिशत तक बढ़ा। सामान्य सेवाओं पर व्यय 2016-17 में राजस्व व्यय का 47.92 प्रतिशत था।

(पैरा 1.3.2)

- पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 29,394 करोड़ (10.54 प्रतिशत) तक कम हुआ तथा 2016-17 में ₹2,49,472 करोड़ पर रहा। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2015-16 में 13.24 प्रतिशत से 2016-17 में 11.12 प्रतिशत तक कम हुआ।

(पैरा 1.3.3)

- वर्ष 2016-17 हेतु राजस्व घाटा 2015-16 में जीडीपी के 2.51 प्रतिशत के प्रति जीडीपी का 2.09 प्रतिशत था। जीडीपी के 2.09 प्रतिशत का राजस्व घाटा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तर से नीचे था। वर्ष 2016-17 हेतु राजकोषीय घाटा 2015-16

में जीडीपी के 4.28 प्रतिशत के प्रति जीडीपी का 3.54 प्रतिशत था।

(पैरा 1.4 तथा 1.5.4)

- लोक लेखा देयता को अन्य दायित्वों के रूप में ₹13,11,628 करोड़ तथा ₹2,08,100 करोड़ की लघु बचतों, भविष्य निधि आदि की देयता के स्तर को ध्यान में रखने के पश्चात ₹15,19,728 करोड़ पर परिकलित किया गया है।

(पैरा 1.5)

अध्याय-2

- व्यय तथा प्राप्तियों से संबंधित 35 मुख्य शीर्षों, जिनमें कुल व्यय तथा प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक को लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियॉ के अंतर्गत दर्ज किया गया था, में आपारदर्शिता पाई गई थी।

(पैरा 2.2.1)

- 14 नियामक निकायों तथा स्वायत्त निकायों, जो अपने संबंधित क्षेत्र में विनियामकों के रूप में भी कार्य करते है, ने मार्च 2017 के अंत में शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदान, सरकारी अनुदान पर प्राप्त ब्याज, लाईसेंस शुल्क की वसूली, कॉर्पस निधि आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹6,064.08 करोड़ की निधियों को जनवरी 2005 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के विपरीत सरकारी खाते के बाहर रखा था।

(पैरा 2.2.2-ए)

- 1996-97 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल ₹7,885.54 करोड़ का अनुसंधान एवं विकास उपकर एकत्रित किया गया था।

इसमें से, केवल ₹609.46 करोड़ (7.73 प्रतिशत) का उपयोग कथित उपकर के उदग्रहण के उद्देश्यों के प्रति किया गया था।

(पैरा 2.3.1)

- 2006-07 से 2016-17 के दौरान भारत की समेकित निधि में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी) के रूप में ₹83.497 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति किसी भी राशि को लोक लेखे में चिन्हित निधि को अंतरित किया जा सका था क्योंकि न तो योजनाओं का चयन किया गया था जिन पर उपकर प्राप्तियों को व्यय किया जाना था और न ही एसएचईसी की प्राप्तियों को जमा करने हेतु लोक लेखा में नामित निधि खोली गई थी।

(पैरा 2.3.3)

- बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (निधि) से व्यय प्राप्तियों से काफी अधिक होने के कारण वर्षों से निधि में शेष प्रतिकूल हो गया था। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था जो 2012-13 में (-) ₹200.46 करोड़ से 2016-17 में (-)₹210.97 करोड़ तक बढ़ा।

(पैरा 2.3.8)

- 31 मार्च 2017 को राज्य/यूटी सरकारों तथा अन्य अस्तित्वों के प्रति ₹2,62,177.59 करोड़ का कुल कर्ज बकाया था। इसमें से ₹25,943.30 करोड़ के पुनर्भुगतान एक से 50 वर्षों के बीच बकाया थे, जिसमें 20 वर्षों से अधिक (₹10 करोड़ से अधिक के मामले) से बकाया ₹11,302.46 करोड़ शामिल है।

[पैरा 2.4.4.4(जी)]

अध्याय-3

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार, विधि द्वारा किए गए विनियोगों को छोड़कर, भारत की समेकित निधि

(सीएफआई) से किसी धन का आहरण नहीं किया जाएगा। तथापि, 2016-17 के दौरान सीएफआई से प्राधिकरण से ₹1,90,270.18 करोड़ का अधिक संवितरण था, जिसमें से सिविल मंत्रालयों/विभागों में दो अनुदान/विनियोगों के तीन खण्डों में, ₹1,89,154.26 करोड़ का, डाक के एक अनुदान के एक खण्ड में ₹936.48 करोड़, रक्षा के एक अनुदान के दो खण्डों में ₹146.31 करोड़ का तथा रेलवे के तीन अनुदान में छ: खण्डों में ₹33.13 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ था। इन अधिक संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 115(1)(बी) के अंतर्गत नियमन अपेक्षित है।

(पैरा 3.4)

- कुल ₹2,28,640 करोड़ की 67 अनुदान (सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं सहित) के 84 खण्डों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत हुई। बड़ी बचतें अनुदान; खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग (₹53,478 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹46,838 करोड़), आर्थिक कार्य विभाग (₹13,335 करोड़), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (₹8,206 करोड़), वित्तीय सेवाएं विभाग (₹6,273 करोड़), राज्यों को अंतरण (₹6,044 करोड़), विद्युत मंत्रालय (₹5,623 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹4,378 करोड़) विनियोग- ब्याज भुगतान (₹4,268 करोड़) तथा उर्वरक विभाग (₹4,009 करोड़) में पाई गई थीं।

(पैरा 3.7 तथा अनुबंध 3.5)

अध्याय-4

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) अनुबंध करता है कि भारत की समेकित निधि से विधि द्वारा किए गए विनियोग के अंतर्गत को छोड़कर किसी धन का आहरण नहीं किया जाएगा। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल ₹2,598 करोड़ की वापसियों पर

ब्याज पर व्यय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा संसद के प्राधिकरण के बिना किया गया था। लोक लेखा समिति की अपनी 66वीं तथा 96वीं रिपोर्टों में सिफारिशों के बावजूद आवश्यक विनियोग के माध्यम से ससंद का अनुमोदन प्राप्त किए बिना नौ वर्षों से ब्याज भुगतानों पर ₹58,537 करोड़ का कुल व्यय किया गया था।

(पैरा 4.2)

- किसी भी निकाय अथवा प्राधिकरण को 'सहायता अनुदान' तथा भारत की संचित निधि से 'आर्थिक सहायताएं' को पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान का संवर्धन केवल संसद की पूर्वानुमति से किया जा सकता है। 2016-17 के दौरान सात अनुदान में, नौ मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन करके ₹7.37 करोड़ का व्यय किया था। इसी प्रकार, चार अनुदान में पांच मामलों में संसद की पूर्वानुमति के बिना वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' को ₹6.01 करोड़ का संवर्धन किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में कुल ₹2.48 करोड़ की निधियों का संसद की पूर्वानुमति के बिना वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान - वेतन' को संवर्धन किया गया था। चार अनुदान में आठ मामलों में कुल ₹3,230.60 करोड़ की निधियों का संसद की पूर्वानुमति के बिना वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' को संवर्धन किया गया था। इन सभी अधिक व्ययों ने नई सेवा/सेवा के नए साधन (एनएस/एनआईएस) की सीमाओं का उल्लंघन किया।

(पैरा 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 तथा 4.3.4)

- वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एनएस/एनआईएस के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक

अथवा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो अथवा मौजूदा निर्माण कार्यों के लिए। पुलिस से संबंधित अनुदान सं. 48 में, संसद से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना वस्तु शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन करके ₹9.31 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। यह अतिरिक्त व्यय नई सेवा/सेवा के नए साधनों की सीमाओं का उल्लंघन भी करता है।

(पैरा 4.3.5)

- विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने गलत प्रकार से राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय में तथा प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया। गलत वर्गीकरणों के कारण ₹2,229.40 करोड़ तक राजस्व व्यय कम बताया गया था और ₹752.18 करोड़ तक राजस्व व्यय अधिक बताया गया था। वर्ष 2016-17 के लिए सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव राजस्व व्यय का ₹1,477.22 करोड़ कम बताने तथा उसी सीमा तक पूंजीगत व्यय को अधिक बताने में हुआ था।

(पैरा 4.4.1, 4.4.2 और 4.4.3)

- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 छठे स्तर अथवा वस्तु शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों का निर्धारण करता है। 14 अनुदानों में 46 मामलों में, ₹549.49 करोड़ तक की राशि के व्यय को विनियोग की प्राथमिक इकाईयों के बीच गलत रूप से वर्गीकृत किया गया था।

(पैरा 4.5.2)

अध्याय -5

- 2014-17 की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय

ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित विनियोग लेखाओं की विस्तृत जांच से वर्गीय और उप-शीर्ष स्तर पर बड़ी और लगातार बचतों, बचतों का अभ्यर्पण न करना और अभ्यर्पण में विलंब, अवास्तविक बजट अनुमानों के कारण अधिक अनुपूरक अनुदानों को प्राप्त करना, उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान, उप-शीर्ष स्तर पर सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग न किया जाना; विवेकहीन पुनर्विनियोग, बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों का पता चला जो जीएफआर के अनुसार सचेतना और समनुरूपता तथा बजट निरूपण प्रक्रिया से संबंधित वित्त मंत्रालय के अनुदेशों का अनुपालन करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

(पैरा 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4)

1: संघीय वित्त 2016-17 का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में प्रस्तुत किए गए संघ सरकार के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे शामिल हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों के विवरणों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में व्यय तथा परिणामत: आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरणों को दर्शाते हैं।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार निधियां एवं लोक लेखा

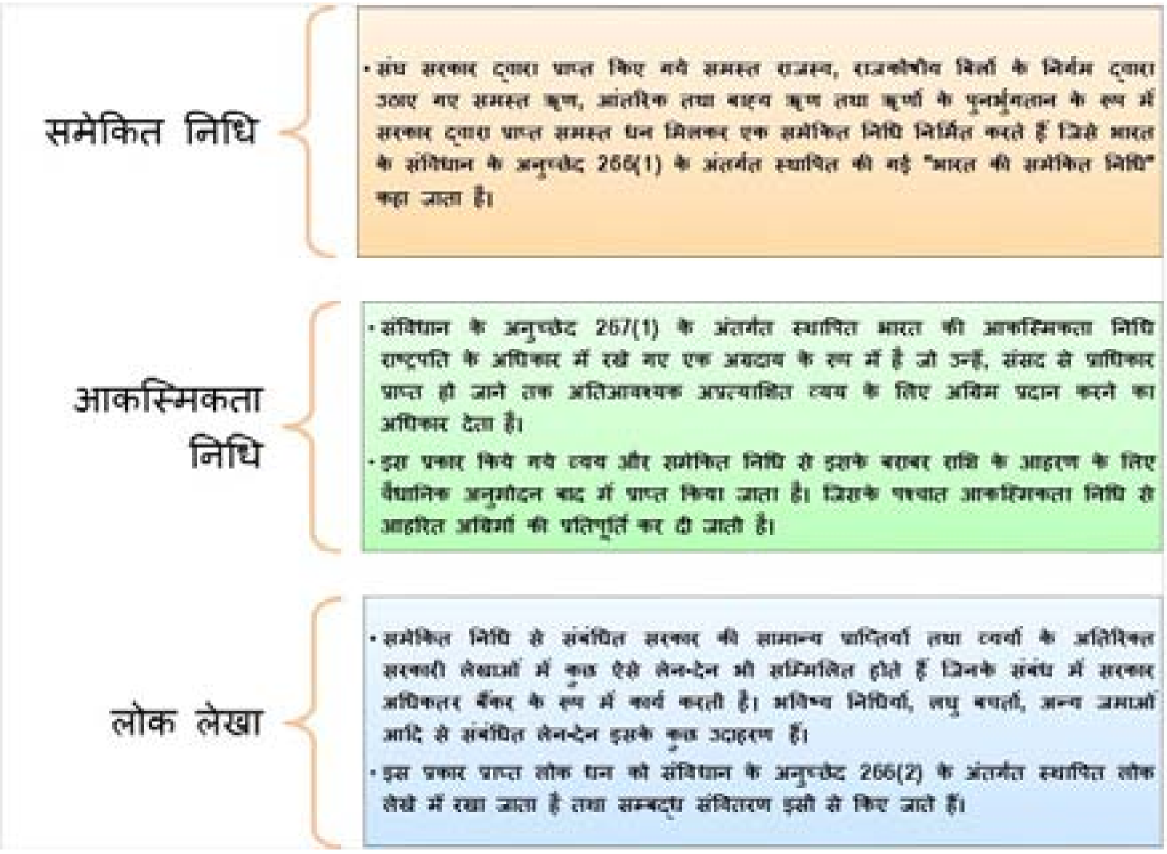

1.1.1 संघ सरकार वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय वर्ष 2016-17 के दौरान संघ सरकार के लेखाओं का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है। यह 2012-13 से 2016-17 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि से प्रचलित प्रवृत्तियों के संदर्भ में मुख्य राजकोषीय संचयो में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.1 राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों, लोक लेखा प्राप्तियों तथा कुल संवितरण के अनुसार संघ सरकार के वित्त की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: प्राप्तियों तथा संवितरण 2016-17 के अनुमान तथा वास्तविक : संघ सरकार

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.		बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक	बीई के सापेक्ष भिन्नता
1	कुल प्राप्ति (7+8+9)	**7588743**	**8886801**	**9112788**	**1524045 (20.08)**
2	राजस्व प्राप्तियाँ	1632772	1677063	1615988	-16784 (-1.03)
	कर प्राप्तियाँ[1]	1060801	1095493	1107968	47167 (4.45)
	गैर-कर प्राप्तियाँ[2]	571971	581570	508020	-63951 (-11.18)
3	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	56500	45500	47743	-8757 (-15.50)
4	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	22495	61686	40971	18476 (82.13)
5	*कुल गैर-ऋण प्राप्तियां (2+3+4)*	*1711767*	*1784249*	*1704702*	*-7065 (-0.41)*
6	लोक ऋण की प्राप्ति	4915665	5971210	6134137	1218472 (24.79)
7	सीएफआई में कुल प्राप्तियां(5+6)	**6627432**	**7755459**	**7838839**	**1211407 (18.28)**
8	आकस्मिकता निधि	0	0	0	**0**
9	लोक लेखा प्राप्ति	961311	1131342	1273949	312638 (32.52)
10	*कुल संवितरण (16+17)*	*7581937*	*8927028*	*9103892*	*1521955 (20.07)*
11	राजस्व व्यय	1987285	1988720	1933018	-54267 (-2.73)
12	पूंजीगत व्यय	219146	243612	249472	30326 (13.84)
13	ऋण एवं अग्रिम	39738	88382	60011	20273 (51.02)
14	*कुल व्यय (11+12+13)*	*2246169*	*2320714*	*2242501*	*-3668 (0.16)*
15	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4406431	5491869	5678823	1272392 (28.88)
16	सीएफआई से कुल संवितरण (14+15)	6652600	7812583	7921324	1268724 (19.07)
17	लोक लेखा संवितरण	929337	1114445	1182568	253231 (27.25)
18	राजस्व घाटा(11-2)	354513	311657	317030	-37483 (-10.57)

19	राजकोषीय घाटा (14-5)	534402	536465	537799	3397 (0.64)

1 संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्यों ₹ 5,70,337 करोड़ (बीई) तथा ₹ 6,08,000 करोड़ (वास्तविक) को प्रदान की गई आय पर कर शामिल नहीं है।
2 सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है।
3 कोष्ठक में आंकड़े अंतर की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

विनिवेशों सहित विविध पूंजीगत प्राप्तियां (₹47,743 करोड़) ₹56,500 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से कम रही। व्यय पक्ष की ओर, पूंजीगत व्यय (₹30,326 करोड़) बजट में प्रदत्त राशि से अधिक था।

राजस्व लेखे पर असंतुलन राजस्व घाटा अर्थात जो ₹3,54,513 करोड़ के बजट आंकड़े के प्रति ₹3,17,030 करोड़ था, बजट आंकड़े के 10.57 प्रतिशत तक कम था। समग्र असंतुलन का परिणाम राजकोषीय घाटे में होता है जो ₹5,34,402 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹5,37,799 करोड़ था जो बजट आंकड़े से 0.64 प्रतिशत अधिक था। **पैरा 1.4** में घाटे के संकेतको पर विस्तृत टिप्पणियां शामिल है।

1.1.2 सकल घरेलू उत्पाद

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने प्रेस नोट दिनांक 31 जनवरी 2017 तथा 31 मई 2017 के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान जारी किए। 2012-13 से 2016-17 तक के लिए जीडीपी के अनुमानों का विवरण नीचे **तालिका 1.2**[1] में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 : सकल घरेलू उत्पाद 2016-17

(₹ करोड़ में)

जीडीपी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (पीई)
स्थिर मूल्यों पर	9215125	9817822	10536984	11381002	12189854
पिछले वर्ष से प्रतिशतता परिवर्तन	*5.48*	*6.54*	*7.33*	*8.01*	*7.11*
वर्तमान मूल्यो पर	9946636	11236635	12445128	13682035	15183709
पिछले वर्ष से प्रतिशतता परिवर्तन	*13.86*	*12.97*	*10.75*	*9.94*	*10 .98*

पीई- प्रावधानिक अनुमान

1 2012-13 तथा 2013-14 हेतु जीडीपी अनुमान प्रेस नोट दिनांक 31 जनवरी 2017 तथा 2014-15 से 2016-17 हेतु प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2017 से लिए गए हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर जीडीपी ₹1,21,89,854 करोड़ पर अनुमानित था जबकि वर्ष 2015-16 हेतु जीडीपी ₹1,13,81,002 करोड़ अनुमानित था। 2016-17 में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि 2015-16 में 8.01 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 7.11 प्रतिशत तक कम हुई। स्थिर मूल्यों (2011-12) पर सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए)[2] के तिमाही-वार विश्लेषण दर्शाता है कि 2016-17 की प्रथम तिमाही में वृद्धि 2015-16 में अर्थात् 7.6 प्रतिशत के समान थी। तथापि, 2016-17 में अनुवर्ती तीन तिमाहियों में वृद्धि की दरों ने 2015-16 में संगत तिमाहियों की तुलना में कमी देखी जैसा नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1 2015-16 तथा 2016-17 में तिमाही-वार जीवीए

जैसा उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जीडीपी में मंदी दूसरी तिमाही से प्रारम्भ हुई तथा 2016-17 की चौथी तिमाही में अधिक उच्चरित हो गई।

वर्ष 2016-17 के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी ₹1,51,83,709 करोड़ अनुमानित था जबकि वर्ष 2015-16 के लिए जीडीपी ₹1,36,82,035 करोड़ पर अनुमानित था, जो 10.98 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है। स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में कम थी। तथापि, वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में अधिक थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रतिवेदन में, विभिन्न राजकोषीय सूचकों का विश्लेषण करते समय वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी को आधार बनाया गया है जैसा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अपेक्षित है।

[2] जीडीपी उत्पाद पर करों का निवल

1.2 संसाधन का सृजन

राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो संघ सरकार के संसाधन निर्मित करते हैं। कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा बाहय एजेंसियों से सहायता अनुदान को मिलाकर राजस्व प्राप्तियां बनती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो संघटक हैं-ऋण प्राप्तियां, जो भविष्य में पुनर्भुगतान बाध्यताओं को सृजित करती है तथा गैर-ऋण प्राप्तियां, जिनमें विनिवेश तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियां शामिल है जिससे वास्तविक अथवा संभावित परिसंपत्तियों में कटौती होती हैं।

तालिका 1.3 : संसाधन एवं जीडीपी

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां* (1)	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2)	सकल ऋण प्राप्तियां (3)	लोक लेखे में सकल उपार्जन (4)	सकल प्राप्तियां (1+2+3+4) (5)	सकल ऋण प्राप्ति/सकल प्राप्ति (प्रतिशत में) (6)	सकल प्राप्तियां/ जीडीपी[3] (प्रतिशत में) (7)
2012-13	1347438 (22)	52513 (1)	3968038 (66)	660784 (11)	6028773	65.82	60.61
2013-14	1536024 (24)	53917 (1)	3994966 (64)	692960 (11)	6277867	63.64	55.87
2014-15	1666717 (25)	64287 (1)	4218196 (62)	850506 (12)	6799706	62.03	54.64
2015-16	1942353 (26)	84010 (1)	4316950 (58)	1116692 (15)	7460005	57.87	54.52
2016-17	2223988 (23)	88714 (1)	6134137 (63)	1273949 (13)	9720788	63.10	64.02

राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े (वर्तमान वर्ष हेतु ₹6,08,000 करोड़) सम्मिलित हैं। वर्तमान वर्ष में ₹16,15,988 करोड़ केंद्र की निवल राजस्व प्राप्तियां हैं जिसे **तालिका 1.1 में दिखाया गया है।*
नोट: (I) कोष्ठक में आंकडे सकल प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

जैसा कि **तालिका 1.3** से देखा जा सकता है, जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल प्राप्ति ने 2012-13 से 2015-16 के दौरान घटती हुई प्रवृति दर्शाई परंतु पिछले वर्ष से 2016-17 में सुधरी तथा 2016-17 में 64.02 प्रतिशत पर रही। वर्ष 2016-17 की 2015-16 में 16.54 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में सकल राजस्व प्राप्तियों में 14.50 प्रतिशत की वृद्धि बताई गई। सकल प्राप्तियों की तुलना में सकल ऋण प्राप्तियों का अनुपात 2015-16 (57.87 प्रतिशत) के सिवाय 60 प्रतिशत के स्तर के ऊपर रहा जो संघ बजट को वित्तपोषित करने हेतु ऋण पर निर्भरता को दर्शाता है।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां जिसमें कर एवं गैर-कर प्राप्तियां शामिल होती हैं, राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि इन प्राप्तियों द्वारा किसी तरह की भविष्य में भुगतान

[3] उपर्युक्त तालिका 1.2 में जीडीपी का आंकड़ा

दायित्वों की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की चर्चा आगामी पैराओं में की गई है।

1.2.2 राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल

तालिका 1.4 सकल एवं निवल दोनों राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संघ सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	राज्यों का अंश*	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व#	निवल राजस्व प्राप्ति	सकल राजस्व प्राप्तियॉ
(1)	(2)=(3)+(4)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)= (2)+(5)
2012-13	1036461	291547	744914	310977	1055891	1347438
2013-14	1138996	318230	820766	397028	1217794	1536024
2014-15	1245136	337808	907328	421581	1328909	1666717
2015-16	1455891	506193	949698	486462	1436160	1942353
2016-17	1715968	608000	1107968	508020	1615988	2223988
वार्षिक वृद्धि दर (*प्रतिशत*)						
2012-13	16.57	14.15	17.55	12.44	16.00	15.59
2013-14	9.89	9.15	10.18	27.67	15.33	14.00
2014-15	9.32	6.15	10.55	6.18	9.12	8.51
2015-16	16.93	49.85	4.67	15.39	8.07	16.54
2016-17	17.86	20.11	16.67	4.43	12.52	14.50

#बाह्य अभिकरणों से सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है

** संघ सरकार के वित्त लेखाओं के संबंध में केन्द्रीय कर राजस्व में अंश के तौर पर राज्यों को किया गया अंतरण धारा 279(1) के तहत प्रमाणीकरण एवं अंतिम जांच के अधीन है।*

वर्ष 2016-17 के दौरान सकल कर राजस्व पिछले वर्ष से 17.86 प्रतिशत तक बढ़ा तथा वर्तमान मूल्यों पर 10.98 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि को भी पीछे छोड़ दिया (**तालिका 1.2**)।

सरकार के गैर-कर राजस्व की वृद्धि ने 2012-17 के दौरान उच्च उतार-चढ़ाव दर्शाया जो 2016-2017 में 4.43 प्रतिशत से 2013-14 में 27.26 प्रतिशत के बीच था।

2016-17 में सकल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 2015-16 में 16.54 प्रतिशत की तुलना में 14.50 प्रतिशत थी।

1.2.3 राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर

यथार्थवादी बजटीय अनुमानों का निरूपण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। नीचे चार्ट बीई की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मुख्य संघटकों को दर्शाता है।

चार्ट 1.2 बीई की तुलना में वास्तविक मुख्य राजस्व संघटक: 2016-17

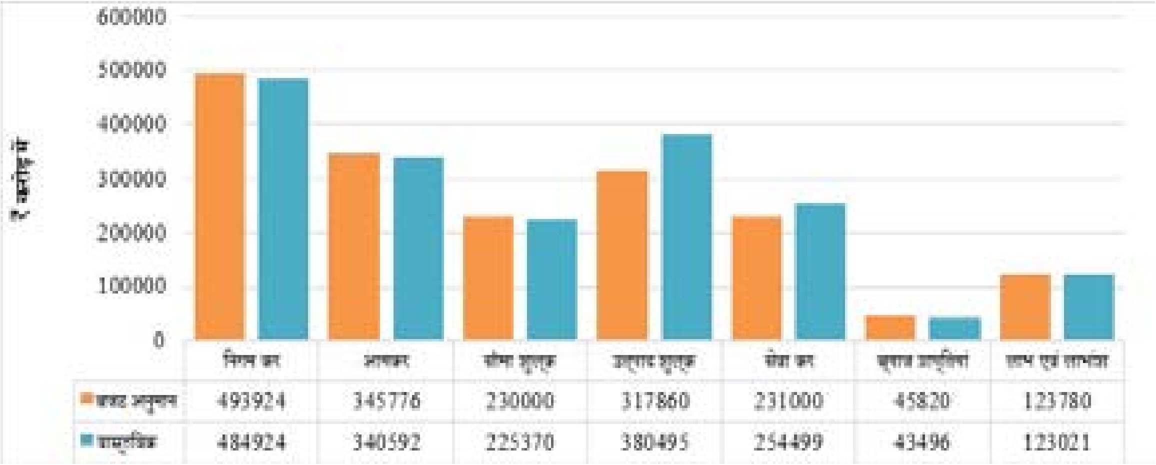

चार्ट 1.2 उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के सिवाय सभी संघटकों के बजट लक्ष्य के संबंध में वास्तविक प्राप्तियों में कमी को दर्शाता है। उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर से वसूली, वर्ष 2016-17 में बीई से क्रमश: 19.71 प्रतिशत तथा 10.17 प्रतिशत अधिक थी।

1.2.4 कर राजस्व

तालिका 1.5 पिछले पांच वर्षों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व के संघटकों की सुनिश्चित शर्तों के साथ-साथ उसकी वृद्धि की वार्षिक दर दर्शाती है।

तालिका 1.5: कर राजस्व (सकल) के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व #	प्रत्यक्ष कर*				अप्रत्यक्ष कर					वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी
		निगम कर	आयकर	अन्य	कुल	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य	कुल	
2012-13	1036461	356326	196844	5819	558989	165346	175845	132601	3680	477472	9946636
2013-14	1138996	394678	237870	6048	638596	172085	169455	154780	4080	500400	11236635
2014-15	1245136	428925	258374	8493	695792	188016	189038	167969	4321	549344	12445128
2015-16	1455891	453228	280390	8394	742012	210338	287148	211415	4978	713879	13682035

अवधि	सकल कर राजस्व #	प्रत्यक्ष कर*				अप्रत्यक्ष कर					वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी
		निगम कर	आयकर	अन्य	कुल	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य	कुल	
2016-17	1715968	484924	340592	24285	849801	225370	380495	254499	5803	866167	15183709
वृद्धि की वार्षिक दर (*प्रतिशत*)											
2012-13	16.57	10.38	19.64	-12.44	13.16	10.73	21.36	35.99	8.46	20.84	13.86
2013-14	9.89	10.76	20.84	3.94	14.24	4.08	-3.63	16.73	10.87	4.80	12.97
2014-15	9.32	8.68	8.62	40.43	8.96	9.26	11.56	8.52	5.91	9.78	10.75
2015-16	16.93	5.67	8.52	-1.17	6.64	11.87	51.90	25.87	15.20	29.95	9.94
2016-17	17.86	6.99	21.47	189.31	14.53	7.15	32.51	20.38	16.57	21.33	10.98

 # राज्यों/यूटी को दिए गए करों/शुल्कों के आकड़े शामिल है।

**प्रत्यक्ष कर में मुख्य शीर्ष 0029-भूमि राजस्व एवं 0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त आय एवं व्यय पर सकल कर और सम्पति, पूंजीगत एवं अन्य लेन-देन पर कर शामिल है।*

प्रत्यक्ष कर के सभी संघटकों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में वृद्धि दर्ज की जिसका परिणाम 2015-16 में 6.64 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2016-17 के दौरान 14.53 प्रतिशत की प्रत्यक्ष कर की समग्र वृद्धि में हुआ। आयकर ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 2016-17 में 21.47 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की थी। 'अन्य' जो वर्तमान वर्ष के दौरान 189.31 प्रतिशत तक बढ़ा, के मामले में यह मुख्यत: आयकर घोषणा योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (₹10,098 करोड़) आदि के अंतर्गत ₹15,162 करोड़ की प्राप्ति के कारण था। प्रत्यक्ष कर में हालांकि सभी संघटकों में सुनिश्चत शर्तों में वृद्धि हुई है फिर भी उनकी वृद्धि दर में पिछले वर्ष से 2016-17 के दौरान 'अन्य' के सिवाय गिरावट आई है।

2016-17 तथा 2015-16 के दौरान कर राजस्वों के संघटकों के सापेक्ष अंशो की तुलना **(चार्ट 1.3)** उत्पाद शुल्कों (दो प्रतिशत) एवं आयकर (एक प्रतिशत) के अंशों में वृद्धि तथा निगम कर (तीन प्रतिशत) एवं सीमाशुल्क (दो प्रतिशत) के अंशों में कमी दर्शाती है। सेवा कर का अंश दोनों वर्षों में बराबर रहा।

चार्ट 1.3 कर राजस्व के संघटक

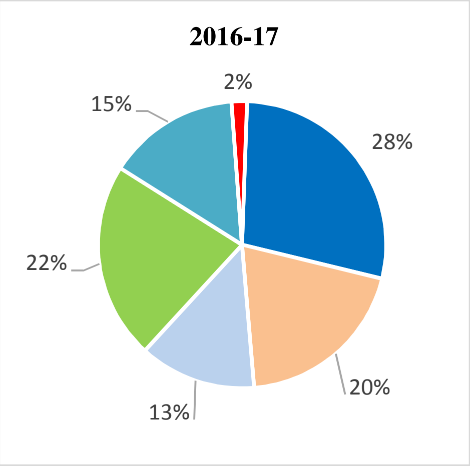

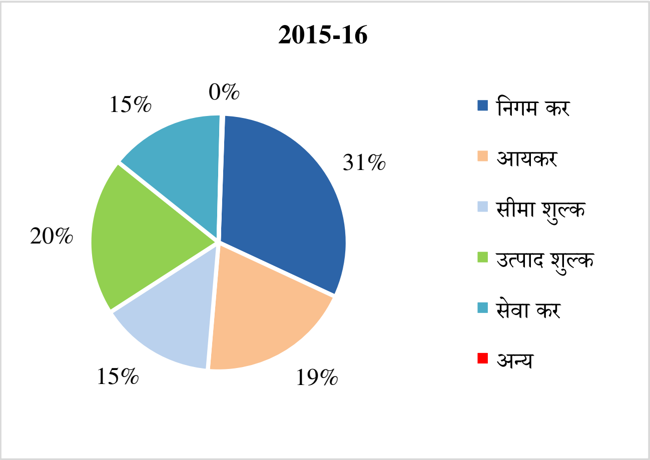

शून्य प्रतिशत वह मूल्य है जो 0.5 प्रतिशत से कम है।

1.2.5 कर- जीडीपी अनुपात (प्रतिशतता में)

कर-जीडीपी अनुपात सरकार के संसाधन संघटन प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता तथा कर क्षमता की वसूली की इसकी सीमा का संकेतक है। **तालिका 1.6**, 2012-13 से 2016-17 की अवधि से सकल कर-जीडीपी अनुपात की प्रवृतियों को प्रस्तुत करती है जो 10 से 11 प्रतिशत के आस-पास रहा।

तालिका 1.6: कर/मुख्य करों का जीडीपी अनुपात

(प्रतिशत में)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य*
2012-13	10.42	3.58	1.98	1.66	1.77	1.33	0.10
2013-14	10.14	3.51	2.12	1.53	1.51	1.38	0.09
2014-15	10.01	3.45	2.08	1.51	1.52	1.35	0.10
2015-16	10.64	3.31	2.05	1.54	2.10	1.55	0.10
2016-17	11.30	3.19	2.24	1.48	2.51	1.68	0.20

अन्य में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, स्टैम्प तथा पंजीकरण शुल्क, प्रतिभूतियां लेन-देन कर, क्रय, व्यापार पर कर, अन्य कर तथा सामान एवं सेवाओं पर शुल्क आदि शामिल है।

1.2.6 उपकर संग्रहण

उपकर, सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजनार्थ निधियों के लिए वसूला गया अतिरिक्त कर है। उपकर संग्रहण को आरंभ में सीएफआई में क्रेडिट किया जाता है। संघ के वित्त लेखे में संघीय उत्पाद गैर-विभाजनीय शुल्कों का अलग से पृथकीकरण

होता है। संघ सरकार के वित्त लेखे में वित्त वर्ष 2016-17 हेतु ₹1,31,216 करोड़ की राशि को संघीय उत्पाद गैर-विभाजनीय शुल्क के रूप में दर्शाया गया है। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल उपकर संग्रहण नीचे **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: उपकर संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा उपकर	उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर	स्वच्छ उर्जा उपकर	कच्चे तेल पर उपकर	सड़क उपकर	अन्य*	कुल
2012-13	20946	9867	3053	14510	19979	2990	71345
2013-14	22837	11266	3082	14533	20478	4489	76685
2014-15	24219	11960	5393	14655	25122	4035	85384
2015-16	18783	9240	12676	14311	69540	7847	132397
2016-17	20220	10028	26117	12618	72400	30785	172168
वृद्धि की वार्षिक दर (*प्रतिशत*)							
2012-13	23.95	22.31	18.33	78.65	8.81	-7.11	24.62
2013-14	9.03	14.18	0.95	0.16	2.50	50.13	7.48
2014-15	6.05	6.16	74.98	0.84	22.68	-10.11	11.34
2015-16	-22.45	-22.74	135.05	-2.35	176.81	94. 47	55.06
2016-17	7.65	8.53	106.04	-11.83	4.11	292.32	30.04

**अन्य में निर्यात पर उपकर, अवसंरचना उपकर, कोल एवं कोक पर उपकर, जूट पर उपकर, चाय पर उपकर, तांबे पर उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषि कल्याण उपकर, अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्राप्ति आदि शामिल है।*

तालिका 1.7 2016-17 के दौरान उपकर संग्रहण में 30.04 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि के दौरान स्वच्छ उर्जा उपकर ने 106.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। प्राथमिक शिक्षा उपकर तथा उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर में वृद्धि पिछले वर्ष से क्रमशः 7.65 प्रतिशत तथा 8.53 प्रतिशत तक बढ़ी है। तथापि, कच्चे तेल पर उपकर में वृद्धि में 11.83 प्रतिशत तक कमी आई। 'अन्य' के अंतर्गत वार्षिक वृद्धि में 292 प्रतिशत की वृद्धि प्राथमिक रूप से कृषि कल्याण उपकर (₹8,379 करोड़) तथा स्वच्छ भारत उपकर (₹12,475 करोड़) के संग्रहण के कारण थी।

1.2.7 गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्वों में दो संघटक शामिल है: शासकीय कार्यों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्के से आय तथा इसकी परिसम्पत्तियों/विनिवेशों अथवा लाभांश या उपभोक्ता प्रभारो जैसे कि रेलवे, डाक तथा विभागीय उपक्रमों द्वारा संग्रहित

उपभोक्ता प्रभारों से आय। गैर कर राजस्व का संघटन नीचे **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: गैर-कर राजस्व का संघटन (अंश एवं वृद्धि दर)

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर कर राजस्व#	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	शासकीय तथा अन्य कार्य**
2012-13	310977	38860	53762	4819	184662	28874
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	12.50	17.29	1.55	59.38	9.28
2013-14	397028	44027	90442	1316	227661	33582
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.09	22.78	0.33	57.34	8.46
2014-15	421582	48007	89861	1735	243512	38467
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.39	21.32	0.41	57.76	9.12
2015-16	486462	46325	112136	10100	279710	38191
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	9.52	23.05	2.08	57.50	7.85
2016-17	508020	43496	123021	11998	286597	42908
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	8.56	24.22	2.36	56.41	8.45
वृद्धि की वार्षिक दर						
2012-13	12.44	(-)2.98	6.23	387.75	16.67	8.39
2013-14	27.67	13.30	68.23	(-)72.69	23.29	16.31
2014-15	6.18	9.04	(-)0.64	31.84	6.96	14.55
2015-16	15.39	(-)3.50	24.79	482.13	14.86	(-)0.72
2016-17	4.43	(-)6.11	9.71	18.79	2.46	12.35

#बाह्य अभिकरणों से सहायता अनुदान एवं अंशदान शामिल है।

सामाजिक सेवाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल है।

आर्थिक सेवाएं: डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी, वृक्षारोपण, खाद्य संचयन तथा भंडारण, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम की प्राप्तियां इत्यादि।

*** राजकोषीय सेवाएं तथा सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, रक्षा, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, सहायता-अनुदान तथा अंशदान आदि)*

2016-17 में, गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा अंश (56.41 प्रतिशत) ऐसे विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए उपभोक्ता प्रभारों से आया है जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं **(तालिका 1.8)**। ब्याज प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का 8.56 प्रतिशत (पिछले वर्ष से 0.96 प्रतिशतता बिन्दु कम) बनी जबकि लाभांश तथा लाभ लगभग 24.22 *प्रतिशत* रहा (पिछले वर्ष से 1.17 प्रतिशतता बिन्दु अधिक)। गैर-कर राजस्व 2015-16 में 15.39 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2016-17 के दौरान 4.43 प्रतिशत तक बढ़ा। यह मुख्यतः शासकीय एवं अन्य कार्य के सिवाय गैर-कर राजस्व के सभी संघटकों की वृद्धि में कमी के कारण था।

सामाजिक सेवाओं में पिछले वर्ष से 18.79 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण सेवाओं में ₹3,428 करोड़ की प्राप्ति के कारण थी।

लाभ तथा लाभांश से प्राप्तियों ने पिछले वर्ष से शीर्ष 'सावर्जनिक उपक्रमों से लाभांश' के अंतर्गत ₹13,297.97[4] करोड़ की अधिक प्राप्ति के कारण 2016-17 के दौरान 9.71 प्रतिशत की वृद्धि देखी।

आर्थिक सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा लाभ एवं लाभांश से प्राप्तियां गैर-कर राजस्व की मुख्य संघटक हैं। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण संघटक नीचे **तालिका 1.9** में दिये गये हैं।

तालिका 1.9: आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व के प्रमुख संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाईन	पेट्रोलियम	सड़क एवं पुल	अन्य सामान्य आर्थिक सेवांए	कोयला एवं लिग्नाइट	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2012-13	122953 (39.54)	14806 (4.76)	4007 (1.29)	3148 (1.01)	88 (0.03)	311 (0.10)
2013-14	138776 (34.95)	16525 (4.16)	5298 (1.33)	3368 (0.85)	136 (0.03)	345 (0.09)
2014-15	155904 (36.98)	14480 (3.43)	6103 (1.45)	4774 (1.13)	6179 (1.47)	348 (0.08)
2015-16	163497 (33.61)	9492 (1.95)	6889 (1.42)	5231 (1.08)	545 (0.11)	363 (0.07)
2016-17	161583 (31.81)	10797 (2.13)	7326 (1.44)	7802 (1.54)	433 (0.09)	413 (0.08)

कोष्ठक में आंकड़े गैर-कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 2.46 प्रतिशत (**तालिका 1.8**) की वार्षिक वृद्धि हेतु उत्तरदायी मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम/क्रियाकलाप 'पेट्रोलियम' जो 2015-16 में ₹9,492 करोड़ से 2016-17 में ₹10,797 करोड़ तक बढ़ा, 'सड़कें एवं पुल' जो ₹6,889 करोड़ से ₹7,326 करोड़ तक बढ़ा तथा 'अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं' जो उसी अवधि के दौरान ₹5,231 करोड़ से ₹7,802 करोड़ तक बढ़ी, से प्राप्तियां थीं। तथापि, 'भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाईनें)' तथा कोयला एवं लिग्नाइट से राजस्व पिछले वर्ष से 2016-17 में क्रमशः ₹1,914 करोड़ तथा ₹112 करोड़ तक कम हुआ।

[4] शीर्ष 0050.00.101 के अंतर्गत 2016-17 के दौरान ₹53,194.91 करोड़ - 2015-16 हेतु ₹39,896.94 करोड़

लाभांश एवं लाभ के माध्यम से प्राप्त गैर-कर राजस्व के ब्यौरे **तालिका 1.10** में दिये गये हैं। यह 2015-16 में ₹1,12,136 करोड़ से 2016-17 में ₹1,23,021 करोड़ तक बढ़ा।

तालिका 1.10: लाभांश एवं लाभ का संघटन

(₹ करोड़ में)

अवधि	आरबीआई से अधिशेष लाभ का अंश	सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश	राष्ट्रीयकृत बैंको से लाभ का अंश	अन्यों से लाभांश	कुल लाभांश एवं लाभ	गैर कर राजस्व
2012-13	16010 (5.15)	30630 (9.85)	5656 (1.82)	1466 (0.47)	53762	310977
2013-14	33010 (8.31)	47333 (11.92)	8184 (2.06)	1915 (0.48)	90442	397028
2014-15	52679 (12.50)	32996 (7.83)	2456 (0.58)	1730 (0.41)	89861	421582
2015-16	65896 (13.55)	39897 (8.20)	4214 (0.87)	2129 (0.44)	112136	486462
2016-17	65876 (12.97)	53195 (10.47)	1445 (0.28)	2505 (0.49)	123021	508020

कोष्ठक में आकड़े गैर-कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाते है।

सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश, 2015-16 में ₹39,897 करोड़ (गैर कर राजस्व का 8.20 प्रतिशत) से 2016-17 में ₹53,195 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 10.47 प्रतिशत) तक बढ़ा। तथापि, आरबीआई से अधिशेष लाभ का अंतरण जो कि 2015-16 में ₹65,896 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 13.55 प्रतिशत) था 2016-17 में ₹65,876 करोड़ (गैर कर राजस्व का 12.97 प्रतिशत) तक कम हुआ।

सरकारी लेखा 'जैसा तथा जब प्राप्त हो' के आधार पर लेन-देनों की पहचान करता है। संघ सरकार (अप्रैल-मार्च) तथा भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) (जुलाई-जून) के वित्त वर्ष में अंतर के कारण 30 जून 2016 को समाप्त वर्ष हेतु घोषित ₹65,876 करोड़ के आरबीआई अधिशेष को 2016-17 में स्वीकृत किया गया है। तथापि, आरबीआई द्वारा आरबीआई के वि.व. 2016-17 (1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017) हेतु घोषित अधिशेष को वर्ष 2017-18 हेतु भारत सरकार के वित्त लेखे में दर्शाया जाएगा। जैसा नीचे **तालिका 1.10ए** से देखा जा सकता है कि आरबीआई से 30 जून 2017 को समाप्त इसके वित्त वर्ष हेतु अधिशेष लाभ का अंश 30 जून 2016 को समाप्त वित्त वर्ष में ₹65,876 करोड़ से ₹30,663 करोड़ तक कम हुआ। आरबीआई द्वारा देय अधिशेष में कमी इसकी आय में कमी के साथ-साथ मुद्रा नोटों के मुद्रण पर व्यय में वृद्धि तथा आरबीआई आकस्मिकता निधि को अंतरण के कारण थी।

31 मार्च 2018 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष तक आरबीआई की निवल आय, व्यय एवं संघ सरकार को अधिशेष अंतरण के विवरण नीचे **तालिका 1.10ए** में दिया गया है।

तालिका 1.10ए : आरबीआई द्वारा अंतरित अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14*	2014-15*	2015-16*	2016-17*	2017-18*
आरबीआई की निवल आय आरबीआई का वित्त वर्ष (1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017)	45564	64617	79256	80870	61818
व्यय	12549	11934	13356	14990	31155
संघ सरकार को अंतरित अधिशेष सरकारी वित्त वर्ष (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018)	33010	52679	65896	65876	30663

संघ सरकार के वित्त वर्ष के संदर्भ में

1.2.8 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों से विविध पूंजीगत प्राप्तियों (बोनस शेयर, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां बनती हैं। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, बीई की तुलना में विविध पूंजीगत प्राप्तियों में कमी थी। दूसरी ओर, उसी अवधि के दौरान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, बीई से काफी अधिक थी **(तालिका 1.11)**।

तालिका 1.11: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से वसूली

अवधि	विविध पूंजीगत प्राप्ति			ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		
	बीई	वास्तविक*	वास्तविक की बीई से प्रतिशतता	बीई	वास्तविक	वास्तविक की बीई से प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
2012-13	30000	25408	84.69	23095	26624	115.28
2013-14	55814	29368	52.62	22054	24549	111.31
2014-15	63425	37737	59.50	22817	26547	116.35
2015-16	69500	42132	60.62	22714	41878	184.37
2016-17	56500	46249	81.86	22495	40971	182.13

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं संघ सरकार के वित्त लेखे

**बोनस शेयरों से प्राप्तियां शामिल नहीं है*

विनिवेश विविध पूंजीगत प्राप्ति का प्रमुख भाग बनाता है। **चार्ट 1.4** दर्शाता है कि केवल चार इकाईयों अर्थात् एनएमडीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने ₹35,470.16 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियों में 57.43 प्रतिशत (₹20,371.73 करोड़) का योगदान दिया था।

अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिनके शेयरों का विनिवेश किया गया था, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) (₹2,831.71 करोड़, 7.98 प्रतिशत), एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (₹2,201.14 करोड़, 6.21 प्रतिशत) तथा अन्य[5] (₹10,065.58 करोड़, 28.38 प्रतिशत) थे।

चार्ट 1.4 विनिवेश प्राप्तियों के संघटक

(₹ करोड़ में)

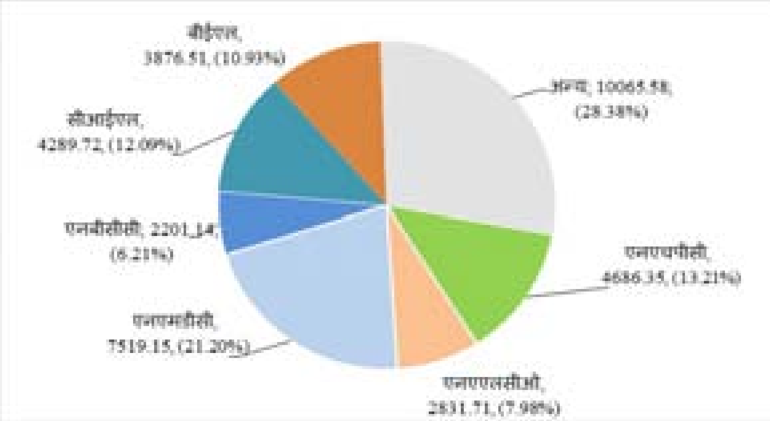

1.2.9 निवेशों पर रिटर्न

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों की संख्या। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त लाभांश सहित मंत्रालय/विभाग-वार विवरण नीचे **तालिका 1.12** में दिए गए हैं।

[5] अन्य में आईओसीएल, एनटीपीसी, एचसीएल, एमओआईएल, इंजीनियर्स इंडिया, कोनकोर, डीसीआईएल, नेयवली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन लि., गैल, ओएनजीसी, पीएफसी, आरईसी, ऑयल इंडिया, आदि शामिल है।

तालिका 1.12: लाभांश का भुगतान करने वाले सीपीएसई की संख्या

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	सीपीएसई की संख्या	प्राप्त लाभांश	मंत्रालय/विभाग	सीपीएसई की संख्या	प्राप्त लाभांश
नागर विमानन एवं पर्यटन	4	1063	कोयला	3	11018
वित्त	9	3911	उद्योग	4	238
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	8	19442	नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा	2	102
इस्पात एवं खान	8	8283	पोत परिवहन	3	133
रेल	8	1406	शहरी मामले	3	344
रक्षा	8	1773	परमाणु उर्जा	3	692
विद्युत	8	8262*	अन्य **	37	67741
कुल				**108**	**124408**

स्त्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखाओं की विवरणी सं. 11

** ₹25 करोड़ के लाभांश डीओएनईआर से संबंधित है।*

***अन्य में राज्य सहकारी बैंक/संस्थान और अन्य इकाईयां शामिल हैं।*

वर्ष 2016-17 के दौरान, संघ सरकार ने 342 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में ₹6,68,744.42 करोड़ के कुल निवेश के एवज में 108 सरकारी कंपनियों एवं निगमों से ₹1,24,408 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया जो कि 31 मार्च 2017 को निवेश का 18.60 प्रतिशत था। 31 मार्च 2017 को प्रगामी कुल निवेश 31 मार्च 2016 के ₹6,07,604.78 करोड़ से बढ़कर ₹6,68,744.42 करोड़ हो गया। लाभांश के प्रमुख अंशदाता भारतीय रिर्जव बैंक (₹65,876 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड (₹9,771 करोड़), हिन्दुस्तान जिंक लि. (₹6,664 करोड़), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (₹6,554 करोड़), भारतीय तेल निगम लि. (₹6,231 करोड़), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹3,098 करोड़), एनटीपीसी लि. (₹2,507 करोड़), जीवन बीमा निगम (₹2,502 करोड़), राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम लि. (एनएचपीसी) (₹1,881 करोड़), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (₹1,777 करोड़), राष्ट्रकृत बैंक (₹1,445 करोड़), नेयवली लिगनांईट कॉरपोरेशन लि. (₹1,183 करोड़), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (₹1,126 करोड़) तथा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (₹1,042 करोड़) थे।

1.3 व्यय विश्लेषण

भारत की समेकित निधि तथा लोक लेखा से कुल संवितरण 2016-17 में ₹91,03,892 करोड़ के थे, जैसा कि **बॉक्स 1.2** में दर्शाया गया है।

बॉक्स 1.2: कुल संवितरणों के संघटक

वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल संवितरण 2015-16 में ₹69,66,982 करोड़ की तुलना में 30.67 *प्रतिशत* तक बढ़े। ₹91,03,892 करोड़ के कुल संवितरण में से सीएफआई से संवितरण 87.01 *प्रतिशत* (लोक ऋण का पुनर्भुगतान के प्रति 62.38 *प्रतिशत* तथा सीएफआई से कुल व्यय 24.63 *प्रतिशत*) था। शेष 12.99 *प्रतिशत* संवितरण लोक लेखा से था। लोक लेखा का सहयोग 2015-16 में 16.13 प्रतिशत था जो 2016-17 में 12.99 प्रतिशत तक कम हुआ।

तालिका: 1.13 दर्शाती है कि कुल संवितरणों में सीएफआई (लोक ऋण का पुनर्भुतान शामिल नहीं है) से कुल व्यय का अंश 2015-16 में 30.22 प्रतिशत से 2016-17 में 24.63 प्रतिशत तक कम हुआ है, जबकि सुनिश्चित शर्त में यह ₹1,36,834 करोड़ तक बढ़ा।

तालिका 1.13: कुल संवितरण के विभिन्न घटकों का अंश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल संवितरण के घटक					
ऋण का पुनर्भुगतान	3426893 (60.27)	3511291 (59.11)	3707700 (56.70)	3737657 (53.65)	5678823 (62.38)
लोक लेखा से संवितरण	656403 (11.54)	654239 (11.01)	922899 (14.11)	1123658 (16.13)	1182568 (12.99)
सीएफआई से कुल व्यय (टीई)	1602918 (28.19)	1774941 (29.88)	1909144 (29.19)	2105667 (30.22)	2242501 (24.63)
सीएफआई से कुल व्यय के घटक					
राजस्व व्यय (आरई)	1420473 (88.62)	1575097 (88.74)	1695137 (88.79)	1779529 (84.51)	1933018 (86.20)
पूंजीगत व्यय (सीई)	150382 (9.38)	168844 (9.51)	172085 (9.01)	278866 (13.24)	249472 (11.12)
ऋण व अग्रिम (एलए)	32063 (2.00)	31000 (1.75)	41922 (2.20)	47272 (2.24)	60011 (2.68)

कोष्ठक में आंकड़े कुल संवितरण/कुल व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कुल संवितरण में लोक ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात 2015-16 में 53.65 प्रतिशत से 2016-17 में 62.38 प्रतिशत तक बढ़ा है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय 2015-16 के दौरान 84.51 प्रतिशत से 2016-17 में 86.20 प्रतिशत तक बढ़ा जबकि पूंजीगत व्यय उसी अवधि के दौरान 13.24 प्रतिशत से 11.12 प्रतिशत तक कम हुआ।

1.3.1 क्षेत्रीय व्यय

संघ सरकार के लेखाओं में व्यय को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। फिर इन्हें तीन क्षेत्रों नामत: सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें एवं आर्थिक सेवायें में समूहित किया जाता है।

तालिका 1.14 क्षेत्रीय व्यय के विवरण प्रस्तुत करती है। कुल व्यय के संबंध में सामान्य सेवाओं ने 2012-13 में 47.42 प्रतिशत से 2016-17 में 53.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई जबकि आर्थिक सेवाओं पर व्यय 40 से 44 प्रतिशत के बीच रहा है। सामाजिक सेवाओं में व्यय अंश 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए 10 प्रतिशत से नीचे रहा।

तालिका 1.14: संघ सरकार का क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य सेवाएं		सामाजिक सेवाएं		आर्थिक सेवाएं		कुल
	राशि	कुल व्यय की % के रूप मे	राशि	कुल व्यय की % के रूप मे	राशि	कुल व्यय की % के रूप मे	
2012-13	666406	47.42	124725	8.87	614306	43.71	1405437
2013-14	767915	49.14	142426	9.12	652316	41.74	1562657
2014-15	843093	54.16	68663	4.41	645003	41.43	1556759
2015-16	896486	50.56	100682	5.68	775879	43.76	1773047
2016-17	1025561	53.07	116023	6.01	790729	40.92	1932313

नोट:- क्षेत्रीय वर्गीकरण में विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, सं.शा.क्षे. सरकारों को कर्जे तथा सहायता अनुदान के कारण राजस्व व्यय जो किसी विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, शामिल नहीं है।

1.3.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता। कार्यों के अनुसार, राजस्व व्यय को सामान्य सेवाओं (प्रशासन तथा रक्षा शामिल है), सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें सहायता अनुदान (जीआईए) तथा राज्यों, संघ शासित प्रदेशों एवं विदेशी सरकारों को अंशदान भी शामिल है। नीचे **तालिका 1.15** राजस्व व्यय के क्षेत्रीय संघटक प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.15: राजस्व व्यय के क्षेत्रीय संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	सामान्य सेवाएं	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	जीआईए एवं योगदान	कुल
2012-13	586927 (41.32)	116712 (8.22)	535434 (37.69)	181400 (12.77)	1420473 (100)
2013-14	679852 (43.16)	133981 (8.51)	561860 (35.67)	199404 (12.66)	1575097 (100)
2014-15	752908 (44.42)	59437 (3.50)	544682 (32.13)	338109 (19.95)	1695137 (100)
2015-16	804758 (45.22)	88444 (4.97)	569645 (32.01)	316682 (17.80)	1779529 (100)
2016-17	926181 (47.92)	97210 (5.03)	618626 (32.00)	291001 (15.05)	1933018 (100)
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)					
2012-13	12.58	4.60	8.74	0.84	8.83
2013-14	15.83	14.80	4.94	9.93	10.89
2014-15	10.75	-55.64	-3.06	69.56	7.62
2015-16	6.89	48.80	4.58	-6.34	4.98
2016-17	15.09	9.91	8.60	-8.11	8.63

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजस्व व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजस्व व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 2012-13 से बढ़ता रहा है। इसने 2012-13 में 41.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की तथा 2016-17 में 47.92 प्रतिशत पर पहुंचा। आर्थिक सेवाओं में घटती हुई प्रवृति है तथा राजस्व व्यय को इसका अंश 2012-13 में 37.69 प्रतिशत से 2016-17 में 32 प्रतिशत तक कम हुआ। इसी प्रकार, सामाजिक सेवाओं का अंश सगंत अवधि हेतु 8.22 प्रतिशत से 5.03 प्रतिशत तक कम हुआ है।

राजस्व व्यय 2015-16 में 4.98 प्रतिशत से 2016-17 में 8.63 प्रतिशत बढ़ गया। 'जीआईए तथा अंशदान' पर व्यय में 2014-15 में 69.56 प्रतिशत की वृद्धि थी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में, जीआईए तथा अंशदान पर व्यय में 8.11 प्रतिशत की कमी आई। पिछले वर्ष में वृद्धि भी ऋणात्मक (-6.34 प्रतिशत) थी।

(ए) सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय

तालिका 1.16, 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान सेवाओं के मुख्य संघटको पर व्यय तथा उनकी वार्षिक वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.16: सामान्य सेवाओं के सघंटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	रक्षा सेवाएं	अन्य	कुल
2012-13	330171	47201	80766	116485	12304	586927
2013-14	395200	53509	87552	129890	13701	679852
2014-15	425098	59698	107911	145146	15055	752908
2015-16	457270	66286	111285	151600	18317	804758
2016-17	504512	77510	149237	173025	21897	926181
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2012-13	15.05	11.60	10.83	8.23	6.50	12.58
2013-14	19.70	13.36	8.40	11.51	11.35	15.83
2014-15	7.57	11.57	23.25	11.75	9.88	10.75
2015-16	7.57	11.04	3.13	4.45	21.67	6.89
2016-17	10.33	16.93	34.10	14.13	19.55	15.09

ब्याज भुगतान पर व्यय सामान्य सेवाओं का 54.47 प्रतिशत बनता है। ब्याज भुगतान पर व्यय ने ₹47,242 करोड़ अर्थात् 2015-16 से 10.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई थी। रक्षा सेवाओं का अंश सामान्य सेवाओं का 18.68 प्रतिशत है तथा इसकी वार्षिक वृद्धि 2015-16 में 4.45 प्रतिशत के प्रति 2016-17 में 14.13 प्रतिशत है।

पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाओं के मामले में व्यय, 2015-16 में ₹1,11,285 करोड़ था जो 2016-17 में ₹1,49,237 करोड़ (₹37,952 करोड़ की स्पष्ट वृद्धि) तक बढ़ा। पेंशन भुगतान में काफी अधिक वृद्धि के कारण सामान्य सेवाओं पर कुल व्यय के प्रति पेंशन पर व्यय का अंश 2015-16 में 13.83 प्रतिशत से 2016-17 में 16.11 प्रतिशत तक बढ़ा। वार्षिक वृद्धि भी 2015-16 में 3.13 प्रतिशत से 2016-17 में 34.10 प्रतिशत तक हुई। पेंशन पर व्यय की अधिक वृद्धि रक्षा एक-पद-एक पेंशन (ओआरओपी) के कारण तथा सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण भी है।

(बी) सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय

सामाजिक सेवाओं पर व्यय में शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, एससी, एसटी एवं ओबीसी का कल्याण; श्रम एवं श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण तथा प्राकृतिक आपदा हेतु राहत शामिल है। नीचे **तालिका 1.17** सामाजिक सेवाओं पर संघ सरकार की प्राथमिकता तथा राजस्व व्यय के साथ-साथ उनकी सेवाओं में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.17: सामाजिक सेवाओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	अन्य	कुल
2012-13	62741	22460	19503	348	11660	116712
2013-14	68480	26824	22358	606	15713	133981
2014-15	30636	1899	11142	1564	14196	59437
2015-16	33038	4654	13202	3377	34173	88444
2016-17	37880	13291	16943	2584	26512	97210

अवधि	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	अन्य	कुल
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2012-13	9.59	4.96	-0.12	-47.27	-8.48	4.60
2013-14	9.15	19.43	14.64	74.14	34.76	14.80
2014-15	-55.26	-92.92	-50.17	158.09	-9.65	-55.64
2015-16	7.84	145.08	18.49	115.92	140.72	48.80
2016-17	14.66	185.58	28.34	-23.48	-22.42	9.91

सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण व्यय गतिविधि शिक्षा, खेल तथा संस्कृति है। फिर भी, सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में इसका अंश 2012-13 में 53.76 प्रतिशत से 2016-17 में 38.97 प्रतिशत तक कम हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में व्यय ने 2016-17 में क्रमश: 14.66 प्रतिशत, 185.58 प्रतिशत तथा 28.34 प्रतिशत की वृद्धि देखी।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास के मामले में वृद्धि 2015-16 तथा 2016-17 में 100 प्रतिशत से अधिक थी। यह राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को ₹10,000 करोड़ के अंतरण तथा स्थानीय निकायों/शहर सुधार निकायों को सहायता पर व्यय में वृद्धि के कारण 2016-17 में 185.58 प्रतिशत थी।

(सी) आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय

आर्थिक सेवाओं के संघटकों पर राजस्व व्यय में प्रवृतियों के साथ-साथ 2012-17 के दौरान उनकी वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.18** में प्रस्तुत किया गया है। यह ऊर्जा, उद्योग, परिवहन तथा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में संघ सरकार द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता दर्शाती है।

तालिका 1.18: आर्थिक सेवाओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	परिवहन	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	अन्य	कुल
2012-13	158525	153714	105680	34775	82740	535434
2013-14	174475	159327	96622	40969	90467	561860
2014-15	190721	170066	75014	52990	55891	544682
2015-16	201625	202375	42475	53204	69966	569645
2016-17	197257	165331	48406	74591	133041	618626
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2012-13	6.56	8.18	27.17	(-)1.74	(-)0. 37	8.74
2013-14	10.06	3.65	(-)8.57	17.81	9.34	4.94
2014-15	9.31	6.74	(-)22.36	29.34	(-)38.22	(-)3.06
2015-16	5.72	19.00	(-)43.38	0.40	25.18	4.58
2016-17	(-)2.17	(-)18.30	13.96	40.20	90.15	8.60

ऊर्जा क्षेत्र में सरकार के व्यय ने 2015-16 में 43.38 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के प्रति 2016-17 में 13.96 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह प्राथमिक रूप से संघ सरकार के अपने दो कार्यों नामतः 'नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा' तथा 'विद्युत' पर व्यय के कारण 2016-17 में क्रमशः ₹6,249.30 करोड़ तथा ₹2,150.89 करोड़ तक बढ़े थे। हालांकि, आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में ऊर्जा क्षेत्र का अंश 2012-13 में 19.74 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 7.82 प्रतिशत हो गया था।

उद्योग तथा खनिज क्षेत्र में व्यय ने 2015-16 में 0.40 प्रतिशत की वृद्धि से 2016-17 में 40.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की क्योंकि 'उद्योग' में व्यय उर्वरक आर्थिक सहायता तथा उपभोक्ता उद्योग पर अधिक व्यय के कारण 2015-16 में ₹53,204 करोड़ से 2016-17 में ₹74,591 करोड़ तक पर्याप्त रूप से बढ़ा।

दूसरी ओर, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं तथा परिवहन क्षेत्रों में व्यय में 2016-17 में क्रमशः 18.30 प्रतिशत तथा 2.17 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के मामले में ऋणात्मक वृद्धि फसल उत्पादन में 31 प्रतिशत तक तथा खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग में 18 प्रतिशत तक व्यय में कटौती के कारण थी। परिवहन हेतु ऋणात्मक वृद्धि सामान्य रिजर्वों से भुगतानों तथा रेलवे आधिक्यों से विनियोग में कटौती के कारण थी। आर्थिक सेवाओं पर व्यय के अनुसार, अति महत्वपूर्ण व्यय मद परिवहन है। इसका

अंश 2012-13 में 29.61 प्रतिशत था जो 2015-16 में 35.39 प्रतिशत तक बढ़ा तथा 2016-17 में 31.89 प्रतिशत तक कम हुआ।

1.3.2.1 प्रमुख राजस्व व्यय की प्रवृति

(ए) ब्याज भुगतान:

यह शीर्ष लोक ऋण पर ब्याज (दोनों आंतरिक तथा बाह्य) तथा सरकार की अन्य ब्याज वहन करने वाली देयताओं के भुगतान का प्रावधान करता है जिसमें बीमा एवं पेंशन निधियां, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा तथा विभिन्न कम्पनियों एवं निगमों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज शामिल हैं। इसमें ऋण की कटौती अथवा परिहार पर व्यय को भी शामिल किया गया है। राजस्व व्यय के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात वर्तमान वर्ष में 26.10 प्रतिशत रहा (**नीचे तालिका 1.19**)। राजस्व प्राप्तियों के संबंध में, ब्याज भुगतान का औसतन अंश 2012-13 से 2016-17 के दौरान 31.75 प्रतिशत था।

तालिका 1.19: राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज भुगतान (आईपी)	राजस्व प्राप्ति (आरआर)	राजस्व व्यय (आरई)	आईपी की वृद्धि	आईपी का आरआर को अंश	आरई को आईपी अंश
	(₹ करोड़ में)			(प्रतिशत में)		
2012-13	330171	1055891	1420473	15.05*	31.27	23.24
2013-14	395200	1217793	1575097	19.70	32.45	25.09
2014-15	425098	1328910	1695137	7.57	31.99	25.08
2015-16	457270	1436160	1779529	7.57	31.84	25.70
2016-17	504512	1615988	1933018	10.33	31.22	26.10

**वर्ष 2011-12 में ब्याज भुगतान पर व्यय ₹2,86,982 करोड़ था।*

2016-17 में किए गए ब्याज भुगतान के घटक नीचे **चार्ट 1.5** में दर्शाए गए हैं। आंतरिक ऋण के कारण ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों (₹5,04,512 करोड़) का 89 *प्रतिशत* (₹4,48,928 करोड़) था।

चार्ट 1.5: ब्याज व्यय के प्रमुख घटक

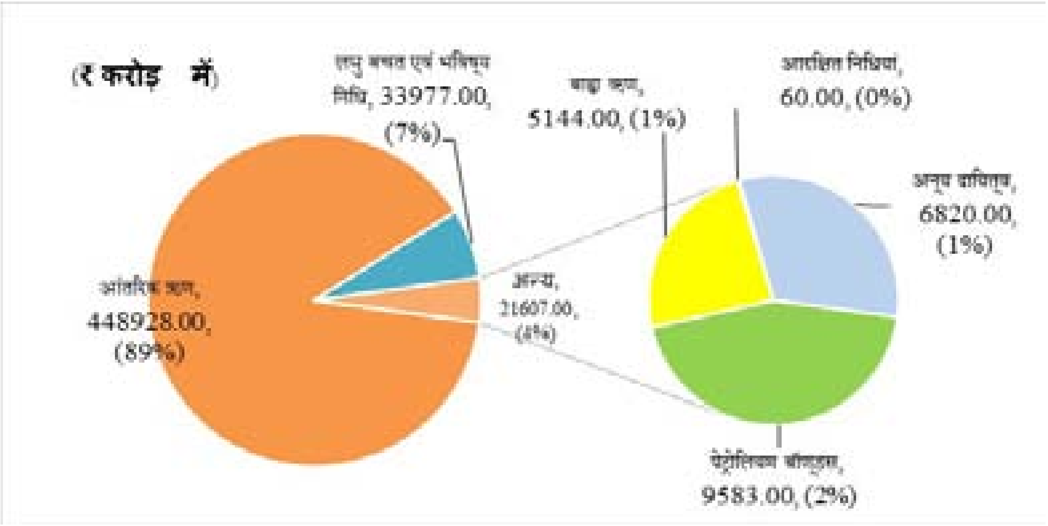

शून्य प्रतिशत 0.5 प्रतिशत से कम दर्शाती है।

(बी) पेंशन भुगतान

तालिका 1.20 दर्शाती है कि पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2015-16 में ₹1,32,880 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹1,79,411 करोड़ हो गया अर्थात पिछले वर्ष से 2016-17 में 35 प्रतिशत की वृद्धि। रक्षा पेंशन 2016-17 में कुल पेंशन भुगतान (₹1,79,411 करोड़) की 48.95 प्रतिशत बनी जिसने पिछले वर्ष से 45.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। पांच वर्षों की अवधि के दौरान, रक्षा पेंशन भुगतान कुल पेंशन भुगतान के 43-49 प्रतिशत के बीच रहा।

तालिका 1.20: पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभों पर व्यय

(₹ करोड़ मे)

वर्ष	रक्षा	सिविल	रेलवे	डाक	कुल
2012-13	43368 (45.91)	26111 (27.64)	21021 (22.25)	3968 (4.20)	**94468**
2013-14	45499 (43.71)	29397 (28.24)	24761 (23.79)	4443 (4.27)	**104100**
2014-15	60450 (47.49)	33161 (26.05)	28642 (22.50)	5034 (3.95)	**127287**
2015-16	60238 (45.33)	36533 (27.49)	30701 (23.10)	5408 (4.07)	**132880**
2016-17	87826 (48.95)	43575 (24.29)	40463 (22.55)	7547 (4.21)	**179411**
वार्षिक बृद्धि दर (प्रतिशत)					
2012-13	एनए	एनए	एनए	एनए	
2013-14	4.91	12.58	17.79	11.97	**10.20**
2014-15	32.86	12.80	15.67	13.30	**22.27**
2015-16	-0.35	10.17	7.19	7.43	**4.39**
2016-17	45.80	19.28	31.80	39.55	**35.02**

स्रोत: सिविल तथा रक्षा पेंशन हेतु आंकड़े वित्त लेखे (मुख्य शीर्ष 2071) से हैं। रेलवे तथा डाक हेतु आंकड़े उनके विनियोग लेखे से हैं।

रेलवे तथा डाक के ममाले में पेंशन भुगतान 2016-17 के दौरान क्रमश: 31.80 प्रतिशत तथा 39.55 प्रतिशत तक बढ़ा। सिविल पेंशन ने कुल पेंशन का 24.29 प्रतिशत होने से, उसी अवधि के दौरान 19.28 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

1.3.2.2 आर्थिक सहायता प्रबन्धन

आर्थिक सहायताएं न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात् बजट के माध्यम से, बल्कि लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करके भी प्रदान की जाती हैं जिन्हें अंतर्निहित आर्थिक सहायता कहा जाता है। **तालिका 1.21** आर्थिक सहायताओं जिसे सरकार ने बजट के माध्यम से सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.21: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायता

अवधि	खाद्य	उर्वरक@ (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित)	पैट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता जीडीपी के प्रतिशत के रूप में	आर्थिक सहायता राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में
	(₹ करोड़ में)						*प्रतिशतता*	
2012-13	85000 (16.72)	35132 (3.56)	30576 (-15.32)	96880 (41.47)	9591 (46.05)	257179 (18.03)	2.59	18.11
2013-14	92000 (8.24)	38038 (8.27)	29427 (-3.76)	85378 (-11.87)	9902 (3.24)	254745 (-0.95)	2.27	16.17
2014-15	117671 (27.90)	50423 (32.56)	20667 (-29.77)	60269 (-29.41)	9269 (-6.39)	258299 (1.40)	2.08	15.24
2015-16	139419 (18.48)	50478 (0.11)	21938 (6.15)	29999 (-50.22)	16637 (79.49)	258471 (0.07)	1.89	14.52
2016-17	110173 (-20.98)	51257 (1.54)	15056* (-31.37)	27539 (-8.20)	28777 (72.98)	232802 (-9.93)	1.53	12.04

@ देशी एंव आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।
 # विनियंत्रित उर्वरकों हेतु दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है। 2011-12 से यह पोषक तत्व आधारित आर्थिक सहायता है।
कोष्ठक में आंकड़े वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता दर्शाते हैं।
** अन्य में ब्याज आर्थिक सहायता, उपभोक्ता कार्य विभाग में मूल्य स्थिरीकरण निधि, खाद्य अनाज की गतिविधि तथा एनएफएसए के अंतर्गत एफपीएस विक्रेता लाभ आदि शामिल है।*

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का बड़ा हिस्सा खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं के प्रति है जो मुख्य आर्थिक सहायताओं की श्रेणी के अतंर्गत है। मुख्य श्रेणियों के सभी घटक, 'अन्य' को छोड़कर पिछले वर्ष से कम हुए। विशेषतः पेट्रोलियम आर्थिक सहायता 2012-13 से मंद रही है तथा 2012-13 में ₹96,880 करोड़ से 2016-17 में ₹27,539 करोड़ तक कम हुई है। इसका परिणाम आर्थिक सहायता पर कुल व्यय को पिछले पांच वर्षों (2012-17) में इसके न्यूनतम स्तर पर रखने में हुआ। तथापि, शीर्ष अन्य के अतंर्गत व्यय ने 2016-17 में ब्याज आर्थिक सहायता पर व्यय (₹17,000 करोड़), उपभोक्ता कार्य विभाग में मूल्य स्थिरीकरण निधि (₹6,900 करोड़), एनएफएसए के अंतर्गत खाद्य अनाज की गतिविधि तथा एफपीएस विक्रेता लाभ (₹2,500 करोड़) में वृद्धि के कारण 2015-16 से 73 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई।

कुल आर्थिक सहायता 2014-15 तथा 2015-16 में लगभग एक ही स्तर पर थी परंतु 2015-16 में ₹2,58,471 करोड़ से 2016-17 में ₹2,32,802 करोड़ तक कम हुई तथा उसने 2016-17 में 9.93 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। 2016-17 में सूचित आर्थिक सहायता का स्तर पिछले पांच वर्षों में सबसे कम था।

उसी राजस्व व्यय में आर्थिक सहायता पर व्यय का अंश 18.11 प्रतिशत से 12.04 प्रतिशत तक कम हो गया था। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, आर्थिक सहायताओं पर व्यय 2012-13 में 2.59 प्रतिशत से 2016-17 में 1.53 प्रतिशत तक कम हो गया था।

चार्ट 1.6 आर्थिक सहायताओं के विभिन्न घटकों का हिस्सा प्रस्तुत करता है। वर्ष 2016-17 में ₹2,32,802 करोड़ की कुल आर्थिक सहायता व्यय में से 47.32 प्रतिशत खाद्य पर, 28.48 प्रतिशत उर्वरक पर, 11.83 प्रतिशत पेट्रोलियम पर तथा 12.36 प्रतिशत अन्य आर्थिक सहायताओं पर था।

चार्ट 1.6: सुस्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक

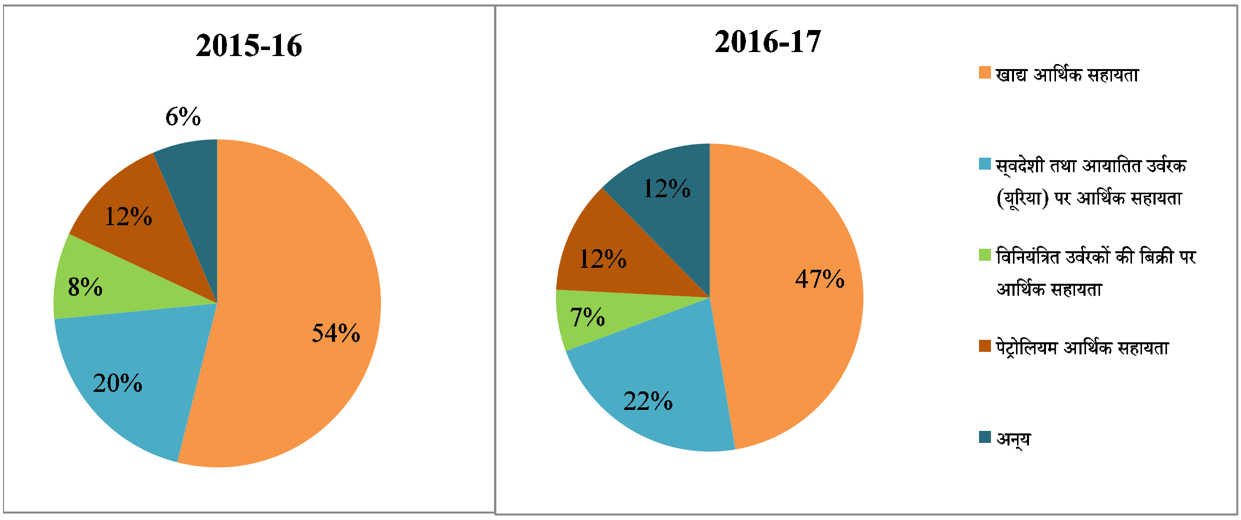

खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम के क्षेत्रों में कार्यरत निगम तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए प्राप्य संबंधित मंत्रालयों से पूर्ण सूचना के अभाव में संघ सरकार द्वारा की गई आर्थिक सहायता प्रतिपूर्तियों के साथ सहसंबंधित थे। फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल त्रावणकोर लि. (एफएसीटी), बह्मापुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन (बीवीएफसीएल), राष्ट्रीय उर्वरक लि. (एनएफएल), राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक (आरसीएफ) लि., खाद्य तथा सार्वजनिक संवितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के लेखाओं की जांच की गई और इस लेखापरीक्षा के दौरान सहसंबंध स्थापित किया गया था।

इस जांच ने उजागर किया कि ₹1,03,331.52 करोड़ के आर्थिक सहायता दावे (एफसीआई को ₹92,254.48 करोड़, पेट्रोलियम क्षेत्रों में ₹71,74.26 करोड़ और उर्वरक को ₹3,902.78 करोड़) वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान संघ सरकार द्वारा अदा नहीं किए गए हैं जैसा **अनुबंध 1.1** में दर्शाया गया है। ₹1,03,331.52 करोड़ के आंकड़ों की, इस संख्या को निकालते समय 2016-17 की अंतिम तिमाही के दौरान सरकार को प्रस्तुत दावे बाहर रखे गए हैं। यदि वित्त वर्ष के दौरान तीन तिमाहियों के इन दावों का भुगतान किया गया होता तो आर्थिक सहायता पर कुल व्यय ₹1,03,331.52 करोड़ से अधिक होता। इस संख्या को हिसाब में लेकर, आर्थिक सहायताओं पर व्यय 2016-17 में 1.53 प्रतिशत के प्रति 2016-17 में जीडीपी का 2.21 प्रतिशत होता। इसके अतिरिक्त, यदि चौथी तिमाही के दावों के अतिरिक्त कुल ₹1,87,863.42 करोड़ के बकाया आर्थिक सहायता दावे विगत अप्रदत्त दावों सहित

कुल जोड़ में लिए जाते तब 2016-17 मे कुल आर्थिक सहायता व्यय ₹4,20,665 करोड़ प्रस्तुत किया गया होता जो जीडीपी का 2.77 प्रतिशत बनता है।

1.3.3 पूंजीगत व्यय

तालिका 1.22 में परिसंपत्ति सृजन अथवा संघ सरकार के मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता तथा 2012-13 से 2016-17 की अवधि हेतु वृद्धि के वार्षिक दर को बढ़ाने के लिए किए गये पूंजीगत व्यय का सारांश दिया गया है।

तालिका 1.22: पूंजीगत व्यय के क्षेत्रीय घटक

(₹करोड़ में)

अवधि	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सामान्य सेवाएं	79479 (4.33)	88063 (10.80)	90185 (2.41)	91727 (1.71)	99380 (8.34)
रक्षा सेवाएं	70499 (3.82)	79125 (12.24)	81887 (3.49)	79958 (-2.36)	86371 (8.02)
पुलिस	6123 (10.85)	6417 (4.80)	6035 (-5.95)	9177 (52.06)	8949 (-2.48)
लोक निर्माण कार्य	1270 (13.74)	1431 (12.66)	1076 (-24.78)	1001 (-6.97)	1501 (49.95)
अन्य	1587 (-3.00)	1090 (-31.32)	1187 (8.90)	1591 (34.04)	2559 (60.84)
सामाजिक सेवाएं	5102 (11.32)	3813 (-25.26)	4875 (27.85)	5407 (10.91)	5315 (-1.70)
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	3100 (14.86)	1909 (-38.42)	2880 (50.86)	3496 (21.39)	2780 (-20.48)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1353 (18.58)	1280 (-5.40)	938 (-26.72)	1025 (9.28)	1384 (35.02)
अन्य	649 (-0.13)	624 (-3.86)	1057 (69.40)	886 (-16.18)	1151 (29.91)
आर्थिक सेवाएं	65801 (12.09)	76968 (16.97)	77025 (0.07)	181732 (135.94)	144777 (-20.33)
परिवहन	36361 (18.34)	48708 (33.96)	53154 (9.13)	68854 (29.54)	92446 (34.26)
उद्योग एवं खनिज	2305 (-11.31)	3230 (40.13)	4013 (24.26)	3634 (-9.44)	4140 (13.92)
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2438 (12.86)	3080 (26.33)	3188 (3.53)	4040 (26.73)	5230 (29.46)
ऊर्जा	1083 (-60.79)	733 (-32.36)	945 (28.92)	2105 (122.75)	4673 (122.00)

अवधि	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
अन्य	23614 (15.43)	21217 (-10.15)	15725 (-25.89)	103099 (555.64)	38288 (-62.86)
कुल	**150382 (7.83)**	**168844 (12.28)**	**172085 (1.92)**	**278866 (62.05)**	**249472 (-10.54)**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता में वृद्धि को दर्शाते है

पूंजीगत व्यय ₹29,394 करोड़ तक कम हुआ तथा पिछले 10.54 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की और यह 2016-17 में ₹2,49,472 करोड़ पर रहा। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2015-16 के 13.24 प्रतिशत से 2016-17 में 11.12 प्रतिशत तक कम हुआ **(तालिका 1.13)।**

आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय ने 2015-16 में 135.94 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2016-17 में 20.33 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि देखी। भारी कमी मुख्यतः आर्थिक सेवाओं के 'अन्य' क्षेत्र, जहां पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹64,811 करोड़ (-62.86 प्रतिशत) तक कम हुआ, को आरोपनीय थी।

सामान्य सेवाओं के अंतर्गत, 'अन्य' के अंतर्गत पूंजीगत व्यय ने विगत वर्ष से 60.84 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

1.3.3.1 जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में व्यय (राजस्व+पूंजीगत)

जीडीपी से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय इन क्षेत्रों को प्रदत्त सापेक्ष प्राथमिकताओं को इंगित करता है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान, संघ सरकार का सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय कुल मिलाकर जीडीपी का 6.30 प्रतिशत था।

तालिका 1.23: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यय के मुख्य घटक

अवधि	परिवहन	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	उद्योग एवं खनिज	शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जल आपूर्ति स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास
2012-13	1.96	1.56	0.37	0.63	0.21	0.26
2013-14	1.99	1.43	0.39	0.61	0.21	0.26
2014-15	1.96	1.37	0.46	0.25	0.10	0.04
2015-16	1.98	1.48	0.42	0.24	0.10	0.06
2016-17	1.91	1.10	0.52	0.25	0.12	0.11

तालिका 1.23 दर्शाती है कि जीडीपी के प्रति सामाजिक सेवाओं (अर्थात् शिक्षा,खेल कूद, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा जल आपूर्ति स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास) पर व्यय का अंश 2012-13 के दौरान 1.10 प्रतिशत से 2016-17 के दौरान 0.48 प्रतिशत तक कम हुआ है। आर्थिक सेवाओं (अर्थात् कृषि, परिवहन एवं उद्योग) पर व्यय का अंश 2012-13 में 3.89 प्रतिशत से 2016-17 में 3.53 प्रतिशत तक कम हुआ।

1.3.4 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण तथा सहायता

भारत में प्रचलित सहकारी संघवाद के अंतर्गत, वित्तीय संसाधन संघ सरकार से राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अनुच्छेद 270 के अंतर्गत संघ कर राजस्वों की कुल प्राप्तियों में तथा संविधान के अनुच्छेद 273, 275 और 293 के अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान एवं ऋणों अंश के रूप में अंतरित किए जाते हैं।

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने कर न्यागमन को राज्यों को संसाधनों के अंतरण हेतु प्राथमिक रास्ते की दृष्टि से देखा है। राज्यों की आवश्यकताओं की गणना करने में, एफएफसी ने योजनागत एवं गैर योजनागत अंतर को नजरअंदाज किया और 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक करों के विभाज्य पूल के संवर्धित न्यागमन को 'अनुदानों से कर न्यागमन के अंतरणों में उल्लेखनीय वृद्धि' के रूप में मान लिया गया था।

वित्त वर्ष 2016-17 एफएफसी के पांच वर्ष (2015-16 से 2019-20) की अधिनिर्णय अवधि को शामिल करने वाला दूसरा वर्ष है। नीचे दी गई **तालिका 1.24** 2012-13 से 2016-17 के दौरान संघ से राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को संसाधनों का अंतरण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.24 राज्यों/यूटी को अंतरण तथा सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों/यूटी को अंतरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 की तुलना में अंतरण का अंतर
1.	**राज्यों को सौंपे गए कर एवं शुल्क**						
1.1	निगम कर	104964	107296	118235	159742	195439	22.35
1.2	आयकर	62840	70651	84431	110933	135831	22.44
1.3	सीमा शुल्क	48558	52054	54759	81248	84070	3.47
1.4	उत्पाद शुल्क	33000	36764	30920	67717	96001	41.77
1.5	सेवा कर	42007	51170	49141	86138	96209	11.69
1.6	अन्य कर	178	295	322	415	450	8.43
	राज्यों को सौंपे गए कर एवं शुल्क का कुल (1)	291547	318230	337808	506193	608000	20.11
2.	**राज्यों/यूटी को अन्य सहायता**						
2.1	अनुदान[7]	177708	194119	333040	311196	285876	-8.14
2.2	कर्जे	14059	11090	12012	12576	17841	41.87
	कुल (2)	191767	205209	345052	323772	303717	-6.19
	कुल अंतरण(1+2)	483314	523439	682860	829965	911717	9.85
3.	सकल कर राजस्व को कुल अंतरण की %	40.63	45.96	54.84	57.01	53.13	-
4.	कुल व्यय के कुल अंतरण की %	30.15	29.49	35.77	39.42	40.66	-

उपर्युक्त **तालिका 1.24** से यह देखा जा सकेगा कि राज्यों को कुल अंतरण 2015-16 की तुलना में 2016-17 में 20.11 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, राज्यों/यूटी को सहायता अनुदान के रूप में अंतरण 8.14 प्रतिशत तक कम हुआ। राज्यों/यूटी के करों, अनुदान तथा कर्जों में अंश के रूप में कुल अंतरण तथा सहायता में 2015-16 में 21.54 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2016-17 में 9.85 प्रतिशत की बृद्धि हुई।

[7] वित्त लेखे की विवरणी सं. 9 को परिशिष्ट के अनुसार ₹3,04,745 करोड़ राज्य/यूटी सरकारों को जीआईए के रूप में 2016-17 में जारी किया गया था। तथापि, ₹2016-17 में मुख्य शीर्ष 3601 तथा 3602 के अंतर्गत दर्ज व्यय ₹2,85,876 करोड़ था।

संघ सरकार, वित्त लेखे 2016-17 में दर्शाए गए केन्द्रीय कर राजस्वों में अंश के रूप में राज्यों का अंतरण अनुच्छेद 279(I) के अंतर्गत अंतिम अन्वेषण एवं प्रमाणीकरण के अधीन है।

1.3.5 सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम

संघ सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। जुलाई 2013 में, सरकार ने वर्तमान 137 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की और 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित 66 योजनाओं में उन्हें पुनर्गठित किया। 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों, में से छः प्रमुख कार्यक्रमों का नीचे **तालिका 1.25** में विश्लेषण किया गया है।

छः फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय बीई आंकड़ों से 2015-16 में 0.26 प्रतिशत तथा 2016-17 में 6.25 प्रतिशत तक अधिक था। 2016-17 में, इन फलैगशिप योजनाओं पर वास्तविक व्यय मनरेगस तथा आईएवाई के सिवाए बजट लक्ष्यों की तुलना में कम था।

तलिका 1.25: मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

		मनरेगस	एसएसए	एमडीएम	एनआरएचएम	आईएवाई	पीएमजीएसवाई	कुल
2012-13	बीई	33000	24243	11643	22799	11075	24000	126760
	वास्तविक	30274	23873	10849	18661	7869	8884	100410
	बीई से अंतर (प्रतिशत में)	(-)8.26	(-)1.53	(-)6.82	(-)18.15	(-)28.95	(-)62.98	(-)20.79
2013-14	बीई	33000	26358	12879	23148	15184	21700	132269
	वास्तविक	32993	24802	10918	19385	12982	9805	110885
	बीई से अंतर (प्रतिशत में)	(-)0.02	(-)5.90	(-)15.23	(-)16.26	(-)14.50	(-)54.82	(-)16.17
2014-15	प्रावधान	34000	27349	12828	10254	16000	9852	110283
	वास्तविक	32977	24068	10523	8468	11106	10738	97880
	बीई से अंतर (प्रतिशत में)	(-)3.01	(-)12.00	(-)17.97	(-)17.42	(-)30.59	8.99	(-)11.25
2015-16	बीई	35721	21295	8964	8219	10025	14048	98272
	वास्तविक	36269	21613	9145	7984	10116	13400	98527
	बीई से अंतर (प्रतिशत में)	1.53	1.49	2.02	(-)2.86	0.91	(-)4.61	0.26

		मनरेगस	एसएसए	एमडीएम	एनआरएचएम	आईएवाई	पीएमजीएसवाई	कुल
2016-17	बीई	38500	22500	9580	13437	15000	19000	118017
	वास्तविक	48215	21685	9475	12025	16071	17923	125394
	बीई से अंतर (प्रतिशत में)	25.23	(-)3.62	(-)1.10	(-)10.51	7.14	(-)5.67	6.25

मनरेगस= महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एसएसए= सर्व शिक्षा अभियान, एमडीएम= मध्याह्न भोजन योजना, एनआरएचएम= राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आईएवाई= इंदिरा आवास योजना एवं पीएमजीएसवाई = प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

1.3.6 परिणाम बजट तथा लिंग बजटीकरण का विश्लेषण

(i) चयनित परिणाम बजटों का विश्लेषण

1. प्रस्तावना

परिणाम बजट प्रत्येक योजना के अतंर्गत व्यय की योजना करके तथा उपयुक्त लक्ष्यों को निर्धारित करके तथा डिलिवरेवल्स को निर्धारित करके परिव्ययों को परिणामों में परिवर्तित करने की मांग करता है। यह मंत्रालय के पिछले वर्षों के निष्पादन तथा वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित निष्पादन को दर्शाते हुए वित्तीय बजट के भौतिक परिणाम को परिभाषित करता है।

तीन मंत्रालयों अर्थात् पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों का लेखापरीक्षा में जांच हेतु चयन किया गया था। प्रत्येक मंत्रालय की दो योजनाओं के वित्तीय परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का विश्लेषण किया गया था जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

2. वित्तीय परिव्यय

(ए) पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय

2013-14 से 2016-17 हेतु दो योजनाओं (ए) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) तथा (बी) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के वित्तीय परिव्यय का नीचे **तालिका 1.26** में ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका 1.26: एनआरडीडब्ल्यूपी तथा एसबीएम (जी) का वित्तीय परिव्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एनआरडीडब्ल्यूपी				एसबीएम (जी)			
	वित्तीय परिव्यय			बीई से अतंर	वित्तीय परिव्यय			बीई से अतंर
	बीई	बीई	बीई		बीई	आरई	वास्तविक	
2013-14	11000	9700	9697.27	(-) 1302.73 (11.82)	4098	2299	2250.32	(-) 1847.68 (45.09)
2014-15	11000	9250	9242.76	(-) 1757.24 (15.91)	4260	2850	2840.99	(-) 1419.01 (33.31)
2015-16	2611	4373	4369.55	(+) 1758.55 (67.48)	2625	6525	6524.52	(+) 3899.52 (148.55)
2016-17	5000	6000	5982.16	(+) 1302.73 (20.00)	9000	10500	10509.03	(+) 1509.03 (16.77)

कोष्ठक में आकड़ें प्रतिशतता में अतंर को दर्शाते हैं।

एनआरडीडब्ल्यूपी में, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान वास्तविक व्यय बीई से क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत कम था। यह बीई में पिछले वर्ष की तुलना में कटौती के कारण वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान बीई से क्रमशः 67 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत तक अधिक था। एसबीएम (जी) में भी, समान व्यय प्रतिमान का अनुपालन किया गया था क्योंकि यह 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान बीई से क्रमशः 45 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक कम था। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान, यह बीई से क्रमशः 149 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत तक अधिक था।

(बी) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

2013-14 से 2016-17 तक की अवधि हेतु दो योजनाओं (ए) लघु जल विद्युत (एसएचपी) तथा (बी) बेंगसे कोग्नरेशन एण्ड बायोमास पॉवर (बीसीबीपी) के वित्तीय परिव्यय का नीचे **तालिका 1.27** में ब्यौरा दिया गया हैः-

तालिका 1.27: एसएचपी तथा बीसीबीपी का वित्तीय परिव्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसएचपी				बीसीबीपी			
	वित्तीय परिव्यय			अंतर	वित्तीय परिव्यय			अंतर
	बीई	आरई	वास्तविक		बीई	आरई	वास्तविक	
2013-14	134.5	123.18	122.82	(-) 11.68 (8.68)	84	34.54	34.53	(-) 49.47 (58.89)
2014-15	100	108	107.99	(+) 7.99 (7.99)	52.25	25	25	(-) 27.25 (52.15)
2015-16	100	105	104.99	(+) 4.99 (4.99)	45	29	28.03	(-) 16.97 (37.71)
2016-17	112	125	124.70	(+) 12.70 (11.34)	30	17	10.29	(-) 19.71 (65.70)

कोष्ठक में आकड़े प्रतिशतत में अतंर को दर्शाते हैं।

एसएचपी में, बीई से वास्तविक व्यय में कोई मुख्य अतंर नहीं पाया गया था। बीसीबीपी के मामलें में, वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान बीई की तुलना में वास्तविक व्यय काफी कम रहा।

(सी) शहरी विकास मंत्रालय

2013-14 से 2016-17 तक की अवधि हेतु दो योजनाओं (ए) धरोहर शहर विकास तथा सवंर्धन योजना (एचआरआईडीएवाई) तथा (बी) सात विशाल शहरों के आसपास सेटेलाइट शहरो में शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसटी) का वित्तीय परिव्यय का नीचे **तालिका 1.28** में ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका सं. 1.28: एचआरआईडीएवाई एवं युआईडीएसएसटी का वित्तीय परिव्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एचआरआईडीएवाई				यूआईडीएसएसटी			
	वित्तीय परिव्यय			अतंर	वित्तीय परिव्यय			अतंर
	बीई	आरई	वास्तविक		बीई	आरई	वास्तविक	
2013-14	एनए	एनए	एनए	एनए	78	70	69.03	(-) 8.97 (11.50)
2014-15	200	200	0.87	(-) 199.13 (99.57)	100	82	82.00	(-) 18 (18.00)
2015-16	200	200	27.26	(-) 172.74 (86.37)	100	70	70.00	(-) 30 (30.00)
2016-17	200	150	141.57	(-) 58.43 (29.22)	70	70	57.00	(-) 13 (18.57)
कुल	**600**	**550**	**169.70**		**348**	**292**	**278.03**	

कोष्ठक में आकड़े प्रतिशतता में अतंर को दर्शाते है।

वर्ष 2013-14 हेतु, एचआरआईडीएवाई के बीई तथा वास्तविक व्यय के आकड़े उपलब्ध नहीं थे क्योंकि हृदय योजना जनवरी 2015 में प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान योजना में ₹600 करोड़ के बीई के प्रति ₹169.70 करोड़ का कुल व्यय था। यूआईडीएसएसटी के मामले में, 2013-14 से 2016-17 के दौरान वास्तविक व्यय ₹57 करोड़ से ₹82 करोड़ के बीच रहा। इस अवधि के दौरान बीई की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी 12 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच रही।

3 भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि

(ए) पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(i) एनआरडीडब्ल्यूपी

2013-14 से 2016-17 की अवधि हेतु दो योजनाओं अर्थात् (ए) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) तथा (बी) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम-जी) के भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का क्रमशः **तालिका 1.29** तथा **तालिका 1.30** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 1.29: एनआरडीडब्ल्यूपी के भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष	एनआरडीडब्ल्यूपी			
	उप-योजनाएं	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी
2013-14	गुणवता प्रभावित आवासों में सुरक्षित जल के प्रावधान हेतु	22000	16,649	5,351 (24.32)
	आंशिक रूप में सम्मिलित आवासों में सुरक्षा जल प्रदान करने हेतु	75000	1,36,774	प्राप्त
2014-15	गुणवता प्रभावित आवासों में सुरक्षित जल के प्रावधान हेतु	20000	15,588	4,412 (22.06)
	आंशिक रूप में सम्मिलित आवासों में सुरक्षा जल प्रदान करने हेतु	75000	1,20,529	प्राप्त
2015-16	ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित जल प्रदान करने हेतु	56941	8,841	48,100 (84.47)
2016-17	गुणवता प्रभावित आवासों में सुरक्षित जल के प्रावधान हेतु	54000	29,482	24518 (45.40)
	आंशिक रूप में सम्मिलित आवासों में सुरक्षा जल प्रदान करने हेतु	8000	5,415	2585 (32.31)

कोष्ठक में आकड़े प्रतिशतता में अतंर को दर्शाते हैं।

आंशिक रूप से सम्मिलित आवासों में सुरक्षित जल प्रदान करने के लक्ष्य को केवल वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में जाकर ही प्राप्त किया गया था जबकि गुणवत्ता प्रभावित आवासों में सुरक्षित जल प्रदान करने के लक्ष्य को किसी भी वर्ष में प्राप्त नहीं किया गया था। वर्ष 2015-16 हेतु गुणवत्ता प्रभावित आवासों तथा आंशिक रूप से सम्मिलित आवासों में सुरक्षित जल प्रदान करने के विशिष्ठ लक्ष्य निर्धारित नहीं थे।

(ii) एसबीएम (जी)

तालिका 1.30: एसबीएम (जी) के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	एसबीएम (जी)			
	उप-योजनाएं	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी
2013-14	घरेलू शौचालय	6000000	4962000	1038000 (17.30)
	स्कूली शौचालय	70000	37645	32355 (46.22)
2014-15	घरेलू शौचालय	5000000	5884000	प्राप्त
	स्कूली शौचालय	30000	25267	4733 (15.78)
2015-16	घरेलू शौचालय	5000000	12664000	प्राप्त
	स्कूली शौचालय	1500	1899	प्राप्त
2016-17	घरेलू शौचालय	15000000	21957000	प्राप्त
	स्कूली शौचालय	1500	2911	प्राप्त

कोष्ठक में आंकडे प्रतिशतता में अंतर को दर्शाते है

एसबीएम (जी) में, घर तथा स्कूलों में शौचालय प्रदान करने के लक्ष्यों को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में प्राप्त किया गया था।

(बी) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

2013-14 से 2016-17 तक की अवधि हेतु दो योजनाओं अर्थात् (ए) लघु जल विद्युत (एसएचपी) तथा (बी) बेंगसे कोग्नरेशन एण्ड बायोमास पॉवर (बीसीबीपी) के भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का नीचे **तालिका 1.31** में ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका 1.31: एसएचपी तथा बीसीबीपी के भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

	एसएचपी (मेगावाट में)			बीसीबीपी (मेगा वाट में)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
2013-14	300	171	129 (43.00)	405	एनए	एनए
2014-15	250	252	प्राप्त	400	295.67	104.33 (26.08)
2015-16	250	219	31 (12.40)	400	304.85	95.15 (23.79)
2016-17	250	106	144 (57.60)	400	161.95	238.05 (59.51)

कोष्ठक में आकड़े प्रतिशतता में अतंर को दर्शाते है।

एसएचपी परियोजना के अंतर्गत विद्युत उत्पन्न करने के लक्ष्य के केवल वर्ष 2014-15 में जाकर ही प्राप्त किया गया था।

बीसीबीपी में लक्ष्य प्राप्त करने में 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान 24 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच कमी थी।

(सी) शहरी विकास मंत्रालय

शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 से 2016-17 हेतु अपने परिणाम बजट में वार्षिक भौतिक लक्ष्यों को अलग से निर्धारित नहीं किया था।

(ii) लिंग आधारित बजट

लिंग आधारित बजट का आरंभ 2005-06 में हुआ। संघ सरकार का लिंग आधारित बजट संपूर्ण बजट के अंदर महिलाओं के लिए बनी योजनाओं पर पूर्णतः या आंशिक रूप से लाभ पहुँचाने के लिए प्रस्तावित व्यय को उद्घाटित करता है। लिंग आधारित बजट से संबंधित योजनाओं को दो भागों में बाँटा गया, यथा-भाग-ए, योजनाएं जिसमे बजट प्रावधान का 100 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित थे भाग 'बी'-योजनाए जिसमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित था। वर्ष-वार बीई, आरई.एवं 2012-13 से 2016-17 तक तक बीई एवं आरई के मध्य अंतर नीचे **तालिका 1.32** में दिये गये हैं।

तालिका 1.32: 2012-17 के दौरान लिंग आधारित बजटीय आबंटन

वर्ष	बीई			आरई			₹ करोड़ में	
	भाग ए	भाग बी	कुल	भाग ए	भाग बी	कुल	अंतर (बीई और आरई में अंतर)	अंतर का %
2012-13	22968.93	65173.87	88142.80	18878.48	59232.96	78111.44	(-)10031.36	(-)11.38
2013-14	27248.19	69885.51	97133.70	24285.11	61210.31	85495.42	(-) 11638.28	(-)11.98
2014-15	21887.61	75856.63	97744.24	17424.88	64168.04	81592.92	(-)16151.32	(-)16.52
2015-16	16657.11	62600.76	79257.87	11388.41	69860.71	81249.12	(+) 1991.25	(+)2.51
2016-17	19398.66	71371.14	90769.80	21179.12	75152.71	96331.83	(+)5562.03	(+) 6.13

(स्रोत: व्यय प्रोफाइल 2017-18)

तालिका 1.32 दर्शाती है कि महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत 2012-13 से 2016-17 के दौरान बीई की तुलना में आरई में -16.52 प्रतिशत से 2.51 प्रतिशत तक के बीच अंतर था। बीई 2016-17 में 27 मंत्रालय/विभाग/संघ शासित क्षेत्र सरकारों ने लिंग आधारित बजट हेतु आबंटन किया

था। 2012-13 से 2014-15 के दौरान, आर ई चरण पर व्यय बीई पर व्यय को कम था। तथापि, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान आई बीई की तुलना में अधिक था **(उपर्युक्त तालिका 1.32)**।

भाग ए योजना में वर्ष 2016-17 के लिए ₹21,179.12 करोड़ के आरई के कुल आबंटन में से, ₹16,000 करोड़ (76 प्रतिशत) केवल एक योजना अर्थात् प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित था जिसके प्रति ₹16,071 करोड़ का वास्तविक व्यय था।

भाग ए की 80 योजनाओं में से 30 योजनाओं में बजट की गई राशि ₹ एक करोड़ से कम थी।

भाग ए में निर्भया योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2016-17 हेतु बीई में ₹403.40 करोड़ का आबंटन था जो क्रियात्मक शीर्ष में आरई में ₹592.89 करोड़ तक बढा। आरई चरण पर निर्भया निधि हेतु ₹550 करोड़ का निधि को अतरंण हेतु बजट किया गया था तथा ₹1,135 करोड़ की निधि से विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं पर व्यय करने की योजना की गई थी। इसके प्रति, इस निधि के अंतर्गत वास्तविक व्यय ₹1,171.60 करोड़ था।

1.3.7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चो तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु कल्याण योजना

सरकार ने वित्त वर्ष 2011-12 से मंत्रालयों/विभागों को, एक ही लघु शीर्ष के सिवाए, प्रावधानों का पुनर्विनियोजन न करने के अनुदेश के साथ अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विकास हेतु अलग आबंटन करने की पहल की थी।

बाद में, 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चों के लिए सरकार उनके विकास एवं कल्याण तथा मूलतः उनके कल्याण हेतु प्रावधान करने को वचनबद्ध है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु बजट में विशेष प्रावधान किया गया था।

तालिका 1.33 एससी तथा एसटी के विकास/कल्याण, बच्चो के कल्याण तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) हेतु योजनाओं को दर्शाती है।

तालिका 1.33: 2016-17 में विकास तथा कल्याण योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	उप-योजनाओं की संख्या	मंत्रालयों की संख्या	बीई	आरई	बीई के प्रति अंतर की %
				₹ करोड़ में		
1	एससी का कल्याण	256	28	38832.63	40919.70	5.37
2	एसटी का कल्याण	261	36	24005.39	25602.08	6.65
3	बच्चों का कल्याण	84	22	65758.45	66284.62	0.75
4	एनईआर	1	55	29124.79	32180.08	10.49

यद्यपि एक साथ मिलाकर सभी योजनाओं में आरई चरण पर कोई मुख्य अंतर नहीं था फिर भी यह देखा गया था कि एससी हेतु 22 योजनाओं तथा एसटी हेतु 19 योजनों में मंत्रालयों/विभागों को दिए गए अनुदेशों के उल्लघंन में राशि को आरई चरण पर 50 से 100 प्रतिशत के बीच कम किया गया था।

इसके अतिरिक्त, एससी तथा एसटी हेतु कुल 256 तथा 261 योजनाओं में से, 2016-17 के दौरान बीई चरण पर क्रमशः 36 तथा 42 उप-योजनाओं में कोई बजट आबंटन नहीं थे।

इसी प्रकार, बच्चों के कल्याण हेतु कुल 84 योजनाओं मे से चार योजनाओं में बीई से आरई में परिवर्तन (-)89 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच था।

एनईआर के विकास हेतु कुल 55 योजनाओं में से आठ योजनाओं में बीई से आरई में (-)14 प्रतिशत से 108 प्रतिशत तक के बीच के अंतर थे।

1.4 घाटे

सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए सामान्यतया तीन प्रकार के घाटे (**बाक्स 1.3**) प्रयोग किए जाते हैं जो (i) राजस्व घाटा, (ii) राजकोषीय घाटा और (iii) प्राथमिक घाटा है।

बॉक्स 1.3: घाटे के प्रकार

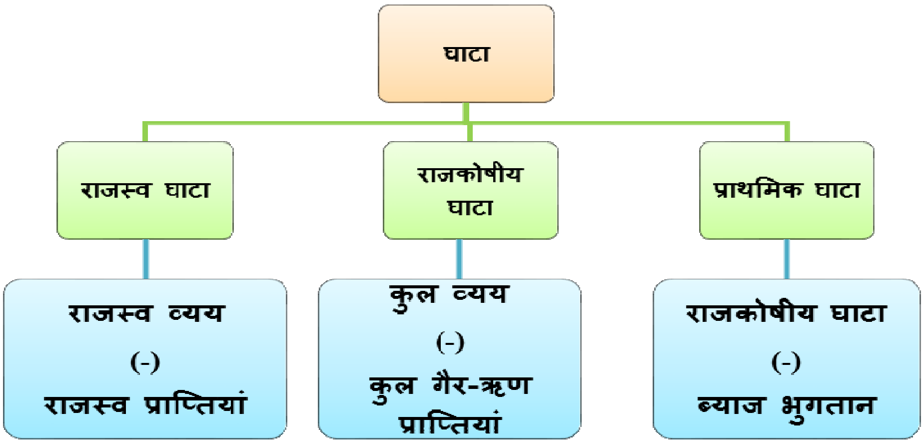

(ए) राजस्व घाटा

राजस्व घाटा, राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह बिना तदनुरूप पूंजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि का कारण बनता है तथा इस प्रकार यह एक बेमेल परिसंपत्ति देयता का सृजन करता है। इन कारणों से, राजस्व घाटा साधारणत: कम वांछनीय समझा जाता है।

तालिका 1.34 दर्शाती है कि राजस्व घाटा 2015-16 में ₹3,43,369 करोड़ से घटकर 2016-17 में ₹3,17,030 करोड़ हो गया था। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, राजस्व घाटा 2015-16 में 2.51 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 2.09 प्रतिशत हो गया था।

तालिका 1.34: राजस्व घाटा

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
	(₹ करोड़ में)			राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	जीडीपी
2012-13	1055891	1420473	364582	34.53	25.67	3.67
2013-14	1217794	1575097	357303	29.34	22.68	3.18
2014-15	1328909	1695137	366228	27.56	21.60	2.94
2015-16	1436160	1779529	343369	23.91	19.30	2.51
2016-17	1615988	1933018	317030	19.62	16.40	2.09

राजस्व घाटे को **चार्ट 1.7** में ग्राफ के रूप में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7 राजस्व घाटा एवं जीडीपी की प्रतिशतता

(बी) राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के अपेक्षित उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यत: सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं अथवा राजस्व तथा व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण को प्रस्तुत करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) उधार राशियां या लोक लेखे से अधिशेष निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है जैसा कि **तालिका 1.35** में विस्तार से दिया गया है।

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटा

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
	(₹ करोड़ में)			गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	जीडीपी
2012-13	1108404	1602918	494514	44.61	30.85	4.97
2013-14	1271711	1774941	503230	39.57	28.35	4.48
2014-15	1393196	1909144	515948	37.03	27.03	4.15
2015-16	1520170	2105667	585497	38.52	27.81	4.28
2016-17	1704702	2242501	537799	31.55	23.98	3.54

तालिका 1.35 दर्शाती है कि राजकोषीय घाटा में 2015-16 के ₹5,85,497 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹5,37,799 करोड़ तक कम हुआ। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, राजकोषीय घाटा 2015-16 के 4.28 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 3.54 प्रतिशत था।

राजकोषीय घाटे को **चार्ट 1.8** में ग्राफ के रूप में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.8 राजकोषीय घाटा एवं इसके मापदण्ड

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश वास्तविक व्यय भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए अथवा पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों को वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है।

तालिका 1.36: राजकोषीय घाटे के संघटकों का अंश

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
2012-13	73.73	25.17	1.10
2013-14	71.00	27.72	1.28
2014-15	70.98	26.04	2.98
2015-16	58.65	40.43	0.92
2016-17	58.95	37.51	3.54

जैसा कि **तालिका 1.36** से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे का बड़ा भाग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के प्रति था। ₹5,37,799 करोड़ के राजकोषीय घाटे में से, राजस्व लेखे में ₹3,17,030 करोड़ (58.95 प्रतिशत) था, जो 2016-17 में राजस्व घाटा प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का शेष अंश पूंजीगत लेखे में

था। राजस्व घाटे का अंश 2015-16 में 58.65 प्रतिशत से 2016-17 में 58.95 प्रतिशत तक सीमान्त रूप से बढ़ा। यह निवल पूंजीगत व्यय के अंश में कमी के कारण था जो 2015-16 में 40.43 प्रतिशत से 2016-17 में 37.51 प्रतिशत तक कम हुआ। तथापि निवल कर्जे एवं अग्रिमों का अंश 2015-16 में 0.92 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 3.54 प्रतिशत तक बढ़ा।

तालिका 1.37 संघ सरकार के राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के स्रोत को दर्शाती है।

तालिका 1.37: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्त्रोत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण (निवल)		वाह्य ऋण (निवल)		लोक लेखे (निवल)		नकद निकासी कमी		राजकोषीय घाटा
	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*	
2012-13	533944	107.97	7201	1.46	4380	0.89	-51011	-10.32	494514
2013-14	476383	94.67	7292	1.45	38721	7.69	-19166	-3.81	503230
2014-15	497564	96.44	12933	2.51	-72393	-14.03	77844	15.09	515948
2015-16	566544	96.76	12748	2.18	-6965	-1.19	13170	2.25	585497
2016-17	437317	81.32	17997	3.35	91381	16.99	-8896	-1.65	537799

जैसा कि यह तालिका से स्पष्ट है, राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः निवल आंतरिक ऋण से होता है। 2016-17 में, बाह्य ऋण तथा लोक लेखे का उपयोग संघ सरकार की राजकोषीय बेमेल स्थिति को सुधारने के लिए भी किया गया है।

(सी) प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा कर मापा जाता है। यह वर्तमान वर्ष के राजकोषीय परिचालन का मापक है जिसमें ब्याज भुगतान जो पूर्व में उधार ली गई राशियों के कारण सृजित हुई थी, की देयता शामिल नहीं है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा धीरे धीरे 2012-13 में 1.65 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 0.22 प्रतिशत हुआ था जैसा कि **तालिका 1.38** में दर्शाया गया है। तथापि, यह 2014-15 की तुलना में 2015-16 में अधिक (0.94 प्रतिशत) था।

तालिका 1.38: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल ब्याज भुगतान*	प्राथमिक घाटा	जीडीपी के प्रतिशत में
2012-13	494514	330171	164343	1.65
2013-14	503230	395200	108030	0.96
2014-15	515948	425098	90850	0.73
2015-16	585497	457270	128227	0.94
2016-17	537799	504512	33287	0.22

*ऋण की कटौती या परिहार पर व्यय सम्मिलित है।

1.5 ऋण प्रबंधन

जबकि बजट संतुलन के लिए ऋण पर निर्भरता पूरी तरह से परिहार्य नहीं हो सकती है फिर भी संघ सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के माध्यम से उधारों की सीमाएं निर्धारित करती है। एफआरबीएम नियम अनुबद्ध करते हैं कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए जीडीपी के नौ प्रतिशत से अधिक देयताओं (वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का उत्तरदायित्व नहीं लेगी और प्रत्येक वित्त वर्ष में जीडीपी के नौ प्रतिशत की सीमा जीडीपी के कम से कम एक प्रतिशत प्वाइंट तक प्रगामी रूप से कम की जानी थी (**नीचे बॉक्स 1.4** 'भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं को दर्शाते हैं)।

बॉक्स 1.4: राजकोषीय देयताएं

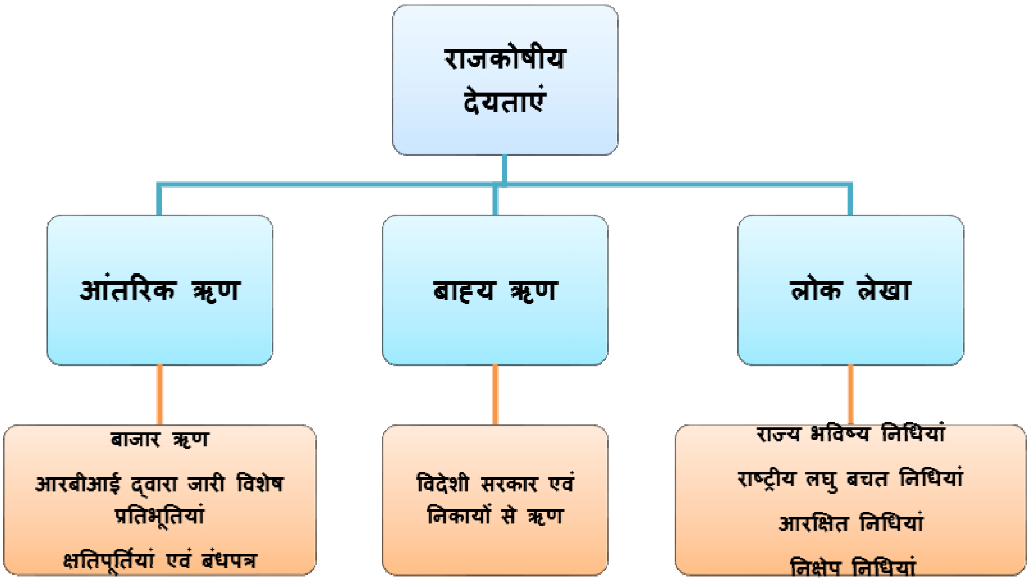

तालिका 1.39 आंतरिक ऋण की रचना को दर्शाती है, जिसमें विभिन्न घटकों अर्थात् संबंधित वित्त वर्षों के अंत तक के बाजार ऋण, खजाना बिल, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बॉड शामिल हैं।

तालिका 1.39: आंतरिक ऋण की संरचना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	खजाना बिल	प्रतिभूतियां जारी की गई			प्रतिपूर्ति एवं अन्य बॉड	अन्य	कुल
			अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	डाक जीवन बीमा			
2012-13	2984309 (79.27)	418185 (11.11)	32226 (0.86)	216806 (5.76)	20894 (0.56)	13823 (0.37)	78321 (2.07)	3764566 (100)
2013-14	3441641 (81.16)	425950 (10.04)	35181 (0.83)	229165 (5.40)	20894 (0.49)	13614 (0.32)	74322 (1.76)	4240767 (100)
2014-15	3891734 (82.13)	435129 (9.18)	46395 (0.98)	261391 (5.52)	20894 (0.44)	13426 (0.28)	69322 (1.47)	4738291 (100)
2015-16	4300102 (81.06)	485822 (9.16)	106726 (2.01)	313856 (5.92)	20894 (0.39)	11114 (0.21)	66321 (1.25)	5304835 (100)
2016-17	4649487 (80.98)	491372 (8.56)	108740 (1.89)	381291 (6.64)	20894 (0.36)	20325 (0.36)	69600 (1.21)	5741709 (100)

कोष्ठक में आंकड़े कुल आंतरिक ऋण की प्रतिशतता को दर्शाता है।

बाजार ऋण आंतरिक ऋण के 80 प्रतिशत से अधिक है। खजाना बिल आतंरिक ऋण का दूसरा सबसे बड़ा साधन होने से आंतरिक ऋण का 8.56 प्रतिशत बनता है।

तालिका 1.40 विनिमय की वर्तमान दर (दर जिसपर ऋण मूल रूप में संविदित था) तथा ऐतिहासिक दर पर सरकार की कुल देयता, दोनों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.40: कुल राजकोषीय देयता

(₹करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार के आंतरिक ऋण (1)	बाहय ऋण (ऐतिहासिक दरों पर) (2)	लोक लेखा देयताएं (3)	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर) (1+2+3)	बाहय ऋण (वर्तमान दरों पर) (4)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर) (1+3+4)
2012-13	3764566 (37.85)	177289 (1.78)	610016 (6.13)	4551871 (45.76)	332004 (3.34)	4706586 (47.32)
2013-14	4240767 (37.74)	184581 (1.64)	644060 (5.73)	5069408 (45.11)	374483 (3.33)	5259310 (46.81)
2014-15	4738291 (38.07)	197514 (1.59)	671010 (5.39)	5606815 (45.05)	366384 (2.94)	5775685 (46.41)
2015-16	5304835 (38.77)	210262 (1.54)	711608 (5.20)	6226705 (45.51)	406589 (2.97)	6423032 (46.95)
2016-17	5741709 (37.81)	228259 (1.50)	756448 (4.98)	6726416 (44.30)	408108 (2.69)	6906265 (45.48)

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े जीडीपी की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

**1999-2000 से लोक लेखा देयताएं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों एवं कुछ अन्य साधन में निवेश की सीमा तक लघु बचतों तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि परिचालनों में हुई हानियां के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।*

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में वर्तमान दर पर कुल देयता ने 2015-16 को छोड़कर, जिसके दौरान यह 0.54 प्रतिशतता बिन्दु तक सीमान्त रूप से बढ़ा तथा 46.95 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा, 2012-17 के दौरान घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है। तथापि यह कम हुआ तथा 2016-17 में 45.48 प्रतिशत तक पहुंचा जो पिछले पांच वर्षों का अब तक का सबसे निम्न स्तर है। 31 मार्च 2017 को आन्तरिक ऋण कुल लोक ऋण (आंतरिक और बाह्य ऋण) का लगभग 96.18 प्रतिशत बना था। हालांकि वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण की गणना करते समय आंतरिक ऋण, कुल लोक ऋण का 93.36 प्रतिशत बनता है। बाह्य ऋण का अंश कुल देयताओं का लगभग 3 प्रतिशत है जो दर्शाता है कि देयता को वैश्विक अस्थिरता के प्रति प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। 2016-17 में ऋण स्टॉक का स्तर जीडीपी का 45.48 प्रतिशत था जो कि 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश 41.41 प्रतिशत से अधिक था **(तालिका 1.44)**।

तालिका 1.41 लोक लेखा देयताओं के नेटेड तथा वास्तविक आंकड़ों दोनों को ध्यान में रखकर कुल राजकोषीय देयता की स्थिति को प्रकाश में लाता है।

तालिका 1.41: कुल राजकोषीय देयताओं को कम बताना

(₹ करोड़ में)

अवधि	लोक लेखा देयताएं (नेटेड आंकड़ों के अनुसार)	लोक लेखा देयताएं (वास्तविक)	कम बतायी गयी राशि (3-2)	कुल नेटेड देयताएं (वर्तमान दरों पर)	कुल वास्तविक देयताएं (वर्तमान दरों पर) (4+5)
1	2	3	4	5	6
2012-13	610016 (6.13)	1198214 (12.05)	588198	4706586 (47.32)	5294784 (53.23)
2013-14	644060 (5.73)	1268854 (11.29)	624794	5259310 (46.81)	5884104 (52.37)
2014-15	671010 (5.39)	1341220 (10.78)	670210	5775685 (46.41)	6445895 (51.79)
2015-16	711608 (5.20)	1430012 (10.45)	718404	6423032 (46.95)	7141436 (52.20)
2016-17	756448 (4.98)	1519728 (10.01)	763280	6906265 (45.48)	7669545 (50.51)

नोटः कोष्ठक में दिये गये आंकड़े जीडीपी की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वित्त लेखे के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2017 को बकाया लोक लेखा देयताएं ₹7,56,448 करोड़ (लघु बचत तथा भविष्य निधि के रूप में ₹5,48,348 करोड़ तथा अन्य दायित्वों के रूप में ₹2,08,100 करोड़) हुई। यह सरकार की ₹7,63,280 करोड़ की देयताओं, जो दायित्व से निवेशों के माध्यम से निधिबद्ध की गई है, को छोड़ने के कारण है। तथापि, ₹13,11,628 करोड़ की लघु बचतों, भविष्य निधि आदि की देयता तथा अन्य दायित्वों के रूप में ₹2,08,100 करोड़ के स्तर को लेखे में लेते हुए लोक लेखा देयताएं ₹15,19,728 करोड़ परिकलित की गई जो 2015-16 में ₹14,30,012 करोड़ के प्रति 2016-17 में तालिका 1.41 के कॉलम 3 में प्रदर्शित की गई है। तदनुसार, 31 मार्च 2017 को संघ सरकार की कुल बकाया देयता वर्तमान दर पर बाह्य ऋण की गणना करके 2015-16 में जीडीपी के 52.60 प्रतिशत बनाते हुए ₹71,41,436 करोड़ के प्रति 2016-17 में जीडीपी के 50.51 प्रतिशत बनते हुए ₹76,69,545 करोड़ हुई।

1.5.1 लोक ऋण का पुनर्भुगतान

2016-17 के दौरान, सरकार ने आन्तरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹4,48,928 करोड़ की राशि का भुगतान किया है (**तालिका 1.42**)। आन्तरिक ऋण पर प्रदत्त ब्याज का 82.55 प्रतिशत से अधिक विभिन्न दरों के ब्याज वाले बाजार ऋणों (₹3,70,590 करोड़) पर ब्याज था। बाह्य ऋण पर प्रदत्त ब्याज ₹5,144 करोड़ थी बाह्य ऋण पर ब्याज का लगभग 91 प्रतिशत (₹4,701 करोड़) केवल चार संस्थाओं अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), जापान सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋणों के कारण था।

तालिका 1.42 कुल राजकोषीय देयताओं को कम बताना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण का भुगतान		बाह्य ऋण का भुगतान		लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान	लोक ऋण की कुल प्राप्ति	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8
2012-13	3410785	281891	16108	4019	3712803	3968038	1108404
2013-14	3493167	344893	18124	3880	3860064	3994966	1271711
2014-15	3687099	371420	20601	3766	4082886	4218196	1393196
2015-16	3714352	405242	23305	3925	4146824	4316950	1520170
2016-17	5652628	448928	26195	5144	6132895	6134137	1704702

₹17,04,702 करोड़ के कुल गैर ऋण प्राप्ति के प्रति 2016-17 में ₹61,32,895 करोड़ के लोक ऋण का कुल पुर्नभुगतान हुआ था जो कि गैर-ऋण प्राप्तियों के 3.6 गुना से अधिक था। इसके अतिरिक्त, 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों के प्रति लोक ऋण के पुर्नभुगतान का अनुपात 3.8 गुना था।

1.5.2 ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता सामान्य रूप से ऋण, प्राथमिक घाटे और जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में ब्याज लागत से मापी जाती है। गिरता हुआ ऋण/जीडीपी अनुपात को स्थिरता की और बढ़ता हुआ मान सकते है। ब्याज भुगतानों की राजस्व प्राप्तियों के साथ के अनुपात को ऋण स्थिरता को मापने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस भाग में, कुल देयता (लोक ऋण और अन्य देयताओं) की स्थिरता का आकलन महत्व परिवर्तनों में देखी गई प्रवृत्तियों का उपयोग करके किया जाता है।

(ए) देयता-जीडीपी अनुपात

देयता-जीडीपी अनुपात में प्रवृति एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो कि देयता की स्थिरता को सूचित करती है और **चार्ट 1.9** में प्रस्तुत है।

चार्ट 1.9: देयता-जीडीपी अनुपात में प्रवृतियां

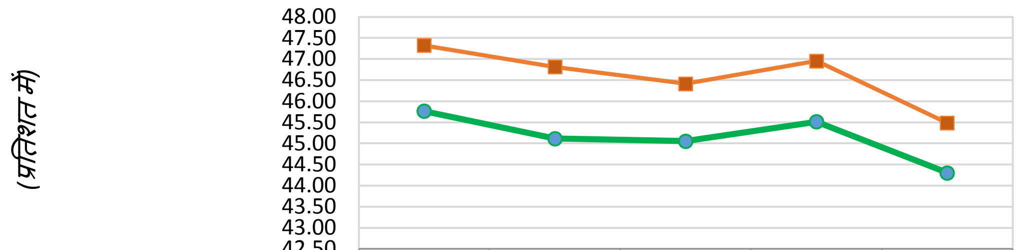

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ऐतिहासिक दर पर देयता	45.76	45.11	45.05	45.51	44.30
वर्तमान दर पर देयता	47.32	46.81	46.41	46.95	45.48

वर्तमान दर पर केन्द्र सरकार की देयता 2012-13 में ₹47,06,586 करोड़ से 2016-17 में ₹69,06,265 करोड़ तक बढ़ी। देयता-जीडीपी अनुपात में 2015-16 में 46.95 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 45.48 प्रतिशत तक कमी आई। इस विश्लेषण में लोक खातों की कम कथन को ध्यान में नहीं रखा गया है जैसा **तालिका 1.40** में उल्लेखित है, लेकिन जिसके लिए 2016-17 में देयता-जीडीपी अनुपात 50.51 प्रतिशत होता।

(बी) ऋण-जीडीपी अनुपात

ऋण-जीडीपी अनुपात में प्रवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है जोकि देयता की स्थिरता को सूचित करती है और **चार्ट 1.10** में प्रस्तुत है।

चार्ट 1.10: ऋण की प्रवृत्तियां- जीडीपी अनुपात

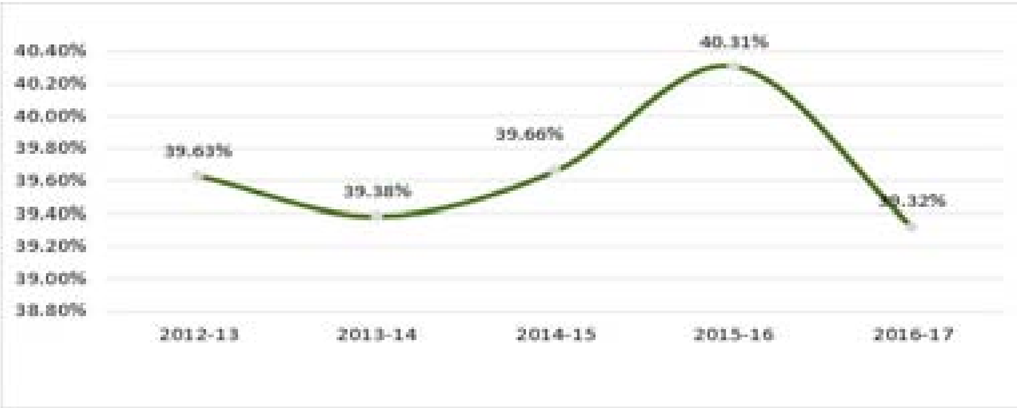

संघ सरकार के ऋण 2015-16 के ₹55,15,097 करोड़ से बढ़कर 2016-17 (**तालिका 1.39 तथा 1.40**) में ₹59,69,968 करोड़ तक हो गए। तथापि, प्रतिशतता रूप में ऋण-जीडीपी अनुपात 2015-16 में 40.31 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 39.32 प्रतिशत हो गया।

(सी) ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात

ऋण की ब्याज लागत सरकारी ऋण की स्थिरता का अन्य मुख्य संकेतक है। वर्ष 2013-14 और 2016-17 **(चार्ट 1.11)** में सरकार हेतु ब्याज भुगतान के प्रति राजस्व प्राप्तियां (आईपी/आरआर) के अनुपात में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गई थी।

चार्ट 1.11: ब्याज भुगतान के प्रति राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता

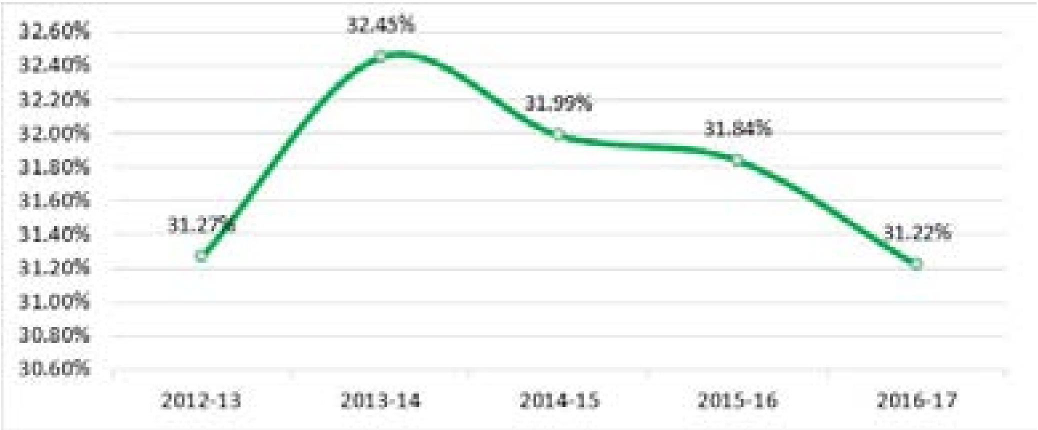

(डी) औसत ब्याज लागत

औसत ब्याज लागत (एआईसी) एक वर्ष के दौरान औसत ऋण स्टॉक[8] के साथ ब्याज भुगतानों का भाग करके निकाली जाती है। गिरती हुई औसत ब्याज लागत सरकारी ऋण की स्थिरता के लिये शुभ संकेत है।

चार्ट 1.12: औसत ब्याज दर (एआईसी) और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि

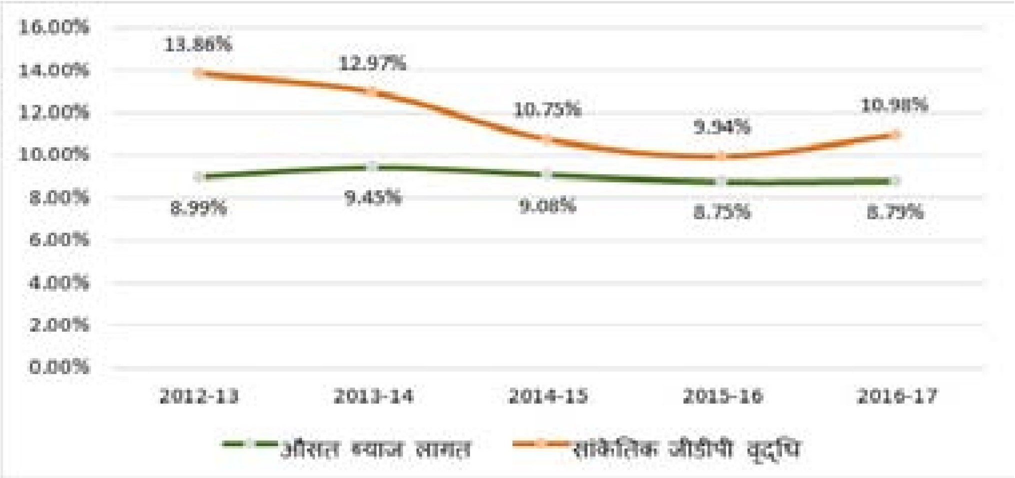

चार्ट 1.12 औसत ब्याज लागत में 2013-14 से 2015-16 तक गिरावट को दर्शाता है जो 2016-17 में पलट गई। यह 2015-16 में 8.75 प्रतिशत से 2016-17 में 8.79 प्रतिशत तक मामूली रूप से बढ़ा क्योंकि ब्याज भुगतान पिछले वर्षों से 2016-17 में 10.98 प्रतिशत तक बढ़े।

[8] औसत ऋण स्टॉक, वर्ष के आरंभ एवं वर्ष के अंत में बकाया ऋण का सामान्य औसत है।

एआईसी के साथ सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर की तुलना लोक ऋण की स्थिरता को सुदृढ़ बनाती है, क्योंकि जीडीपी में सांकेतिक वृद्धि दर औसत 2012-17 के दौरान औसत ब्याज लागत से अधिक रही है।

(ई) बाजार ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल

2016-17 में ₹69,06,265 करोड़ की कुल बकाया देयताओं में, आंतरिक ऋण ₹57,41,709 करोड़ का था। आंतरिक ऋण का मुख्य घटक है बाजार ऋण जो दिनांकित प्रतिभूतियां है और वह ₹46,49,487 करोड़ का था (आंतरिक ऋण का 80.98 प्रतिशत)। जिन बाजार ऋणों की ऋणमुक्ति सात वर्षों के भीतर करनी थी, उनकी परिपक्वता प्रोफाइल 2016-17 की समाप्ति पर ₹16,90,864 करोड़ (बकाया बाजार ऋण के 37 प्रतिशत के आसपास) थी (**चार्ट 1.13**)।

चार्ट 1.13: बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

स्रोतः वि.व 2016-17 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे

वर्ष 2016 में, सबसे लंबी परिपक्वता आयु वाली दिनांकित प्रतिभूतियां 39 वर्षों वाली थीं।

1.5.3 अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

2016-17 के दौरान, वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण ₹4,08,108 करोड़ सूचित किया गया है जबकि 31 मार्च 2017 को अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता ₹2,54,779 करोड़ की थी। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय (सीएए) से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹44,727 करोड़), परमाणु ऊर्जा (₹30,916 करोड़), विद्युत (₹19,696 करोड़), रेल (₹20,454 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹25,111 करोड़), जल संसाधन प्रबंधन (₹11,826 करोड़), सड़कें (₹36,895) करोड़ तथा पर्यावरण एवं वानिकी (₹12,422 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे।

चार्ट 1.14: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

** वर्ष 2016-17 के आंकड़े प्रावधानिक हैं। ये सीएए द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।*

अनाहरित बाह्य सहायता पर प्रतिबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निधारित मूल राशि पर दिये जाते हैं। चूंकि प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज दायित्व' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। **तालिका 1.43** बाद की तिथियों में सहायता राशि के आहरण के पुनर्निधारण के लिए चार वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न निकायों/सरकारों को भुगतान किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों को दर्शाती है।

तालिका 1.43: प्रतिबद्धता प्रभार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एशियन विकास बैंक	जापान	जर्मनी	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक	कुल
2012-13	47.62	25.67	7.43	12.23	92.95
2013-14	47.47	49.99	9.78	10.09	117.33
2014-15	49.21	46.11	8.47	6.74	110.53
2015-16	57.58	37.75	7.36	7.91	110.60
2016-17	60.39	35.30	9.17	16.95	121.81

प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान 2014-15 से बढ़ता रहा है तथा 2016-17 में ₹121.81 करोड़ के अभी तक के अपने सबसे ऊचे स्तर पर पहुंच गया है। यह निरंतर अपर्याप्त योजना का संकेत देता जिसका परिणाम प्रतिबद्धता प्रभारों पर परिहार्य व्यय में हुआ।

1.5.4 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में निष्पादन

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) द्वारा उल्लिखित आकलनों की तुलना में 2016-17 के अधिनिर्णय अवधि के वित्तीय वर्ष के दौरान संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय कुल जमा को **तालिका 1.44** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.44: राजकोषीय रोड मैप तथा वास्तविक निष्पादन

(जीडीपी की प्रतिशतता)

मापदंड	14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित					वित्तीय लेखे के अनुसार वास्तविक निष्पादन	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2015-16	2016-17
राजस्व घाटा	2.56	2.25	1.79	1.36	0.93	2.51	2.09
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.61	0.65	0.70	0.76	0.82	0.61	0.58
राजकोषीय घाटा	3.60	3.00	3.00	3.00	3.00	4.28	3.54
ऋण का स्टॉक (वर्ष के अंत में देयताएं)	43.60	41.41	39.49	37.79	36.30	46.95	45.48

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि राजस्व घाटा जीडीपी का 2.09 प्रतिशत होने से 2.25 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रहा। राजकोषीय घाटा (3.54 प्रतिशत) 2016-17 में जीडीपी के तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 2016-17 हेतु ऋण स्टाक जीडीपी के 41.41 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति जीडीपी का 45.48 प्रतिशत था।

1.6 संघ सरकार की गारंटियों में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियॉ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की गई है। संघ सरकार द्वारा (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान (iii) सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि के लिए क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि गारंटी दी जाती है। यह गारंटियॉ सीएफआई पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है।

गारंटियां अवसंरचना विकास और ऐसी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए निवेशों की बढती आवश्यकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती हैं। संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जबकि गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, वहां चूक होने की स्थिति में, सरकार के ऋणों में वृद्धि की सम्भावना रहती है।

गारंटियॉ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा पीएसयू को बाजार से धन उधार लेने योग्य बनाने हेतु दी जाती हैं। एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 3(3) में अनुबंधित है कि केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 0.5 *प्रतिशत* से अधिक गारंटियां नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एफआरबीएम नियम 2004 के नियम 6(1)(बी) के अनुपालन में केन्द्र सरकार के लिए राजकोषीय संचालन में वृहत् पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय गारंटियों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक है।

क्रमशः **चार्ट 1.15** और **तालिका 1.45** में वित्त वर्ष 2012-17 के अंत में गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशि तथा बकाया बाह्य गारंटियों से संबधित स्थिति दी गई है। 31 मार्च 2017 तक बकाया गारंटीकृत राशि में से 71.20 *प्रतिशत* विदेशी कर्जदाता संस्थाओं से ऋणों के प्रति, 21.22 प्रतिशत आरबीआई/बैंकों/औद्योगिक और वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नकद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष 7.58 प्रतिशत शेयरपूंजी के

पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारंटी आदि के लिए थी। वित्त मंत्रालय द्वारा 2016-17 में मुख्य मंत्रालयों/विभागों जिनको गारंटी प्रदान की गई उनमें से कृषि एवं सहकारिता, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत, दूरसंचार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विदेशी मामले मंत्रालय/विभाग थे।

चार्ट 1.15: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

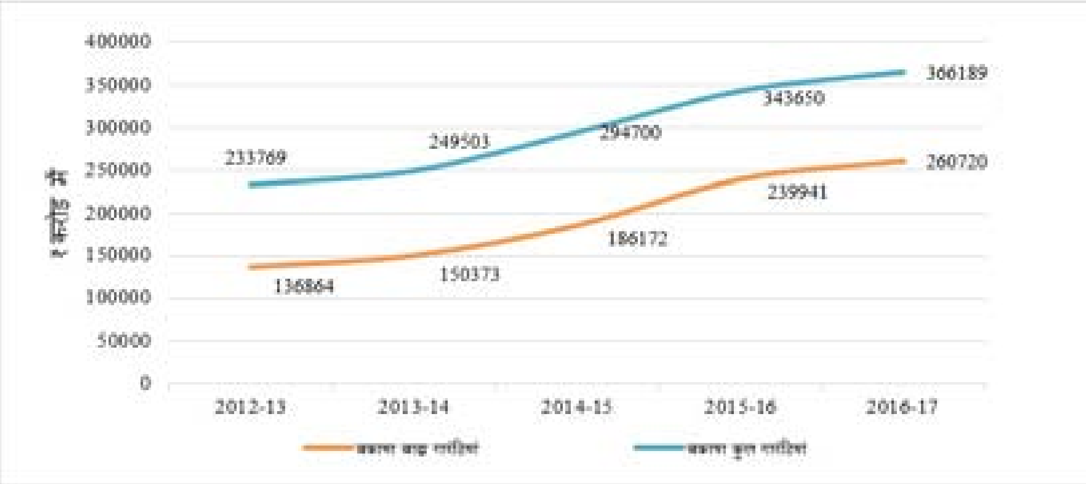

तालिका 1.45: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि (कुल)	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
2012-13	242915	233769	136864	58.55
2013-14	270629	249503	150373	60.27
2014-15	305519	294700	186172	63.17
2015-16	352519	343650	239941	69.82
2016-17	378592	366189	260720	71.20

31 मार्च 2017 को कुल बकाया गारंटियां जीडीपी का 2.41 प्रतिशत तथा 2016-17 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 22.66 प्रतिशत थीं।

एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन में, वर्ष के दौरान गांरटियों की वृद्धि ₹34,945.30 करोड़ (जीडीपी का 0.23 प्रतिशत) थी। हालांकि, वर्ष 2016-17 के दौरान गारंटियों का निवल अभिवृद्धि ₹22,541.84 करोड़ था जोकि जीडीपी का 0.15 प्रतिशत था।

1.7 निष्कर्ष

वर्ष 2016-17 को अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि के साथ दर्शाया गया था क्योंकि स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीडीपी के अनुमान 2015-16 में वृद्धि दर 8.01 प्रतिशत के प्रति से 2016-17 में घटकर 7.11 प्रतिशत हो गए। सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)[9] स्थिर मूल्यों (2011-12) पर तिमाहीवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि 2016-17 की पहली तिमाही में वृद्धि वही थी जो 2015-16 में थी, अर्थात् 7.6 प्रतिशत पर। हालांकि, 2015-16 में इसी तिमाही की तुलना में 2016-17 में अगले तीन तिमाहियों में वृद्धि की दर में गिरावट देखी गई। जीडीपी में मंदी दूसरी तिमाही से शुरू हुई और 2016-17 की चौथी तिमाही में अधिक स्पष्ट हो गई। तथापि, वर्ष 2016-17 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी पिछले वर्ष में 9.94 प्रतिशत की तुलना में 10.98 प्रतिशत का सुधार देखा गया। दोनो राजस्व घाटा जो 2015-16 में जीडीपी के 2.51 प्रतिशत से 2016-17 में 2.09 प्रतिशत तक कम हुआ तथा राजकोषीय घाटा जो जीडीपी के संबंध में 2015-16 में 4.28 प्रतिशत से 2016-17 में 3.54 प्रतिशत तक कम हुआ, में सुधार देखा गया था। वर्तमान विनियम दर पर जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कुल देयता वर्ष 2015-16 में 46.95 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 45.48 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष से 2016-17 में 8.25 प्रतिशत पर ऋण स्टॉक की वृद्धि वर्तमान मूल्यों पर 10.98 प्रतिशत पर जीडीपी की वृद्धि की तुलना में भी कम थी।

[9] उत्पाद पर करों का शुद्ध जीडीपी

2: वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां

2.1 प्रस्तावना

संघ सरकार वित्त लेखे के प्रस्तुतीकरण (परिशुद्धता, पूर्णता तथा पारदर्शिता) में महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित टिप्पणियाँ अनुवर्ती पैराओं में दी गई हैं। विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 3, 4 तथा 5 में सम्मिलित किया गया है। सरकारी खर्च की नियमितता, मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता पर अभ्युक्तियां, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट होती है जो संसद को पृथक रूप से प्रस्तुत की जाती है।

2.2 पारदर्शिता के मुद्दे

2.2.1 सरकारी लेखे में अपारदर्शिता

(ए) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय में अपारदर्शिता

वर्ष 2016-17 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे की संवीक्षा से पता चला कि लेखे के 13 मुख्य शीर्षों (जो सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करते हैं) के अतंर्गत कुल व्यय ₹6,193.77 करोड़ में से ₹5,078.62 करोड़ के व्यय को लेखे में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अतंर्गत वर्गीकृत किया गया था। यह संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किए गए कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से अधिक था। इसका परिणाम लेखे में अपारदर्शिता में हुआ क्योंकि 800 - अन्य व्यय वर्गीकरण व्यय के उद्देश्य जिसके लिए यह किया गया था, को नहीं दर्शाता है। कुछ कार्यों जिनमें ऐसी अपारदर्शिता विद्यमान है वे हैं अन्य दूरसंचार सेवाएं, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (एनईआर), लघु सिंचाई एवं गैर-लौह खनन तथा धातु-उद्योग संबंधी उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। 13 मुख्य शीर्षों के विवरण **अनुबंध-2.1** में दिए गए हैं।

कुछ मामले जहां व्यय अधिक मूल्य का था परंतु कुल व्यय के 50 प्रतिशत से कम बना, को वित्त लेखे में अलग से नहीं दर्शाया गया था बल्कि लघु शीर्ष 'अन्य व्यय' के अंतर्गत मिला दिया गया था। इनमें राष्ट्रीय न्याय प्रदत्त एवं कानून सुधार मिशन (₹352.24 करोड़), पकल डुल परियोजना- जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (₹200 करोड़), केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (₹5,377.14 करोड़), ऑटोमोबाइल उद्योगों का विकास

(₹576.87 करोड़), प्रतिष्ठित धातुकर्मियों के लिए पुरस्कार (₹200.24 करोड़), ग्रामीण विद्युतीकरण (₹598.78 करोड़), और रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क (₹3,210 करोड़) शामिल है।

इस पहलू पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्षों 2007-08 से 2015-16 तक समाप्त वर्षों हेतु संघ सरकार के लेखाओं पर प्रतिवेदनों में लगातार इस अनुशंसा के साथ टिप्पणी की गई थी कि सरकारी लेखे की संरचना की सरकार द्वारा एक व्यापक समीक्षा की जाए जिससे वित्तीय रिपोर्ट देने में अधिक पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सके। तथापि, महत्वपूर्ण पहलों के लिए पृथक लघु शीर्ष खोलकर सरकार की वर्तमान गतिविधियों को दर्शाने हेतु लेखाओं को पुन: बनाने की बजाय महालेखा नियंत्रक (सीजीए) ने, अन्तरिम उपाय के रूप में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत मिलाकर महत्वपूर्ण पहलों पर व्यय के ब्यौरे देते हुए वित्त लेखे में फुट नोटों को डाल दिया है।

(बी) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां में अपारदर्शिता

वर्ष 2016-17 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे की संवीक्षा से पता चला कि 22 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत कुल ₹62,046.77 करोड़ की प्राप्तियों में से ₹38,520.91 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। यह संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अभिलेखित कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक थी। इसका परिणाम लेखे में अपारदर्शिता में हुआ क्योंकि यह सरकार के राजस्व के विशिष्ट स्रोतों को उजागर नहीं करता है। कुछ कार्य जहां प्राप्तियों में अस्पष्टता हैं वे हैं अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कोयला एवं लिग्नाइट, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, ब्याज प्राप्तियां, रक्षा सेवायें - अनुसंधान एवं विकास तथा सड़क परिवहन आदि। 22 मुख्य शीर्षों का विवरण **अनुबंध 2.2** में दिया गया है।

वर्ष 2015-2016 के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2016 के प्रतिवेदन सं. 34 में इस अनुशंसा के साथ इस पहलू पर भी टिप्पणी की गई थी कि वित्तीय प्रतिवेदन में व्यापक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सरकारी लेखे की संरचना तथा महत्वपूर्ण प्राप्तियों की धारा के अंतर्गत लेन-देनों को दर्ज करने के लिए अलग खोले गये लघु शीर्षों का व्यापक समीक्षा करानी चाहिए।

2.2.2 सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ

जनवरी 2005 में, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश[1] दिया था कि नियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनुरक्षित किया जाए। तथापि, यह पाया गया था कि नियामक निकायों की निधियां तथा भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण की कुछ निधियां सरकारी लेखाओं के बाहर पड़ी हैं जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया हैः

(ए) सरकारी लेखाओं के बाहर पड़ी नियामक निकायों की निधियां

14 नियामक निकायों एवं स्वायत्त निकायों, के वार्षिक लेखाओं की संवीक्षा ने दर्शाया कि निकायों ने मार्च 2017 के अंत तक ₹6,064.08 करोड़ की निधियों को सरकारी लेखाओं से बाहर रखा जिनको शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों, सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज, लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति तथा कॉर्पस निधि आदि के माध्यम से सृजित किया गया था। 14 नियामक निकायों के विवरणों को **अनुबंध 2.3** में दिया गया है।

सरकारी खाते के बाहर निधियों के ऐसे प्रतिधारण पर संघ सरकार के लेखे हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में वर्ष 2007-08 से 2015-16 समाप्ति तक इस मुद्दे पर टिप्पणियाँ की गई थीं।

वित्त मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) में बताया (सितम्बर 2011) कि सरकारी लेखे में निधियों को प्रचालित करने हेतु भारतीय लोक लेखे के ब्याज वहन न करने वाले भाग में मुख्य शीर्ष '8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत क्रमशः सेबी और ईरडा के लिए 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) निधि' तथा 'बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (ईरडा) निधि' के नाम से अलग निधियाँ खोली जाएंगी।

सेबी तथा आईआरडीए के संबंध में, लोक लेखा में शुरू की गई सेबी सामान्य निधि 2013-14 से प्रभावी हुई थी।

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने लोक लेखा समिति के समक्ष सेबी के संबंध में अपने मौखिक प्रस्तुतीकरण में बताया (जनवरी 2016) कि मामले को एक बार फिर से विधि मंत्रालय को मामले के अंतिम निष्पादन के लिए प्रेषित किया

[1] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) का.ज्ञा.सं. एफ.1(30)-बी (ए.सी.)/2004 दिनांक 7 जनवरी 2005

गया है। अक्तूबर 2016 में सेबी के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार के खाते में सेबी की निधि रखने से सेबी की स्वायत्तता कमजोर होगी और सेबी अधिनियम के तहत परिकल्पित रुप में वैधानिक नियामकों द्वारा बाजार के शासन के मूल सिद्धांत के विरुद्ध होगा। उत्तर को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि सीजीए ने 2013-14 से प्रभावी जून 2014 में सरकारी लेखा में सेबी सामान्य निधि को सृजित किया था। हालांकि, निधि को 2016-17 के लेखाओं में भी कार्यात्मक नहीं किया गया था।

जुलाई 2017 में, डीईए ने अपने एटीएन में बताया कि दिनांक 13 अक्तूबर 2014 के एलडी अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया के विचार के अनुसार, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत सेबी अपनी निधि को सामान्य निधि से लोक निधि खाते में प्रेषण करने के लिए बाध्य नही है। इसलिए, संसद के विधान-संबंधी इरादे से हटना उचित नहीं होगा जैसा कि सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 14 में स्पष्ट दिया हुआ है।" डीईए ने आगे बताया कि अधिक अधिशेष निधियों के संचय के मामले को संबोधित करने के लिए, विभाग इस प्रभाव के लिए सेबी अधिनियम में इस स्तर तक संशोधित करने के बारे में विचार कर रहा था कि आरबीआई की तरह सेबी की अधिशेष निधियों का भारत की समेकित निधि में अंतरण किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीईए ने जुलाई 2010 में कानूनी मामला विभाग की राय को पहले से लिया था जहां कानून एवं न्याय मंत्रालय ने मत दिया था कि सेबी द्वारा प्राप्त सारी निधियां सार्वजनिक धन है और संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत परिभाषित रूप से भारत सरकार की ओर से प्राप्त सारा लोक धन लोक लेखे का भाग होगा। तथापि, एलडी महान्यायवादी के अनुवर्ती तर्क पर विधि कार्य विभाग, विधि मंत्रालय के विचार प्रतीक्षित थे।

आगे, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन एफ-I(30)-बी(एसी)/2004 दिनांक 7 जनवरी 2005 का पैराग्राफ 2(IV) यह अनुबद्ध करता है कि "नियामक निकायों की निधियां भी लोक लेखे में अनुरक्षित की जाएं लेकिन उनका इस ढंग से संचालन किया जाए जिससे उनका स्वतंत्र स्तर सुरक्षित किया जा सके"। इस प्रकार, सरकारी लेखे से बाहर लोक धनराशि का रखा जाना सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन है तथा संसद की चूक को कम करता है।

(बी) सरकारी खाते के बाहर टीआरएआई सामान्य निधि का प्रतिधारण

टीआरएआई अधिनियम, 1997 की धारा 22, में यह उल्लेख है किः

(1) एक निधि बनायी जाएगी जिसे भारत का दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि कहा जाएगा तथा इसमें जमा होंगी:

(ए) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क एवं प्रभार, तथा

(बी) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गये ऐसे अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशियां।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, इन सब राशियों को लोक लेखे के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा अनुरक्षित टीआरएआई सामान्य निधि को क्रेडिट किया जाना था।

2016-17 के दौरान टीआरएआई ने कर लगाया तथा टेलीमार्केटर के दंड (₹0.20 करोड़), ग्राहक शिक्षा शुल्क (₹1.22 करोड़) तथा वित्तीय निरूत्साहन (₹13.32 करोड़) के कारण ₹14.74 करोड़ संग्रहित किया। हालांकि, इन राशियों को टीआरएआई द्वारा रोके रखा गया था तथा कुल राशि को इसके लेखाओं में 'चालू परिसम्पत्तियों' के रूप में दर्शाया गया है तथा बचत खाते में जमा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, लोक लेखा के अंतर्गत भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि की प्राप्तियों को ₹14.74 करोड़ कम बताया गया। इस मुद्दे को 2015 की सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 50 और 2016 के प्रतिवेदन सं. 34 में भी इंगित किया गया था।

विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि टीआरएआई को यह पता करने के लिए निर्देश जारी किया गया था कि क्या वित्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त शुल्क की राशि आदि को डीओटी को प्रेषित किया गया था; यदि नहीं, तो उसे तुरंत टीआरएआई सामान्य निधि में प्रेषित किया जाए।

2.3 लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ

2.3.1 अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग

1986 में अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम को देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी के

आयात करने तथा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने तथा उसके साथ संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु आयतित प्रौद्योगिकी को अनुकूल बनाने के लिए किए गए सभी भुगतानों पर उपकर की उगाही तथा संग्रहण के प्रावधान हेतु लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 3 प्रौद्योगिकी के आयात के प्रति किए गए सभी भुगतानों पर उद्ग्रहित तथा संग्रहित किए जाने वाले उपकर के संग्रहण की ऐसी दरें जो पॉच प्रतिशत से अधिक न हों, जैसा कि केन्द्र सरकार राजपत्र में, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, का प्रावधान करता है। अधिनियम ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा संचालित की जाने वाली प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुप्रयोग हेतु एक निधि के सृजन को समर्थन किया है। निधि का अनुरक्षण सरकारी लेखे से बाहर किया जाता है तथा अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत जैसा कि 1995 में संशोधित किया गया, औघोगिक मामलों द्वारा प्रौद्योगिकी के आयात पर संग्रहित उपकर को, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों से क्रेडिट किया जाता है। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास उपकर संग्रहण का प्रबंधन किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 उदग्रहित तथा संग्रहित उपकर की प्राप्तियों को प्रारम्भ में भारत की समेकित निधि में क्रेडिट किया जाना अपेक्षित करती है तथा सरकार, संसद की स्वीकृति से विकास बैंक (इस मामले में पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) को निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित ऐसी राशि अदा करेगी।

यह पाया गया था कि 1996-97 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान ₹7,885.54 करोड़ की राशि का उपकर संग्रहित किया गया था। इसमें से, उसी अवधि के दौरान टीडीबी को सहायता अनुदान के रूप में केवल ₹609.46 करोड़ (7.73 प्रतिशत) संवितरित किए गए थे। 2016-17 में ₹1,187.24 करोड़ के कुल संग्रहण में से केवल ₹30.30 करोड़ अर्थात 2.55 प्रतिशत टीडीबी को अनुदान के रूप में प्रदान किया गया था। टीडीबी ने, इसके बदले सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास कर रहे अथवा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने हेतु आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने से संबंधित औद्योगिक मामलों हेतु ₹1,407.49 करोड़ की वित्तीय सहायता तथा ऋण संवितरित किए।

अपेक्षित उद्देश्यों हेतु प्राप्तियों के कम उपयोग तथा संग्रहित की जा रही दर पर उपकर की उगाही के मुद्दे को पिछले वर्ष के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी उठाया गया था।

उत्तर में, टीडीबी ने बताया (जून 2017) कि मंत्रालय द्वारा टीडीबी को आर एवं डी उपकर नहीं जारी किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि टीडीबी ने कई बार आर एवं डी निधि से अतिरिक्त बजट आबंटन मांगते हुए विभिन्न अवसरों पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संपर्क किया था। हालांकि, जून 2017 तक कोई अतिरिक्त निधियां टीडीबी को आवंटित नहीं की गई थीं।

टीडीबी को आरएवंडी उपकर निधि को जारी न करने का परिणाम उपकर का कम उपयोग हुआ है।

2.3.2 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष

दिनांक 11 फरवरी, 2016 की पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अधिसूचना अनुबंध करती है कि सभी सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर पर वसूला गया स्वच्छ भारत उपकर (उपकर) को शीर्षक '8235.135- राष्ट्रीय स्वच्छता कोष' (आरएसके) एक समर्पित गैर-व्यपगत निधि को क्रेडिट किया जाना चाहिए। उसमें आगे बताया गया कि आरएसके को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा और उपकर की सारी प्राप्ति को संसद के उचित अनुमोदन के पश्चात् आरएसके को क्रेडिट किए जाते है। इस प्रकार, आरएसके को अंतरित उपकर की प्राप्ति (i) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और (ii) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आरएसके में एकत्रित निधियों को 80:20 के अनुपात में दो उप-मिशनों अर्थात् स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहर) द्वारा उपयोग किया जाएगा।

2015-16 और 2016-17 की अवधि के लिए वित्त लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि ₹16,401.13 करोड़ (2015-16 के लिए ₹3,925.74 करोड़ और 2016-17 के लिए ₹12,475.39 करोड़) के कुल संग्रहण के प्रति**,** केवल ₹12,400 करोड़ (2015-16 के लिए ₹2,400 करोड़ और 2016-17 के लिए ₹10,000 करोड़) आरएसके को क्रेडिट किया गया था। इसका परिणाम आरएसके में ₹4,001.13 करोड़ की उपकर प्राप्तियों के कम अंतरण में हुआ है। नियमावली ने अनुबंध किया कि आरएसके के संसाधनों को स्वच्छ भारत

मिशन (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के बीच 80:20 के अनुपात में संवितरित किया जाना था। तथापि पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु कोई प्रावधान छोड़े बिना पूर्ण राशि को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर व्यय किया। इसके अतिरिक्त, 2016-17 के दौरान, चूंकि आरएसके का अथ शेष ₹159.42 करोड़ की राशि से प्रतिकूल था इसलिए 2015-16 तथा 2016-17 में ₹12,400 करोड़ की प्राप्ति की कुल राशि के व्यय का परिणाम ₹159.38 करोड़ का प्रतिकूल शेष रहने में हुआ।

2.3.3 माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी) को माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वित्त अधिनियम, 2007 में प्रारम्भ किया गया था।

2006-07 से 2016-17 की अवधि के संघ के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹83,497 करोड़ के एसएचईसी का कुल सग्रंहण किया गया था और लोक लेखा में बिना कोई आरक्षित निधि का सृजन करते हुए सीएफआई में क्रेडिट किया जा रहा है।

प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा उपकर के मामले में प्राथमिक शिक्षा कोष के सृजन के विपरीत एसएचईसी के लिए, न तो एसएचईसी की प्राप्तियों को जमा करने हेतु एक निधि को नामित किया गया था और न ही कोई चयनित योजनाएं थीं जिन पर उपकर प्राप्तियों का व्यय किया जाना था। परिणामस्वरूप, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना, जैसा कि वित्त अधिनियम में अभिकल्पित है, पारदर्शी रूप से पता लगाने योग्य नहीं था।

निधि को सृजित न करने तथा योजनाओं का चयन न करने के मामले को पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उजागर किया गया था परंतु यह प्रवृत्ति निरंतर है।

2.3.4 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

आयात किए गए कोयले तथा भारत में उत्पादन किए गए कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर की उगाही करके स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं परिवर्तनात्मक परियोजनाओं के निधीयन हेतु 2010-11 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) की स्थापना की गई थी।

वर्ष 2010-11 से 2016-17 के दौरान स्वच्छ ऊर्जा उपकर[2] संग्रहण, कुल ₹53,967.23 करोड़ किया गया था। इसके प्रति, लोक लेखा में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि[3] को लेखाशीर्ष 2810.797 - आरक्षित निधि को अंतरण के माध्यम से केवल ₹15,483.21 करोड़ (28.69 प्रतिशत) का ही अंतरण किया गया था जिसका परिणाम चिन्हित निधि को ₹38,484.02 करोड़ (71.31 प्रतिशत) तक उपकर के कम अंतरण में हुआ।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि मंत्रालयों/विभागों की अवशोषण/उपयोग क्षमता को ध्यान में रखते हुए एनसीईएफ को अंतरण किया जाता है। मंत्रालय ने आगे बताया कि स्थायी वित्त समिति ने 2014-15 के अनुदानों हेतु मांग पर अपने प्रतिवेदन सं. 2 (16वीं लोक सभा) में दो वर्षों से अधिक से पड़ी अप्रयुक्त निधियों/व्यर्थ निधियों को भारत की समेकित निधि को अंतरित करने की सिफारिश की जिससे कि निधियों का अन्य प्राथमिकता वाली योजनाओं हेतु उपयोग किया जा सके।

मंत्रालय का उपरोक्त उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा उपकर के उदग्रहण के माध्यम से उत्पन्न निधियों को सीएफआई के अंतर्गत बजट प्रावधान बनाकर निधि (भारत के लोक लेखे में अनुरक्षित) को अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

2013, 2014 के सीएजी के प्रतिवेदन सं.1, 2015 के प्रतिवेदन सं. 50 तथा 2016 के प्रतिवेदन सं. 34 में मामले को इंगित किया गया था परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2.3.5 केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) को उपकर का कम अंतरण

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2004 का पैरा 4 अनुबद्ध करता है कि धारा 3 के तहत् वसूले उपकर की प्राप्तियों को पहले भारत की समेकित निधि में क्रेडिट किया जाएगा तथा यदि संसद इस संबंध में विधि द्वारा किए विनियोग के माध्यम से प्रावधान करती है तो केन्द्र सरकार, संग्रहण के व्ययों की कटौती करने के पश्चात केवल इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु उपयोग किए जाने के लिए समय-समय पर ऐसी प्राप्तियों का सीआरएफ को क्रेडिट कर सकती है।

2 एम.एच. 0038.03.112- स्वच्छ ऊर्जा उपकर

3 एम.एच. 8235.129- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे, विवरणी सं. 8 की जांच से पता चला कि ₹2,43,081.78 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति लोक लेखे में सीआरएफ (शीर्ष 8224.00.101) को केवल ₹1,94,951.07 करोड़ का अंतरण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹48,130.71 करोड़ का कम अंतरण किया गया था।

चूंकि उपकर की एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु वसूली की जाती है, इसलिए पूर्ण उपकर संग्रहण को लोक लेखे में नामित निधि को अंतरित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर टिप्पणी वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 और 2015 के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 50 और 2016 के प्रतिवेदन सं. 34 में निरंतर रूप से की जा रही है।

2.3.6 लोक लेखे में अन्य चिन्हित निधियों को उपकर का कम अंतरण

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे की विवरणी सं. 8 एवं 13 की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान कुछ मदों पर एकत्रित कुल ₹8,376.76 करोड़ के उपकर को लोक लेखे में चिन्हित निधियों को पूर्ण रूप से अंतरित नहीं किया गया था। उपकर के कम अंतरण के विवरण **तालिका 2.1** में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: उपकर का कम अंतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उपकर की प्राप्ति		लोक लेखे को अंतरण		कम अंतरण
	उपकर/प्राप्ति शीर्ष का नाम	राशि	निधि का नाम	राशि	
1	प्राथमिक शिक्षा उपकर	20219.88	प्रारंभिक शिक्षा कोष (8229.127)	19732.47	487.41
2	चीनी पर उपकर (0038.04.119)	2881.61	चीनी विकास निधि (8229.00.105)	2312.81	568.80
3	कृषि कल्याण उपकर (00.03.507/0044.507)	8379.16	कृषि कल्याण कोष (8235.00.141)	3596.28	4782.88
4	चाय पर उपकर (0038.04.103)	62.28	चाय क्षेत्र हेतु विकास निधि (8229.126)	0.00	62.28
5	स्वच्छ भारत उपकर (0044.506)	12475.39	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (8235.135)	10000.00	2475.39
कुल		**44018.32**		**35641.56**	**8376.76**

कृषि कल्याण उपकर के कम अंतरण के मामले में, कृषि मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि मुख्य शीर्ष 2416 और 2435 के अंतर्गत लेखे शीर्ष के अनुमोदन न किए जाने के कारण अनुपूरक अनुदान में प्राप्त संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित किया गया था। स्वच्छ भारत उपकर के कम अंतरण के मामले में, मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि शेष राशि को 2017-18 में अंतरित किया जाएगा।

2.3.7 आरक्षित निधि से संवितरित राशियों में विसंगतियां

शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं में वसूलियों की विवरणियों में दर्शाए जाने वाले सभी "आरक्षित निधि से किए गए व्यय को हटाकर" का वित्त लेखे की विवरणी सं. 13 में लेखाओं के इसी शीर्ष के अंतर्गत लोक लेखे से संवितरण के साथ मिलान किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उतनी ही राशि को उस पर व्यय के रूप में रिकार्ड किया जा सके।

तालिका 2.2 आरक्षित निधि से संवितरित राशियों में विसंगतियां

(₹करोड़ में)

निधि से व्यय की गई राशि			लोक लेखे से संवितरित राशि		अंतर
विवरणी सं.9 और 10 में शीर्ष/नाम		राशि	निधि का नाम	राशि	
केन्द्रीय सड़क निधि से व्यय की गई राशि	3054.01.903, 3054.04.903, 3054.80.903, 3601.02.903, 3601.02.907, 3602.02.903, 5054.01.903.	48590.38	केन्द्रीय सड़क निधि (8224.00.101)	48974.16	383.78
राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से व्यय की गई राशि	5054.01.902	7572.29	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि (8225.01.101)	7574.63	2.34

जैसा उपर्युक्त **तालिका-2.2** में उजागर किया गया है कि केन्द्रीय सड़क निधि और राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से क्रमशः ₹383.78 करोड़ और ₹2.34 करोड़ की राशि अधिक संवितरित हुई थी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि वह गलत वर्गीकरण के कारण हुआ था और वित्त वर्ष 2017-18 में ठीक कर लिया जाएगा।

2.3.8 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल अंत शेष

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को बीड़ी स्थापनाओं में लगे व्यक्तियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु उपायों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत लोक लेखे[4] में सृजित किया गया था। इस उद्देश्य हेतु, सरकार ने उत्पादित बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क के रूप में एक उपकर को प्रारम्भ किया। उपकर के संग्रहण को प्रांरम्भ में सीएफआई को क्रेडिट किया जाता है तथा बाद में विनियोग के माध्यम से लोक लेखे में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।

निधियों में से प्राप्तियों से काफी अधिक व्यय होने के कारण वर्षों से बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में प्रतिकूल शेष हुआ था। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में व्यय, प्राप्तियों तथा अंत शेष के संबंध में समग्र स्थिति, जैसा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विनियोग लेखे के साथ चिन्हित निधि लेखे ने उजागर किया है, को **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल अंत शेष

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था, जो कि 2012-13 में (-)₹200.46 करोड़ से 2016-17 में (-)₹210.97 करोड़ तक बढ़ गया।

---

[4] एमएच 8229.200 - अन्य विकास तथा कल्याण निधि

इस मामले पर 2011-12 से 2015-16 को समाप्त वर्षों हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संघ सरकार के लेखे पर प्रतिवेदन में टिप्पणी भी की गयी थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2017) में स्वीकार किया कि इस निधि के अंतर्गत प्रतिकूल शेष प्राप्तियों से अधिक व्यय में उच्चतर प्रावधान होने के कारण था।

2.3.9 '6001.106-प्रतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड' के अंतर्गत बहुत पुराने शेष

वर्ष 2016-17 के लिए विवरणी सं. 14 और 14-ए की संवीक्षा से पता चला कि विवरणी सं.14-ए में 'प्रतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड उचंत लेखाओं' के अंतर्गत ₹19.21 करोड़ की राशि पड़ी हुई थी जिसमें से वर्ष 1965 या उससे पूर्व से संबंधित ₹2.36 करोड़ की राशि विभिन्न प्रकारों के बॉन्डों के प्रति दर्शायी गई थी जैसाकि **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: '6001-106-प्रतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड' के अंतर्गत बहुत पुराने शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बॉन्डों का नाम	31-3-2017 को क्रेडिट शेष
1	पीपी बॉन्ड 1963	0.57
2	पीपी बॉन्ड 1964	0.61
3	5 वर्षीय ब्याज मुक्त पुरस्कार बॉन्ड 1965	1.18
	कुल	**2.36**

डाक विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि यह वित्त लेखाओं में दर्शाए जाने वाले बहुत पुराने शेष थे तथा वह क्रेडिट शीर्ष '6001.106-केन्द्र सरकार के आन्तरिक ऋण प्रतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड' के अंतर्गत प्रतिपूर्ति और बॉन्डों का भाग थे। इसके अतिरिक्त, बॉन्डों के विवरण उपलब्ध नहीं थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन बॉन्डों के दावा न किए गए शेष सामान्यः अपनी परिपक्वता तिथि से 20 वर्षों के लिए सरकारी खाते में पड़े रहते हैं जिसके पश्चात् शेषों का अंतरण शीर्ष '0075.800-विविध सामान्य सेवाएं-अन्य प्राप्तियां' में क्रेडिट द्वारा राजस्व में अंतरण कर दिया जाता था। इन पुराने शेषों के निपटान हेतु विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

2.4 डाटा प्रमाणिकता एवं पुर्नमिलान मामले

2.4.1 मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना सीएफआई को ₹6,927 करोड़ का अंतरण

'मंत्रिमंडल टिप्पणियां लिखने पर पुस्तिका' में शीर्षक 'भारत सरकार के कार्यों का निपटान' के भाग-I के अंतर्गत मद 8: 'कुछ आरंभिक मुद्दे' निर्धारित करता है कि मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व में लिया गया निर्णय प्रस्ताव से भिन्न या बदले जाने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ए) सुरक्षा प्रतिदान निधि से संबंधित ₹5,000 करोड़ का सीएफआई को अंतरण

संघ सरकार ने वित्त वर्ष 2007-08 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के अधिकार मुद्दे पर ₹9,996 करोड़ का निवेश किया था। कैश ड्रॉ डॉऊन की बजाय सरकार ने विशेष प्रतिभूतियां (मुख्य शीर्ष 8012.00.120- राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के अंतर्गत) जारी करके लोक लेखे में देयता सृजित की है। इन प्रतिभूतियों को भविष्य में 'सुरक्षा प्रतिदान निधि' (एसआरएफ) सृजित करके, भारत की समेकित निधि (एमएच 3465.01.797- आरक्षित निधि को अंतरण) को लोक लेखे में निधियों का अंतरण करके छुडाया जा सकता है।

वर्ष 2008-09 से 2015-16 के दौरान, ₹625 करोड़ को सुरक्षा प्रतिदान निधि को योगदान के प्रति दर्ज किया गया था। ₹5000 करोड़ के संचित शेष को उचंत शीर्ष के अंतर्गत रखा गया था। वर्ष 2011-12, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 हेतु सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए जाने के बावजूद भी निधियों को लोक लेखे में एसआरएफ को क्रेडिट नहीं किया गया था।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपने एटीएन में बताया (मई 2017) कि बैंक में सामान्य शेयरों को जारी करने के अधिकार को अंशदान के प्रति एसबीआई को प्रतिदान को जारी करने के प्रति भारत के लोक लेखे में एसआरएफ को सृजित किया जाना था। प्राधिकृत लेखा शीर्ष की आवश्यकता के लिए लोक लेखे में एसआरएफ औपचारिक रूप से गठित नहीं किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि महानियंत्रक लेखा (सीजीए) यह कहते हुए कि

प्रतिभूतियों के प्रतिदान के लिए अलग निधि के सृजन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह निधि अन्य क्रेडिट देयता सृजित करेगी, लोक लेखे में निधि सृजन के लिए सहमत नहीं हुए थे और इसलिए सुझाव दिया कि प्रतिदान प्रत्यक्ष रूप से लोक लेखे से ही हो। डीईए के बजट प्रभाग ने महानियंत्रक लेखा, को प्रस्ताव दिया (मार्च 2017) कि वह वर्तमान वित्त वर्ष में लोक लेखे से भारत की समेकित निधि को ₹5,000 करोड़ की संपूर्ण संचित शेष की वापसी कर दी जाए और निवेदन भी किया कि मुख्य शीर्ष 1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं के अंतर्गत सीएफआई में उचंत शीर्ष के अंतर्गत राशि क्रेडिट करके रखी जाएं।

लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि डीईए ने संपूर्ण राशि को वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य शीर्ष '1475.00.800-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-अन्य प्राप्ति के रूप में' के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति के रूप में संपूर्ण राशि दर्ज की थी। डीईए की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीए ने ऐसे प्रतिदान के लिए अलग निधि के सृजन के बिना सीधा लोक लेखे से प्रतिभूतियों को छुड़ाने का सुझाव दिया था। उन्होंने लोक लेखे से सीएफआई को ₹5000 करोड़ के संपूर्ण संचित शेष की वापसी करने की अनुशंसा नहीं की थी।

इसके अतिरिक्त, संचित शेष को भारत के लोक लेखे से समेकित निधि में डालने का निर्णय मंत्रिमंडल के उस निर्णय के साथ मेल नहीं खाता (नवम्बर 2007) जहां यह निर्णय लिया गया था कि एसएलआर की परिपक्वता की तिथि को निधि में उपलब्ध राशि, इन प्रतिभूतियों को छुड़ाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

(बी) सीएफआई में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से संबंधित ₹1,927 करोड़ का अंतरण

'असंगठित क्षेत्र के श्रमिक' सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के जांच के रूप में, असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि (एनएसएसएफ) की स्थापना 2010-11 में ₹1,000 करोड़ के प्रारंभिक आबंटन के साथ की गई थी। एनएसएसएफ पर बजट घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नोडल मंत्रालय था। निधि को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्मित योजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाना था। एनएसएसएफ से वित्त पोषित की जाने वाली योजनाओं की

अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

निधि का अंतरण सीएफआई से लोक लेखे में एनएसएसएफ को मुख्य शीर्ष 8235-'सामान्य एवं आरक्षित निधि'' के अंतर्गत उप शीर्ष 128- ''असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि' में किया जाना था। योजनाओं के प्रबंधन के लिए समिति द्वारा अनुशंसित और मंत्रिमंडल/आर्थिक कार्य मंत्रीमण्डल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित राशि को चिन्हित योजनाओं के प्रति विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों के लिए मांग में प्रदान किया जाना था। विशेष योजनाओं के लिए प्रदत्त राशि को संबंधित मंत्रालय द्वारा एनएसएसएफ से आहरित किया जाना था और कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना था।

संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2016-17 के दौरान एनएसएसएफ के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था। एनएसएसएफ में पड़ी हुई राशियां प्रारंभ से ही अर्थात् 2010-11 से 2015-16 तक उपयोग में नहीं लाए गए थे और ₹1,927 करोड़ तक अप्रयुक्त निधियों का संचय हो गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016-17 के दौरान, एनएसएसएफ के अंतर्गत लोक लेखे में पड़े हुए ₹1,927 करोड़ की संपूर्ण अप्रयुक्त/संचित राशि की मार्च 2017 में आर्थिक मामला विभाग द्वारा वापसी की गई थी और लघु शीर्ष '0235.60.800-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-अन्य प्राप्तियां' को क्रेडिट किया गया था। इस संदर्भ में, डीईए से सूचना देने के लिए कहा गया कि क्या सीएफआई को ₹1,927 करोड़ की राशि की वापसी करने से पूर्व मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

2.4.2 आरक्षित निधियों से वापसी के लिए अनुचित लेखांकन प्रक्रिया

संघ सरकार ने आरक्षित निधियों से सीएफआई को शेष का अंतरण करने का निर्णय लिया था। खदान कल्याण निधि और सिने कर्मचारी कल्याण निधि के मामलों में, उपकरों को समाप्त किए जाने के कारण निधियां बंद कर दी गयी हैं।

तालिका 2.4: आरक्षित निधियों से वापसी के लिए अनुचित लेखांकन प्रक्रिया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निधि	2016-17 के दौरान प्राप्ति	2016-17 के दौरान संवितरण	टिप्पणी
1.	8229.114-खदान कल्याण निधि	-314.55	22.44	₹336.99 करोड़ (ऋणात्मक प्राप्ति के माध्यम से ₹314.55 करोड़ और संवितरण के माध्यम से ₹22.44 करोड़) की राशि सीएफआई को क्रेडिट की गई थी।
2.	8229.115-सिने कर्मचारी कल्याण निधि	-6.44	0.95	₹7.39 करोड़ (ऋणात्मक प्राप्ति के माध्यम से ₹6.44 करोड़ और संवितरण के माध्यम से ₹0.95 करोड़) की राशि सीएफआई को क्रेडिट की गई थी।
3.	8235.113-राष्ट्रीय नवीकरण निधि	-17.70	0.00	ऋणात्मक प्राप्ति के माध्यम से ₹17.70 करोड़ की राशि शीर्ष 0852 के अंतर्गत सीएफआई को क्रेडिट किया गया था।
4.	8235.128-असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	0.00	1927.00	संवितरण के माध्यम से ₹1,927 करोड़ की राशि को सीएफआई को क्रेडिट किया गया था।
5.	8235.200-अन्य निधियां	0.00	1500.00	संवितरण के माध्यम से ₹1,500 करोड़ की राशि को शीर्ष 0235.60.800 के अंतर्गत सीएफआई को क्रेडिट किया गया था।
	कुल	**-338.69**	**3450.39**	

तालिका 2.4 दर्शाता है कि ₹3,789.08 करोड़ (₹338.69 करोड़ + ₹3,450.39 करोड़) की राशि को ऋणात्मक प्राप्ति के साथ संवितरण के माध्यम से लोक लेखे में आरक्षित निधियों से अंतरण किया गया था और 2016-17 के दौरान संघ सरकार से गैर-कर प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार, लेखांकन प्राधिकारियों ने निधियों के अंतरण के लिए दो भिन्न प्रक्रियाओं के लिए अपनाया है।

सीजीए ने बताया (सितम्बर 2017) कि लोक लेखे से सीएफआई में वापसी के लिए कोई विशेष लेखांकन प्रक्रिया नहीं थी। डीईए और वित्त मंत्रालय की सलाह से मंत्रालय/विभागों में मामला दर मामला आधार पर मामले का निपटान किया जाना था।

2.4.3 निष्क्रिय आरक्षित निधियां और जमा

निधियां और जमा लोक लेखे का भाग बनते है जिनमें वह लेन-देन जहां सरकार की देयता होती है प्राप्त धन को चुकाने की और उनके पुनर्भुगतान दर्ज किए जाते हैं। आरक्षित निधि का सृजन सामान्य रूप से विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाली राशि का भारत की समेकित निधि से लोक लेखे में अंतरण किया जाना शामिल है। दूसरी ओर, सरकार के जमा जमाकर्ता द्वारा सुरक्षा के रूप में किया गया है और/या फिर जमाकर्ता की ओर से सरकार द्वारा कुछ कार्य करने के लिए किया गया है। निष्क्रिय निधियां/जमा वह निधियां या जमा है जोकि काफी लंबी अवधि से उपयोग में नहीं लाए गए और उनका उपयोग समाप्त हो गया है। लोक लेखे में ऐसे निष्क्रिय निधियों/जमा को बंद करने की आवश्यकता है और उनमें पड़े हुए शेषों की वापसी भारत की समेकित निधि को की जानी चाहिए।

वित्त लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि 2016-17 के अंत तक ₹703.68 करोड़ के कुल शेष वाले 40 निधियां/जमा[5] जैसाकि **अनुबंध 2.4** में निहित है आठ से लेकर 28 वर्षों की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े हुए थे। अधिकतर मामलों में लघु शेष पड़े हुए थे तथा उनकी निरंतरता कोई उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। इन मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए और भारत की समेकित निधि में शेषों को क्रेडिट करके बंद करने के बारे में सोचना चाहिए।

सीजीए ने बताया (सितम्बर 2017) कि वह संबंधित लेखांकन प्राधिकारियों को लिख रहे थे। गृह मंत्रालय, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय और सीएएए विभाग ने निष्क्रिय आरक्षित निधियों के मामले स्वीकार किए है।

2.4.4 अन्य विसंगतियां

2.4.4.1 गारंटी शुल्क में विसंगतियां

संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत संघ सरकार सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, यूटी/राज्य सरकार, स्थानीय निकायों आदि की ओर से उन सीमाओं, यदि कोई हो, जैसी संसद द्वारा विधि से निर्धारित की गई हो, के भीतर गांरटी प्रदान करेगी। इन गारंटियों के प्रति, संघ सरकार गारंटी से गारंटी कमीशन/शुल्क प्राप्त करती है।

[5] नौ आरक्षित निधियां, 26 जमा और पांच अन्य देयताएं

(ए) गारंटी शुल्क दर्शाने का मेल न खाना

विवरणी सं. 4 2016-17 के दौरान प्राप्त गारंटी कमीशन/शुल्कों के रूप में ₹983.12 करोड़ की राशि दर्शाती है जबकि विवरणी सं. 8 शीर्ष 0075.108 - गारंटी शुल्क के अंतर्गत ₹988.53 करोड़ का आंकड़ा दर्शाती है।

सीजीए ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि विवरणी सं.4 तथा विवरणी सं. 8 के बीच गारंटी शुल्क में अंतर विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों में अंतर के कारण है तथा मामले को विद्युत मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

(बी) गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति

सात मंत्रालयों/विभागों में 2016-17 के दौरान ₹1,021.02 करोड़ की राशि तक गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति है, जैसाकि **तालिका 2.5** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.5 गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	प्राप्य गारंटी शुल्क	प्राप्त गारंटी शुल्क	गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति
राजस्व	8.00	0.00	8.00
उद्योग	15.97	2.53	13.44
भेषजी	77.95	0.00	77.95
नागरिक उडडयन	1036.05	117.15	918.90
आर्थिक कार्य	177.54	174.94	2.6
एमएसएमई, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.32	0.24	0.08
वाणिज्य	0.05	0.00	0.05
कुल	**1315.88**	**294.86**	**1021.02**

सीजीए ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति के मामले से संबंधित मंत्रालय/विभाग अच्छी तरह से अवगत हैं।

2.4.4.2 संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में कमियां

संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैठकों और सोसायटियों में निवेश, निवेश का वर्ष, शेयर का प्रकार एवं संख्या, शेयर का अंकित मूल्य, निवेशित कुल राशि, सरकारी अंश की प्रतिशतता सीपीएसई में सरकारी निवेश में विसंगतियों में वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति की राशि जैसे विवरण प्रदान करती है।

वि.व. 2016-17[6] हेतु विवरणी सं.11 में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई है जैसा **तालिका 2.6** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.6: सीपीएसई में सरकारी निवेश में विसंगतियां

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	अभ्युक्ति	टिप्पणियां
1.	भारत डायनोमिक्स लि. हैदराबाद	संघ सरकार के वित्त लेखे 2016-17 के अनुसार 31 मार्च 2017 को प्रगामी निवेश ₹97.75 करोड़ था जबकि महानियंत्रक रक्षा लेखा (सीजीडीए) के अनुसार प्रगामी निवेश ₹122.18 करोड़ था।	सीजीडीए ने बताया (अक्तूबर 2017) कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में भारत की संघ सरकार का निवेश 31.03.2016 को ₹97.75 करोड़ से 31.03.2017 को बढ़कर ₹122.18 करोड़ 2016-17 के दौरान जारी हुए बोनस शेयरों के कारण हुआ था। सीजीडीए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभ्युक्ति सीजीडीए और सीजीए के आंकड़ों में अंतर से संबंधित थी जिनका पुनर्मिलान अब तक नहीं किया गया है।
2.	मझगांव डॉक लि. मुंबई	संघ सरकार के वित्त लेखे 2016-17 के अनुसार 31 मार्च 2017 को प्रगामी निवेश ₹199.20 करोड़ था जबकि सीजीडीए के अनुसार प्रगामी निवेश ₹249 करोड़ था।	सीजीडीए ने बताया (अक्तूबर 2017) कि 31.03.2017 को मझगांव डॉक लिमिटेड का कुल प्रदत्त शेयर पूंजी ₹249 करोड़ है जो पूंजी विमोचन रिजर्व (सीआरआर) को पूंजीकृत करके वि.व. 2016-17 के दौरान 1:4 के अनुपात में जारी बोनस शेयरों के कारण है जबकि सरकार को निवेश की लागत ₹199.20 करोड़ पर रही है। सीजीए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभ्युक्ति सीजीडीए और सीजीए के आंकड़ों में अंतर से संबंधित थी जिनका पुनर्मिलान अब तक नहीं किया गया है।
3.	ब्रैंथवैट एण्ड कम्पनी लि.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 18 नवम्बर 2015 द्वारा कम्पनी समावेश नियमावली - 2014 के नियम 29 के अनुसार 18 नवम्बर 2015 से कम्पनी का नाम "ड ब्रैथवैट बर्न एण्ड जेसाोप कंस्ट्रकशन कम्पनी लिमिटेड" में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए नाम को जांचने तथा सही किए जाने की आवश्यकता है।	सीजीए ने बताया (अगस्त 2017) कि रेल मंत्रालय ने अपनी विवरणी सं. 11 में कम्पनी को इसके पुराने नाम से दर्शाया था। ड्राफ्ट यूजीएफए 2016-17 में परिवर्तन रेल मंत्रालय द्वारा इसके लिए प्रस्ताव करने के पश्चात किए जाएंगे। रेल मंत्रालय को निवेश जारी कर दिया गया था। उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।
4.	जीईडीएसएल प्राईवेट लि.	पूरा नाम प्रदान किया जाना है तथा शेयरों का अंकित मूल्य प्रदान किया जाना है। विवरणी सं. 10 में इसका प्रभाव को स्पष्ट किया जाए।	सीजीए ने बताया (अगस्त 2017)कि रेल मंत्रालय को निर्देश दे दिया गया था उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

[6] जहां कहीं 2016-17 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहां 2015-16 की तुलना की गई है

	पीएसयू का नाम	सरकारी अंश का अंकित मूल्य (₹करोड़ में)		टिप्पणियां
		2015-16 के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 के अनुसार	सीपीएसयू के 2015-16 के वार्षिक लेखाओं के अनुसार	
5.	हिन्दुस्तान जैव रसायन लिमिटेड	309.50	39.48	विवरणी सं. 11 में 2015-16 की समाप्ति पर ₹270.02 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन।
6.	उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	637.77	582.36	विवरणी सं. 11 में 2015-16 की समाप्ति पर ₹55.41 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन।
7.	एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	85.90	58.70	विवरणी सं. 11 में 2015-16 की समाप्ति पर ₹27.20 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन।
8.	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड	168.61	80.03	विवरणी सं. 11 में 2015-16 की समाप्ति पर ₹88.58 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन।
9.	भारतीय पॉवर ग्रिड निगम लिमिटेड	2925.01	3028.84	विवरणी सं. 11 में 2015-16 की समाप्ति पर ₹103.83 करोड़ तक सरकारी निवेश का कम कथन।
10.	हिंदुस्तान टेलीप्रिंटरस लिमिटेड चेन्नई	18.90	3.90	विवरणी सं. 11 में 2015-16 के अंत तक ₹15.00 करोड़ तक अधिक बताया गया है।
11.	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि.	59.95	60.00	विवरणी सं. 11 में 2015-16 के अंत तक ₹0.05 करोड़ तक कम बताया गया है।
		2016-17 के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 के अनुसार	**2016-17 के सीपीएसई के वार्षिक लेखे के अनुसार**	
12.	भारतीय दूरभाष उद्योग लि., बैंगालुरू	542.09	530.89	सीपीएसई की तुलना में, विवरणी सं. 11 में 2016-17 के अंत तक ₹11.20 करोड़ तक अधिक बताया गया है।
13.	महानगर दूरभाष निगम लि.	354.37	354.38	सीपीएसई की तुलना में, विवरणी सं. 11 में 2016-17 के अंत तक ₹0.006 करोड़ तक कम बताया गया है।

उजागर कमी का निपटान करने हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय सहित सीजीए द्वारा अतिशीघ्र प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(ए) वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं के अनुबंध ग में निवेश को दर्शाने में भिन्नता

वित्त वर्ष 2016-17 हेतु संघ सरकार वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 और विनियोग लेखे के अनुबंध-ग में संघ सरकार का निवेश दर्शाया गया है। दोनों की तुलना करने पर यह पाया गया था कि निवेश के रूप में दर्शायी गयी राशि में भिन्नता थी जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.7** में दिया गया है:

तालिका 2.7: सरकारी निवेश को दर्शाने में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय	कम्पनी का नाम	निवेश		सीजीए का उत्तर (नवम्बर 2017)
			यूजीएफए	अनुबंध- ग	
1.	वित्त	एसआईडीबीआई	शून्य	100.00	इसे वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी विवरणी सं. 11 में निवेश के रूप में नहीं लिया गया था इसलिए वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया गया था।
2.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा	शून्य	100.00	एससीटी के अनुसार, शीर्ष 4810.00.190 के अंतर्गत निवेश किया गया था और 4810.00.902 के अंतर्गत दर्ज करके व्यय किया गया था परंतु इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपनी विवरणी सं. 11 में निवेश के रूप में नहीं लिया गया था। इसलिए यह वित्त लेखे के विवरणी सं. 11 का भाग नहीं बना था।
3.	पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस	भारतीय गैस प्राधिकरण	शून्य	450.00	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसे अपनी विवरणी सं. 11 में निवेश के रूप में नहीं लिया गया था इसलिए इसे वित्त लेखाओं में भी नहीं दर्शाया गया था। इसे पी एवं एनजी मंत्रालय के समक्ष इंगित भी किया गया था परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।
4.	विद्युत	एनटीपीसी	40.00	45.66	शीर्ष 4801.01.190 के अंतर्गत तेहरी हाइड्रो में निवेश किया था। अनुबंध 'ग' शीर्ष 4801.02.190 के अंतर्गत की गई बुकिंग से संबंधित था जिसकी **वसूली** उसी लघु शीर्ष के अंतर्गत की गई थी। उस समय से, इसे ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपनी विवरणी सं. 11 में निवेश के रूप में नहीं लिया गया था इसलिए इसे

					वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया गया था।
5.	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	30.00	22.80	निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹7.20 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया गया था 4235.02.789 ₹4.80 करोड़ 4235.02.796- ₹2.40 करोड़

(बी) ₹1,182.39 करोड़ के निवेश का कम बताया जाना

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), को चार भारत सरकार की टकसालों, दो मुद्रा प्रेसों,दो प्रतिभूति प्रेसों तथा एक प्रतिभूति पेपर मील (जिन्हें पहले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे प्रबन्धित किया जा रहा था) के प्रबंधन हेतु जनवरी 2006 में स्थापित किया गया था। उन अस्तित्वों की परिसम्पतियों तथा देयताओं, 09 फरवरी 2006 को मौजूद, को एसपीएमसीआईएल की बहियों में लिया गया था। परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के ऐसे अंतरण से उजागर अंतर को वित्त मंत्रालय के निर्णय के अनुसार अदा/समायोजित किया जाना था। नौ वर्षो के बीत जाने के पश्चात, आर्थिक कार्य विभाग (फरवरी 2015) ने अपनी पूंजी संरचना को अंतिम रूप दिया। तद्नुसार ₹2,364.88 करोड़ की कुल देयता (सीपीएमसीआईएल द्वारा देय) को ₹1,182.44 करोड़ की 50 प्रतिशत की सरकारी इक्विटी तथा ₹1,182.44 करोड़ के 50 प्रतिशत के कर्ज (25 वर्षो में देय) के बीच विभाजित किया गया था।

₹1,182.44 करोड़ की सरकारी इक्विटी के संबंध में वर्ष 2016-17 के दौरान, डीईए ने अपनी विवरणी सं. 11 में ₹1,182.44 करोड़ के रूप में एसपीएमसीआईएल में इक्विटी की राशि को दर्शाया जबकि संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में ₹0.05 करोड़ के रूप में दर्शाया गया था जिसका परिणाम निवेश को ₹1,182.39 करोड़ की सीमा तक कम बताए जाने में हुआ।

(सी) निवेश की अपूर्ण सूचना

विवरणी सं. 11 में निवेश के संबंध में अपूर्ण सूचना के 28 मामले है जैसा **अनुबंध 2.5** में ब्यौरा दिया गया है।

सीजीए ने बताया (अगस्त 2017) कि यह सूचना संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत की जानी है जिन्होंने निवेश किया है। प्रत्येक वर्ष समीक्षा के

दौरान उन्हें आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। आवश्यक सूचना की लंबित प्राप्ति हेतु विवरणी में इस संबंध में एक फुटनोट डाला गया है।

प्रत्येक वर्ष लंबित सूचना का फुटनोट संघ सरकार के निवेशों की संपूर्ण सूचना प्रदान नहीं करता है।

(डी) सांविधिक कम्पनियों के संबंध में लाभांशों के भुगतान में कमी

वित्त मंत्रालय द्वारा ओ.एम. सं. 5/2/2016 -नीति दिनांक 27 मई 2016 के माध्यम से जारी सीपीएसई की पूंजी पुनर्सरंचना पर दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई विधिक प्रावधानों के अनुमत अधिकतम लाभांश कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल कीमत का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो, अदा करेगा। तथापि, टेलीकम्यूनिकेशन कसलटेटंस इण्डिया लि. (टीसीआईएल) तथा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीस लि. (आईटीआई लि.) में, इन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था जिसका परिणाम 2015-16 के दौरान कुल ₹89.51 करोड़ के लाभांश के भुगतान में कमी में हुआ जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.8** दिया गया है ।

तालिका 2.8: सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं. (1)	सीपीएसई का नाम (2)	प्रदत्त पूंजी (भारत सरकार का अंश)# (3)	कर पश्चात लाभ (4)	2015-16 के दौरान घोषित लाभांश (5)	पीएटी का 30% (6)	निवल कीमत (7)	निवल कीमत 5% (8)	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश (9)	कमी (10) = (9)-(5)
1	टीसीआईएल	59.20	36.52	3.652	10.956	463.68	23.18	23.18	19.53
2	आईटीआईलि	270.09	251.19	शून्य	69.98[7]	ऋणात्मक	एनए	69.98	69.98

**स्टैंड अलोन पर टीसीआईएल के संबंध में विचार किया गया है।*
 # स्त्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखे 2015-16

मामला संचार मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 2017)। तथापि, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

[7] सरकार के पास आईटीआई लि. में 94.8 प्रतिशत है। लाभांश 92.87% का 30% पीएटी होता है (₹251.19 करोड़)।

2.4.4.3 बकाया ब्याज भुगतान

संघ सरकार के वित्त लेखाओं की विवरणी सं. 3 के भाग 1 में संघ सरकार द्वारा (i) राज्य सरकार, (ii) यूटी सरकार, (iii) विदेशी सरकारों (iv) सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों, स्थानीय निधियों, किसानों आदि तथा (v) सरकारी कर्मचारियों के कर्जे एवं अग्रिमों तथा उनके प्रति बकाया ब्याज शामिल है।

राज्य सरकारों तथा यूटी सरकारों के संबंध में ब्याज भुगतान के बकाया 2013-14 से बढ़ रहे हैं। नीचे **तालिका 2.9** 2013-14 से 2016-17 तक बकाया ब्याज भुगतानों को दर्शाती है।

तालिका 2.9: बकाया ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार	यूटी सरकार	अन्य ऋणी (सरकारी निगम,गैर-सरकारी संस्थान, स्थानीय निधियां, किसान आदि)
2013-14	1098.03	0.00	19092.48
2014-15	1389.29	302.77	46831.21
2015-16	1479.56	618.22	41073.88
2016-17	1488.21	927.48	31727.64

2016-17 के दौरान बकाया में वृद्धि राज्य तथा यूटी सरकारों के प्रति क्रमशः ₹8.65 करोड़ तथा ₹309.26 करोड़ थी। अन्य ऋणियों के मामले में बकाया राशि 2016-17 के दौरान ₹9,346.24 करोड़ तक कम हुई थीं। तथापि, यह बकाया ₹34,143.33 करोड़ कुल ब्याज का 92.93 प्रतिशत होता है।

सीजीए ने बताया (अगस्त 2017) कि विवरणी सं. 3 में दर्शाए गए आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित थे।

2.4.4.4 संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 15 में विसंगतियां/कमियां

संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 15 में संघ सरकार द्वारा तीन भागों में कर्जे एवं अग्रिमों के साथ अतिरिक्त प्रकटन शामिल है। भाग-1 में मंत्रालयों को दिया गया कर्ज एवं अग्रिम शामिल है, भाग-2 में राज्य/यूटी सरकारों से बकाया पुनर्भुगतान शामिल है और भाग-3 में अन्य ऋणी आस्तित्वों अथवा संस्थानों से बकाया पुनर्भुगतान शामिल है तथा अतिरिक्त प्रकटन वर्ष के दौरान दिए गए नए कर्जों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करता है।

विवरणी सं. 15 में पाई गई असंगति पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(ए) कर्ज तथा अग्रिमों के लेखांकन में असंगतियां

विवरणी सं. 15 के भाग -1 से पता चला कि 2000-01 से ₹28,397.01 लाख की राशि का लेखा शीर्ष '6860.04.797 -आरएफ/जमा खातों के अंतरण' में प्रतिकूल अथशेष था। 2016-17 के दौरान इस लघु शीर्ष के अंतर्गत ₹55,000 लाख की राशि संवितरित की गई थी जहां लेखा शीर्ष में पहले ही ₹28,397.01 लाख का प्रतिकूल अथशेष था। उस शीर्ष से अंतरण नहीं होना चाहिए था जहां पहले से ही प्रतिकूल अथशेष था।

उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने निधि को ₹55,000 लाख के अंतरण को सुनिश्चित किया (फरवरी 2017)

(बी) सरकारी कर्मचारियों को कर्ज एवं अग्रिम

सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की गई राशि अथवा दिए गए कर्जे प्रत्येक वर्ष घनात्मक शेष के साथ लेखे में प्रकट होते है। कुछ मामलों में, सरकारी कर्मचा ारियों को कर्ज के अधिक भुगतान को लेखे में ऋणात्मक अंत शेष के रूप में दर्शाया जाता है। बाद में, जब कर्जो एवं अग्रिमों को संकलित किया जाता है तो वह घनात्मक हो जाते है तथा साथ ही कम बताए जाते है।

2016-17 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 15 में शीर्ष "7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्जे आदि" वित्त वर्ष 2016-17 हेतु अथ तथा अंत शेष के रूप में क्रमश: ₹331.02 करोड़ और ₹194.25 करोड़ को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों की केन्द्रीय लेन-देन विवरणी (एससीटी) की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि नौ मंत्रालयों में अधिक भुगतान के कारण शीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्जों के प्रति प्रतिकूल शेष थे।

आंकड़े को निवल करने के कारण, संघ सरकार के वित्त लेखे विवरणी सं. 15 में वास्तविक आंकड़ें नहीं दर्शा रहे थे। प्रतिकूल अंतशेषों के मामले **अनुबंध 2.6** में दर्शाए गए हैं।

कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि प्रतिकूल शेष दर्शाता है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अभिदत्त कर्ज एवं अग्रिमों के प्रति अधिक वसूलियां थी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि प्रतिकूल शेष "अन्य अग्रिम" को दर्ज करने के प्रति वसूलियों के समायोजन के कारण उत्पन्न हुआ था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिकूल शेषों को सुनिश्चित किया (सितम्बर 2017) तथा बताया कि सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को शीर्ष 7610 के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों का निपटान करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दे दिया गया था।

उत्तर सरकारी कर्मचारियों को कर्जे एवं अग्रिमों के संचय के संबंध में मंत्रालयों के अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(सी) कर्जों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति क्रेडिट किया गया ब्याज

विवरणी सं. 15 के भाग 1 से पता चला कि कुछ मामलों में जबकि कर्ज एवं अग्रिमों में प्रतिकूल शेष है फिर भी ब्याज को उनके प्रति प्राप्त के रूप में दर्शाया गया है। **तालिका 2.10** उन मामलों को दर्शाती हैं जिनमें ब्याज कर्जों एवं अग्रिमों की प्रतिकूल मूल राशि के प्रति क्रेडिट किया गया था।

तालिका 2.10: कर्जों एवं अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति क्रेडिट किया गया ब्याज

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	01.04.2016 को शेष	31.03.2017 को शेष	क्रेडिट किया गया ब्याज
1.	6216.02.190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्जे	-5474.51	-5792.67	430.62
2.	6401.00.104-कृषीय फार्म	-1.41	-2.57	7.65
3.	6405.00.106-मछली पकड़ने के शिल्प का मशीनीकरण	-5.32	-5.32	0.66
4.	7610.00.203-अन्य वाहन की खरीद हेतु अग्रिम	-3936.59	-3927.07	229.79

सीजीए ने बताया कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दे दिया गया था।

(डी) कर्जों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति पुनर्भुगतान

कुछ मामलों में, यद्यपि कर्ज तथा अग्रिमों में प्रतिकूल शेष थे फिर भी उनके प्रति पुनर्भुगतान दर्शाए गए हैं। **तालिका 2.11** इन छः मामलों को दर्शाती है जिनमें कर्ज एवं अग्रिम की प्रतिकूल मूल राशि के प्रति पुनर्भुगतान किए गए है जिनका परिणाम प्रतिकूल शेषों की आगे ओर वृद्धि में हुआ।

तालिका 2.11: कर्जों एवं अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति पुनर्भुगतान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	01.04.2016 का शेष	वर्ष के दौरान कर्जों का पुनर्भुगतान	31.03.2017 का शेष
1	6215.02.800-सीवरेज तथा स्वच्छता	-208.55	4.11	-212.66
2	6216.02.190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्जे	-5474.51	318.16	-5792.67
3	6401.00.104-कृषीय फार्म	-1.41	1.16	-2.57
4	6402.00.102-मृदा संरक्षण	-77.52	0.66	-78.18
5	6425.00.108-अन्य सहकारिता को कर्जे	-8807.18	67.89	-8835.07*
6	7610.00.203-अन्य वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	-3936.59	10.78	-3927.02*

*क्र.सं. 5 तथा 6 में क्रमश: ₹40 लाख तथा ₹20.38 लाख को वर्ष के दौरान संबंधित अभिकरणों द्वारा सरकार से कर्ज के रूप में प्राप्त किया गया था।

क्र.सं. 1 के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि यह गलत वर्गीकरण के कारण था। उसने आगे बताया कि अभिलेख काफी पुराने थे तथा खो गये थे। इसका जल्द से जल्द निपटान किया जाएगा।

अन्य मामलों के संबंध में सीजीए ने बताया (सितम्बर 2017) कि मामले को संबंधित मंत्रालय/विभाग के साथ उठाया गया था।

(ई) कर्ज तथा अग्रिम के अंत शेष में अंतर

वर्ष 2016-17 हेतु विवरणी सं. 15 के अनुच्छेद 1 की संवीक्षा से पता चला कि दो मंत्रालयों में मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) तथा महालेखा नियंत्रक (सीजीए) की बहियों में कर्जों के अथ शेष में अंतर थे। **तालिका 2.12** अंतरों का ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका: 2.12 कर्ज तथा अग्रिम के अथ शेष में अंतर

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय	विवरण	शीर्ष	ओबी	सीबी
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	सीसीए	6810.00.190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	272.44	264.13
	सीजीए		203.90	195.59
पोतपरिवहन	सीसीए	7051.00.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	812.69	783.37
	सीजीए		218.08	188.76

सीजीए ने बताया (अगस्त 2017) कि संबंधित मंत्रालयों को आंकड़ों का समाधान करने को कहा गया था।

(एफ) ऋणों के बकायों के संबंध में ब्याज को न दर्शाया जाना

विवरणी सं.15 के भाग-3 से पता चला कि कुछ राज्य सरकारों तथा ईकाईयों के संबंध में प्रदान किए गए ऋणों की मूल राशि बकाया है जबकि उन ऋणों के प्रति बकाया ब्याज को दर्शाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों के ब्यौरे **तालिका 2.13** में दिए गए हैं:

तालिका 2.13: ऋणों के बकायों के संबंध में न दर्शाया गया ब्याज

क्र.सं.	इकाई का नाम	31 मार्च 2017 को कुल बकाया ऋण (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1.	गुजरात	3.16	सीजीए ने बताया (अगस्त 2017) कि संबंधित मंत्रालयों को आकड़ों का समाधान करने को कहा गया था।
2.	हिमाचल प्रदेश	0.12	
3.	कर्नाटक	2.34	
4.	केरल	1.39	
5.	मध्य प्रदेश	4.61	
6.	महाराष्ट्र	8.24	
7.	ओडिशा	1.26	
8.	पंजाब	0.27	
9.	तमिलनाडु	7.40	
10.	श्री सीताराम शुगर कम्पनी; बैथालपुर, उत्तर प्रदेश	3.48	उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि मामलों से संबंधित फाईलें लगभग 26 वर्ष पुरानी थी तथा वह शीघ्र
11.	देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया उत्तर प्रदेश	3.63	

क्र.सं.	इकाई का नाम	31 मार्च 2017 को कुल बकाया ऋण (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
12.	राजा बुलन शुगर लि. रामपुर, उत्तर प्रदेश	1.06	पता लगाने योग्य नहीं थीं। इस मामले को 2015 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 50 तथा 2016 के प्रतिवेदन सं.34 में भी उजागर किया गया था।
13.	हिन्दुस्तान मशीन टूल लि.	54.60	सीजीए ने बताया (जुलाई 2017) कि मामले को स्पष्टीकरण हेतु मंत्रालय के साथ उठाया गया था

(जी) 20 वर्षों से अधिक के लिए बकाया में ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2016-17 हेतु संघ सरकार द्वारा तैयार विवरणी सं. - 3 एवं विवरणी सं. - 15 के भाग 2 एवं 3-ऋणों तथा अग्रिमों ने दर्शाया कि 31 मार्च 2017 को राज्य/यूटी सरकार तथा अन्य ईकाईंयों के प्रति बकाया कुल ऋण ₹2,62,177.59 करोड़ था। इसमें से ₹25,943.30[8] करोड़ के पुनर्भुगतान को 1 से 50 वर्षों के बीच बकाया में ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹25,943.30 करोड़ की राशि में से ₹11,302.46 करोड़ (43.57 प्रतिशत) गैर-वसूली के कारण 20 वर्षों (₹10 करोड़ से अधिक मामलों) से अधिक बकाया रहा था। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए मूल राशि पर ब्याज होने से ₹25,540.37 करोड़ की राशि भी बकाया में रही। यह दर्शाता है कि ऋणों तथा अग्रिमों की भारी राशि के बकाया हैं **(अनुबंध 2.7)**।

सीजीए ने बताया (जुलाई 2017) कि मूल तथा ब्याज राशि की गैर-वसूली के कारणों की संबंधित मंत्रालय/विभाग से मांग की गई थीं।

2.4.5 सीमा-शुल्क प्राप्तियों का कम बताया जाना

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अग्रिम सीमा-शुल्क प्राप्ति जो किसी भावी अवधि से संबंधित हो, को लोक लेखे के अंतर्गत एक उचंत शीर्ष (8658.136 - प्राप्ति शीर्ष को अंतरण हेतु प्रतीक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियां) के अंतर्गत रखा जाता है। अग्रिम प्राप्तियों को भारतीय समेकित निधि में उस वर्ष में क्रेडिट किया जाता है जिससे यह संबंधित है।

[8] ₹1,850.22 करोड़ राज्यों तथा ₹2,078.82 करोड़ यूटी के प्रति लंबित है तथा ₹22,014.26 करोड़ ऋणी इकाईंयों या संस्थानों के प्रति लंबित है।

वित्त लेखे की संवीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अथ शेष के रूप में उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹19.73 करोड़ उपलब्ध थे। इसे सीएफआई में सीमा शुल्क प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना था। तथापि, केवल ₹1.27 करोड़ की राशि का 2016-17 के दौरान निपटान किया गया था तथा ₹18.46 करोड़ का अंत शेष उचंत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज रहा था। इसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹18.46 करोड़ तक भारत सरकार की सीमा शुल्क प्राप्तियों के कम बताए जाने में हुआ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बताया (अगस्त 2016) कि इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना एक निरतंर प्रक्रिया थी तथा यह राशि 2017-18 के दौरान अंतिम शीर्ष में अंतरित कर दी जाएगी।

सीबीईसी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2014-15 से इस शीर्ष के अंतर्गत कोई प्राप्ति नहीं रही है तथा 2014-15 के दौरान ₹20.75 करोड़ के पूर्ण अंत शेष का 2015-16 में ही सीएफआई को अंतरण किया जाना था।

2.5 लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

संघ सरकार के वित्त लेखे 2016-17 की परिशुद्धता कारकों जैसे (i) उचंत शीर्षों के अंतर्गत लेन-देनो की बड़ी संख्या का होना, जिनका अंतिम वर्गीकरण शेष है और (ii) ऋण, जमा एवं प्रेषित धन (डीडीआर) लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों की बढ़ती संख्या तथा मात्रा से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है।

वर्ष 2016-17 हेतु प्रमुख उचंत लेखे के अंतर्गत बकाया शेषों की समीक्षा कार्यालय महालेखा नियंत्रक तथा छः प्रधान लेखा कार्यालयों अर्थात् आपूर्ति विभाग, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय तथा नियत्रंक सहायता, लेखे तथा लेखापरीक्षा (सीएएएवंए) में की गयी थी। इन कार्यालयों का चयन वर्षों से शेषों को एकाग्रता तथा उनके सचंयन के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के ब्यौरे आगे के पैराग्राफों में दिये गये हैं :

2.5.1 मुख्य उचंत लेखाओं के अन्तर्गत बकाया शेष

"उचंत शीर्ष" नामित लेखे के कुछ मध्यवर्ती/समायोजक शीर्ष उन प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी लेखाओं में खोले गए हैं जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखे के इन शीर्षों को

ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से तब समाशोधित किया जाता है जब उनके अंतर्गत राशि को संबंधित लेखाशीर्षों को दर्ज किया जाता है। यदि ये राशियाँ समाशोधित नहीं होती हैं तो उचन्त शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित होगा तथा सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को यह सही रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा।

उचंत शेषों के लिए खाता बही को वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) द्वारा उप/विस्तृत शीर्ष-वार, जैसा भी आवश्यक हो, तथा प्रधान ए.ओ. द्वारा पीएओ द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लघु शीर्ष वार अनुरक्षित किया जाना है। संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक से अपेक्षित है कि वह उचंत शेषों की समीक्षा करें तथा मॉनीटरिंग उद्देश्य हेतु सीजीए को सूचित करे।

31 मार्च 2017 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार सहित संघ वित्त लेखे में उचंत शीर्षों के अन्तर्गत कुल निवल शेष ₹41,284.70 करोड़ (डेबिट) था। इस शेष में सिविल के संबंध में ₹13,695.59 करोड़ (डेबिट), रक्षा हेतु ₹20,214.59 करोड़ (डेबिट), रेलवे हेतु ₹2,042.77 करोड़ (डेबिट), डाक हेतु ₹4,302.83 करोड़ (डेबिट), दूरसंचार हेतु ₹104.76 करोड़ (क्रेडिट) तथा भारत सरकार क्षतिपूर्ति विमोचन (ईराक को परियोजना निर्यात) बंधपत्र, 2001 के संबंध में ₹1,133.68 करोड़ (डेबिट) शामिल है।

वित्त लेखे उचंत शीर्ष के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते तथा इसलिए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों के वास्तविक आकार को संसद को प्रस्तुत सरकार के वार्षिक लेखाओं में सूचित नहीं किया जाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत सही शेषों को केवल विभिन्न उचंत शीर्षों के अंतर्गत डेबिट तथा क्रेडिट शेषों को अलग से निवल करके परिकलित किया जा सकता है। डेबिट/क्रेडिट शेषों को निवल करने से वित्त लेखे में उचंत शेषों की अत्यधिक न्यूनोक्ति होती है। पिछले तीन वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों (मुख्य शीर्ष-8658) के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत उचंत शीर्षों की स्थिति नीचे **तालिका 2.14** में दी गई है:

तालिका 2.14 : सिविल मंत्रालयों के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत उचंत शेषों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2014-15		2015-16		2016-17	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-पीएओ उचंत	2532.65	532.93	2630.22	588.76	2295.24	1113.97
निवल	**डेबिट 1999.72**		**डेबिट 2041.46**		**डेबिट 1181.27**	
102-उचंत लेखा (सिविल)	1130.15	5292.32	1175.93	5982.81	1134.11	533.76
निवल	**क्रेडिट 4162.17**		**क्रेडिट 4806.88**		**क्रेडिट 600.35**	
107-नकद निपटान उचंत लेखा	497.80	36.34	413.60	36.33	384.88	36.34
निवल	**डेबिट 461.46**		**डेबिट 377.27**		**डेबिट 348.54**	
108-पीएसबी उचंत	3688.87	3222.01	5982.12	2273.08	11061.70	957.22
निवल	**डेबिट 466.86**		**डेबिट 3709.04**		**डेबिट 10104.48**	
109-रिजर्व बैंक उचंत (मु.)	11.59	185.07	12.31	297.06	12.28	185.07
निवल	**क्रेडिट 173.48**		**क्रेडिट 284.75**		**क्रेडिट 172.79**	
110-रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	51.17	1158.25	56.15	541.24	59.93	575.01
निवल	**क्रेडिट 1107.08**		**क्रेडिट 485.09**		**क्रेडिट 515.08**	
115- विदेश में क्रय इत्यादि हेतु उचंत लेखा	978.30	--	1991.46	--	2653.36	--
निवल	**डेबिट 978.30**		**डेबिट 1991.46**		**डेबिट 2653.36**	
129-सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखा	210.27	66.86	212.32	61.09	207.99	60.79
निवल	**डेबिट 143.41**		**डेबिट 151.23**		**डेबिट 147.20**	
136-प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतीक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियां	--	20.75	--	19.73	-	18.46
निवल	**क्रेडिट 20.75**		**क्रेडिट 19.73**		**क्रेडिट 18.46**	
138-अन्य नामांकित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक) उचंत 1939 के युद्ध से संबंधित लेन-देन	5.60	550.22	196.20	607.33	28.46	729.71
निवल	**क्रेडिट 544.62**		**क्रेडिट 411.13**		**क्रेडिट 701.25**	

यह देखा जा सकता है कि उचंत लेखे (सिविल), तीन शीर्षों अर्थात् पीएसबी उचन्त, आरबीआई उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय तथा विदेश में क्रय हेतु उचंत-लेखा के अंतर्गत डेबिट शेष पिछले वर्ष से 2016-17 में बढ़े हैं। इसी प्रकार, पीएओ उंचत, रिर्ज़व बैंक उंचत केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत क्रेडिट कृषि पिछले वर्षों से 2016-17 में बढा है। सीजीए द्वारा उचन्त लघु शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया था जिसने ऐसे शेषो के निपटान की प्रभावी मानीटरिंग में बाधा डाली।

(ए) पीएओ उचंत

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अंतर्गत पीएओ, संघ शासित क्षेत्र तथा महालेखाकारो के पीएओ की बहियों में उजागर हो रहे अंतर विभागीय तथा अंतर-सरकार लेन-देनों के निपटान हेतु संचालित किया जाता है। इस लघु के अंतर्गत लेन देन एक लेखा अधिकारी द्वारा अन्य लेखा कार्यालय जिसके प्रति लघु शीर्ष 'पीएओ उंचत' को संचालित किया गया है, की ओर से या तो प्रभावित कर लिया या फिर किए गए भुगतानों को दर्शाते हैं। शीर्ष के अतंर्गत क्रेडिट का लेखा अधिकारी, जिसकी बहियों में प्रारम्भिक वसूली दर्ज की गई थी, द्वारा चैक जारी किए जाने पर 'ऋणात्मक क्रेडिट' द्वारा समाशोधित किया जाता है। पीएओ उंचत के अतंर्गत डेबिट को लेखा अधिकारी जिसकी ओर से भुगतान किए गए थे, से चैक की प्राप्ति तथा वसूली पर 'ऋणात्मक डेबिट' द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शीर्ष का अर्थ होगा कि अन्य पीएओ की ओर से पीएओ द्वारा भुगतान किए गए जिनकी अभी भी वसूली की जानी है। बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ होगा कि अन्य पीएओ की ओर से पीएओ द्वारा भुगतान प्राप्त किए गए, जिन्हें अभी भी अदा किया जाना है।

मार्च 2017 की समाप्ति पर, इस शीर्ष के अतंर्गत बकाया डेबिट तथा क्रेडिट शेष क्रमशः ₹2,295.24 करोड़ तथा ₹1,113.97 करोड़ थे। इस प्रकार, ₹3,409.21 करोड़ के कुल बकाया को इस शीर्ष से समाशोधन की आवश्यकता थी।

बकाया शेष मुख्य रूप से आपूर्ति विभाग ₹1,060.28 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹575.60 करोड़ (डेबिट), परमाणु ऊर्जा विभाग ₹172.80 करोड़ (क्रेडिट), अंतरिक्ष विभाग ₹504.13 करोड़ (क्रेडिट) तथा सड़क परिवहन एवं

राजमार्ग मंत्रालय ₹407.25 करोड़ (क्रेडिट) के संबंध में थे जो दर्शाता है कि इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य पीएओ की ओर से किए गए भुगतानों (डेबिट) या की गई प्राप्तियों (क्रेडिट) को उनके द्वारा 31 मार्च 2017 तक अभी भी वसूल/अदा किया जाना था। पीएओ उचंत के अंतर्गत बड़े डेबिट तथा क्रेडिट शेष ने महत्वपूर्ण नियंत्रण की कमियों को प्रदर्शित किया।

(बी) उचंत लेखे (सिविल)

इस अस्थायी लघु शीर्ष को उन लेन देनो, जिन्हे कुछ सूचना/दस्तावेज अर्थात् वाउचर तथा चालान की आवश्यकता के कारण व्यय अथवा प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लाया जा सकता, के लेखाकंन हेतु संचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियों को दर्ज करने हेतु क्रेडिट तथा किए गए व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों की प्राप्ति पर इस लघु शीर्ष को लेखाओं के संबंधित लघु/उप-लघु/लघु शीर्षों को प्रतिपक्षी डेबिट अथवा क्रेडिट द्वारा ऋणात्मक डेबिट अथवा क्रेडिट से समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेषों का अर्थ किए गए भुगतान होगें जिन्हे वाउचर आदि जैसे ब्यौरों की मांग के कारण अंतिम व्यय शीर्ष डेबिट नहीं किया जा सका था। बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ प्राप्त राशियां होगी जिन्हें ब्यौरो की मांग के कारण अंतिम प्राप्ति को क्रेडिट नहीं किया जा सका था।

31 मार्च 2017 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹533.75 करोड़ (क्रेडिट) और ₹1,134.11 करोड़ (डेबिट) था। ₹1,667.86 करोड़ के कुल शेष का व्यक्तिगत रूप से निपटान किया जाना था। मुख्य बकाया शेष सूचना एवं प्रसारण ₹20.34 करोड़ (क्रेडिट), आपूर्ति विभाग ₹596.92 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹333.31 करोड़ (क्रेडिट) और उच्च आयोग ₹435.76 करोड़ (डेबिट) से संबंधित थे।

(सी) नकद निपटान उचन्त लेखा

मुख्य/लघु लेखा शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष 8658.00.107 - नकद निपटान उचन्त लेखा के नीचे टिप्पणी (4) में अंतर्विष्ट अनुदेशों तथा इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा वर्षानुवर्ष में जारी अनुदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय पीएओ (कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त) को लघु शीर्ष - 8658.00.107 - नकद निपटान उचन्त लेखा को संचालित करने के लिए अनुमत नहीं किया गया है। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि

2016-17 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई नई अभिवृद्धि नहीं दर्शाई गई है लेकिन पुरानी मदों का लघु शीर्ष संचालित करके निपटान किया जा सका है। इसके अतिरिक्त, सभी लेखांकन प्राधिकरणों को यह भी अनुदेश दिया गया था कि इस लघु शीर्ष के अंतर्गत सभी संचयनों का वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक निपटान कर दिया जाए।

31 मार्च 2017 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹384.88 करोड़ (डेबिट) तथा ₹36.34 करोड़ (क्रेडिट) था। ₹421.22 करोड़ के कुल शेष का व्यक्तिगत रूप से निपटान किया जाना अपेक्षित था जिसे लेखे के अंतिम शीर्षों में दर्ज नहीं किया गया था। ₹153.63 करोड़ (डेबिट) के बकाया मुख्य शेष शहरी विकास मंत्रालय तथा ₹177.49 करोड़ (डेबिट) के एनसीटी, दिल्ली से संबंधित है।

तथापि, यह नोट किया गया था कि इस लघु शीर्ष के अंतर्गत 31 लेखा प्राधिकरणों के प्रति शेष बकाया पड़े थे जिनकी वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक निपटान किया जाना था। बकाया का निपटान करने के अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय तथा एनसीटी दिल्ली उचन्त शेषों का संचालन कर रही थी जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करना है।

(डी) विदेशों में क्रय आदि हेतु उचंत लेखे

लघु शीर्ष 'विदेश में क्रय हेतु उचंत लेखे' को सीएए एवं ए, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की बहियों में संचालित किया जाता है। सरकार दाता को परियोजना प्राधिकरियों/आयात को की गई आपूर्तियों के प्रति विदेश में आपूर्ति कर्त्ता को सीधे भुगतान करने की सलाह देती है तथा समान राशि को संबंधित लाइन मंत्रालय से भुगतान प्राप्त होने तथा उचंत शीर्ष के अतंर्गत रखा जाता है। इस शीर्ष के अतंर्गत डेबिट शेष उस राशि को दर्शाता है जिसे आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से अभी भी प्राप्त किया जाना है जबकि सरकार ने इन आयातो हेतु पहले ही भुगतान कर दिया है।

2016-17 में, इस शीर्ष के अतंर्गत बकाया डेबिट शेष ₹2,653.36 करोड़ था। 31 मार्च 2017 को मुख्य ऋणदार पाथराइट्स, फॉस्फेट्स एडं केमिकल लि. ₹24.95 करोड़ तथा कोल इंडिया लि. ₹23.18 करोड़ थे। यह भी देखा गया था कि 2007 तक 38 सगठंनो से ₹104.87 करोड़ बकाया था। बकाया राशि का विवरण **अनुबंध 2.8** में दिया गया है।

सीएएएवंए द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह पाया गया था कि अनुवर्ती भुगतान विभिन्न आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों की ओर से किये गये थे जबकि उनसे पहले किए गए क्रय हेतु भुगतान अभी देय थे। बकाया राशियों की वसूली हेतु सीएए एवं ए द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(ई) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत (पीएसबी उचंत)

सरकारी लेखाकंन प्रणाली में, नामित बैंक भारतीय रिर्जव बैंक की ओर से सरकारी कार्य करते हैं। जब एक बिल के भुगतान हेतु एक चैक जारी किया जाता है तो राशि को अंतिम लेखा शीर्ष को डेबिट किया जाता है। जब एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा चैक को भुनाया जाता है तो यह प्रारम्भ में अपने स्वयं के नकद शेष से राशि अदा करता है तथा बाद में केन्द्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), आरबीआई नागपुर, जो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लेखा अनुभाग (सीएएस), आरबीआई नागपुर, जो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लेखाओं का अनुरक्षण करता है, से प्रतिपूर्ति का दावा करता है। इसी प्रकार जब सरकारी प्राप्तियों को नामित/मान्यता प्राप्त बैंक में अदा किया जाता है तो यह प्राप्ति को केन्द्रीय लेखा अनुभाग, आरबीआई नागपुर को देता है। चूंकि बैंक द्वारा किए गए एक सरकारी लेन-देन को दर्ज करने मे समय अतंराल है इसलिए, सरकारी नकद शेषों में, लघु शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत को निपटान हेतु प्रतीक्षित परिवर्तनों दर्ज करने हेतु सरकारी बहियों में सचांलित किया जाता है। शेषों (दोनो क्रेडिट तथा डेबिट) का निपटान न्यूनतम संभावित समय के भीतर किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा आरबीआई के पास सरकारी नकद शेष गलत स्थिति प्रस्तुत करेंगे।

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया पीएसबी शेष कुल ₹11,061.70 करोड़ (डेबिट) तथा ₹957.22 करोड़(क्रेडिट) था। ₹12,018.92 करोड़ के कुल शेष का मार्च 2017 की समाप्ति तक निपटान किया जाना अपेक्षित था।

विभाग जिनके प्रति मुख्य शेष बकाया थे वह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (व्यय) ₹471.64 करोड़ (क्रेडिट), केन्द्रीय पेशंन लेखाकंन कार्यालय (सीपीएओ) ₹3,598.50 करोड़ (डेबिट), कौशल विकास तथा उद्यमिता ₹975.75 करोड़ (डेबिट) आपूर्ति विभाग ₹285.57 करोड़ (डेबिट), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹300.01 करोड़ (डेबिट), केन्द्रीय उत्पाद एवं

सीमा सुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ₹576.73 करोड़ (डेबिट), अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय ₹1,165.51 करोड़ (डेबिट), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ₹233.25 करोड़ (डेबिट), संस्कृति मंत्रालय ₹368.47करोड़ (डेबिट), कोयला विभाग ₹218.41 करोड़ (डेबिट), सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ₹813.33 करोड़ (डेबिट), सामाजिक शिक्षा एवं साक्षरता ₹191.70 करोड़ (क्रेडिट), युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ₹126.87 करोड़ (डेबिट) तथा उच्च शिक्षा ₹113.93 करोड़ (डेबिट) थे।

आगे विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, केन्द्रीय पेशंन लेखांकन कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के संबंध में पीएसबी उचंत के अंत शेषों में वृद्धि थी, जैसा नीचे **तालिका 2.15** में दर्शाया गया हैः

तालिका 2.15*:* सार्वजनिक क्षेत्र बैक के अंतर्गत डेबिट शेषों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

पीएओ/विभाग का नाम	अथ शेष	प्राप्ति	संवितरण	अंत शेष
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	68.29	(-)1235.93	(-)2.13	(-)1165.51
सीपीएओ	780.82	(-)4421.81	(-) 42.49	(-)3598.50
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	(-)527.08	(-)118.30	(-)68.65	(-)576.73

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने बताया (सितबंर 2017) कि शेषों में वृद्धि पीएओ द्वारा वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताह के दौरान किए गए भुगतान/प्राधिकरणों के कारण हुई थी। इस शीर्ष के अतंर्गत पड़े शेष बैंक/पीएफएमएस की ओर से तकनीकी गलती के कारण डीबीटी भुगतान के ई-स्क्रोल के गैर-सामयिक समावेश के कारण थे मामले को समाधान हेतु बैंक के साथ उठाया गया था।

केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय ने उन तथ्यों को स्वीकार किया (सितबंर 2017) तथा बताया कि उचंत शेषों को कम करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

सीबीईसी ने बताया (सितंबर 2017) कि इस शीर्ष के अतंर्गत अधिक वृद्धि नहीं थी।

(एफ) रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय (सीएओ)

इस लघु शीर्ष को राज्य सरकारो को कर्जों, सहायता अनुदान, आयकर का अंश तथा संघीय उत्पाद शुल्क के अंश के भुगतानों हेतु संघ सरकार की बहियों में संचालित किया जाता है। जब भुगतान प्राधिकृत हो जाता है, तो संबंधित व्यय शीर्ष को डेबिट तथा क्रेडिट किया जाता है जो इस उचंत शीर्ष का समर्थन करता है। आरबीआई से संघ सरकार के लेखे का समायोजन करने वाली लेखाओं की मासिक विवरणी की प्राप्ति पर एमएच को 8675 आरबीआई के पास जमा 101 केन्द्रीय सिविल का ऋणात्मक क्रेडिट करके निपटान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कर्ज पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान के समय इस उचंत शीर्ष को कर्जे/ब्याज शीर्ष को क्रेडिट करके डेबिट किया जाता है। आरबीआई केन्द्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस) नागपुर से लेखाओ की मासिक विवरणी की प्राप्ति पर एमएच '8675-आरबीआई के पास जमा-101- केन्द्रीय सिविल' को प्रतिपक्षी डेबिट द्वारा ऋणात्मक डेबिट किया जाता है।

मार्च 2017 की समाप्ति तक समाशोधन किये जाने वाले ₹634.94 करोड़ के कुल शेष के साथ, 31 मार्च 2017 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹59.93 करोड़ (डेबिट) तथा ₹575.01 करोड़ (क्रेडिट) था। बकाया आरबीआई (सीएओ) उचंत शेष मुख्य रूप से पोत परिवहन मंत्रालय ₹367.99 करोड़ (क्रेडिट), वाणिज्य मंत्रालय ₹115.00 करोड़ (क्रेडिट), आपूर्ति विभाग ₹37.68 करोड़ (डेबिट) तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹8.19 करोड़ (डेबिट) से संबंधित थे।

इस प्रकार, लेखाओं में बड़े उचन्त शेषों के संचयन होने से भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में उपलब्ध नकद शेषों की तुलना में वित्त लेखाओं में दर्शाए गए संघ सरकार की बहियों में नकद शेषों की स्थिति की बेमेलता हुई।

2.5.2 ऋण, जमा एवं प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष वे ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं जहाँ ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी भी ऋण या अग्रिम के लेखांकन शीर्ष के प्रति, ऋणात्मक शेष, प्रदान की गई वास्तविक अग्रिम राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

वर्ष 2016-17 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अतंर्गत प्रतिकूल शेषों के 76 मामले हैं जिन्हे **अनुबंध 2.9** में दिया गया है। आठ मामले वर्ष 2016-17 के दौरान प्रतिकूल हो गए तथा शेष 68 मामले पहले के वर्षों से बकाया थे। इनमें एक वर्ष से अधिक से पांच वर्षों तक के 38 मामले, पांच वर्षो से अधिक से 10 वर्षों तक के 10 मामले तथा 10 वर्षों से अधिक पुराने 20 मामले शामिल थे।

यद्यपि वित्त लेखे में प्रतिकूल शेषो को सीजीए द्वारा फुटनोटों के माध्यम से उचित ठहराया गया था कि प्रतिकूल शेष जांच अधीन थे फिर भी सीजीए तथा इसके अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा ऐसी जांचों के निष्कर्षों तथा उनका निपटान करने हेतु किए गए प्रयासों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

सीजीए ने बताया (अक्तूबर 2017) कि मंत्रालय/विभागों के प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल/उचन्त शेषों को परिसमाप्त/निपटान तथा समीक्षा करने के अनुदेश दिए गए थे। उसने आगे बताया कि वर्ष 2016-17 के वित्त लेखाओं की सामग्री की समीक्षा करते समय उन्हें डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों का निपटान करने के लिए कहा गया था।

2.5.3 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

यह शीर्ष लेन-देनों, जिन्हें अन्ततः समाशोधित किया जाना होता है, को आरम्भ में दर्ज करने के लिए एक मध्यवर्ती लेखांकन शीर्ष हैं। लेखाओं के विभागीकरण की योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा आरबीआई या अधिकृत बैंकों की शाखाओं पर आहरित चैकों द्वारा सरकार के प्रति दावों का भुगतान किया जाता है।

जब दावे पीएओ/विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तब भुगतान को निर्धारित जांचों तथा भुगतान आदेश को दर्ज करने के उपरान्त चैक जारी करने के माध्यम से प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष '8670 - चैक एवं बिल' को माह के दौरान वितरित चैकों की कुल राशि से क्रेडिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/(सीएएस) आरबीआई, नागपुर से जारी चैकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाने वाले तिथि-वार मासिक विवरणी (डीएमएस)/शेषों की मासिक विवरणी की प्राप्ति होने पर, जैसा भी मामला हो, शीर्ष '8670 - चैक

एवं बिल' को ऋणात्मक क्रेडिट तथा उचंत शीर्ष '8658.108-पीएसबी उचंत'/'8675.101-आरबीआई के पास जमा-केन्द्रीय सिविल' को क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

2016-17 के संघ के वित्त लेखे में भारी शेष 'चैक एवं बिल' के विभिन्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए थे जिसके विवरण निम्न **तालिका 2.16** में दिए गए हैं:

तालिका 2.16: चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

8670.101	पूर्व-लेखापरीक्षा चैक	क्रेडिट	0.43
8670.102	वेतन एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	4466.07
8670.103	विभागीय चैक	क्रेडिट	2309.76
8670.104	खजाना चैक	डेबिट	0.06
8670.105	इरला चैक	क्रेडिट	0.59
8670.106	दूरसंचार लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	865.76
8670.107	डाक चैक	क्रेडिट	20721.53
8670.108	रेलवे चैक	क्रेडिट	4098.43
8670.109	रक्षा चैक	क्रेडिट	649.74
8670.110	इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	365.59
8670.111	वेतन एवं लेखा कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	6210.88
8670.112	प्रधान संचार लेखे नियंत्रण कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	54.92
8670.113	खजना इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	5.21
8670	**चैक एवं बिल (कुल)**	**क्रेडिट**	**39748.85**

केन्द्रीय सरकारी लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 के नियम 45 में विनिर्दिष्ट है कि चैक जारी करने की तिथि से तीन माह के भीतर किसी भी समय देय होगा। इसके अतिरिक्त, नियम 47(2) में विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के माह से छः माह की अवधि तक अदत्त रहे तथा नवीनीकरण हेतु अभ्यर्पित नहीं किए गए चैकों को '8670-चैक एवं बिल' में ऋणात्मक क्रेडिट करके वापस या रद्द किया जाना होता है, तथा क्रियाशील मुख्य/लघु शीर्ष जिसमें व्यय को वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था, को ऋणात्मक डेबिट किया जाता है तथा लेखे में राशि को पुन: लिखा जाना होता है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत भारी बकाया राशियां दर्शाती हैं कि लेखांकन प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई जैसा कि नियमावली के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी, नहीं कर रहे थे। 'चैक एवं बिल' के अन्तर्गत बकाया राशि की

सीमा तक सरकारी नकद शेष अधिक बताए गए तथा गलत स्थिति को दर्शाते हैं।

प्रधान लेखा कार्यालय में नमूना जांच से प्रकट हुआ कि विदेश मंत्रालय में ₹59.92 करोड़ की राशि के 3,425 चैक, आपूर्ति विभाग में ₹0.05 करोड़ की राशि के 40 चैक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹164.61 करोड़ की राशि के 965 चैक तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड में ₹141.59 करोड़ की राशि के 13191 चैक छः माह से अधिक समय तक बिना भुगतान किए रहे।

शहरी विकास मंत्रालय के मामले में छः माह से अधिक से बकाया चैको के ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

सीजीए ने बताया (अक्तूबर 2017) कि मंत्रालयों/विभागों के प्रधान भुगतान व लेखा कार्यालयों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल/उचन्त शेषों की समीक्षा करने तथा उनको परिसमाप्त/निपटान करने के अनुदेश दिए गए थे। उसने आगे बताया कि वर्ष 2016-17 के वित्तीय लेखाओं की सामग्री की समीक्षा करते समय उनको चैक तथा बिलों के अंतर्गत शेषों का निपटान करने के लिए कहा गया था।

2.5.4 प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की न की गई संवीक्षा

सिविल नियम पुस्तिका के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पीएओ यह निर्धारण करने के लिए कि व्यक्तियों/दलों, जिनसे शेष वसूल किया जाना है अथवा जिनको यह देय है, द्वारा शेषों की सत्यता को स्वीकार किया गया है, विभिन्न ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अंतर्गत शेषों की समीक्षा तथा जांच करेगा। लेखांकन प्राधिकरण द्वारा प्रधान लेखा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष के 15 सितम्बर तक वार्षिक रूप से गैर-समाधान किए शेषों को दर्शाने वाली एक विस्तृत विवरणी तथा मामले, जिनमें शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित हैं, प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रधान लेखा कार्यालय से बदले में मंत्रालय/विभाग की समेकित रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक महालेखा नियंत्रक को भेजना अपेक्षित है। इस समीक्षा को संचालित करने का उद्देश्य लेखे की विभिन्न पुस्तिकाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता का पता लगाना और डीडीआर के आंकड़ों का पुर्नमिलान करना था।

सिविल विभागों के संबंध में, कुल 70 प्रधान लेखा कार्यालयों में से 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 वर्ष के शेषों की समीक्षा केवल क्रमशः 48, 46, 45, 50 तथा 57 विभागों में ही पूरी की गई थी।

कई वर्षों से वित्त लेखे में प्रतिकूल शेषों की भारी संख्या प्रधान लेखा कार्यालयों की समय पर समीक्षा करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफलता को दर्शाती है।

2.6 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 का नियम 84 प्रावधान करता है कि वाणिज्यिक अथवा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह से सरकार द्वारा निर्धारित अनुषंगी लेखे तथा प्रोफॉर्मा लेखे अनुरक्षित करेंगे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणामों को प्रोफॉर्मा लेखे, जिसमें सामान्यत: व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सम्मिलित होते हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से सुनिश्चित किया जाता है। जबकि भारत सरकार की प्रेस व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करती है फिर भी प्रकाशन विभाग केवल भण्डारण लेखा तैयार करता है।

लेखापरीक्षा ने **अनुबंध 2.10** में निहित 81 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक अथवा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के सरकारी उपक्रमों के संबंध में सूचना प्राप्त की। इनमें से मार्च 2017 तक 55 उपक्रमों में लेखे बकाया में पड़े थे जिसके विस्तृत ब्यौरे निम्न **तालिका 2.17** में दर्शाए गए हैः-

तालिका 2.17: अवधि जिसके लिए प्रोफॉर्मा लेखे बकाया पड़े थे

क्र.सं.	उपक्रमों की संख्या	लेखे का वित्तीय वर्ष	बकाया वर्षों की सं.
1.	31	2015-16	1
2.	14	2012-13 से 2014-15	2-4
3.	5	2008-09 से 2011-12	5-8
4.	5	2007-08 एवं पहले	9 वर्ष या अधिक
कुल	**55**		

31 उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे में एक वर्ष की अवधि तक के विलंब थे। 14 उपक्रमों के संबंध में दो वर्ष से चार वर्ष के बीच का विलंब था। पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोत परिवहन मंत्रालय के मामले में वित्तीय वर्ष 1991-92 से प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किए गए थे।

अद्यतित प्रोफॉर्मा लेखे के अभाव में, इन संगठनों, जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधित किया जाना नियत है, द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत का पता नहीं लगाया जा सका। उनकी गतिविधियों हेतु निवेश पर वापसी, लाभकारिता आदि जैसे निष्पादन संकेतकों को निर्धारित करना भी संभव नहीं था।

2.7 हानियॉ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/माफ करना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 का नियम 33 विचार करता है कि हानि के कारण तथा पहचान के ढंग का ध्यान किए बिना लोक धन, विभागीय राजस्व अथवा प्राप्तियां, रसीदी टिकटें, अफ़ीम, भण्डार अथवा सरकार द्वारा अथवा ओर से नियंत्रित अन्य सम्पत्ति की किसी भी हानि अथवा कमी को संबंधित अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अगले उच्च अधिकारी के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा संबंधित प्रधान लेखा अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा चाहे ऐसी हानि की उत्तरदायी पक्ष द्वारा पूर्ति कर दी गई है। रुपये दस हजार से कम मूल्य वाली हानियों को सूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

67 मंत्रालयों/विभागों से 2016-17 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई हानियों तथा माफ की गई वसूलियों के ब्यौरों की मांग की गई थी। तथापि, केवल 44 मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई थी। 44 में से 10 मंत्रालयों/विभागों में 98 मामलों में कुल ₹250.79 लाख की हानियों को बट्टे खाते में डाला गया था तथा पांच मामलों में कुल ₹1.36 लाख की वसूलियों को माफ किया गया था, जैसा कि **अनुबंध 2.11** में ब्यौरा दिया गया है।

2.8 निष्कर्ष

2016-17 हेतु संघ के वित्त लेखे में प्रकटीकरण, यथार्थता, सम्पूर्णता तथा पारदर्शिता से संबंधित सार्थक कमियां थीं। इनमें से अधिकांश विसंगतियां संबंधित लेखांकन प्राधिकारियों द्वारा बिना किसी सुस्पष्ट शोधक कार्रवाईयों के आवर्ती है जबकि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इन पर टिप्पणी की गई थीं। भारत के संविधान के तात्पर्य के अंतर्गत 'राज्य' के रूप में कार्य कर रहे कुछ नियामक निकायों ने भी सरकारी खाते के बाहर निधियों की बड़ी राशि को रखा था। संग्रहीत किए गए विशेष उद्देश्य उपकर को भी चिन्हित निधियों, जब कभी लोक लेखे में सृजित किया गया था, को क्रेडिट नहीं किया गया था। दो मामले थे जिनमें कैबिनेट की स्वीकृति के बिना लोक लेखे से निधियों का

संग्रहित उपकर का भी कम उपयोग पाया गया था। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी बैंकों, समितियों आदि के इक्विटी आधार में सरकारी स्वामित्व को दर्शाने वाले आंकड़ों तथा सूचना में विसंगतियों के कुछ मामले भी थे। संघ सरकार द्वारा राज्य/यूटी सरकार तथा अस्तित्वों को प्रदान किए गए के बड़े भाग की वसूली नहीं की जा रही है क्योंकि इन अस्तित्वों से देय पुनर्भुगतान 20 वर्षों से अधिक से बकाया में हैं। लेखाओं में भारी उचंत शेषों के संचयन भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में उपलब्ध नकद शेष की तुलना में संघ सरकार की बहियों में नकद शेष स्थिति, जैसा वित्त लेखाओं में दर्शाया गया है, में बेमेल का कारण बने। ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों, जहॉ शेषों को वर्ष दर वर्ष आगे लाया गया है, के संबंध में कुछ मंत्रालयों/विभागों में लेखाओं तथा लेन-देनों का उचित प्रकार से अनुरक्षण तथा पता नहीं लगाया गया था जो संबंधित लेखा शीर्ष में प्रतिकूल शेषों की बड़ी संख्या तथा उचंत शेषों के संचयन का कारण बना। 50 उपक्रमों के प्रोफॉर्मा लेखाओं में एक से आठ वर्षों के बीच का विलम्ब था तथा पांच उपक्रमों के प्रोफॉर्मा लेखाओं में नौ वर्षों से अधिक का विलम्ब था।

3: विनियोग लेखे: 2016-17

3.1 प्रस्तावना

संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को चयनित सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि (सीएफआई) से उपयुक्त विशिष्ट राशियों के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत करती है। विनियोग अधिनियमों में अनुच्छेद 114 तथा 115 के नियमानुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत की गई सेवाओं पर संवितरण तथा अनुच्छेद 112(3) के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 273, 275 तथा 293 के अनुसार सीएफआई को प्रभारित किए गए संवितरण को प्राधिकृत किया गया है। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर उसके द्वारा वास्तव में व्यय की गई सकल राशि तथा विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यय के विवरणों को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

महालेखा नियंत्रक (सीजीए) सिविल मंत्रालयों के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेल तथा डाक विभाग अपने सबंधित अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विनियोग लेखे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इन्हे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2016-17 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्नानुसार है:

मंत्रालय	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	95
रक्षा	2
डाक	1
रेलवे	16
योग	**114**

इस अध्याय में विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा), पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं जिनमें आबंटन से अधिक व्यय, जिसके लिए संसद द्वारा विनियमन आवश्यक हो, अव्ययित प्रावधान जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा

आवश्यकता के बिना प्राप्त किए गए अनुपूरक प्रावधान तथा अवास्तविक बजटीकरण का विश्लेषण शामिल है। सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सम्बन्धी अनुदानों/विनियोगों के सबंध में आधिक्यों के साथ-साथ बचतों पर इस अध्याय में विचार किया गया है। तथापि, रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष, वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं। तथापि, संपूर्ण रूप में विनियोग प्रक्रिया को आवृत्त करने के लिए जहां कहीं आवश्यक है, रेलवे विनियोगों के संदर्भ दिए गए हैं।

3.2 2016-17 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश

नीचे **चार्ट 3.1** वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मंत्रालयों/विभागों सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा में व्यय के ब्यौरे को दर्शाता है। कुल सकल व्यय का अधिकतम व्यय अर्थात् 92.95 प्रतिशत सिविल मंत्रालयों द्वारा किया गया था जबकि रेलवे द्वारा 3.94 प्रतिशत, रक्षा द्वारा 2.81 प्रतिशत तथा डाक विभाग द्वारा 0.30 प्रतिशत व्यय किया गया था।

चार्ट: 3.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रक्षा तथा रेलवे के बीच व्यय का ब्यौरा

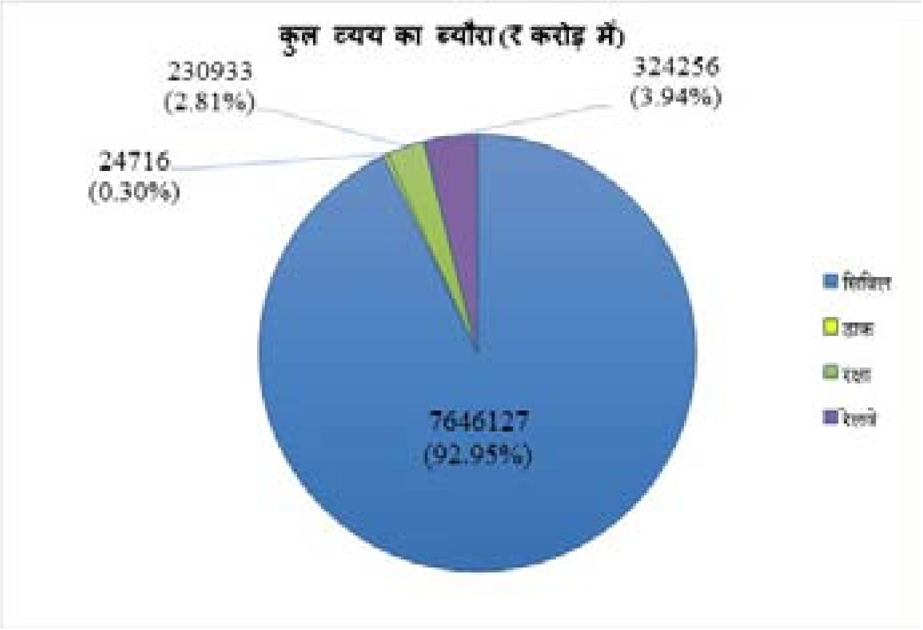

नीचे तालिका 3.1 वर्ष 2016-17 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक रक्षा तथा रेलवे में व्यय दर्शाती है।

तालिका 3.1- वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

सिविल		डाक		रक्षा		रेलवे		कुल	
7646127		24716		230933		324256		8226032	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1343888	6302239	24713	3	230740	193	323849	407	1923190	6302842
17.58%	82.42%	99.99%	0.01%	99.92%	0.08%	99.87%	0.13%	23.38%	76.62%

तालिका 3.2 में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार के कुल प्रावधानों (प्रभारित तथा दत्तमत दोनों) तथा संवितरणों को दर्शाया गया है। **अनुबंध 3.1** सिविल मंत्रालयों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

तालिका 3.2: 2016-17 के दौरान प्रावधान, संवितरण तथा बचत

(₹ करोड़ में)

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)	कुल प्रावधान की तुलना में बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
सिविल	7647199.05	7646126.71	(-)1072.34	0.01
डाक	23832.36	24716.30	(+)883.94	3.71
रक्षा सेवाएं	233639.90	230932.73	(-)2707.17	1.16
रेलवे	362110.10	324255.89	(-) 37854.21	10.45
कुल योग	**8266781.41**	**8226031.63**	**(-) 40749.78**	**0.49**

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, ₹10,72.34 करोड़ की निवल बचत 93 विनियोगों/अनुदानों में ₹1,90,226.60 करोड़ की बचत तथा दो विनियोगों/अनुदानों के अंतर्गत ₹1,89,154.26 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी।

सिविल मंत्रालयों/विभागों में ₹1,90,226.60 करोड़ की समग्र बचत में से अनुदान संख्या 17-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (₹53,478 करोड़), अनुदान सं.74-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹46,838 करोड़) तथा अनुदान सं.29-आर्थिक मामलों का विभाग (₹13,355 करोड़), में ₹10,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई थीं।

सिविल मंत्रालयों/विभागों में ₹1,89,154.26 करोड़ का समग्र अधिक व्यय अनुदान सं. 33-विनियोग ऋण का पुनर्भुगतान (₹1,86,954.42 करोड़) एवं अनुदान सं. 21-रक्षा पेंशन (₹2,199.84 करोड़) में हुआ।

सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 93 अनुदानों/विनियोगों के 194 खण्डों[1] में बचत और दो अनुदानों के तीन खण्डों में आधिक्य; डाक के एक अनुदान के दो खण्डों में बचत तथा एक खण्ड में आधिक्य; और रक्षा के दो अनुदानों के दो खण्डों में बचत एवं दो खण्डों में आधिक्य और रेलवे[2] के 16 अनुदानों के 26 खंडों में बचत और छः खण्डों में आधिक्य हुआ। **अनुबंध 3.2** बचत और आधिक्य के सार को दर्शाता है।

3.3 प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच एक अन्तर बनाया गया है। प्रभारित व्यय को संविधान के अनुच्छेद 112(3), 273, 275(1) तथा 293(2) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित व्यय के अनुमानों को संसद के मत के अधीन नहीं लाया जा सकता जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 113(1) में निर्धारित है, परंतु संसद के किसी भी सदन में उस पर चर्चा की जा सकती है। **अनुबंध 3.3** में 2000-01 से 2016-17 की अवधि के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की प्राधिकृत मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण शामिल है।

2016-17 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत ₹76,46,127 करोड़ के कुल संवितरण 2015-16 के दौरान ₹55,29,473 करोड़ के कुल संवितरण की तुलना में ₹21,16,654 करोड़ (38.28 प्रतिशत) तक अधिक थे। यह 2012-13 में ₹47,93,466 करोड़ से 59.51 *प्रतिशत* तक बढ़ा था। प्रभारित संवितरण 2012-13 के ₹38,16,395 करोड़ से 65.14 *प्रतिशत* तक बढ़ कर 2016-17 में ₹63,02,239 करोड़ हो गए तथा उसी अवधि में दत्तमत संवितरण ₹9,77,071 करोड़ से 37.54 *प्रतिशत* बढ़ कर ₹13,43,888 करोड़ तक हो गए थे। 2012-13

[1] प्रत्येक अनुदान/विनियोग में चार खण्ड जैसे राजस्व दत्तमत्त, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत्त और पूंजी प्रभारित है।

[2] रेलवे के अनुदान सं. 16 में तीन दत्तमत तथा तीन प्रभारित खंड हैं।

के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण कुल संवितरणों के 80 *प्रतिशत* थे जो 2016-17 के दौरान बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया।

2016-17 में, मुख्य प्रभारित संवितरणों में विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान (₹56,78,823 करोड़), विनियोग-ब्याज भुगतान (₹5,04,515 करोड़) तथा राज्यों को अंतरण (₹1,13,314 करोड़) सम्मिलित थे। चूंकि प्रभारित संवितरण के अनुमान संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं इसलिए संसद द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरण के 18 *प्रतिशत* तक ही सीमित होती है।

सिविल, डाक, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे सहित सीएफआई से ₹82,26,032 करोड़ राशि के कुल संवितरणों की स्थिति के प्रति वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभारित संवितरणों की प्रतिशतता 77 प्रतिशत (₹63,02,842 करोड़) थी।

चार्ट 3.2: 2012-13 से 2016-17 तक के वर्षों के दौरान प्रभारित तथा दत्तमत भागों के अंतर्गत संवितरण

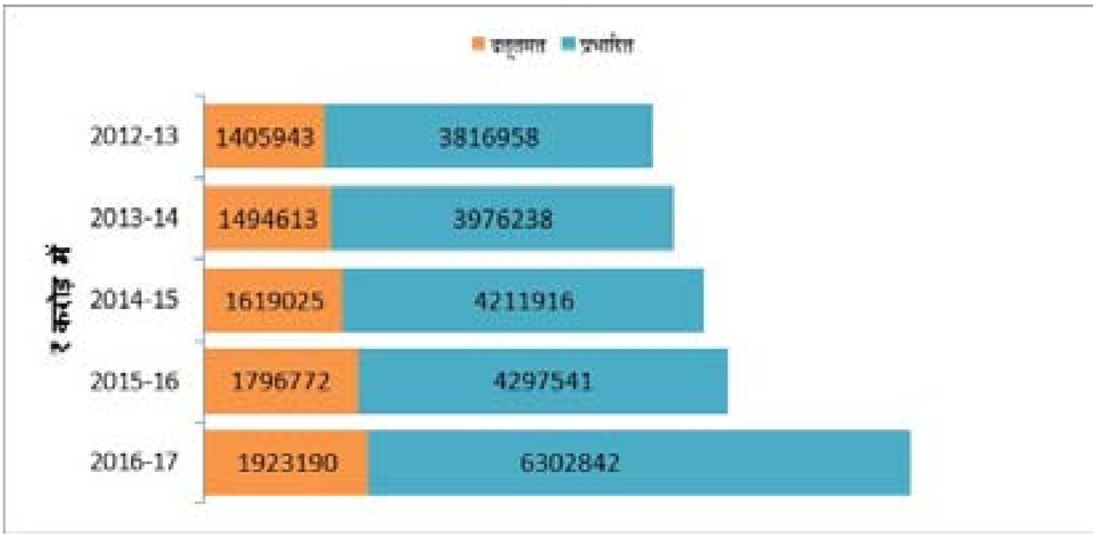

विनियोग लेखे 2016-17: एक विश्लेषण

3.4 अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग

संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अतिरिक्त, कोई भी धन भारत की समेकित निधि से आहरित नहीं किया जा सकता। सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005, का नियम 52(3) अनुबंध करता है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसका प्रभाव किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से आधिक्य में हो जाए। 2016-17 के दौरान सीएफआई में से प्राधिकरण से ₹1,90,270.18 करोड़ का अधिक संवितरण था जिसमें से सिविल मंत्रालयों/विभागों में दो अनुदानों/विनियोगों के तीन खण्डों में ₹1,89,154.26 करोड़ तथा डाक के एक अनुदान के एक खण्ड में ₹936.48 करोड़, रक्षा के एक अनुदान के दो खण्डों में ₹146.31 करोड़ तथा रेलवे के तीन अनुदानों के छः खण्डों में ₹33.13 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ था।

अधिक व्यय, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमित करना आवश्यक था, के ब्यौरे **तालिका 3.3** में दिए गए हैं

तालिका 3.3: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	राशि ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
सिविल राजस्व (दत्तमत)				
1.	21-रक्षा पेंशन	अनुदान व्यय आधिक्य	*856246000000* *878241577250* *21995577250*	पेंशनों के संशोधन हेतु विभिन्न सरकारी आदेशों/7वें सीपीसी आदेशों के कार्यान्वयन तथा पेंशन वृद्धि/पेंशन-राहत की बढ़ी हुई दर तथा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) के का.ज्ञा. सं.2(10)-बी(एसी)/2017 दिनांक 05.09.2017 के अनुदेशों के अनुसार उचन्त के अन्तर्गत राशि का निपटान करने के लिए बैंकों से प्राप्त लम्बित पेंशन नामावलियों को दर्ज करने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण।
राजस्व (प्रभारित)				
2.	21-रक्षा पेंशन	विनियोग व्यय आधिक्य	*13600000* *16408608* *2808608*	न्यायालय निर्णयों का कार्यान्वयन होने के कारण।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	राशि ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
पूंजीगत (प्रभारित)				
3.	*33 -विनियोग– ऋण का पुनर्भुगतान*	विनियोग व्यय आधिक्य	*54918687800000* *56788231993269* *1869544193269*	राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में अपनी वित्तीय दायित्वों को चुकाने के लिए भारी मात्रा में राशि का आहरण करने के कारण।
डाक **राजस्व (दत्तमत)**				
4.	13 –डाक विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	*232724100000* *242088875842* *9364775842*	7वें सीपीसी के लागू होने के कारण वेतन तथा पेंशन की प्रतिबद्ध देयताओं का भुगतान करने के कारण।
रक्षा **पूंजीगत (दत्तमत)**				
5.	23 –रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	अनुदान व्यय आधिक्य	784995662000 786041132013 1045470013	सीमाशुल्क तथा उत्पादशुल्क के भुगतान; कैबिनेट सचिव समिति द्वारा स्मरेक हेतु रॉकेट के लिए अनुमोदित ठेकों के संबंध में प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान, महानिदेशक आयुध कारखाने द्वारा उत्पादशुल्क के भुगतान तथा आपातकालीन अधिप्रापण के संबंध में अग्रिम भुगतान, रोलिंग स्टॉक के लिए प्रतिबद्ध देयता के भुगतान, निर्माणकार्यों के लिए अतिरिक्त मांग प्राप्त करने, चीन अध्ययन समूह (सीएसजी) सड़कों, पूर्वी क्षेत्र में अधोविकास तथा विवाहित आवास परियोजना, पश्चिम बंगाल सरकार से डायमंड हारबर (मॉउजा दक्षिणपुर) में भूमि अधिग्रहण, विशेष तथा सामान्य प्रयोजन वाहनों की आवश्यकता में वृद्धि होने, आयातित उपकरण पर सीमाशुल्क के भुगतान के कारण बहुत अधिक व्यय, वार्षिक कार्य योजना अनुरक्षण के अंतर्गत व्यय में भारी वृद्धि होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान विवाहित आवास परियोजनाओं तथा अन्य पूंजीगत निर्माणकार्य, नीतिक परियोजनाओं की उन्नति के लिए अतिरिक्त व्यय, 15 हैवी लाइट हेलीकॉप्टर, 51 मिराज एवं अंतरिम अनुरक्षण सेवा योजना, मिग 21- उन्नयन के संबंध में साखपत्र के माध्यम से जारी अनिवार्य संविदात्मक भुगतान, रक्षा वस्तुओं पर लागू सीमाशुल्क तथा विनिमय दर परिवर्तन के कारण।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	राशि ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
पूंजीगत (प्रभारित)				
6.	*23 –रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय*	*विनियोग* *व्यय* *आधिक्य*	*895838000* *1313471564* *417633564*	न्यायालय-मामलों का प्रत्याशा से अधिक निपटान होने के कारण।
रेलवे **राजस्व (प्रभारित)**				
7.	*4* –स्थायी मार्ग तथा निर्माण कार्य का अनुरक्षण तथा मरम्मत	*विनियोग* *व्यय* *आधिक्य*	*17161000* *17938229* *777229*	*प्रत्याशा से अधिक गिरावट का भुगतान करने के कारण।*
8.	*7* –संयंत्र तथा उपकरण की मरम्मत तथा अनुरक्षण	*विनियोग* *व्यय* *आधिक्य*	*7145000* *7197739* *52739*	
पूंजीगत (दत्तमत)				
9.	16 –*रेलवे सुरक्षा निधि (आरएसएफ)*	अनुदान व्यय आधिक्य	*107803000000* *108027229844* *224229844*	प्रत्याशा से अधिक स्टोर डेबिटों के भुगतान, प्रत्याशा से अधिक संविदात्मक भुगतानों तथा निर्माण कार्य की बेहतर प्रगति के कारण।
पूंजीगत (प्रभारित)				
10.	*16 –पूंजीगत*	*विनियोग* *व्यय* *आधिक्य*	*2200043000* *2280518428* *80475428*	*प्रत्याशा से अधिक गिरावट का भुगतान करने के कारण।*
11.	*16 –रेलवे सुरक्षा निधि (आरएसएफ)*	*विनियोग* *व्यय* *आधिक्य*	*170872000* *192285542* *21413542*	
12.	*16* – रेलवे निधि (मूल्यह्रास रिजर्व फंड विकास निधि और पूंजीगत निधि)	*विनियोग* *व्यय* *आधिक्य*	*206755000* *211154326* *4399326*	

नोट:-अनुदान/विनियोग आंकड़ों में अनुपूरक अनुदान/विनियोग, यदि कोई हो तो, शामिल हैं।

3.5 अनुदानों में निरंतर आधिक्य

2012-13 से 2016-17 तक की पाँच वर्षों की अवधि हेतु लगातार आधिक्य को दर्ज करने वाली अनुदानों की संवीक्षा की गई थी। संवीक्षा से पता चला कि 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एक विनियोग के राजस्व प्रभारित खंड में निरंतर आधिक्य हुए थे। प्राधिकरण की तुलना में निरंतर आधिक्यों का अनुदानवार तथा वर्षवार विवरण निम्न **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: अनुदान/विनियोग में निरन्तर आधिक्य

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
		राशि ₹ में				
सिविल राजस्व (प्रभारित)						
1.	*रक्षा पेंशन-*					
	विनियोग	*8200000*	*42300000*	*100000000*	*30000000*	*13600000*
	व्यय	*48160400*	*49786943*	*145450236*	*31465728*	*16408608*
	आधिक्य	*39960400*	*7486943*	*45450236*	*1465728*	*2808608*

रक्षा पेंशन में अनुदान का निरंतर आधिक्य होना चिंता का विषय है। लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य के मामलों में कमी लाने की सिफारिश के बावजूद अनुदान में निरंतर आधिक्य देखे गए हैं। मंत्रालय को ठोस प्रयास करना चाहिए तथा अत्यधिक व्यय से बचने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए।

3.6 लघु/उप शीर्ष-वार आधिक्य व्यय

जीएफआर 2005 के नियम 58(1) यह अनुबंध करता है कि व्यय करने वाला अधीनस्थ प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके अधीन रखे गए आबंटन में आधिक्य न हो। यदि कहीं आबंटन से अधिक व्यय की शंका हो तो अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिक व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त आबंटन प्राप्त कर लेना चाहिए।

तथापि, वर्ष 2016-17 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं में पाया गया कि 14 अनुदानों के 56 लघु/उप-शीर्षों में, उपलब्ध प्रावधानों से ₹5 करोड़ तथा इससे अधिक का व्यय था। हालांकि, इन लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों से ₹1,97,132.09 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था, संबंधित अनुदान/विनियोग प्रबंधन अधिकारी ने उपलब्ध प्रावधान से किए गए अधिक व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे जो बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। लघु/उप-शीर्षों, जिसमें अधिक व्यय किए गए थे, की सूची **अनुबंध 3.4** में दी गई है।

3.7 अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा, 1993-94) ने अपनी 60वीं रिपोर्ट (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचत होना त्रुटिपूर्ण बजट बनाने तथा एक अनुदान या विनियोग में निष्पादन की कमी को दर्शाता है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक वर्ष अनुदान के खंड में ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचतों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 67 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे एवं रक्षा सेवाओं सहित) के 84 खंडों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत हुई थी जिसके लिए लोक लेखा समिति (पीएसी) को एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी भेजनी आवश्यक थी। भारी बचत[3] इन अनुदानों में देखी गयी थीं: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (₹53,478 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय (₹46,838 करोड़), आर्थिक मामले का विभाग (₹13,355 करोड़) कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग (₹8,206 करोड़), वित्तीय मामले का विभाग (₹6,273 करोड़), राज्यों को अंतरण (₹6,044 करोड़), ऊर्जा मंत्रालय (₹5,623 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹4,387 करोड़), विनियोग-ब्याज भुगतान (₹4,268 करोड़) और उर्वरक विभाग (₹4,009 करोड़)। अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा कुल ₹2,28,639.60 करोड़ से अधिक की बचत[4] **अनुबंध 3.5** में दी गईं हैं।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों हेतु 'योजना के अंतिम रूप देने में/अंतिम रूप न देने में देरी', 'गैर-व्यवहार्य/कम प्रस्तावों की प्राप्ति', 'प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने', 'वित्त मंत्रालय द्वारा और अर्थव्यवस्था के उपायों के अनुसार संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कमी', 'राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता', रिक्त पदों का भरा न जाना, और 'उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के कारणों पर आरोपित किए गए।

[3] एक अनुदान/अनुमोदन में संपूर्ण बचत

[4] बचत में अर्थव्यवस्था के उपायों के एक हिस्से के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए अनिवार्य कटौती और कोष्ठक के आंकड़े वर्तमान कुल बचत में शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, 43 अनुदानों/विनियोगों के 51 खण्डों में पिछले तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) के दौरान ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरंतर बचत पाई गई थी जिनके विवरण **अनुबंध 3.6** में दिए गए हैं।

3.8 बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 56 प्रावधान करता है कि, अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान हो, उन्हें वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। बचतों को भविष्य में संभावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के 93 अनुदानों/विनियोगों के 194 खण्डों के अंतर्गत ₹1,90,226.60 करोड़ की बचत थीं। इसे दो अनुदानों के तीन खण्डों के अंतर्गत ₹1,89,154.26 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था जिसका परिणाम ₹1072.34 करोड़ की निवल बचत में हुआ। सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभ्यर्पित राशियां **तालिका 3.5** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.5: सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत बचतों और अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

	निबल बचत	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि के प्रति 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व					
दत्तमत	125878.69	103813.79	103795.77	99.98	22064.90
प्रभारित	9501.24	3671.99	3671.99	100.0	5829.25
कुल: राजस्व	**135379.93**	**107485.78**	**107467.76**	**99.98**	27894.15
पूंजीगत					
दत्तमत	54330.12	46443.42	46129.26	99.32	7886.70
प्रभारित	516.55	281.18	281.18	100.00	235.37
कुल: पूंजी	**54846.67**	**46724.60**	**46410.44**	**99.33**	8122.07
कुल योग	**190226.60**	**154210.38**	**153878.20**	**99.78**	**36016.22**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत ₹36,016.22 करोड़ की बचत नहीं की गई थी, जो कुल बचत का 18.93 प्रतिशत था। इसके अलावा, लगभग पूर्ण अभ्यर्पित राशि को मार्च 2017 के अंतिम दिन अभ्यर्पित

किया गया था। उपरोक्त तालिका को सकंलित करते समय मंत्रालयो/विभागो द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्पणों की तिथि पर विचार किये बिना, सम्बंधित मंत्रालयों/विभागो द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्पणों को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा आदेश जारी करने की तिथि को ध्यान में रखा गया है। यदि राशि का समय पर अभ्यर्पण किया जाता तो इस राशि को अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में उपयोग/आबंटित किया जा सकता था।

सिविल मंत्रालय/विभागों के सात अनुदानों/विनियोगों के सात खंडों में, अभ्यर्पित राशि अनुदानों के अंतर्गत बचतों से अधिक थी। यह घटिया बजटीय प्रबंधन का सूचक है। ऐसे मामलों के विवरण **अनुबंध 3.7** में दिए गए हैं।

3.9 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)

51 अनुदानों/विनियोगों के 67 खण्डों में, जहाँ बचत ₹100 करोड़ से अधिक हुई थीं, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 के उल्लंघन में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (अर्थात् 31 मार्च 2017) बचतों का अभ्यर्पण किया था। बचतों और अभ्यर्पित न की गई राशियों, जो वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो गई थीं, सहित अभ्यर्पणों के विवरण **अनुबंध 3.8** में दिए गए हैं।

3.10 अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदान (मूल प्रावधान के 40 *प्रतिशत* से अधिक)

संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत, संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियाँ विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती हैं। संसद अनुच्छेद 114 के अंतर्गत उस वर्ष के उद्देश्य हेतु पहले बनाए गए प्राधिकार के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी प्राधिकृत करती हैं। व्यय के प्रारंभिक अनुमान तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमानों में सभी अपरिहार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना सुनिश्चित करना चाहिए। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार-विमर्श तथा बजट-पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात् बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देता है।

अनुच्छेद 114 के प्रावधान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष हेतु किसी विशेष सेवा पर खर्च किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि, उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाई जाती है या अनुपूरक हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई मांग उत्पन्न हुई हो, अथवा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा, जिसका उस वर्ष की वार्षिक वित्तीय विवरणी में विचार न किया गया हो, पर अतिरिक्त व्यय हो, तो अनुच्छेद 115(1)(क) के अनुसार उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाते हुए संसद में एक दूसरी विवरणी (अनुपूरक मांग) प्रस्तुत की जाती है।

तालिका 3.6 वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त अनुपूरक प्रावधान (नकद, टोकन और तकनीकी सहित) तथा मूल प्रावधान से उनकी प्रतिशतता दर्शाती है।

तालिका 3.6 मूल प्रावधान के प्रति अनुपूरक अनुदानों की स्थिति

क्षेत्र	2014-15			2015-16			2016-17		
	ओ	एस	ओ के प्रति एस का %	ओ	एस	ओ के प्रति एस का %	ओ	एस	ओ के प्रति एस का %
सिविल	5784779.10	40796.22	0.71	5920371.35	208252.50	3.52	6356009.21	1291189.84	20.31
रक्षा	245664.72	8335.55	3.39	263395.38	746.18	0.28	227085.52	6554.38	2.89
डाक	18659.85	350.57	1.88	19830.91	701.75	3.54	23528.86	303.50	1.29
रेलवे	293728.54	5871.48	2.00	337237.92	1130.88	0.34	357332.90	4777.20	1.34
कुल	**6342832.21**	**55353.82**	**0.87**	**6540835.56**	**210831.31**	**3.22**	**6963956.49**	**1302824.92**	**18.71**

ओ- मूल; एस- अनुपूरक

सिविल अनुदान के मामले में पूरक प्रावधान में एक सतत वृद्धि की प्रवृत्ति है। रक्षा एवं रेल के मामलों में, 2015-16 में निम्न स्तर की प्रवृत्ति 2016-17 में वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ी है, जबकि 2015-16 में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण डाक विभाग के मामले में 2016-17 में कमी आने की संभावना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों ने अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए जो सम्बंधित मांगो में मूल प्रावधानों से अपेक्षाकृत अधिक भी थे। वे मामले, जिनमें अनुपूरक प्रावधान ₹100 करोड़ से अधिक थे एवं मूल प्रावधान से 40 प्रतिशत से अधिक थे जैसा **तालिका 3.7** में दिए गए है।

तालिका 3.7: बड़े अनुपूरक अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के प्रति प्रावधान की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)				
1.	10 -कोयला मंत्रालय	361.00	195.36	54
2.	14 -दूरसंचार विभाग	18355.96	9448.10	51
3.	16 -उपभोक्ता मामलों का विभाग	1239.81	6071.01	490
4.	29 -आर्थिक मामलों का विभाग	12335.39	5969.28	48
5.	44 -भारी उद्योग विभाग	392.87	5709.15	1453
6.	47 -कैबिनेट	419.64	226.36	54
7.	58 -सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय	3454.22	1697.94	49
8.	86 -इस्पात मंत्रालय	85.62	242.53	283
9.	87 -कपड़ा मंत्रालय	4574.30	2021.36	44
पूंजीगत (दत्तमत)				
1.	8 –औषधि विभाग	0.10	100.00	100000
2.	9 –नागरिक उड्डयन मंत्रालय	1780.20	930.72	52
3.	11-वाणिज्य विभाग	100.00	116.00	116
4.	15 –इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना कार्मिक विभाग	239.11	110.01	46
5.	17 –खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	10601.60	40550.01	382
6.	44 –भारी उद्योग विभाग	907.13	1367.29	151
7.	66 –पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2.00	2450	122500
8.	68 –ऊर्जा मंत्रालय	3721.82	1789.85	48
9.	74 –सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय	54707.00	31972.70	58
10.	87 –कपड़ा मंत्रालय	20.52	168.10	819
11.	95 –शहरी विकास मंत्रालय	11405.42	5820.06	51
पूंजीगत (प्रभारित)				
12.	32 –राज्यों को अंतरण	12600.00	5500.00	44
13.	91 –चंडीगढ़	50.00	200.00	400

बड़े अनुपूरक प्रावधान दर्शाते हैं कि मंत्रालयों/विभागों ने वास्तविक आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे तथा कि यथार्थवादी बजटीय अनुमान

सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा तथा पूर्व-बजट बैठकें करने का तंत्र वांछित रूप से प्रभावी नहीं था।

लोक लेखा समिति ने अपने 92वें प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा 2013-14) में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अनुपूरक अनुदानों की बड़ी राशि प्राप्त करने के बावजूद दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित व्यय से अधिक किए गए व्यय को नियमित करते हुए पाया कि वित्त मंत्रालय का बजटीय प्रावधान के साथ व्यय के वृहत संगति को सुनिश्चित करने के लिए साधनों पर सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। राजकोषीय वर्ष के दौरान मुख्य बजट के अतिरिक्त अनुपूरकों की मांग का चलन बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को कम करता है। अभ्यास में ज्ञात व्ययों को मुख्य बजट में नहीं दर्शाए जाते हैं लेकिन बाद के पूरकों के माध्यम से मॉग की जाती है। अनुपूरक बजट सामान्यत: अपरिहार्य लोकहित के लिए किए गए व्यय के अप्रत्याशित मदों अथवा योजनाओं के लिए होना चाहिए।

इसके अलावा, 19वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा 2014-15) में लोक लेखा समिति ने वित्त मंत्रालय से यह पूछा था कि क्या मंत्रालयों/विभागों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, ताकि उनके प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले यथार्थवादी आधार पर अनुपूरक अनुदान की मॉग हो सके ताकि संसद में अतिरिक्त प्रावधान धन की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप हो। वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) ने प्रस्तुत किया था कि मौजूदा आदेश/निर्देश और पत्र, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों को बुलाते हुए, दोबारा दोहराते हुए मांग करने से पहले अनुदान के लिए पूरक मांगों के माध्यम से संसद के अनुमोदन से पहले एक यथार्थवादी तरीके से धन की आवश्यकता का आंकलन करने की आवश्यकता स्पष्ट करता है।

3.11 अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदान-वार)

20 अनुदानों के 22 मामलों में, जिनके ब्यौरे **तालिका 3.8** में दिए गए हैं, 2016-17 के दौरान ₹11,481.10 करोड़ के कुल नकद अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे, परंतु 18 अनुदानों में अंतिम व्यय, मूल प्रावधानों से भी कम था। अत: अप्रयुक्त नकद अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था जो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण का सूचक है। 'नकद अनुपूरक' प्राप्त करने के बजाय,

मंत्रालयो/विभागों को, वर्ष के अंत में बचतों से बचने के लिए अनुदान के भीतर 'टोकन' या 'तकनीकी अनुपूरक' प्राप्त करके उपलब्ध बचतों का उपयोग करने की संभावना को तलाशना चाहिए।

तालिका 3.8: अनावश्यक नकद अनुपूरक जो बचतों का कारण बना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त कुल अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	वास्तविक संवितरण	बचत
सिविल अनुदान						
राजस्व दत्तमत						
1.	1 –कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग	35952.83	12826.55	3826.48	40595.11	8184.27
2.	3 –पशुपाल,डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	2395.45	100.07	100.00	2368.30	127.22
3.	17 –खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	142102.51	291.83	27.56	116008.39	26385.95
4.	20 -रक्षा मंत्रालय (विविध)	56449.44	4564.73	1068.36	58043.18	2970.99
5.	28 -विदेश मंत्रालय	11679.63	600.03	600.00	11159.50	1120.16
6.	29 –आर्थिक मामलों का विभाग	12335.39	5969.28	60.00	6721.32	11583.35
7.	37 –राजस्व विभाग	11868.99	45.03	38.00	11024.12	889.90
8.	42 –स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	38899.71	2813.34	1281.78	37859.65	3853.40
9.	51 –विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	63826.65	342.13	342.04	62636.69	1532.09
10.	53 –सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4036.06	77.36	77.35	3933.85	179.57
11.	66 –पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	29158.62	81.16	81.14	27780.29	1459.49
12.	81 –कौशल विकास मंत्रालय	1770.55	368.75	368.72	1544.10	595.20
13.	82 –सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग	6226.95	30.50	3.44	6204.22	53.23
14.	84 –अंतरिक्ष विभाग	4155.38	300.28	1.14	4452.80	2.86
15.	85 –सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय	4724.83	7.01	6.99	4248.16	483.68
16.	89 –जनजातीय मामलों का मंत्रालय	768.14	2.03	1.50	723.95	46.22
17.	95 –शहरी विकास मंत्रालय	15502.67	2621.05	2521.00	15395.49	2728.23
18.	97 –महिला बाल विकास मंत्रालय	17878.12	417.25	217.18	17067.61	1227.76
राजस्व प्रभारित						
19.	20 –रक्षा मंत्रालय (विविध)	15.24	1.45	0.75	5.03	11.66
पूंजीगत दत्तमत						
20.	36 –भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	11.50	2.69	2.69	9.15	5.04

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त कुल अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	वास्तविक संवितरण	बचत
21.	48 –पुलिस	9035.51	842.99	842.98	8868.18	1010.32
पूंजीगत प्रभारित						
22.	48 –पुलिस	6.66	12.00	12.00	5.73	12.93
			कुल	11481.10		

वित्त मंत्रालय को ऐसे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए तथा इस संबंध में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए।

3.12 लघु/उप-शीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन (₹5 करोड़ से अधिक)

लेखाओं की जांच से पता चला कि सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सेवाओं की 12 अनुदानों/विनियोगों के 18 मामलों में कुल ₹1,277.00 करोड़ का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था, क्योंकि लघु/उप-शीर्षों, जिसमें पुनर्विनियोग माध्यम से संवर्द्धन किया गया था, के अंतर्गत मूल प्रावधान, पर्याप्त से अधिक था। इन अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत, इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। वे 18 मामले, जिनमें ₹5 करोड़ तथा अधिक के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किए गए थे, **अनुबंध 3.9** में दिए गए हैं।

3.13 लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)

इसी प्रकार, लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि सिविल मंत्रालयों/विभागों डाक एवं रक्षा की 10 अनुदानों/विनियोगों के चार मामलों में कुल ₹10.33.00 करोड़ की निधियों का अन्य शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संवितरण हुआ जोकि स्वीकृत प्रावधान से अधिक था। इन प्रत्येक शीर्षों में अतिरिक्त व्यय राशि को पुन: विनियोजित किया गया था। ₹5 करोड़ और इससे अधिक का विवेकपूर्ण पुर्न-विनियोजन का ब्यौरा **अनुबंध 3:10** में दिया गया है।

3.14 उप-शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने संसद को, विविध योजनाओं/क्रियाकलापों के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग सूचित की थी, लेकिन अन्तत: वे न केवल संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसका एक भाग

बल्कि मूल बजट प्रावधान का कुछ भाग भी खर्च करने में असमर्थ थे। 18 अनुदानों/विनियोगों के 34 लघु/उप-शीर्षों, जिनमें मूल बजट प्रावधान के भाग अनुपूरक अनुदान जहाँ ₹ पाँच करोड़ से अधिक है सहित संपूर्ण अनुपूरक अनुदान, अव्ययित रहे थे, के विवरण **अनुबंध 3.11** में दिए गए हैं।

3.15 संपूर्ण प्रावधान की बचत (उप-शीर्ष वार)

20 अनुदानों/विनियोगों के 40 उप-शीर्षों में, संसद द्वारा प्राधिकृत कुल ₹1,25,305.38 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान (₹50 करोड़ तथा अधिक) मंत्रालयों/विभागों द्वारा खर्च नहीं किया जा सका और अप्रयुक्त रहा।

संपूर्ण प्रावधान की बचत होना इस तथ्य का सूचक है कि अनुमान परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा करने के बाद तैयार नहीं किए गए थे। प्रमुख योजनाएं जो संपूर्ण प्रावधान के उपयोग न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पायी अथवा प्रभावित हुई, निम्न हैं:-

- विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतानः 'नकद प्रबंधन बिल' (₹1,00,000 करोड़), नकद प्रबंधन बिलों का उपयोग न करने के कारण और भारत मिलेनियम डिपॉजिट के संबंध में वैलयू खाते के रखरखाव के लिए (₹443 करोड़) आरबीआई को जारी किए गए प्रतिभूति-पहले से समायोजित दावों के कारण;
- कृषि, सहयोग और कृषक कल्याण विभाग, 'प्रावधान समायोजन' (₹5,204 करोड़)-योजना के अनुमोदन न होने के कारण;
- आर्थिक मामलों के विभाग: 'रेलवे को भुगतान' (₹4,301 करोड़)। रेलवे को सब्सिडि जारी न होने के कारण 'आईएमएफ को नई व्यवस्था की तहत ऋण (एनएबी)' (1,486 करोड़)-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज के लिए नई व्यवस्था के तहत आईएमएफ का ऋण प्रदान करने के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण' और 'भारतीय कम्पनियों के लिए ब्याज समेकन समर्थन' (500 करोड़)-एक्सिस बैंक द्वारा शून्य वितरण के चलते इस योजना के अंतर्गत ड्रा-डाउन के गैर-प्रारम्भ होने के कारण;
- शहरी विकास मंत्रालय: 'राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को अंतरण' (₹2,300 करोड़)-बजट के शीर्षों में अनजान प्रावधान के कारण;
- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग: 'अंतर्राजीय कार्यक्रमों के लिए व्ययों के लिए राज्यों, को केन्द्रीय सहायता, एनएफएसए के अंतर्गत अनाज और

एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर व्यय के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता' (₹2,200 करोड़)-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं से कार्यान्वयन के क्रियान्वित शीर्षों के लिए स्थानान्तरण के कारण;

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: 'राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए सामग्री सहायता' (₹1,870 करोड़)-योजना के गैर-संग्रहण के कारण;
- विनियोग-ऋण पुर्नभुगतान: **'नकद प्रबंधन बिल' (**₹1,000 करोड़**)**-अधिशेष निधियों की उपलब्धता के कारण नकद प्रबंधन बिल जारी न करने के कारण**;**
- राज्यों को अंतरण: 'स्वायत इकाईयों को अनुदान छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्र' (₹1,000 करोड़**)-**लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र के कारण प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण; और
- वित्तीय मामलों का विभाग: 'सुरक्षा विमोचन निधि' **(**₹625 करोड़**)**-शेष राशि वापस लिखने के निर्णय के कारण;

उप-शीर्ष का ब्यौरा जहां ₹50 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त हो, **अनुबंध 3.12** में दिया गया है।

3.16 एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में ₹100 करोड़ या अधिक की बचत पाई गई थी जो कि मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को इंगित करती हैं। मंत्रालय/विभाग द्वारा न केवल अनुमानों तथा वास्तविकताओं के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने, बल्कि दुर्लभ संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपनी बजटीय प्रक्रिया को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन मंत्रालयों/विभागों को अपनी बजटीय अनुमान की व्यवस्था और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। **अनुबंध 3.13,** एक उप-शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधानों के 10 *प्रतिशत* से अधिक की तथा ₹100 करोड़ या अधिक की 123 ऐसी बड़ी बचतों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए कारणों सहित प्रदर्शित करता है।

निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी बचत हुई:-

- **विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान:** अर्थोपाय अग्रिमों के कम उपयोग तथा ओवर ड्राफ्ट के कारण 'भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों' (₹5,00,000 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत ₹3,36,511 करोड़;.
- **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग** : 'भारतीय खाद्य निगम' (एफसीआई) को देय अर्थोपाय अग्रिमों' (₹50,000 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति) ऋणों के कारण एफसीआई द्वारा ₹27,000 करोड़ कम मूल्य अन्य चैनलों के माध्यम से दिए गए और वित्त मंत्रालय द्वारा एफसीआई को देय सब्सिडी में कमी और आरई चरण में प्रावधान में कमी के कारण ₹25,250 करोड़ 'एफसीआई को देय अनुदान और अन्य अनाज लेनदेन पर' (₹1,03,585 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।
- **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**: ₹19,743 करोड़ 'ब्लॉक अनुदान से केंद्रीय सड़क निधि में स्थानांतरण' के लिए (₹29,847 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति) और ₹7,500 करोड़ वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राजस्व से पूंजी अनुभाग के प्रावधान का पुन: वर्गीकरण करने के कारण (₹7,544 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति) 'राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी ब्रीज शुल्क निधि में स्थानांतरण' के तहत और 'राज्य सड़क के लिए अनुदान' के तहत ₹5,807 करोड़ (₹10,833 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति) चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों से नई सड़कों के निर्माण के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सड़क निधि सेस की कमी और उपयोग प्रमाण पत्र की गैर-प्राप्ति के कारण ₹5,033 करोड़' केंद्रीय सड़क निधि में स्थानांतरण' के तहत वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन और राजस्व से पूंजी अनुभाग के प्रावधान का पुनः वर्गीकरण के कारण (₹33,137 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति) और केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, वितरण सूत्र के संशोधन, राज्य सार्वजनिक निर्माण विभागों को कुछ परियोजनाओं के हस्तांतरण, काम की धीमी प्रगति और समय पर ठेकेदारों से बिलों की प्राप्ति के कारण आरई चरण के केन्द्रीय सड़क निधि सेस में कमी के कारण 'राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' (बजट के प्रावधान के प्रति ₹19,653 करोड़) के तहत ₹4,743 करोड़।

- **आर्थिक मामलों के विभाग**: वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष को हस्तांतरण' के अंतर्गत ₹5,500 करोड़ (₹5,889 करोड़ के बजट के प्रावधान के प्रति) और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि की गतिविधियों में कमी के कारण नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) 'के अंतर्गत ₹3,985 करोड़ (₹4,000 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।
- **वित्तीय सेवा विभाग**: राष्ट्रीय निवेश कोष में अनुमानित और उसके परिणामस्वरूप कम अंतरण की तुलना में विनिवेश की प्राप्ति में कमी के कारण 'राष्ट्रीय निवेश निधि' के अंतर्गत ₹4,530 करोड़ (₹4,625 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति)।
- **उर्वरक विभाग**: स्वदेशी फॉस्फेटिक और पोटासिक (पी एंड के) उर्वरकों के प्रति कम दावों की प्राप्ति के कारण पोषक तत्व आधारित आर्थिक नीति के अंतर्गत ₹4,257 करोड़ (₹23,100 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति)।
- **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**: एलपीजी की बिक्री की मात्रा में गिरावट और अधिक उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी पर आर्थिक सहायता को छोड़ने के कारण एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल)' के तहत ₹4,020 करोड़ (₹17,020 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।
- ***विनियोग - ब्याज भुगतान***: ब्याज दरों को सरल करने और जारी करने की कम मात्रा के कारण ₹3,352 करोड़ के अंतर्गत 'ट्रेजरी बिलों पर छूट -91 दिन के ट्रेजरी बिल' (₹ 13,864 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति)।
- **राज्यों को स्थानांतरण**: उपयोग प्रमाणपत्रों को जमा नहीं करने और विधिवत रूप से गठित स्थानीय निकायों के अस्तित्व के कारण 'स्थानीय निकायों के लिए अनुदान' के अंतर्गत ₹3,000 करोड़ (₹48,868 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति)।

3.17 निरंतर बचत (उप-शीर्ष वार)

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि तीन वर्षों की अवधि 2014-15 से 2016-17 के दौरान 12 अनुदानों तथा विनियोगों के अन्तर्गत 15 उप-शीर्षों के अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक एवं ₹100 करोड़ से अधिक निरन्तर बचत पाई गई हैं, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही

संबंधित योजना/क्रियाकलाप मदों के संबंध में खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को दर्शाती हैं। 15 उप-शीर्षों के ब्यौरे **अनुबंध 3.14** में दिए गए हैं।

3.18 मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56(3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अंधाधुंध व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचा जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमानों के क्रमश: 15 *प्रतिशत* तथा 33 *प्रतिशत* तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर **तालिका 3.9** में दिए गए 12 मामलों में यह पाया गया है कि संवितरण का मुख्य भाग माह मार्च 2017 या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था जिससे नियमों के प्रावधानों तथा प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन होता था।

तालिका 3.9: मार्च 2017 और/अथवा 2016-17 की अन्तिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण
सिविल							
1.	8 फार्मास्यूटिकल्स विभाग	211.40 (211.40)	125.31	59.28 (59.28)	132.37	62.62 (62.62)	उत्तर प्रतीक्षित है।
2.	18 - कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय	344.43 (414.57)	78.68	22.84 (18.98)	141.99	41.22 (34.25)	मंत्रालय ने जुलाई 2017 में कहा था कि बीई में आबंटन ₹344.43 करोड़ था और अनुपूरक के पहले,दूसरे और तीसरे बैच के अंतर्गत अनुपूरक आबंटन ₹75.51 करोड़ था। यह नोट किया जाए कि अंतिम तिमाही और पिछले माह की सीमा पर अनुपूरक आबंटन लागू नहीं होते है।
3.	20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)	68537.63 (74040.74)	13617.35	19.87 (18.39)	22792.20	33.26	उत्तर प्रतीक्षित है।

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण
4.	30 -वित्तीय सेवाएं विभाग	33755.52 (36765.00)	16367.68	48.49 (44.52)	22279.77	66.00 (60.60)	जुलाई 2017 में मंत्रालय ने बताया कि क्रमश: अंतिम तिमाही और पिछले माह में 33**%** और 15**%** की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 2016-17 हेतु अनुपूरक मांग के दूसरे और तीसरे बैच के आधार पर मुख्य व्यय किया गया है।
5.	37 - राजस्व विभाग	11925.01 (11108.36)	4627.92	38.81 (41.66)	4713.89	39.53 (42.44)	विभाग ने बताया कि सीएसटी/वैट से बाहर निकलने के कारण राज्य और संघ शासित प्रदेशों को सीएसटी मुआवजे के अनुसूची से बाहर होने से हुई राजस्व हानि के कारण किया गया था।
6.	41- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	636.02 (729.00)	177.32	27.88 (24.32)	246.50	38.76 (33.81)	मंत्रालय ने बताया कि अनुपूरक अनुदान के तीसरे बैच के माध्यम से अतिरिक्त निधियों के लिए अनुमोदन को मार्च 2017 में प्राप्त किया गया था इसलिए व्यय भी केवल मार्च 2017 में किया जा सकता था।
7.	43- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1144.80 (1344.80)	26.94	--	510.94	44.63 (37.99)	विभाग ने बताया कि अनुपूरक अनुदान के दूसरे बैच के माध्यम से आईसीएम आर को अतिरिक्त निधि के निर्गम हेतु अनुमोदन जनवरी 2017 में प्राप्त हुआ था इसलिए आईसीएमआर को अनुदान का निर्गम उसके बाद ही किया जा सका था।

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण
8.	47- मंत्रिमंडल	419.64 (646.00)	35.35	--	239.66	57.11 (37.10)	विभाग ने बताया कि आरई 2016-17 बढ़ा दिया गया था और अतिरिक्त राशि को अनुपूरक अनुदान के दूसरे बैच में प्राप्त किया गया था और इसे जनवरी 2017 में उपलब्ध करवाया गया था। इसलिए, वि.व. 2016-17 की अंतिम तिमाही में बड़ा व्यय हुआ है।
9.	55- निर्वाचन आयोग	121.52 (146.00)	51.21	42.14 (35.08)	64.70	53.24 (44.32)	विभाग ने बताया कि पूँजीगत व्यय को वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त किया गया है और तदनुसार वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किया गया है।
10.	81- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	1804.28 (2173.00)	515.66	28.58 (23.73)	613.86	34.02	मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय के प्रतिष्ठित कार्यक्रम अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) ने प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक बार अंतिम भुगतान की परिकल्पना की थी। इसलिए, व्यय की गति में विलंब हुआ था।
11.	86 - इस्पात मंत्रालय	85.62 (438.11)	399.36	466.00 (91.16)	407.42	475.85 (92.99)	मंत्रालय ने जुलाई 2017 में बताया कि अनुपूरक के तीसरे बैच में वित्त मंत्रालय द्वारा राशि प्रदान की गई थी क्योंकि मार्च के माह में अनुदान जारी किए गए थे।
रक्षा							
12.	23 - रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	78586.68 (71700.00)	12897.19	16.41 (17.99)	25230.48	--	उत्तर प्रतीक्षित है।

- कोष्ठकों में आंकड़े संशोधित अनुमानों के संदर्भ में प्रतिशत दर्शाते हैं।

उपरोक्त मामलों में, कुछ मंत्रालयों ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा राशि अनुदान पूरक अनुदानों में प्रदान की गई थी और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी की जा सकती है। इसलिए व्यय अंतिम तिमाही/मार्च 2017 में ही किया जा सकता था।

चूंकि विभिन्न संगठनों को मार्च में जारी की गई निधियॉ वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकती, जो उसी माह के अंतिम दिन पर समाप्त होती हैं इसलिए यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि क्या ये निधियां उसी वर्ष उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गई जिसके लिए वह प्राधिकृत की गई थीं।

3.19 रक्षा सेवाएं अनुदानों में निरंतर बचत (लघु शीर्ष-वार)

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने दो अनुदानों के लघु शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति (₹100 करोड़ से अधिक) प्रकट किया जिसका विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष 2014-17 के दौरान निरन्तर बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण उप मुख्य/लघु शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
22 - रक्षा सेवा (राजस्व)				
1.	2076.00.101- सेना के वेतन और भत्ते (दत्तमत)	209.11	916.04	243.23
2.	2078.00.111 -निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	197.08	160.62	294.59
23 - रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय				
3.	4076.01.102 -भारी और मध्यम वाहन (दत्तमत्त)	1385.50	336.98	1051.86
4.	4076.02.104 - संयुक्त कर्मचारी (दत्तमत्त)	384.92	200.38	158.99
5.	4076.03.103- अन्य उपकरण (दत्तमत्त)	7133.62	2594.42	982.85

अनुदानों के उपरोकथित शीर्षों में भारी बचतों की निरंतर प्रवृत्ति, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने के संकेतक है।

3.20 रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभारित खण्ड के अंतर्गत अनुदान सं.22-रक्षा सेवाएं (राजस्व) ₹29.71 करोड़ की बचत के प्रति ₹7.07 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था तथा दत्तमत खण्ड के अंतर्गत ₹2,823.77 करोड़ की बचतों के प्रति ₹1,781.82 करोड़ का अभ्यर्पण किया था। अनुदान सं. 23-रक्षा सेवाओं के पूंजीगत परिव्यय में दत्तमत खण्ड के अंतर्गत ₹4,489.15 करोड़ का अभ्यर्पण शून्य बचतों के प्रति किया गया था। ₹6,278.04 करोड़ की समग्र अभ्यर्पित राशि को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.11** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 3.11: बचतों एवं अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान/विनियोग	बचत		वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि (व्यपगत)	
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
22 - रक्षा सेवा (राजस्व)	29.71	2823.77	7.07	1781.82	22.64	1041.95
23 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	--	--	--	4489.15	--	--
कुल	**29.71**	**2823.77**	**7.07**	**6270.97**	**22.64**	**1041.95**

3.21 निष्कर्ष

संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदानों/विनियोगों के 12 खण्डो में कुल ₹1,90,270 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया था जो वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए विनियोग अधिनियम के प्राधिकरण से अधिक था। इन अधिक व्ययों को संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (ख) के अनुसार नियमित किया जाना अपेक्षित है। रक्षा पेंशन के अनुदान/विनियोग निरंतर प्राधिकृत राशि से अधिक व्यय कर रहे हैं। अन्य कमियां जैसे अनुदानों/विनियोगों में कुल ₹2,28,640 करोड़ की बड़ी राशि की बचत (₹100 करोड़ से अधिक) के विभिन्न खण्डो में वर्ष के दौरान बड़ी राशि की अनुपूरक अनुदान प्राप्त करना जो अंतत: अप्रयुक्त रहीं, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण दर्शाती है कि आंरभिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया के पुनर्राभमुखीकरण और बजट के कार्यान्वयन की निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

4: विनियोग लेखे: लेखाओं पर टिप्पणियां

4.1 प्रस्तावना

वित्तीय मामलों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (डीएफपीआर) 1978, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (जीएफआर) से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अन्य स्थायी निर्देश सरकारी निधियों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तथा सरकारी खातों से किये गये व्यय हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस अध्याय में बताया गया है।

4.2 भारतीय संविधान के भाग 114(3) का उल्लंघन - सीबीडीटी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 114(3) अनुबंध करता है कि विधि अनुसार किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि (सीएफआई) से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान समेकित निधि पर एक प्रभार है, तथा इसलिए यह केवल विधि अनुसार किए गए उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाने के पश्चात ही देय है। डीएफपीआर, 1978 का नियम 8 'ब्याज' को ब्याज व्यय के वर्गीकरण हेतु विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में परिभाषित करता है।

राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अतिरिक्त कर की वापसियों पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में करता है। संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी के निरंतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों पर सीएजी के प्रतिवेदन में भी इस गलत प्रक्रिया पर टिप्पणी की गई है। तथापि, विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 66वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2012-13) में पाया, कि विभाग के पास पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के व्यापक अनुमान न बना पाने का कोई वैद्य आधार नहीं था। विभाग ने स्वीकार किया कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, उसके पास संसद द्वारा पारित विनियोग के सहायता लिए बिना अतिरिक्त एकत्रित अतिरिक्त कर/वापसी पर ब्याज वसूलने का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था। समिति ने विभाग को याद दिलाया कि संविधान का अनुच्छेद 114(3) स्पष्ट रूप से

अधिदेशित करता है कि विधायिका द्वारा किए गए 'विनियोग' के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकेगा।

अपनी अनुपालन रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2013-14 की 96वीं रिपोर्ट) में पीएसी ने अपनी पहले की अनुशंसाओं को दोहराया था कि मंत्रालय संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप एक प्रक्रिया स्थापित करे ताकि वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा अनुदान हेतु मांगों में कर वापसियों पर ब्याज भुगतानों को दर्शा कर संसदीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके जैसा कि संविधान द्वारा विहित है।

पूर्व की भांति, वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा विभाग द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तथा पीएसी की सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए वापसियों पर ब्याज पर कुल ₹2,598 करोड़ का व्यय किया गया था। आवश्यक विनियोग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना पिछले आठ वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों पर ₹58,537 करोड़ का व्यय किया गया था जिसका विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1: करों की वापसी पर ब्याज पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसियों पर ब्याज पर व्यय
2008-09	5,778
2009-10	6,876
2010-11	10,499
2011-12	6,486
2012-13	6,666
2013-14	6,598
2014-15	5,332
2015-16	7,704
2016-17	2,598
कुल	58,537

विभाग ने बताया (जनवरी 2017) कि वापसी पर ब्याज को राजस्व की कटौती के रूप में मानने की अटॉर्नी जनरल की वर्तमान प्रथा की राय के आधार पर तथा वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से, पीएसी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएसी ने एलडी अटॉर्नी जनरल द्वारा दिये गये तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के सलाह पर विचार किया था तथा

अपनी 96वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में दोहराया कि "राजस्व विभाग के पास कर वापसी पर ब्याज भुगतान के लिए पूर्व या कार्योत्तर संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है"। सरकार को कर वापसी पर ब्याज के व्यय का प्रावधान और रिपोर्टिंग करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्ष बनाना चाहिए। पीएसी ने पाया कि सलाह अंततः एक सलाह है और यह समिति के लिए है कि तय करे कि सही प्रक्रिया क्या है।

4.3 प्रावधान के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता

4.3.1 वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन

नई सेवा (एनएस)/सेवा के नए साधन (एनआईएस) से संबंधित मामलों का निर्धारण करते समय लागू की जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी निकाय या प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष- "सहायता अनुदान" में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

वर्गीकृत सार/ई-लेखा डाटा सहित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान के ₹7.37 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसके फलस्वरूप एनएस/एनआईएस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2: वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान-सामान्य' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं. 16- उपभोक्ता मामले विभाग								
1.	2852.80.101.04.00.31 भारत में स्वर्ण प्रमाणक/जांच के केन्द्रों की स्थापना	0.90	0.10	0.00	0.00	1.00	1.18	0.18
लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि अनुदान में कुल व्यय उपलब्ध प्रावधान के भीतर ही था। अभ्युक्ति को भविष्य हेतु नोट कर लिया गया था तथा भविष्य में व्यय के ऐसे आधिक्य से बचने के लिए समुचित ध्यान रखा जाएगा।								

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं.20- रक्षा मंत्रालय (विविध)								
2.	3054.02.800.01.00.31 भूटान प्रतिपूरक भत्ता (बीआरओ)	7.00	-	-	-	7.00	7.03	0.03
3.	3054.02.800.02.00.31 सड़क निर्माण कार्य (बीआरओ)	22.84	-	-	-	22.84	22.89	0.05
मंत्रालय ने स्वीकार किया तथा बताया (अक्तूबर 2017) कि अतिरिक्त व्यय पांच प्रतिशत से कम था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस वस्तु शीर्ष के प्रावधान की कोई वृद्धि के लिए संसद का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।								
अनुदान सं. 28- विदेश मंत्रालय								
4.	2061.00.800.11.02.31 अन्तराष्ट्रीय भारतीय कानून समिति	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.07	0.02
मंत्रालय ने बाताया (अगस्त 2017) कि ₹1.83 लाख के व्यय को गलती से कथित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था तथा सीजीए कार्यालय को जर्नल प्रविष्टि के द्वारा गलत वर्गीकरण को सुधारने का अनुरोध किया गया है।								
अनुदान सं. 52- उच्च शिक्षा विभाग								
5.	2203.00.796.40.04.31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अभिक्रम (जनजातीय उप योजना संघटक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06
विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि इस योजना की सांकेतिक अनुपूरकता को लेने के पश्चात् निधियों का संवर्धन पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त योजना हेतु सांकेतिक अनुपूरक अनुदान को सामान्य संघटक के अंतर्गत प्राप्त किया गया था न कि जनजातीय उपयोजना संघटक के रूप में।								
अनुदान सं.58- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय								
6.	2851.00.105.15.03.31 खादी ग्राम और कयर उघोग विकास	8.00	0.90	0.00	0.00	8.90	8.93	0.03
उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)								
अनुदान सं. 83- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग								
7.	2235.02.101.01.09.31 (योजेनेतर) राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बधिर, मानसिक रूप से मंदित तथा अस्थि दिव्यांग योजना संस्थान के विस्तारण तथा सुधार हेतु राष्ट्रीय संस्थानों का निधियन करना।	4.35	0.00	1.67	0.00	6.02	6.19	0.17
8.	2235.02.101.10.16.31 (योजनागत) अन्य योजनाएं-दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना	30.32	4.50	0.00	0.00	34.82	34.91	0.09

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)								
अनुदान सं. 85- सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय								
9.	3454.02.204.19.05.31 सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता-क्षमता विकास (सीएसओ तथा सांस्थानिक विकास एवं क्षमता निर्माण को क्षमता विकास)	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	31.74	6.74
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि उक्त लेखा शीर्ष को ₹ लाख का सांकेतिक अनुपूरक प्राप्त करके संवर्धित किया गया था। तदन्तर प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹25.00 करोड़ '3454.02.204.19.05.31' को पुनर्विनियोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त संबंधित प्रभाग द्वारा की गई मांग के अनुसार उसी योजना के मुख्य शीर्ष 2552 तथा उपयोजना आर्थिक जनगणना से ₹6.74 करोड़ भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पुनर्विनियोजित किए गए थे। इस प्रकार, उक्त लेखा शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध कुल राशि ₹31.74 करोड़ थी। मंत्रालय ने उसी उत्तर को अक्तूबर 2017 में दोहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अकार्यात्मक मुख्य शीर्ष 2552 से कार्यात्मक शीर्ष में पुनर्विनियोजन उसी योजना में ही किया जाना चाहिए। इस मामले में, सांख्यिकी-क्षमता विकास योजना (एनएसएसओ का क्षमता विकास - उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय एनएसएस नमूना कार्य करने के लिए राज्यों को सहायता अनुदान) - सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता के अंतर्गत ₹5.00 करोड़ के प्रावधान को भिन्न योजना अर्थात् क्षमता विकास (सीएसओ के क्षमता विकास तथा सांस्थानिक विकास व क्षमता निर्माण) - सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता में पुनर्विनियोजित किया गया था।								
	कुल							**7.37**

** बीई= बजट अनुदान, एनई= एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, एसए= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए= कुल प्राधिकरण, टीई= कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

4.3.2 वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने अपने ओएम दिनांक 12 फरवरी 2010 के द्वारा विनियोग की प्राथमिक ईकाई के स्तर पर पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2009-10 से प्रभावी एक नया वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' लाया गया। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के अपने ओएम द्वारा स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान का संवर्धन अनुदानों के लिए पूरक मांगों के माध्यम से संसद के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

संवीक्षा से पता चला कि कुल ₹ 6.01 करोड़ की निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद के पूर्व अनुमोदन बिना वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत संवर्धित की गई थी जिससे एनएस/एनआईएस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

तालिका 4.3: वस्तु शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
			(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.12- औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग								
1.	2852.80.800.26.00.35 स्वायत्त संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता	38.07	31.98	50.00	0.00	120.05	120.07	0.02
विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि उत्तर पूर्व के लिए ₹ 32.00 करोड़ का प्रावधान था न कि ₹ 31.98 करोड़ का (सहायता अनुदान सामान्य ₹ 0.01 करोड़, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ₹ 31.98 करोड़ सहायता अनुदान-वेतन ₹0.01 करोड़) अत: कोई आधिक्य नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अभ्युक्ति वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जिसके लिए 2552.00.147.08.35 के अंतर्गत ₹31.98 करोड़ का बजट प्रावधान था, के अंतर्गत संवर्धन से संबंधित है।								
अनुदान सं. 42- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग								
2.	2011.00.800.20.00.35 एनआरएचएम को संयोजनों का अग्रेषण	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	27.54	2.54
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2017) कि ₹27.54 करोड़ की राशि को मुख्य शीर्ष-2552 से कार्यात्मक लेखा शीर्ष-2211.00.800.20.00.35 को पुनर्विनियोग किया गया था। 12 जून 2001 के व्यय विभाग के आदेश के अनुसार शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसार एनईआर के लिए योजना/कार्यक्रम के लाभ के लिए अनुदान के अंतर्गत संपूर्ण रूप में एकमुश्त प्रावधान से बचत की पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹2.54 करोड़ की अतिरिक्त राशि को पूरा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'वस्तु शीर्ष-35' के प्रावधान में वृद्धि एनएस/एनआईएस की सीमा की मांग करती है तथा इसलिए वित्त मंत्रालय के मई 2006 में जारी ओएम के अनुसार संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।								
अनुदान सं. 52-उच्च शिक्षा विभाग								
3.	2203.00.796.08.03.35 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हैदराबाद संस्थान (ईएपी) (जनजातीय उप योजना संघटक)	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	1.50	0.75
विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि इस योजना का सांकेतिक अनुपूरक लेने के पश्चात निधियों का संवर्धन, पुनर्विनियोग के द्वारा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित योजना के लिए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान सामान्य सघटक के अंतर्गत प्राप्त किया गया था न कि जनजातीय उपयोजना संघटक के।								

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
			(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं. 83- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग								
4.	2235.02.101.01.09.35 (योजना) राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बाधिर, मानसिक रूप से मंदित तथा अस्थि दिव्यांग योजना संस्थान के विस्तारण तथा सुधार हेतु राष्ट्रीय संस्थानों को निधियन करना	11.00	0.00	0.00		11.00	12.62	1.62
5.	2235.02.796.03.04.35 (योजना) समाज कल्याण-दिव्यांगो का कल्याण राष्ट्रीय अक्षम संस्थान	4.52	0.00	0.00		4.52	5.60	1.08
उत्तर प्रतिक्षित था (अक्तूबर 2017)।								
	कुल							**6.01**

* बीई= बजट अनुदान, एनई= एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, एसए= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए = कुल प्राधिकरण, टीई= कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.3.3 वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 जून 2011 के अपने ओएम के माध्यम से वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान पर व्यय को विशेष रूप से दर्शाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' आरंभ किया। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के ओएम द्वारा स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष के अतंर्गत प्रावधान में संवर्धन करने के लिए अनुदान हेतु अनुपूरक मांगो के माध्यम से संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान लेनदेन विवरणी/ई-लेखा डाटा सहित विनियोग लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित अनुदान सं. 83 में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान वस्तु शीर्ष 36-सहायता अनुदान वेतन के अंतर्गत संसद का अनुमोदन प्राप्त किए बिना मौजूदा आदेश का उल्लंघन करके प्रावधान का संवर्धन करके कुल ₹ 2.48 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था

तालिका 4.4: वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से अधिक
			(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं. 83- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग								
1.	2235.02.796.03.04.35 (योजना) राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बधिर, मानसिक रूप से मंदित, अस्थि दिव्यांग योजना संस्थानों के विस्तारण तथा सुधार हेतु राष्ट्रीय संस्थानों को निधियन करना	29.92	0.00	0.00	0.00	29.92	32.40	2.48
उत्तर प्रतिक्षित था (अक्तूबर 2017)।								
	कुल							**2.48**

* बीई= बजट अनुदान एनई = एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान एसए = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए = कुल प्राधिकरण, टीई = कुल व्यय

4.3.4 वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन

मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्विनियोग के माध्यम से वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अंतर्गत उपलब्ध विनियोग में प्रावधान के संवर्धन हेतु, यदि अतिरिक्तता, पहले से संसद द्वारा दत्तमत्त मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित है। मंत्रालय ने 21 मई 2012 को स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अतंर्गत निधियों के सवंर्धन (या तो निधियों के पुनर्विनियोग अथवा अतिरिक्तता के माध्यम से) हेतु सभी मामलों को बिना किसी छूट के अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगो के माध्यम से ससंद की पूर्वानुमति अपेक्षित है।

ई-लेखा डाटा सहित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि संसद की पूर्व अनुमोदन के बिना वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल ₹3230.60 करोड़ के चार अनुदानों की निधियॉ व्यय की गई थीं, जैसा नीचे **तालिका 4.5** में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.5: वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं. 7- उर्वरक विभाग								
1.	2852.03.101.06.03.33	11000.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	11256.59	256.59
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि आधिक्य का कारण प्रस्तावों की अप्रत्याशित प्राप्ति तथा देयता का बड़ा भार था। मंत्रालय ने आगे बताया (सितम्बर 2017) कि आयातित यूरिया की बिक्री के कारण ₹4,100.00 की वसूली मुख्य शीर्ष-2401 के तहत गलती से जोड़ा गया था। आयातित यूरिया सब्सिडी के संबंध में डीडीजी 2016-17 में बजटीय आबंटन ₹4,100.00 करोड़ की वसूली सहित ₹15,100.00 करोड़ था। तथापि, डीजी के साथ डीडीजी के आंकड़ों से मेल खाने के लिए, आयातित यूरिया सब्सिडी के संबंध में आबंटन को ₹15,100.00 करोड़ से बदलकर ₹11,000.00 करोड़ किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीडीजी के अनुसार मूल बजट प्रावधान का आंकड़ा ₹15,100.00 करोड़ था जिसके लिए 31 मार्च 2017 के शुद्धिपत्र में मंत्रालय ने बजट प्रावधान को ₹11,000.00 करोड़ बताते हुए जारी किया था तथा वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के तहत किसी भी वृद्धि की आवश्यकता हेतु संसद का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।								
अनुदान सं. 12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग (डीआईपीपी)								
2.	2885.02.101.15.03.33 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना	0.01	0.00	0.00	0.00#	0.01	41.05	41.04
3.	2885.02.101.15.04.33 'व्यापक बीमा योजना'	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	6.55	6.54
4.	2885.02.101.15.08.33 'पूंजी निवेश सब्सिडी'	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	122.41	122.40
5.	2885.02.101.15.02.33 भाड़ा आर्थिक सहायता	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	18.84	18.83
# 2552.00.238.09 पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के अंतर्गत ₹234.97 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तथापि, गैर कार्यात्मक शीर्ष और उसके तदनुरूप कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत योजनावार ब्यौरा नहीं दिया गया था जो बजट प्रभाग के दिनांक 14 सितम्बर 2005 के ओएम सं. एफ-2 (66)- बी. (सीडीएन) 2001 की शर्तों के अनुसार अपेक्षित है। विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि डीडीजी 2016-17 ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि उसमें सब्सिडी के चार संघटको में प्रत्येक के लिए 1 लाख के चार सांकेतिक प्रावधान तथा ₹ 188.81 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान थे जो एनईआईपीपी सब्सिडी के चार संघटको के बीच बांटा जाना प्रत्याशित था। वास्तविक डीडीजी में एनईआईपीपी सब्सिडी प्रावधान का ब्यौरा नही दर्शाया गया था लेकिन यह एनई क्षेत्र के लाभ हेतु एकमुश्त प्रावधान की बजटीय योजना का सार है। यदि विभाग बजट स्तर पर ही सभी विवरण जानता होता तो एकमुश्त प्रावधान की आवश्यकता ही न होती। यह विभाग को, औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, जो योजना के अंतर्गत दर्ज, सत्यापित तथा योग्य पाए गए दावों पर निर्भर है, के संवितरण हेतु नभ्यता प्रदान करने के लिए एक लाभकारी बजट प्रक्रिया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र 2016-17 के पैरा 3.2.3 के अनुरूप नहीं है। जिसमें यह अनुबद्ध है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु परियोजनाओं/योजना के प्रति बजट प्रावधान अब से व्यय के उपयुक्त कार्यात्मक शीर्षों में संभावित पुनर्विनियोजन हेतु मुख्य शीर्ष 2552-उत्तरपूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत एक मुश्त के रूप में दिया गया है। तथापि, इस प्रकार के एकमुश्त प्रावधान को संभावित पुनर्विनियोग हेतु मुख्य शीर्ष 2552-उत्तरपूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए तथा अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में ब्यौरे दर्शाते हुए वस्तु शीर्ष स्तर तक तथा इसके सदृश विभिन्न कार्यात्मक मुख्य/उपमुख्य/लघु शीर्षों तक विघटित किया जाना चाहिए। तथापि, वर्तमान मामले में एक मुश्त प्रावधान को संभावित पुनर्विनियोग हेतु अनुदानों की विस्तृत मांगो में ब्यौरे दर्शाते हुए वस्तु शीर्ष स्तर तक तथा इसके सदृश विभिन्न कार्यात्मक मुख्य/उपमुख्य/लघु शीर्षों तक विघटित नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि मंत्रालय द्वारा उपरोक्त विधि को 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान अपनाया गया था।								
अनुदान सं.14-दूरसंचार विभाग								
6.	3275.00.103.01.01.33 सेवा संभरक-भारत नेट को क्षतिपूर्ति	0.00	0.00	2830.06	0.00	2830.06	5600.00	2769.94
7.	3275.00.103.01.02.33 सेवा संभरक-सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को क्षतिपूर्ति	0.00	0.00	1620.68	0.00	1620.68	1625.94	5.26

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि अनुदानों के अनुपूरक मांगों के पहले, दूसरे और तीसरे बैच में संसद द्वारा क्रमशः ₹1,000 करोड़, ₹1,000 करोड़ और ₹552.14 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। इसके अलावा, ₹2,460.86 करोड़ 3275.00.103.01.01.33-भारत में पुनर्विनियोजित थे। जैसा कि अनुपूरक अनुदान संसद द्वारा पारित किया गया था, वहीं नए विस्तृत शीर्ष 3275.00.103.01.01-भारत-नेट के लिए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय के दिनांक 21 मई 2012 के ओएम के अनुसार बचत से पुनर्विनियोग करने से पहले वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के तहत प्रावधान में किसी भी वृद्धि को संसद के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है								
अनुदान सं. 66- पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय								
8.	2802.80.102.12.00.33 एनई क्षेत्र सहित अन्य देय सब्सिडी	7094.21	0.00	1676.49	0.00	8770.70	8780.70	10.00
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि पुनर्विनियोजन आदेश के जरिए ₹10.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई क्योंकि वहां एक अन्य शीर्ष में उपयोगिता बचत थी। मंत्रालय ने आगे बताया (अक्टूबर 2017) कि संसद के पूर्व अनुमोदन के लिए इस प्रावधान को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।								
	जोड़							**3230.60**

* बीई= बजट अनुदान एनई = एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, एसए = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए = कुल प्राधिकरण, टीई = कुल व्यय

4.3.5 वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने 'नयी सेवा/सेवा के नए साधन (एनएस/एनआईएस) से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशानिर्देश' से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा. के संदर्भ में स्पष्ट किया (दिनांक 21 मई 2012) कि वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एनएस/एनआईएस के मामलों के संबंध में ₹2.50 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत्त विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक, की निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो अथवा मौजूदा निर्माण कार्यों के लिए।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि पुलिस से संबंधित अनुदान सं. 48 कुल ₹9.31 करोड़ की निधियों का वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संवर्धन किया गया जिससे नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाओं का उल्लंघन हुआ जिसका ब्यौरा नीचे **तालिका 4.6** दिया गया है

तालिका 4.6: वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण-कार्य' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतेर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं. 48- पुलिस								
1.	4055.00.216.01.02.53 राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड-कार्यालय भवन	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	68.31	9.31

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई के अंतर्गत एसए*	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
		(₹ करोड़ में)						
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि वस्तु शीर्ष कार्यालय भवन के अंतर्गत ₹ 224.87 करोड़ के अतिरिक्त व्यय हेतु संसद का पूर्वानुमोदन अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग के द्वितीय बैच में प्राप्त किया गया था जिसमें (राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड) एनएटीजीआरआईडी की अतिरिक्त आवश्यकता भी शामिल है। उस समय सचिव (व्यय) के अनुमोदन पुर्नविर्नियोग आदेश जारी किए गए थे। तथापि जब लेखा शीर्षों के बीच अनुपूरक का वितरण किया गया था तो एनएटीजीआरआईडी की प्रविष्टि भूलवश रह गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं क्योंकि वस्तु शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य ने एनएस एनआईएस की सीमाओं का उल्लंघन किया तथा व्यय की प्रत्येक मद की पृथक बजट लाइन होती है। इस प्रकार, प्रत्येक व्यय की मद के लिए संसद से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।								
	कुल							9.31

* बीई= बजट अनुदान एनई = एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान एसए= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए =कुल प्राधिकरण, टीई =कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.4 पूंजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण

संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरणियों में राजस्व लेखे पर व्यय अन्य व्यय से भिन्न दर्शाया जायेगा। तदनुसार राजस्व लेखे एवं पूंजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

4.4.1 पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 परिसंपित्तयों तथा अन्य पूँजीगत व्यय, जिनमें वस्तु शीर्षों अर्थात 51 से 56 तथा 60 को समाहित किया गया है, के अधिग्रहण हेतु वस्तु वर्ग छः में वर्गीकरण करता है। ये वस्तु शीर्ष[1] पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है, और इसलिए केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के होने चाहिए।

वर्ष 2016-17 हेतु ई-लेखा डाटा सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में उन मामलों का पता चला जहाँ इन वस्तु शीर्षों का राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ उपयोग किया गया था जिसे नीचे **तालिका 4.7** में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को ₹27.87 करोड़ से अधिक एवं पूंजीगत व्यय को इतना ही कम बताया गया।

[1] ब्यौरो तथा वस्तु शीर्षों के विवरण के लिए **अनुबंध 4.1** देखें।

तालिका 4.7: पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष (राजस्व)	वस्तु शीर्ष (पूंजीगत)	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51/52/60	14.04	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
2.		3401	51/52	11.94	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
3.	14-दुरसंचार विभाग	3275	51	0.08	विभाग ने स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2017) कि सभी शीर्षों को पूंजीगत से राजस्व में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है और इसके विपरीत पूंजीगत भाग वस्तु शीर्ष-51 मोटर वाहन को छोड़कर डीडीजी-2017-18 में उपलब्ध हैं, जिसके लिए नए वस्तु शीर्ष खोलने के लिए वित्त मंत्रालय, बजट प्रभाग के साथ मामला उठाया जा रहा था।
4.	58-सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	2851	51/52	1.75	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि प्रशासनिक प्रभाग को वित्त वर्ष 2017-18 से राजस्व भाग की बजाय पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत व्यय को दर्ज करने के लिए तदनुरूपी शीर्षों को खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
5.	85-सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3454	52	0.06	अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि सबंधित प्रभागों को आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी किए गए थे तथा अनुपूरक मांग तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से डीडीजी 2017-18 में सही बजट प्रावधान प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
	कुल			**27.87**	

व्यय आंकड़े स्रोत: समेकित सार

4.4.2 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली,1978 (डीएफपीआर) का नियम 8, मोटे तौर पर वस्तु वर्ग छः के अतिरिक्त आने वाले वस्तु शीर्षों को राजस्व प्रकृति के व्यय के तौर पर वर्गीकृत करता है। तदनुसार, इन वस्तु शीर्षों को सामान्यत: पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2016-17 के समेकित सार ई-लेखा आंकड़ो सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कुछ मामलों में राजस्व प्रकृति के वस्तु शीर्षों को गलत प्रकार से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ परिचालित किया गया था। इन गलत वर्गीकरणों के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को ₹152.54 करोड़ तक कम एवं पूंजीगत व्यय को इतना ही अधिक बताया गया है जैसा कि नीचे **तालिका 4.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान विवरण	मुख्य शीर्ष (पूंजीगत)	वस्तु शीर्ष (राजस्व)	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	4-परमाणु उर्जा विभाग	4861	27	51.18	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)
2.		5401	27	1.79	
3.	14-दूरसंचार विभाग	5275	11/13/28	2.43	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)। विभाग ने स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2017) कि शेष शीर्ष में आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं उतनी निधियां उपलब्ध है और अन्य तकनीकी अनुपूरक अनुदान 2017-18 के दूसरे बैच में प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा, संबंधित इकाईयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी वस्तु शीर्ष के तहत किसी भी अन्य व्यय पर व्यय न करें। आवश्यक सुधार डीडीजी-2018-19 में किए जाएँगे।
4.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	4076	50/43	20.98	सीजीडीए कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि यौक्तिकीकरण से पूर्व व्यय को पूँजीगत भाग में दर्ज किया गया था तथा यौक्तिकीकरण के परिणामस्वरूप उसको पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' तथा '43-उचन्त' में दर्ज किया जा रहा था। मंत्रालय ने भी अनियमितताओ को स्वीकार किया जो अनुदान के यौक्तिकीकरण के कारण थी। उसने यह भी दावा किया कि विलयन के कारण 15 अंकीय कोड़ के सृजन हेतु डीजीए (डीएस) कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बजट प्रावधान को अनुदान के यौक्तिकीकरण के पश्चात् राजस्व भाग में प्राप्त करना अपेक्षित था।

क्र.सं.	अनुदान विवरण	मुख्य शीर्ष (पूंजीगत)	वस्तु शीर्ष (राजस्व)	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
5.	74-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	5054	11/13/20	10.01	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि (i) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एनईआर में कई परियोजना कार्यान्वयन यूनिट खोले गए हैं। इस उद्देश्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ, आवास, कार्यालयी फर्नीचर तथा अन्य कार्यालयी उपकरण की आवश्यकता थी तथा मंत्रालय के सचिवालय शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से तदनुरूप व्यय करना संभव नहीं था। (ii) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने को सरल बनाने के लिए ताकि अर्थात् इस उद्देश्य हेतु 0.2 प्रतिशत रोका हुआ था, के कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। आकस्मिकता का 3 प्रतिशत भाग। (iii) राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय/प्रभाग/क्षे.का. हेतु आईटी से संबंधित हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के अधिप्रापण पर व्यय करने के लिए मुख्य शीर्ष 5054 के अंतर्गत कार्यालयी खर्चे- 5054.01.337.04.99.13- उपशीर्ष 01.99.50- सूचना प्रौद्योगिकी खोला गया था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन के नियम 8 में अनुबद्ध है कि वर्ग 6 के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्ष पूँजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य पूँजीगत व्यय के लिए होगा जबकि वस्तु शीर्ष 11-डीटीए, 13-ओई तथा 20-अन्य प्रशासनिक खर्चे वस्तु वर्ग 2 के अंतर्गत आते है अर्थात् प्रशासनिक खर्चों को राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उपयोग किया जाना चाहिए।
6.	80- पोतपरिवहन मंत्रालय	5051	50	0.75	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण को सुधारने के लिए तथा एक नया बजट शीर्ष खोलने के लिए कार्रवाई की गई थी।
		5052	13	5.40	
7.	89-जनजातीय मंत्रालय	4225	35	60.00	अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि 2017-18 के चालू वित्त वर्ष के दौरान आवश्यक सुधार कर लिए गए थे तथा वस्तु शीर्ष '54-निवेश' के अंतर्गत ₹60.00 करोड़ के पूँजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया था।
	जोड़			**152.54**	

4.4.3 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 79 में यह अनुबंध करता है कि रख-रखाव, मरम्मत, अनुरक्षण तथा कार्यशील खर्चों पर प्रभार, जो परिचालन क्रम में परिसम्पत्तियों को अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित है तथा संगठन के दिन-प्रतिदिन हेतु स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय सहित किए गए सभी अन्य खर्चों को भी राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2016-17 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखाओं एवं ई-लेखा डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा में उन कई मामलों में पता चला जिसमें राजस्व प्रकृति का

व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया गया था जिसका परिणाम राजस्व व्यय अधिक/कम बताने में हुआ जिसे **तालिका 4.9** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: अनुदान के विभिन्न भागों में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	11- वाणिज्य मंत्रालय	38.77	निर्यात अवसंरचना तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) योजना के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड, प्राधिकरणों तथा स्वायत्त निकायों को दिए गए ₹38.77 करोड़ के सहायता अनुदान को पूँजीगत लेखा शीर्ष 5453.80.800.12.01.01.53-मुख्य निर्माण कार्य में दर्ज किया गया था। सही वस्तु शीर्ष अनुदान के राजस्व भाग में 35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान होना चाहिए।	विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि एएसआईडीई योजना को दिनांक 01 अप्रैल 2017 से बंद कर दिया गया । भूर्तपूर्व एएसआईडीई योजना 2002-03 से 2016-17 तक कार्यान्वित की जा रही थी तथा एएसआईडीई हेतु निधियां पूँजीगत मुख्य शीर्ष 5453 के अंतर्गत आबंटित की गई तथा इसके अनुसार उपयोग की गई थी। विभाग के उत्तर को इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि अभियुक्ति वार्षिक विनियोग लेखे पर आधारित है न कि योजना पर।
2.	18-कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	3.74	किराए पर लिए गए स्थान की मरम्मत के प्रति किए गए ₹3.74 करोड़ के व्यय को अनुदान के पूँजीगत भाग में लेखाशीर्ष '5475.00.800.09.00.53' (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत दर्ज किया गया था। चूँकि किए गए कार्यों की मदे स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों के सृजन का परिणाम नहीं थे, इसलिए इसको अनुदान के राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा अभियुक्ति नोट कर ली गई है तथा आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी।
3.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	2031.71	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा कवर तथा विमान उत्थापन प्रभारों के अतिरिक्त सड़क अनुरक्षण के प्रति किये गए ₹2031.71 करोड़ के व्यय को पूंजीगत भाग में (5054.02.337.03.00.53) वस्तु शीर्ष 53- मुख्य निर्माणकार्य के अंतर्गत गलत रूप से दर्शाया गया था। राजस्व प्रकृति की व्यय मदों को अनुदान के राजस्व भाग में उपयुक्त वस्तु शीर्ष (शीर्षो) के अंतर्गत रूप से दर्शाया जाना चाहिए।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)
4.	84-अंतरिक्ष विभाग	0.19	बैक कुर्सी, टेबल, सोफा, कम्प्यूटर टेबल के अधिप्रापण हेतु किए गए ₹19.42 लाख के व्यय को पीएओ, आईएसटीआरएसी द्वारा वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चों' की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष 52-मशीनरी एवं उपकरण अंतर्गत दर्शाया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
5.	84-अंतरिक्ष विभाग	0.11	एस-बैंड डॉप्लर वैदर राडार (डीडब्ल्यूआर) हेतु स्पैक्ट्रम प्रभारों के प्रति किए गए ₹11.26 लाख के व्यय को पीएओ.आईएसटीआरएसी द्वारा राजस्व भाग के वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाय गलत रूप से पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत दर्शाया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
6.		0.28	संचार लिंक प्रभारों के प्रति किया गया ₹28.47 लाख के व्यय को पीएओ आईएसटीआरएसी द्वारा राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' के अंतर्गत इसको सही रूप से दर्ज करने की बजाय पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
7.		0.78	प्रोजेक्टर तथा स्क्रीन के अधिप्रापण हेतु किए गए ₹78.22 लाख के व्यय को पीएओआईएसटीआरएसी द्वारा राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चे' के अंतर्गत इसको सही रूप से दर्ज करने की बजाय इसको पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी व उपकरण' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
8.		0.35	सिजियम बीम फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड इलैक्ट्रॉनिक्स हेतु वारंटी विस्तारण के प्रति किए गए ₹35.33 लाख के व्यय को पीएओ, आईएसटीआरएसी द्वारा इसको राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माणकार्य' में दर्ज करने की बजाय गलत रूप से पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी व उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	
9.		0.11	डेस्कटॉप कम्प्यूटरों के अधिप्रापण के प्रति किए गए ₹10.88 लाख के व्यय को पीएओएसटीआरएसी द्वारा राजस्व भाग के वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चे' में दर्ज करने की बजाय इसको पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी व उपकरण के अंतर्गत गलत रूप से दर्शाया गया है	
10.		0.32	सीसीटीवी स्टोरेज की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा चालू करने के प्रति किए गए ₹32.04 लाख के व्यय को पीएओआईएसटीआरएसी द्वारा राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चे' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय इसको पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' में गलत रूप से दर्ज किया गया था।	

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
11.	84-अंतरिक्ष विभाग	0.22	एनएक्स/आइडिया/टीसी/वियू/सॉलिड ऐज सॉफ्टवेयर के वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के भुगतान के प्रति किए गए ₹21.60 लाख के व्यय को पीएओआइएसएसी (केन्द्र) द्वारा पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया जिसे राजस्व अनुभाग में वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत सही रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
12.		0.13	इलैक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स के वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के प्रति किए गए ₹13.23 लाख के व्यय को पीएओआईएसएसी (परियोजना) वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया है जिसे सही रूप से राजस्व भाग के '27-लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।	
13		0.15	उपकरण की छः माह की अवधि के लिए कॉर्टेक्स-सीआरटी एक्सएल वारंटी भुगतान के प्रति किए गए ₹14.58 लाख के व्यय को पीएओ, आईएसएसी (परियोजना) द्वारा राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' में सही रूप से दर्ज करने की बजाय पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
राजस्व व्यय ₹ 2076.86 करोड़ तक कम बताया गया।				
पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण				
1.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	17.71	केन्द्रीय रूप से समायोजित एपीएस मदों से संबंधित ₹17.71 करोड़ के व्यय को बीआरओ द्वारा अनुदान के पूंजीगत भाग में उपयुक्त शीर्ष में दर्ज करने की बजाय गलत रूप से उसको राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '01-वेतन' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	सीजीडीए कार्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि उपयुक्त वर्गीकरण वि.व.2017-18 सि किया जाएगा।
2.	56- विधि और न्याय मंत्रालय	425.35	ईवीएम की खरीद के प्रति किए गए ₹425.35 करोड़ की राशि को अनुदान के पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय उसको अनुदान के राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि वित्त मंत्रालय ने दिनांक 20 अक्तूबर 2016 को हुई बजट-पूर्व बैठक के दौरान 2017-18 तथा आगे के वर्षों के लिए पूँजीगत भाग के अंतर्गत कथित राशि दर्ज करने के लिए निर्णय लिया था।

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
3.	61-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	0.68	मंत्रालय ने 'अटल अक्षय ऊर्जा भवन' के निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सीपीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय को ₹67.87 लाख की राशि प्राधिकृत की थी तथा उस राशि को अनुदान के पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्च' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि पीएफएमएस में तकनीकी समस्या के कारण पूँजीगत शीर्ष में ₹67.87 लाख की राशि को समायोजित दर्ज नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने लेखाओं में त्रुटि के सुधार हेतु कोई जर्नल/अंतरण प्रविष्टि प्रस्तावित नहीं की है।
4.	84-अंतरिक्ष विभाग	272.10	मिशन उपभोज्य के प्रति किए गए ₹272.10 करोड़ के व्यय को वर्तमान आदेशों के अनुसार पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के बजाय राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां और सामग्रियां' (मुख्य शीर्ष-3402) के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
5.		5.00	मिशन उपभोज्य के प्रति किए गए ₹5.00 करोड़ के व्यय को वर्तमान आदेशों के अनुसार पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के बजाय राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '50 अन्य प्रभार' (मुख्य शीर्ष-3402) के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
6.		0.47	एअर बूस्टिंग सिस्टम के अधिप्रापण के प्रति किए गए ₹47.15 लाख के व्यय को पीएओआईएसएसी (केन्द्र) द्वारा पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' की बजाय राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां और सामग्रीयों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
7.	87-कपड़ा मंत्रालय	3.00	विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, जो कपड़ा मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है, के अधीन कार्यरत विपणन और सेवा विस्तारण केन्द्र तथा करघा संग्रहालय जयपुर हेतु कार्यालयी भवन के निर्माण हेतु किए गए ₹3.00 करोड़ के व्यय को पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माणकार्य' की बजाय राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों' के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
राजस्व व्यय ₹724.31 करोड़ तक अधिक बताया गया।				

गलत वर्गीकरण का प्रभाव:

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव राजस्व व्यय को ₹2,229.40 करोड़ राजस्व व्यय को ₹752.18 करोड़ अधिक बताया गया। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹1,477.22 करोड़ से राजस्व व्यय को कम बताने में हुआ। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹1,477.22 करोड़ के बराबर राशि के राजस्व घाटे को कम बताया गया।

4.5 गलत वर्गीकरण के अन्य मामलें

4.5.1 वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान वेतन' का संचालन न होना

वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 7 जून 2011 के ओएम द्वारा एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' 01 अप्रैल 2011 से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 8 के नीचे वस्तु श्रेणी-4 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया।

वर्ष 2016-17 के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 96 के विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' का संचालन नहीं किया गया था। मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 के दौरान वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) तथा राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान (एनआईएच) को क्रमश: ₹64.18 करोड़ तथा ₹31.56 करोड़ के अनुदान जारी किए थे। चूंकि ₹54.51 करोड़ तथा ₹22.20 करोड़ की राशियों का उपयोग क्रमशः एनडब्ल्यूडीए तथा एनआईएच के वेतन के उद्देश्य हेतु किया गया था इसलिए मंत्रालय को अनुदान को वस्तु शीर्ष '31' तथा '36' के अंतर्गत पृथक करना चाहिए था जैसा वर्तमान नियमावली में अपेक्षित है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई/अगस्त 2017) कि अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

4.5.2 अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षों में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों का निर्धारण करता है। वस्तु शीर्षों की सूची तथा इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले व्यय के विवरण **अनुबंध- 4.1** में दिए गए है।

संवीक्षा से पता चला कि कुल ₹549.49 करोड़ की निधियों के विनियोजन की इन प्राथमिक इकाईयों अर्थात् वस्तु शीर्षों के मध्य गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जैसा विवरण **तालिका 4.10** मे दिया गया है।

तालिका 4.10: अनुदान के एक ही भाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षों में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
1.	6-रसायन और पैट्रो रसायन विभाग	0.34	2852/31	प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु योजना के परिचालनात्मक दिशा निर्देशों हेतु मैसर्स ग्रांट थोरन्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को शुल्क के भुगतान के प्रति ₹0.34 करोड़ राशि (₹0.22 करोड़+₹0.12 करोड़) के व्यय को वस्तु शीर्ष 28-व्यवसायिक सेवाओं के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने लेखापरिक्षा अभ्युक्ति को भावी अनुपालन हेतु नोट किया (अगस्त 2017)।
2.	15-इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1.10	2852/31	आई टी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) को 2852.07.202.85.16.31- (सूचना प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रानिक्स/सीसीबीटी-सहायता अनुदान-सामान्य में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम-आरएंडडी) के अंतर्गत ₹110.30 करोड़ के कुल बजट आबंटन में से ₹1.10 करोड़ की राशि आईटीआरए द्वारा उसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु उपयोग की गई थी। वेतन के भुगतान हेतु उपयोग किए गए अनुदानों को मंत्रालय द्वारा वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया कि सहायता अनुदान-वेतन केवल उन संगठनों/संस्थानों के लिए निर्दिष्ट है जो आवर्ती अनुदान प्राप्त करते है। जहां तक गैर आवर्ती अनुदान का संबंध है, विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान या तो सहायता अनुदान सामान्य या पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जारी किए जाते है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष 36-सहायता अनुदान वेतन विशेष रूप से वेतन भुगतान हेतु सहायता अनुदान के वर्गीकरण हेतु बनाया गया है और वेतन के प्रति किया गया कोई भुगतान वस्तु शीर्ष-36 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
3.	15-इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	0.53	3451/13	राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र (एनआईसी) बंगालौर हेतु बिजली प्रभारों के भुगतान हेतु ₹53.05 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। इसमें एनआईसी डेटा केन्द्र/नेशनल नोलेज नेटवर्क (एनकेएन) तथा नेटवर्क केन्द्र के विघुत प्रभार भी शामिल थे। व्यय को वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चों' (3451.00.091.13.01.13) के अंतर्गत दर्ज किया गया था। एनकेएन मंत्रालय की एक पृथक योजना है तथा यह मंत्रालय द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों के माध्यम से राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र सेवा समावेशन (एनआईसीएसआई)/एनआईसी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस प्रकार वस्तु शीर्ष-13 कार्यालयी खर्चों के अंतर्गत एनआईसी द्वारा विघुत प्रभारों के लिए व्यय दर्ज करना सही नहीं था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
4.		0.42	2852/13,50 3451/50	मंत्रालय द्वारा ली गई विधि सेवाओं के भुगतान के प्रति किए गए ₹0.42 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' के अंतर्गत दर्शाने की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '13-कार्यालयी खर्चे' में दर्ज किया गया है।	मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा टिप्पणी को भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। तथापि यह विचारणीय है कि कुछ मामलों में जब कोई उपयुक्त शीर्ष खोलने संभव होते और न ही निधि के भुगतान/जारी करने मे विलम्ब होता है। अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार के वस्तु शीर्षों या अन्य प्रभारों से निधियां विशेष रूप से उपयोग की जाती हैं।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
5.		0.01	2852/50	एक निजी कम्पनी को ₹1.15 लाख की राशि दी गई थी तथा उसको राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष 50-अन्य प्रभारों के अंतर्गत दर्ज किया गया था। आवेदकों को दी गई वित्तीय सहायता अंतराष्ट्रीय एकस्व प्राप्त करने के लिए एक प्रतिपूर्ति था तथा एकस्व एक अप्रत्यक्ष पूंजीगत परिसम्पत्ति है। इस प्रकार, इस व्यय को वस्तु शीर्ष-'35 पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया कि अंतराष्ट्रीय एकस्व प्राप्त करने के बदले निजी कम्पनी को भुगतान किए गए थे। यह एक प्रकार का शुल्क है जो प्रतिपूर्ति किया गया है और इसलिए इस उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान जारी नहीं किए जा सकते। तथापि, लेखा परीक्षा की इस अभ्युक्ति पर भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।
6.	16-उपभोक्ता मामले विभाग	7.99	3475/52	विभाग ने राज्यों/सं.शा.क्षे. के लिए केन्द्रीय रूप से मशीनरी व उपकरण की खरीद की थी ₹7.99 करोड़ राशि के व्यय को वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन' के अंतर्गत इसको दर्ज करने की बजाय अनुदान के राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि 2007-08 से पूर्व विभाग द्वारा राज्यों/यूटी को वजन एवं मापक अवसरंचना को मजबूत करने के लिए राजस्व मुख्य शीर्ष 2552 तथा 3602 के अंतर्गत सहायता अनुदान जारी किए गए ताकि राज्य/यूटी अपने लिए मशीनरी व उपकरण अधिप्राप्त कर सकें। लेकिन बाद में विभाग ने योजना को केन्द्रीकृत करने तथा सीधे राज्य/यूटी को मशीनरी एवं उपकरण की आपूर्ति करने का निर्णय लिया। तदनुसार निधियां पूंजीगत पक्ष में शीर्ष 4352 तथा 5475 में मशीनरी व उपकरण के अंतर्गत दिया जाना अपेक्षित था। चूँकि अधिप्राप्त की गई मशीनरी राज्यों तथा सं.शा.क्षे सरकारों की सम्पत्ति होगी, इसलिए व्यय केन्द्र की बही में राजस्व व्यय के रूप में तथा पूँजीगत व्यय राज्य/यूटी की बहियों में होगी। इस प्रकार, विभाग ने पूँजीगत शीर्ष की बजाय राजस्व शीर्ष 3475 के अंतर्गत मशीनरी व उपकरण हेतु प्रावधान किया था। तथापि, उपयुक्त बजटीय संशोधनों हेतु कदम उठाए जा रहे थे।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
7.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	266.11	5054/53 (कोड शीर्ष-069/04)	श्रेणी 'ए' भण्डार/उपकरण पर ₹266.11 करोड़ का व्यय किया गया जिसको शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था लेकिन बीआरओ द्वारा अनुदान के पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	सीजीडीए कार्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि वस्तु शीर्ष 53-मुख्य निर्माणकार्य डीजीए (डीएस) कार्यालय के अनुमोदन से खोला गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के लिए अनुमोदन इस विशिष्ट शर्त के साथ किया गया था कि श्रेणी 'ए' भण्डार व उपकरण को वस्तु शीर्ष '53' के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
8.		9.33	2076/21 (कोड शीर्ष 366/00)	₹9.33 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '13- कार्यालयी खर्चे' की बजाय वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां तथा सामग्री' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कार्यालय सीजीडीए ने बताया (अगस्त 2017) कि विसंगतियों को सुधार लिया जाएगा तथा डीडीजी 2017-18 में वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय खर्चे' का उपयोग किया जाएगा।
9.	44 -भारी उद्योग विभाग	1.07	2852/31	सार्वजनिक इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु भारतीय पूँजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विज्ञान इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकीय उन्नयन (सीईटीयू) प्रतिष्ठान को ₹1.07 करोड़ जारी किए गए थे। व्यय को लेखे में वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत इसको दर्ज करने की बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' में दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि इसईटीयू प्रतिष्ठान को ₹1.07 करोड़ की निधि ₹27.81 करोड़ की कुल परियोजना लागत की पहली किश्त के रूप में जारी गई थी तथा अधिकांश व्यय सामान्य प्रकार उद्देश्य का था। उसने आगे बताया कि 2017-18 के वित्त वर्ष में योजना के अंतर्गत निधियां पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान शीर्ष के अंतर्गत रखी गई है। तथापि, 2016-17 के दौरान वस्तु शीर्ष के अंदर गलत वर्गीकरण थी।
10.		7.18	2852/31	नॉन फेरस सामग्री प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र को जारी ₹7.18 करोड़ के सहायता अनुदान को पूँजीगत उपकरण हेतु उपयोग किया गया था तथा लेखे में वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत सही वर्गीकरण करने के बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (अगस्त 2017) अभ्युक्ति को भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
11.	44 -भारी उद्योग विभाग	21.10	2852/31	एफएएमई इंडिया योजना के अंतर्गत 25 इलैक्ट्रिक बसों की खरीद हेतु हिमाचल सड़क परिवहन निगम को जारी ₹21.10 करोड़ के सहायता अनुदान को लेखाओं में वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत इसका सही रूप से वर्गीकरण करने की बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि अभ्युक्ति को भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था।
12.	57- भारतीय उच्चतम न्यायालय	0.94	2014/33	कैन्टीन स्टाफ के वेतन से संबंधित ₹94.41 लाख राशि के व्यय को प्रावधान किया गया था तथा वस्तु शीर्ष '01-वेतन' में उसको दर्ज करने की बजाय वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	उसने बताया (सितम्बर 2017) कि सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री का बजट दो शीर्षों (i) वेतन (ii) गैर वेतन में बंटा हुआ है। गैरवेतन आगे आठ उपशीर्षों में बंटा हुआ है जिसमें से सर्वोच्च न्यायालय विभागीय कैन्टीन एक है। वर्ष 2003-04 तक इसे सब्सिडी के रूप में दर्शाया गया था तथा वित्त वर्ष 2004-05 से व्यय (विभागीय कैन्टीन के कर्मचारियों से संबधित) को सर्वोच्च न्यायालय कैन्टीन/विभागीय कैन्टीन के अंतर्गत दर्ज किया था। यह रजिस्ट्री सर्वोच्च न्यायालय विभागीय कैन्टीन के लिए आज की तिथि तक गैर-वेतन शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुदान प्राप्त कर रही है। अत: राशि इसके अनुसार दर्ज की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैन्टीन स्टाफ के वेतन का प्रावधान तथा उसको दर्ज करना डीएफपीआरएस के अनुसार वस्तु शीर्ष 01-वेतन के अंतर्गत करना चाहिए।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
13.	58 - सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	39.04	2851/31	बैंको द्वारा खादी संस्थानों द्वारा अदा किए गए ब्याज से अधिक प्रभारित किसी ब्याज को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) की योजना के अंतर्गत खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) को जारी ₹39.04 करोड़ के सहायता अनुदान को लेखे में वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरण करने की बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' में दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि 33-सब्सिडी वस्तु शीर्ष के अंतर्गत पृथक बजट शीर्ष खोलने के प्रस्ताव को 2017-18 के अनुदान हेतु अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में प्रस्तुत किया जाएगा तथा वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत आईएसईसी के अंतर्गत जारी निधियों को वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' में अंतरित किया जाएगा।
14.		3.00	2851/31	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए मशीनी उपकरण के अधिप्रापण हेतु उसको जारी ₹3.00 करोड़ के सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान में सही रूप से वर्गीकरण करने की बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय को देखते हुए व्यय को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसके अनुसार, चूँकि प्रशिक्षण आदि हेतु उपकरण सहित अवसरंचना परियोजनाओं का लक्ष्य सुविधाएं सृजित करना है जिसका लाभभोगियों के सभी वर्गों जैसे सामान्य, एससी, एसटी तथा अन्य द्वारा उपयोग किया जाता है, इसलिए निधियों की आवश्यकता को उक्त वर्गों के अंतर्गत बजट आबंटन के अनुपात में विभाजित किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। संस्वीकृति आदेशों के अनुसार व्यय पूँजीगत प्रकृति का है तथा इसलिए इसे वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' में दर्ज किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
15.	58 - सूक्ष्म, लघु, तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	4.98	2851/32	अंतर्राष्ट्रीय सहकारी योजना पर किये गये ₹4.98 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। चूँकि व्यय, संगठनों, पंजीकृत समितियों आदि को सामान्य विशिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों के रूप में देने पर किया गया था, इसलिए इस राशि को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि प्रशासनिक प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से व्यय दर्ज करने के लिए नया वस्तु शीर्ष '31 सहायता अनुदान सामान्य' खोल लिया है।
16.	66-पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	100.00	2802/31	राजीव गांधी पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान को पूँजीगत व्यय हेतु जारी किए गए ₹100.00 करोड़ के सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत सही रूप से व्यय का वर्गीकरण करने की बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि वस्तु शीर्ष के अंदर जान बूझकर कोई गलत वर्गीकरण नहीं किया गया था तथा विधिवत रूप से आवश्यक शोधक कार्रवाई कर ली गई है। मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2017) कि वस्तु शीर्ष को 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में परिभाषित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
17.	68- विद्युत मंत्रालय	15.00	2801/31	शिवपुरी मध्यप्रदेश तथा अलाप्पुजहा, केरल में नए विद्युत प्रशिक्षण संस्थानों (एनपीटीआई) की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को जारी ₹15.00 करोड़ के सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरण करने के बजाय वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' में दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि एनपीटीआई के संबंध में अनुदान के एक ही भाग में वस्तु शीर्ष के गलत वर्गीकरण को 2017-18 के लिए अनुदानों के विस्तृत मांगो में सही कर लिया गया है।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
18.	74- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	7.64	3054/50	"दिल्ली में सिमुलेशन विश्लेषण का उपयोग करके यातायात प्रदर्शन का अनुकूलन" मूल्यांकन तथा राजमार्गों के कार्य के लिए भारतीय राजमार्ग इंजिनियरिग अकादमी को जारी ₹ 6.98 करोड़ तथा मैसर्स दूरसंचार परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को सभी तीनों सौर विद्युतीय टोल प्लाजाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी हेतु 70 प्रतिशत के भुगतान के प्रति किए गए ₹0.66 करोड़ के भुगतान को मिलाकर ₹7.64 करोड़ की राशि को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरण करने की बजाय वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) की चूँकि कथित विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत '28-व्यावसायिक सेवा' हेतु कोई वस्तु शीर्ष नहीं था, इसलिए भुगतान को '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत किया गया था। तथापि, वित्त वर्ष 2018-19 तथा इसके बाद लिए एक नया वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' खोलने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
19.	84- अंतरिक्ष विभाग	0.50	5402/60	पॉवर ऐज सर्वर के अधिप्रापण हेतु किए गए ₹ 50.33 लाख के व्यय को पीएओ, आईएसटीआरए सी द्वारा पूँजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी व उपकरण' में दर्ज करने की बजाय गलत रूप से वस्तु '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
20.		0.22	5402/60	एनईएमओ, एएम ग्राउंड स्टेशन उपकरण की आपूर्ति, प्रतिष्ठान, जांच तथा चालू करने के प्रति किए गए ₹22.47 लाख के व्यय को पीएओ आईएसटीआरएए सी द्वारा पूंजीगत भाग में '52-मशीनरी व उपकरण' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
21.	84- अंतरिक्ष विभाग	2.02	5402/60	256 चैनल वाइब्रेशन डाटा एक्यूजिशन सिस्टम के अधिप्रापण के प्रति किया गया ₹2.02 करोड़ के व्यय को पीएओआईएसएसी (परियोजना) द्वारा पूंजीगत भाग में '52-मशीनरी व उपकरण' की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
22.		0.31	5402/60	पोर्टेबल एक्स-रे निरीक्षण सिस्टम के अधिप्रापण के प्रति किए गए ₹31.05 लाख के व्यय को पीएओ, आईएसएसी (परियोजना) द्वारा पूँजीगत भाग में गलत रूप से वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' में दर्ज किया गया था जिसे सही रूप से '52-मशीनरी व उपकरण' में दर्ज किया जाना चाहिए।	
23.		0.37	5402/52	इलैक्ट्रानिक अर्थात् ईपीजीए विकास किट (अंतरिक्ष उपभोज्य) के अधिप्रापण के प्रति किया गया ₹36.80 लाख के व्यय को पीएओआईएसएसी (परियोजना) द्वारा पूँजीगत भाग में गलत रूप से वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी व उपकरण' में दर्ज किया गया था जिसे सही रूप से '60-अन्य पूंजीगत व्यय' में दर्ज किया जाना चाहिए।	
24.		0.76	5402/60	फ्लाईंग प्रोब टेस्ट सिस्टम के अधिप्रापण के प्रति किए गए ₹75.91 लाख के व्यय को पीएओआईएसएसी (परियोजना) द्वारा पूँजीगत भाग में गलत रूप से वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' में दर्ज किया गया था जिसे सही रूप से '52-मशीनरी व उपकरण' में दर्ज किया जाना चाहिए।	

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
25.	84- अंतरिक्ष विभाग	0.39	5402/53	ऑनलाइन पैरेलैल रीडुंडेंट यूपीएस की आपूर्ति, प्रतिष्ठान, जांच तथा चालू करने के प्रति किए गए ₹39.20 लाख के व्यय को पीएओ.आईएसटी.आरएसी द्वारा गलत रूप से वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माणकार्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे सही रूप में पूँजीगत भाग में '52-मशीनरी व उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)
26.		1.00	3402/50	एसीपी परियोजनाओं को सरलता से जारी रखने के लिए वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत एनएआरएल को पीएओ, आईएसआरओ, मुख्या. द्वारा ₹1.00 करोड़ जारी की गई राशि को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' में दर्ज किया गया था।	
27.		0.20	3402/50	डीडब्ल्यूआर सिस्टम के अनुरक्षण के प्रति किए गए ₹20 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंर्तगत दर्ज किया गया था।	
28.		0.10	3402/21	आरएफ उपकरण के कैलिब्रेशन के प्रति किये गए ₹10.34 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाय गलत रूप से '21-आपूर्तियां तथा सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
29.		0.11	3402/20	आइएसएसी गेस्ट की केयरटेकिंग/अनुरक्षण (मानवशक्ति संविदा) के प्रति किए गए ₹11.10 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाओं' की बजाय वस्तु शीर्ष '20 अन्य प्रशासनिक खर्चें' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
30.	84- अंतरिक्ष विभाग	16.31	8009/50	16.31 करोड़ की राशि का पीएओआईएसएसी (सी) द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए भविष्य निधि के अंतिम निपटान के भुगतान के प्रति व्यय किया गया था तथा वस्तु शीर्ष 04-पेंशन, उपदान की बजाय '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज की गई थी।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
31.		0.12	3402/30	ठेके पर रखे गए ड्राइवरो को भुगतान के प्रति किए ₹11.82 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' की बजाय गलत रूप से '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
32.		0.15	3402/50	ईओएएम कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरपूर्वी अंतरिक्ष एप्लीकेशन केन्द्र शिलांग को जारी किए गए ₹15 लाख के सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
33.		0.58	3402/50	गोपनीय दस्तावेजों/प्रश्नपत्रों के मुद्रण, छंटाई तथा पैंकिग के भुगतान के प्रति किए गए ₹58.35 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '16-प्रकाशन' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के रूप में दर्ज किया गया था।	
34.		0.14	3402/50	आईसीआरबी भर्ती हेतु गोपनीय दस्तावेजों को ढोने के प्रति किए गए ₹13.56 लाख के.व्यय को वस्तु शीर्ष '16-प्रकाशन' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
35.		1.70	3402/50	एएएनएफएस घोल के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के प्रति किए गए ₹169.74 लाख के.व्यय को वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था लेकिन गलत रूप से उसको '50 अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
36.	84- अंतरिक्ष विभाग	0.35	3402/50	डीडब्ल्यू आर के प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रति किए गए ₹35.00 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
37.		0.16	3402/50	नेटऐप स्टोरेज सफ्ल्यूशन सोलुशन हेतु व्यापक वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के प्रति किये गये ₹16.12 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
38.		0.17	3402/50	नेटवर्क सुरक्षा पद्धति हेतु व्यापक वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के प्रति ₹16.77 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
39.		1.01	3402/50	व्यावसायिक सेवाएं (जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर, जनरल ड्यूटी डॉक्टर, नर्सें, फार्मासिस्ट, क्लिनिक्ल लैबोरटरी तकनीशियन, तथा फिजियोथैपिस्ट) प्रदान करने के प्रति ₹101.11 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाओं' की बजाय गलत रूप से '30- अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
40.		0.24	3402/21	किराए के आधार पर फोटोकॉपियर के किराए के प्रति ₹23.98 लाख के व्यय को वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाय गलत रूप से '21-आपूर्तियां तथा सामग्रियां' में दर्ज किया गया था।	
41.		0.53	3402/50	लिक्विड नाइट्रोजन की आपूर्ति के भुगतान के प्रति ₹52.90 लाख के.व्यय को वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां तथा सामग्रियां' की बजाय गलत रूप से '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
42.	84- अंतरिक्ष विभाग	1.70	3402/50	एशिया तथा पेसिफिक में अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र को जारी ₹1.70 करोड़ के सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '32-अंशदान' की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किए गए थे।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
43.		17.37	3402/30	डाटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक तथा रीप्रोग्राफिक सहायक को कार्य पर लगाने के प्रति ₹17.37 करोड़ के.व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय उसको गलत रूप से '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
44.	86-इस्पात मंत्रालय	8.53	2852/31	लोहा व इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के प्रोत्साहन हेतु योजना के अंतर्गत अवसरंचना, मशीनों तथा उपकरण पर की गई ₹8.53 करोड़ राशि के.व्यय को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। व्यय को वस्तु शीर्ष '35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' हेतु के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि मंत्रालय ने अभ्युक्ति को नोट कर लिया है तथा 'लोहा व इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन देने' की योजना के अंतर्गत एक नया वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' आरंभ कर दिया है।
45.	87- कपड़ा मंत्रालय	2.07	2852/31	भारतीय पटसन उघोग अनुसंधान एसोसिएशन (आईजेआईआरए), कोलकाता, एक अनुदानग्राही संस्थान को जारी किए गए ₹2.07 करोड़ के सहायता अनुदानों का वेतन तथा मजदूरी के लिए उपयोग किया गया था। राशि को वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत दर्ज करने की बजाय गलत रूप से वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि संबंधित प्रभाग को वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान सामान्य पर वेतन के सबंध में व्यय दर्ज न करने का परामर्श दिया जा रहा था। कार्यक्रम प्रभाग से प्राप्त अनुरोध पर प्राप्ति पक्ष में वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान वेतन खोला जाएगा। मंत्रालय ने आगे बताया (अक्तूबर 2017) कि 2017-18 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में वेतन और मजदूरी जारी कराने के लिए आईजेआईआरए के लिए एक नया बजट उद्देश्य खोलने के लिए बी और ए डिवीजन को पहले ही अनुरोध किया गया था।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट मुख्य/ वस्तु शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	उत्तर / खंडन
46.	95- शहरी विकास मंत्रालय	6.60	2059/50	समाधि स्थल परिसर में सुरक्षा बलों (सीआईएसएफ) की तैनाती पर किए गए ₹6.60 करोड़ के.व्यय को सही रूप से वस्तु शीर्ष '28- व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय वस्तु शीर्ष '50- अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि अगले वित्तीय वर्ष से उपयुक्त बजटीय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किया जाएगा।
	कुल	**549.49**			

4.5.3 गलत लघु लेखा शीर्ष के अंतर्गत 'विशेष केन्द्रीय सहायता' दर्ज करना

विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) को राज्य सरकारों से जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा राज्य जनजातीय उप योजना में जोड़ने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। यद्यपि 'जनजातीय क्षेत्र उपयोजना' के लिए आबंटित निधियों को विशेष लघुशीर्ष अर्थात् '796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत दर्ज किया जाना आवश्यक है, एक अलग लघु शीर्ष कोड अर्थात् 794 को मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची को सामान्य दिशानिर्देशों में जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता' को दर्ज करने के उद्देश्य के लिए चिन्हित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹1,250 करोड़ के कुल प्रावधान में से, वर्ष 2016-17 में 'जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता' के रूप में जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा ₹1,195.03 करोड़ जारी किया गया था और इसे जनजातीय मामला मंत्रालय से संबंधित **अनुदान सं.-89** में लघुशीर्ष '796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना' के अंतर्गत दर्ज किया था। इसका मौजूदा निर्देशों में निर्धारित रूप से प्रावधान किया जाना था और लघुशीर्ष '794-जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता' में दर्ज किया जाना था।

मामले को वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी प्रतिवेदन सं.1, 2014-15 के लिए प्रतिवेदन सं 50 और 2015-16 के लिए प्रतिवेदन सं. 34 में भी इंगित किया गया था।

2015-16 की रिपोर्ट संख्या 34 के जवाब में, मंत्रालय ने आश्वासन दिया (जुलाई 2016) कि क्षेत्रीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए वर्ष 2017-18 के लिए डीडीजी में लघुशीर्ष '794' खोला जाएगा।

हालांकि, वर्ष 2017 हेतु डीडीजी की संवीक्षा से पता चला कि मुख्य शीर्षों- 2225, 2552 और 794 की बजाय लघु शीर्ष '796' में 3601 के अंतर्गत 'जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता' के लिए प्रावधान के रूप में ₹1,350.00 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि मामले को नए लघु शीर्ष 794 को खोलने के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ताकि जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत व्यय को 794 के अलग लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जा सकता है जैसाकि मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची में सामान्य निर्देशों में निहित है।

4.6 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन

(ए) सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान करने हेतु मध्यस्थता योजना के रूप में क्रमश: अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातीय उप-योजना प्रारम्भ की गई थी। इन दोनों उप योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, भौतिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार से परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों से लाभों को दिशा देना है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजनागत आबंटन के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप योजना (टीएसपी) हेतु अलग आबंटन किया गया था। समर्पित मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक (कोड 789)' तथा 'जनजातीय उपयोजना (कोड 796)' को प्रारम्भ करके ऐसे आवंटनों को दर्ज करने हेतु एक लेखांकन क्रियाविधि स्थापित की थी। तद्नुसार, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों में एक योजनागत योजना के अंतर्गत 'सामान्य योजना', अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' हेतु अलग बजट सीमाओं सहित पृथक रूप से प्रावधान प्राप्त किया जाता है। 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत किए गए प्रावधान को, एससीएसपी तथा टीएसपी के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उन्हीं लघु शीर्षों को छोडकर, पुनर्विनियोजित किया जाना अनुमत नहीं है, ताकि विपथन की किसी भी संभावना से बचा जा सके।

जीएफआर-2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 के पैरा 4 (जिसमें बजट बनाने के लिये अनुदेश समाहित हैं) में प्रावधान है कि जहां एक योजना/

परियोजना पर प्रारम्भिक खर्चों की पूर्ति हेतु या आकस्मिक स्थितियों की पूर्ति हेतु तात्कालिक उपायों मापदण्डों का प्रावधान किया जाना हो, के अतिरिक्त, बजट में एक मुश्त प्रावधान नहीं किये जायेंगे, जो वित्तीय वर्ष में चालू करने हेतु, सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2016-17 हेतु समेकित सार/ई-लेखा डाटा के साथ विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से **तालिका 4.11** में नीचे दिए विवरण के अनुसार चार अनुदानों, एकमुश्त अनुपूरक के अप्राधिकृत संवितरण के मामले सामने आए।

तालिका 4.11: एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान का अप्राधिकृत संवितरण

(₹ करोड़ में)

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	
25- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय					
3601.02.264.01.01.31 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम	1882.80	391.30	2274.10	1713.50	3443.59
3601.02.789.20.01.31 -वही-	744.79	32.17	776.96		1150.95
3601.02.796.20.01.31 -वही-	290.38	51.52	341.90		511.89
3601.02.264.01.02.31 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम डीडीपी क्षेत्र	322.99	0.00	322.99		390.99
3601.02.789.20.02.31 -वही-	104.49	0.00	104.49		126.49
3601.02.796.20.02.31 -वही-	47.49	0.00	47.49		57.49
		कुल	**3867.93**	**1713.50**	**5681.40**
3601.02.269.03.01.31 स्वस्छ भारत अभियान (ग्रामीण) राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से राशि ली गई	4644.99	869.99	5514.98	1869.00	6908.98
3601.02.789.19.04.31 -वही-	1877.99	0.00	1873.99		2309.99
3601.02.796.19.04.31 -वही-	853.99	0.00	853.99		1049.99
		कुल	**8246.96**	**1869.00**	**10268.96**

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	
मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2017) कि मुख्य शीर्ष 3601 के तहत एससीएसपी और टीएसपी घटकों के लिए अलग से प्रावधान वित्त मंत्रालय को अतिरिक्त अनुपूरक के लिए भेजी गयी मांग का उल्लेख अनजाने में असावधानी के कारण नहीं किया जा सकता। हालांकि, भविष्य में सख्त अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है।					
52-उच्च शिक्षा विभाग					
2203.00.112.05.09.35 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता	1398.87	131.75	1530.62	400.00	1786.37
2203.00.789.08.01.35 -वही-	270.75	25.50	296.25		345.75
2203.00.796.08.01.35 -वही-	135.38	12.75	148.13		172.88
कुल			**1975.00**	**400.00**	**2305.00**
2203.00.112.80.01.36 भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता	274.35	-	274.35	14.00	282.10
2203.00.789.71.01.36 -वही-	12.00	-	12.00		13.50
2203.00.796.71.01.36 -वही-	6.00	-	6.00		6.75
		कुल	**292.35**	**14.00**	**302.35**
2203.00.112.81.01.36 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) को सहायता	31.70	-	31.70	6.00	36.35
2203.00.789.14.01.36 -वही-	1.80	-	1.80		1.87
2203.00.796.72.01.36 -वही-	0.90	-	0.90		0.91
		कुल	**34.40**	**6.00**	**39.13**
विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगो के प्रारूप में केवल मुख्य शीर्षो के लिए ब्यौरा शामिल है और यह वस्तु शीर्ष-वार प्राप्त किया जाता है। लघुशीर्षो जैसे एससीएसपी(789) और टीएसपी(796) से संबंधित अनुपूरक मांगो के लिए अनुदानों के ब्यौरे में कोई उल्लेख नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अन्य मंत्रालयों/विभागों ने 2016-17 के दौरान संसद से घटक-वार अनुपूरक अनुदान के लिए विशेष अनुमोदन प्राप्त किया था।					
81-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय					
2230.03.102.15.05.31 प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण-सहायता अनुदान सामान्य	30.93	0.00	30.93	240.00	300.32
2230.03.789.08.04.31 -वही-	6.06	0.00	6.06		44.34

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	
2230.03.796.09.04.31 -वही-	3.27	0.00	3.27		9.88
		कुल	40.26	240.00	354.54
2230.03.102.15.05.35 प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	16.00	0.00	16.00	30.00	30.61
2230.03.796.09.04.35 -वही-	13.05	0.00	13.05		17.66
		कुल	29.05	30.00	48.27
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि ₹270.00 करोड़ का एकमुश्त अनुपूरक संसद के पूर्व अनुमोदन के साथ प्राप्त किया गया था और उसे विभिन्न संघटकों के अंतर्गत संवितरित किया गया था। अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग का प्रस्ताव विशेष रूप से वस्तु शीर्ष का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग की अधिसूचना के अनुसार, अनुपूरक अनुदान को केवल सामान्य संघटक के अंतर्गत प्राप्त किया गया था और कोई संघटक-वार ब्यौरा नहीं दर्शाया गया था।					

* बीई= बजट अनुमान, एनई= एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तरपूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान, एसए=अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकृति/अनुमोदन, टीए= कुल प्राधिकरण

(बी) नई सेवा (एनएस)/सेवा के नए उपकरण (एनआईएस) से संबंधित मामलों को पहचान करने में वित्तीय सीमाओं से संबंधित मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी को या प्राधिकारी को 'सहायता अनुदान' (वस्तु शीर्ष-31, 35 और 36) से संबंधित वस्तुशीर्षों के पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में संवर्धन केवल संसद के पूर्व अनुमोदन के साथ ही हो सकता है।

विनियोग लेखाओं, समेकित सार और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुपूरक अधिसूचना की संवीक्षा से पता चला कि दो अनुदानों के संबंध में एकमुश्त अनुपूरक अनुदान संसद से प्राप्त किए गए थे और संसद के वस्तु शीर्ष-वार विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना संबंधित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न वस्तुशीर्षों में अनियमित रूप से संवितरित किया गया था जो विवरण **तालिका 4.12** में नीचे दिए गए है :

तालिका 4.12: एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान का अप्राधिकृत संवितरण

(₹करोड़ में)

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	
18-कोरपोरेट मामला मंत्रालय					
3475.00.105.11.00.31 इनसॉलवेंसी एवं बैंकरपटसी बोर्ड ऑफ इंडिया सहायता अनुदान-सामान्य	0.00	0.00	0.00	10.00	3.08
3475.00.105.11.00.35 इनसॉलवेंसी एवं बैंकरपटसी बोर्ड ऑफ इंडिया- पुंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00		2.08
3475.00.105.11.00.36 इनसॉलवेंसी एवं बैंकरपटसी बोर्ड ऑफ इंडिया-सहायता अनुदान-वेतन	0.00	0.00	0.00		2.75
		कुल	**0.00**	**10.00**	**7.91**

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगो के प्रथम बैच में ₹40.00 करोड़ का रोकड़ अनुपूरक की मांग की गई थी। मांग में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि

- प्रस्तावित व्यय श्रेणी नई सेवा/सेवा के नए उपकरण के अंतर्गत आती है;
- आबंटन को रोकड़ अनुपूरक के रूप में मांगा जाता है; और
- व्यय को सहायता अनुदान सामान्य, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों और सहायता अनुदान-वेतन में विभाजित किया जाएगा।

2016-17 के अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग के प्रथम बैच के अंतर्गत ₹10 करोड़ का आबंटन न तो टोकन अनुपूरक का मामला है और न ही टोकन अनुपूरक के अनुदान पर पुनर्विनियोजन आकस्मिक है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जीएफआर-2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 के पैरा 4 के अनुसार, राशि को विशेष ब्यौरा सहित का उल्लेख अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग में नहीं किया गया था।

योजना/शीर्ष	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	व्यय
24-विकास एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंत्रालय					
3601.05.101.02.00.31 उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं-विशेष विकास परियोजनाएं-सहायता अनुदान सामान्य	21.50	0.00	21.50		35.78
3601.05.101.02.00.35 उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं-विशेष विकास परियोजनाएं-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	277.50	0.00	277.50	68.49	497.34

योजना/शीर्ष	प्रावधान				व्यय
	बीई*	एनई*	टीए*	एसए*	
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि ऐसी लापरवाही की गलतियों से बचने के लिए उचित ध्यान रखा जाएगा।					

** बीई= बजट अनुमान, एनई= एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तरपूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान, एसए=अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकृति/अनुमोदन, टीए= कुल प्राधिकरण*

4.7 सूचना प्रौद्योगिकी पर किए गए व्यय को दर्ज करने के लिए विस्तृत शीर्ष '99-सूचना प्रौद्योगिकी' का संचालन न किया जाना

वर्गीकरण के शीर्षों के समान मानकीकरण और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पर किए गए व्यय की मॉनीटरिंग करना सुगम बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने मानक कोड अर्थात् '99' के साथ अनुदानों के लिए विस्तृत मांगो में वर्गीकरण के पांचवे स्तर पर 'विस्तृत शीर्ष' स्तर पर 'सूचना प्रौद्योगिकी' को स्थापित करने का निर्णय[2] लिया ताकि हार्डवेयर, सोफ्टवेयर के अभिग्रहण, रखरखाव, सॉफ्टवेयर का विकास और प्रशिक्षण के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए व्यय का समेकन करने के उद्देश्य को पूरा करें।

वर्ष 2016-17 के लिए विनियोग लेखाओं, समेकित सार/ई-लेखा डाटा और अन्य अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्रय पर ₹10.08 करोड़ की राशि का व्यय हुआ था परंतु उचित विस्तृत शीर्ष '99-सूचना प्रौद्योगिकी' का उपयोग कथित व्यय को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था जैसा कि मौजूदा आदेशों के अंतर्गत आवश्यक था जैसा **तालिका 4.13** में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.13: विस्तृत शीर्ष '99-सूचना प्रौद्योगिकी' का संचालन न किया जाना

अनुदान सं. एवं मंत्रालय का नाम/विभाग	राशि (₹करोड़ में)	लेखा शीर्ष	अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
27-पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2.99	3435.03.102.05.02.11 3435.03.102.05.02.13 3435.03.102.05.02.28	मंत्रालय ने कथित लेखा शीर्ष के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रति ₹2.99 करोड़ की राशि आवंटित की थी और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु विस्तृत शीर्ष '99' का संचालन किए बिना ₹2.99 करोड़ का व्यय किया था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि उपयुक्त शीर्ष का सृजन करने के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है।
61-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0.52	3451.00.090.14.00.13	मंत्रालय ने 'सूचना प्रौद्योगिकी से सबंधित प्रापण के प्रति ₹52.44	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि 'सूचना प्रौद्योगिकी'

[2] ओएम सं. 15(4)/बी(डी)/2003 दिनांक 9 जुलाई 2003

मंत्रालय			लाख का व्यय किया था और इसे '99-सूचना प्रौद्योगिकी' की बजाय विस्तृत शीर्ष '00' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	शीर्ष के अंतर्गत किसी निधि को आवंटित नहीं किया गया था। उन्होने यह भी बताया कि भविष्य में पुनरावृति से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के सभी संबंधित प्रभागीय अध्यक्षों को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भिजवा दिया गया था।
79-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	0.11	3451.00.090.23.02.13	विभाग ने विस्तृत शीर्ष '99-सूचना प्रौद्योगिकी' की बजाय विस्तृत शीर्ष '02' के अंतर्गत ₹11.23 लाख का आईटी संबंधित व्यय किया था।	तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि शीर्षों के युक्तिसंगत/ विलय करते समय आईटी विस्तृत शीर्ष अनजाने से छूट गया था और वित्त वर्ष 2018-19 से अलग शीर्ष खोला जाएगा।
84-अंतरिक्ष विभाग	6.46	5402.00.101.08.00.52	विभाग ने कम्प्यूटर/ सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के क्रय पर ₹6.46 करोड़ का व्यय किया था और इसे '99-सूचना प्रौद्योगिकी' की बजाय विस्तृत शीर्ष '00' के अंतर्गत पीएओ आईएसएसी (केन्द्र) द्वारा दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।
कुल	**10.08**			

4.8 जल उपकर का गलत उपयोग

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली[3] ने इस शर्त के साथ कि मंडलों/समितियों की स्थापना और कार्यालय व्यय प्राप्त राशि 25 प्रतिशत से अधिक न हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों को एकत्रित उपकर राशि के 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान किया था। दिसम्बर 2010 में 25 प्रतिशत की सीमाओ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत इस शर्त के साथ कर दिया था कि वर्धित 25 प्रतिशत को (i) उसकी वृद्धि सहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी श्रमशक्ति से संबंधित स्थापना लागत (ii) ऑनलाइन अनुज्ञा प्रबंधन सहित राज्य बोर्डों/समिति में ई-गवर्नेस और आईटी आवेदनों को चिन्हित करना होगा। इसमें शामिल विभिन्न अभिकरणों द्वारा वायु, जल एवं ध्वनि मॉनीटरिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए जल उपकर निधि आवश्यक है।

वर्ष 2016-17 के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं, 27 के पुनर्विनियोग आदेशों के साथ विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि मौजूदा आदेशों के उल्लंघन में जल उपकर निधि से ₹96.50 करोड़

[3] दिनांक दिसम्बर 28, 1998 का आदेश सं.क्यू-17011/1/88-सीपीडब्ल्यू

के कुल पुनर्विनियोगों में से निम्नलिखित लेखाशीर्षों को विस्तृत शीर्ष 3435.03.102.05.05.30-परिस्थितिकी और पर्यावरण- पर्यावरणीय सुरक्षा एवं मॉनीटरिंग- जल प्रदूषण (उपकर) का नियंत्रण- अन्य संविदात्मक सेवाओं द्वारा ₹18.80 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोग किया गया जैसा नीचे **तालिका 4.14** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका: 4.14 जल उपकर का गलत उपयोग

क्र.सं.	इनसे पुनर्विनियोजित किया गया	इनको पुनर्विनियोजित किया गया	राशि (₹करोड़ में)	उद्देश्य
1.	3435.03.102.05.05.30 - जल प्रदूषण (उपकर) का निवारण एवं नियंत्रण अन्य संविदात्मक सेवाएं	2406.01.005.06.01.01	1.61	एफएसआई (वेतन)
2.		3435.03.103.14.01.01	2.80	बीएसआई (वेतन)
3.		3435.03.103.14.02.01	7.00	जेडएसआई (वेतन)
4.		2406.01.005.06.02.01	0.40	एन जेड पार्क (वेतन)
5.		3451.00.090.29.00.01	4.79	सचिवालय (वेतन)
6.		3451.00.090.29.00.30	1.20	सचिवालय (ओसीएस)
7.		3451.00.090.29.00.27	1.00	सचिवालय (लघु कार्य)
कुल			**18.80**	

₹18.80 करोड़ तक की उपकर निधि जिसे प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित नामित गतिविधियों के प्रति उपयोग में लाया जाना आवश्यक था, उसे मंत्रालय के नियंत्रण में आने वाले संस्थानों एवं सचिवालय से संबंधित वेतन भुगतानों, लघु कार्यों एवं संविदात्मक सेवाओं के लिए पुनर्विनियोजित किया गया था। ₹18.80 करोड़ की उपकर निधि का पुनर्विनियोजन वेतन भुगतान, लघु कार्यों और मंत्रालय के नियंत्रण में अन्य संस्थानों से संबंधित अन्य संविदात्मक सेवाओं के लिए जल उपकर निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निधि के अधिक विनियोग से बचने के लिए उसे कार्यात्मक लेखा शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था ताकि अनुदान के अंतर्गत समग्र बचत कम रहे। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया कि इसी अभ्यास को 2015-16 के दौरान भी अपनाया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि घटक इकाइयों और सचिवालय स्टाफ के वेतन जैसे उदेश्यों तथा संविदात्मक सेवाओं हेतु उपकर निधि का उपयोग करना जल उपकर को प्रभारित करने के उद्देश्य का उल्लंघन था।

4.9 प्रासंगिक उप-शीर्ष का संचालन न किए जाने के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण

सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक स्थापनाओं में विभागीय कैंटीनों पर प्रशासनिक निर्देशों, 2008 की धारा 3.6 के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अधिसूचना दी कि विभागीय कैंटीनों के रखरखाव के लिए अलग लेखाशीर्ष खोला जाएगा। लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत अलग उप-शीर्ष 'विभाग कैंटीन' के अंतर्गत डीएफपीआर के अंतर्गत प्रदत्त रूप में, विभागीय कैंटीन को चलाने और रखरखाव के लिए किए गए व्यय को उपयुक्त वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदान सं. 84 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि विभागीय कैंटीन के रखरखाव पर किए गए ₹4.91 करोड़ के व्यय का विभाग ने गलत वर्गीकरण किया था जिसका विवरण नीचे **तालिका 4.15** में दिया गया है:-

तालिका: 4.15 प्रासंगिक उप-शीर्ष का संचालन न किए जाने के कारण गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	पीएओ	व्यय (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1	3402	101	64	ईसरो मुख्यालय	1.04	विभागीय कैंटीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800-अन्य' के अंतर्गत अलग उपशीर्ष में दर्ज करने की आवश्यकता थी परंतु इसे उपशीर्ष '3402.00.101.64' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
2	3451	090	18	ईसरो मुख्यालय	0.11	विभागीय कैंटीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800'-अन्य' अंतर्गत अलग उपशीर्ष में दर्ज करने की आवश्यकता थी परंतु इसे उपशीर्ष '3451.00.090.18' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
3	3402	101	10	आईएसएसी केन्द्र	3.69	विभागीय कैंटीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800'-अन्य' के अंतर्गत अलग उपशीर्ष में दर्ज करने की आवश्यकता थी परंतु इसे उपशीर्ष '3402.00.101.10' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
4	3402	101	26	आईएसटीआरएसी	0.07	विभागीय कैंटीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800'-अन्य' के अंतर्गत अलग उपशीर्ष में दर्ज करने की आवश्यकता थी परंतु इसे उपशीर्ष '3402.00.101.26' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
कुल					**4.91**	

2015-16 के दौरान उठाए गए एक समान अभ्युक्ति के लिए, विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि वस्तु शीर्ष-20 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के व्यय को डीएफपीआर के नियम 8 के अंतर्गत भारत सरकार के नियम (1) के अनुसार दर्ज किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के आदेशों (1) के अंतर्गत वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन के नियम 8 के अंतर्गत विभागीय कैंटीन आतिथ्य पर किए गए व्यय को वस्तु शीर्ष "अन्य प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत दर्ज करने की आवश्यकता थी। हालांकि, अंतरिक्ष विभाग द्वारा कैंटीन के कर्मचारियों को 'वेतन एवं भत्तों' के भुगतान पर व्यय को भी लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' की बजाय वस्तु शीर्ष "20-अन्य प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

4.10 वेतन व्यय का गलत वर्गीकरण

रक्षा मंत्रालय ने बीआरओ के स्थायी कर्मचारियों के वेतनों पर 2016-17 के दौरान ₹1,077.30 करोड़ के व्यय को उचित वेतन शीर्ष के बजाय इसके कुछ भाग को मुख्य शीर्ष 3054-राजस्व निर्माण कार्य व्यय और इसके कुछ भाग को मुख्य शीर्ष 5054-पूंजीगत निर्माण कार्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि व्यय को भविष्य में वेतन शीर्ष (मुख्य शीर्ष 2052) के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट प्रावधान की उपलब्धता न होने के कारण वेतनों पर ₹169.54 करोड़ के व्यय को उचंत शीर्ष (कोड शीर्ष-020/74- जीआरईएफ नागरिक के वेतन एवं भत्ते) के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

मौजूदा नियमों के अनुसार, उचंत शीर्ष को संचालित केवल लेन-देन के लेखांकन के लिए किया जा सकता है जोकि कुछ सूचना और दस्तावेजों की आवश्यकता हेतु व्यय या प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है।

4.11 रक्षा पेंशन पर व्यय को कम बताया जाना

वित्त लेखा के अनुसार, 31 मार्च 2017 तक पीएसबी- उचंत शीर्ष में ₹11,184.55 करोड़ पड़े हुए थे। यह रक्षा पेंशन पर बैंकों द्वारा संवितरित पेंशन की राशि दर्शाता था परंतु इसे अंतिम लेखाशीर्ष में नहीं लिया गया था। तदुपरांत, रक्षा मंत्रालय ने वि.व. 2016-17 लेखे (सितम्बर 2017) के बंद होने के अंतिम स्तर पर पेंशन भुगतान पर ₹2,200 करोड़ का व्यय दर्ज किया था। इसलिए विव 2016-17 में ₹8,984.55 करोड़ के पेंशन भुगतानों को दर्ज करना शेष था। आगे, ₹2,200 करोड़

के व्यय को बजटीय प्रावधान के बिना दर्ज किया गया जिसका परिणाम रक्षा पेंशन से संबंधित राजस्व भाग की अनुदान सं. 21 के अंतर्गत ₹2,199.55 करोड़ के आधिक्य में हुआ था।

सीजीडीए ने बताया (अक्तूबर 2017) कि बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुदेशों[4] पर बैंको से प्राप्त लंबित पेंशन स्क्रॉलों का निपटान करने के लिए ₹2200 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बजट प्रावधान बढ़ाए बिना व्यय किया गया था। इसको और अधिक वास्तविक बनाने के लिए प्रारंभिक बजट अनुमान की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है।

4.12 लघु शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

मुख्य और लघु लेखा शीर्षो (एलएमएमएच) की सूची के अनुसार 'संलग्न कार्यालयों' से संबंधित लघु शीर्ष-091 का मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत संलग्न कार्यालय के व्यय के प्रावधान तथा दर्ज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त , एलएमएमएच के अनुसार, लघु शीर्ष '091' में भारत सरकार के संलग्न कार्यालयों, राज्य सरकार के अन्य कार्यालय जो किसी विशेष कार्य से अभिज्ञेय नहीं होते हैं, के व्यय दर्ज किए जाऐंगे।

वर्ष 2016-17 के लिए दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदान सं. 14 के डीडीजी तथा विनियोग लेखे की जांच से प्रकट हुआ कि विभाग ने 'सामान्य प्रशासन' नामावली वाले लघु शीर्ष '091' को संचालित किया था तथा इसका 'दूरभाष निदेशालय', 'लेखापरीक्षा प्रभारों के हिस्से के प्रति एमएच 3201 डाक सेवाओं को अंतरित राशि', 'स्टाफ को देय सुविधाएं, अनुरक्षण', 'स्टेशनरी तथा प्रिन्टिंग', 'टर्म सैल', 'संचार लेखा नियंत्रक' तथा 'केन्द्रीय मॉनीटरिंग, संचालन तथा अनुरक्षण प्रणाली' से संबंधित ₹362.91 करोड़ राशि का व्यय दर्ज करने के लिए उपयोग किया गया था। इसका परिणाम लघु शीर्ष के अंतर्गत व्यय के गलत वर्गीकरण में हुआ।

विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि सीजीए कार्यालय के परामर्श से विद्यमान लेखा शीर्षों को पुनः तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन था।

[4] ओएम सं. 2(10)-बी-(एसी)/2017 दिनांक 5 सितंबर 2017

रक्षा अनुदान

4.13 पूंजीगत अनुदान से राजस्व अनुदान में निधियों का अप्राधिकृत अंतरण

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट मैनुअल 2010 के पैरा 3.2 बताता है कि ऐसे तीन अवसर है जहां तकनीकी अनुपूरक की मांग की जा सकती है अर्थात (क) चार भाग अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजीगत (प्रभारित) और पूंजीगत (दत्तमत) में से एक से अभ्यर्पण और उसे मांग के अन्य भाग में उपयुक्त करना, (ख) एक मांग से दूसरी मांग में योजना का अंतरण जिसने योजना का अंतरण किया है जिसका परिणाम मांग से राशि के अभ्यर्पण में हुआ और उसका उपयोग अन्य मांग जहां योजना का अंतरण हुआ है उसमें किया गया है, और (ग) छूट/बट्टे खाते में डालना।

अनुदानों के युक्तिकरण के पश्चात, रक्षा मंत्रालय की अनुदान हेतु दो मांग है, एक राजस्व भाग में और एक पूंजीगत भाग में। वर्ष 2016-17 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि अनुदानों की राजस्व मांग में कुल मिलाकर ₹6,551.91 करोड़ तक की कुल राशि द्वीतीय बैच (दिसम्बर 2016) और अंतिम बैच (मार्च 2017) के माध्यम से संसद से अनुदान हेतु गलत तकनीकी अनुपूरक मांग प्राप्त की गई थी। अनुदान सं. 23-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में उपलब्ध बचतों में से तकनीकी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

इस प्रकार, मांग सं. 23 (पूंजीगत अनुदान) से मांग सं. 22 (राजस्व अनुदान) में तकनीकी अनुपूरक के माध्यम से कुल मिलाकर ₹6,551.91 करोड़ के कुल निधियों का अंतरण बजट मैनुअल के पैरा 3.2 में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन था।

इसके अतिरिक्त, संवीक्षा से पता चला कि तकनीकी अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से ₹6,551.91 करोड़ के कुल अनुपूरक में से ₹2,853.47 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए केवल ₹3,698.44 करोड़ का उपयोग किया गया था।

तकनीकी अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने तथा एक मांग से दूसरे में निधियां अंतरण करने की इस गलत प्रथा के संबंध में सीएजी लेखापरीक्षा के 2015 के प्रतिवेदन सं. 1, 2015 की सं. 50 तथा 2016 की सं. 34 में इंगित किया गया था। तथापि, इस गलत प्रथा को सही करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई की गई दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

रक्षा मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि बजट मैनुअल के रक्षा सेवा अनुमान (डीएसई) के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, पूंजी अनुदान से राजस्व अनुदान में तकनीकी अनुपूरक निधियों के अंतरण के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया था, विचाराधीन तकनीकी अनुपूरक को अनियमित नहीं समझा जा सकता।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय पूंजीगत अनुदानों हेतु संस्वीकृत प्रावधान का पूर्ण उपयोग करने में विफल रहा था तथा तकनीकी अनुपूरक के माध्यम से पूंजीगत अनुदान से राजस्व अनुदान (अनुदानों) में बचत का अंतरण कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप बजट मैनुअल के उपबंधों का उल्लंघन हुआ।

4.14 वर्ष 2016-17 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग के चयनित वाऊचरों की जाँच

4.14.1 प्रस्तावना

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (मंत्रालय) के संबंध में किए गए भुगतानों की परिशुद्धता तथा व्यय के आबंटन की जांच करने के उद्देश्य से 2016-17 की अवधि से संबंधित प्रदत्त वाऊचरों की लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे प्रदर्शित किया गया है।

4.14.2 गैर योजनागत व्यय हेतु योजना निधि का विपथन

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली 1978 (डीएफपीआर) के अनुसार राजस्व और पूँजीगत दोनो भागों में योजनागत से योजनेत्तर शीर्षों में प्रावधानों के पुनर्विनियोग हेतु वित्त मंत्रालय का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

आगे, सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 (जीएफआर) के नियम 26 के अनुसार यह उस नियंत्रण अधिकारी, जिसके अधिकार में निधियां रखी जाती हैं, की ड्यूटी तथा उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करने का है कि व्यय उस उद्देश्य के लिए किया गया है कि जिसके लिए निधियां दी गई हैं।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के संबंध में 2016-17 की अवधि से संबंधित प्रदत्त वाउचरों की लेखापरीक्षा से पता चला कि वर्ष 2016-17 के दौरान मंत्रालय ने उपशीर्ष-3451.00.090.54 (सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-सचिवालय-पेय जल तथा स्वच्छता) के अंतर्गत विभिन्न वस्तु शीर्षों जैसे '01-वेतन', '03-समयोपरि भत्ता', '06-चिकित्सा उपचार', '11-घरेलू यात्रा खर्च', '12-विदेशी यात्रा खर्च', '02-मजदूरी' तथा '13-कार्यालयी खर्च' के अंतर्गत योजनेत्तर व्यय करने के लिए ₹9.70 करोड़ का प्रावधान प्राप्त किया था।

इसके अतिरिक्त, वस्तु शीर्ष जैसे '11-घरेलू यात्रा खर्च', '12-विदेशी यात्रा खर्च', '13-कार्यालय खर्च', '20-अन्य प्रशासनिक खर्च', '50-अन्य प्रभार' आदि पर योजनागत व्यय करने के लिए मंत्रालय ने उपशीर्ष 2215.01.102.19 (राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम) ₹ 81.50 करोड़ का प्रावधान प्राप्त किया था।

तथापि, वर्ष 2016-17 के लिए वाऊचरों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि मंत्रालय ने, कोई पुनर्विनियोजन किए बिना तथा वित्त मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹1.79 करोड़ (**अनुबंध-4.2**) राशि का योजनेत्तर व्यय करने के लिए योजनागत निधियाँ का उपयोग किया था।

4.15 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में, विनियोग लेखे में, संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन और वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन न करने से संबंधित कमियां पाई गई हैं जिससे संकलित लेखाओं की विशुद्धता पर प्रभाव पड़ा। करों की वापसी पर ब्याज का भुगतान करने के लिए संसद से बजटीय प्रावधान प्राप्त न करना नई सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित अनुदेशों का पालन न करना और गलत वस्तु शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त करने के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण होना तथा जिसका प्रभाव राजस्व घाटे पर पड़ना आदि कुछ क्षेत्र हैं जिनकी ओर मुख्य लेखा प्राधिकारी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

5: चयनित अनुदानों की समीक्षा

इस अध्याय में 2014-15 से 2016-17 तक तीन वर्षों की अवधि को शामिल करके चयनित अनुदानों के विनियोग लेखे का विश्लेषण शामिल है। विश्लेषण बजट एवं व्यय, अव्ययित प्रावधानों, वित्त वर्ष के अंत में अव्ययित प्रावधान का अभ्यपर्ण, व्यपगत बचत, अवास्तविक बजट प्रक्षेपण, व्यय का समय विश्लेषण, अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, निरंतर बचतों के गहन अध्ययन के अतिरक्त आवश्यकता के बिना किए अनुपूरक प्रावधानों, अवास्तविक बजट बकाया उपयोग प्रमाणपत्र आदि पर टिप्पणियों को शामिल करता है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के अनुदानों का वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा में विस्तृत संवीक्षा हेतु चयन किया गया था।

5.1 अनुदान सं. 15: इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

5.1.1 प्रस्तावना

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदात्ता की लाइसेसिंग के अतिरिक्त सभी मामले) के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निरूपण, कार्यान्वयन तथा समीक्षा हेतु उत्तरदायी है। मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य नागरिकों का सशक्तिकरण करना, इलेक्ट्रानिक्स, आईटी एवं आईटीईएस उद्योगों का समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट शिकायत के वैश्विक मंचों में भारत की भूमिका को बढ़ाना, एक बहुआयामी पद्धति अपनाना जिसमें मानव संसाधनों का विकास, आर एवं डी तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से दक्षता को बढ़ाना तथा सुरक्षित साईबर स्थान को सुनिश्चित करना है।

5.1.2 बजट, व्यय एवं बचत

वर्ष 2014-17 के दौरान बजट प्रावधान**,** वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधान की समग्र स्थिति का नीचे **तालिका 5.1** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.1: बजट, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान		व्यय		अव्ययित प्रावधान/बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2014-15	3734.12	195.00	3452.61	130.49	281.51	64.51
2015-16	2611.85	147.16	2479.87	114.32	131.98	32.84
2016-17	3369.77	349.12	3310.60	330.78	59.17	18.34

स्रोत: शीर्ष-वार विनियोग लेखे

लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा, 1993-94) ने अपनी 60वें प्रतिवेदन (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत त्रुटिपूर्ण बजट के साथ-साथ एक अनुदान अथवा विनियोग में निष्पादन में कमी का सूचक हैं। समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक वर्ष हेतु अनुदान के एक खण्ड में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतों के संबंध में विस्तृत नोट संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा समिति को प्रस्तुत किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 तथा 2015-16 में अनुदान के राजस्व भाग के दत्तमत भाग में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत थीं। यह निधियों की आवश्यकता के अधिक अनुमान का सूचक थी।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि वह सामयिक व्यय तथा निधियों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु नियमित आधार पर व्यय की पद्धति की समीक्षा कर रहा था जिससे कि बजट आबंटन तथा व्यय के बीच के अंतर को समाप्त किया जाए।

5.1.3 अभ्यर्पित न की गई बचत तथा उन्हें व्यपगत होने दिया

वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 56 प्रावधान करता है कि अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पुर्वानुमान होते ही वर्ष के अंतिम दिवस की प्रतीक्षा किए बिना, सरकार को अभ्यपर्ण किया जाना है। बचतों को संभावित भविष्य आधिक्य हेतु रिर्जव में भी नहीं रखा जाना चाहिए।

वर्ष 2014-17 हेतु विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹361.84 करोड़ की बचतों का अभ्यपर्ण नहीं किया गया था तथा उन्हें व्यपगत होने दिया जैसा **तालिका 5.2** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.2: अभ्यर्पित न की गई बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष/भाग		बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की तिथि	अभ्यर्पित न की गई बचत
2014-15	राजस्व भाग	281.51	162.84	31.03.2015	118.67
	पूंजीगत भाग	64.51	56.17		8.34
2015-16	राजस्व भाग	131.98	0	--	131.98
	पूंजीगत भाग	32.84	0	--	32.84
2016-17	राजस्व भाग	59.17	0	--	59.17
	पूंजीगत भाग	18.34	7.5	30.03.2017	10.84
कुल		**588.35**	**226.51**		**361.84**

2015-16 में, राजस्व तथा पूंजीगत भाग में पूर्ण बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया गया था जबकि 2016-17 में राजस्व भाग में पूर्ण बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2014-15 के दौरान राजस्व भाग के अंतर्गत ₹281.51 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹162.84 करोड़ (58 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया था। यह भी देखा गया था कि बचतों का वित्त वर्ष के अंतिम दिन को अभ्यर्पण किया गया था तथा पर्याप्त बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया गया था तथा उन्हें वित्त वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए व्यय तथा प्रत्याशित व्यय की बार-बार समीक्षाओं के बावजूद बचतों का वित्त वर्ष की समाप्ति तक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका था।

5.1.4 अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़े अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत, संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विनिर्दिष्ट राशियों का विनियोजन करने को प्राधिकृत करती है। संसद बाद में अनुच्छेद 115 के अनुसार विनियोग अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 114 के अंतर्गत एक उद्देश्य हेतु पहले किए गए प्राधिकरण से अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदानों को भी प्राधिकृत करती है। व्ययों के प्रारम्भिक अनुमानों को तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्ष के दौरान संवितरण जिसका ध्यान रखना तथा उचित सावधानी रखना अपेक्षित है जिससे कि सभी

अपरिहार्य तथा निकट के व्ययों हेतु प्रावधान को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अनुमानों में शामिल किया जा सके।

2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान प्राप्त अनुपूरक अनुदानों का ब्यौरा **तालिका 5.3** में दिया गया है।

तालिका 5.3: बड़े अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
2014-15	राजस्व भाग (दत्तमत)	3734.10	0.02 (0)	3452.61	281.51
	पूंजीगत भाग (दत्तमत)	195.00	0	130.49	64.51
2015-16	राजस्व भाग (दत्तमत)	2482.85	129.00 (5.20)	2479.87	131.98
	पूंजीगत भाग (दत्तमत)	147.15	0.01 (0.01)	114.32	32.84
2016-17	राजस्व भाग (दत्तमत)	3089.71	280.06 (9.06)	3310.60	59.17
	पूंजीगत भाग (दत्तमत)	239.11	110.01 (46.01)	330.78	18.34

कोष्ठक में आंकड़े मूल अनुदान के प्रति अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व दत्तमत भाग में ₹129.00 करोड़ की अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए थे परंतु वह पूर्ण अनुपूरक अनुदान का उपयोग करने में विफल रहा था। बचत वास्तव में अनुपूरक अनुदान से अधिक थीं।

2016-17 के दौरान, मंत्रालय ने ₹110.01 करोड़ के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जो पूंजीगत (दत्तमत) भाग के अंतर्गत मूल बजट का 46.01 प्रतिशत बना।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि आरई 2015-16 में एमईआईटीवाई हेतु बजट प्रावधान ₹2,700 करोड़ था जो तथ्य, कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जिसके बजट ने हमेशा ₹1,000 करोड़ को पार किया है का एमईआईटीवाई को संलग्न कार्यालय के रूप में अंतरण किया गया था, के बावजूद केवल ₹500 करोड़ तक बढ़ा था। इसलिए, सभी योजनाओं/गैर

योजनाओं हेतु बजट प्रावधान की अनुपातिक रूप से कटौती की गई थी। चूंकि एनआईसी तथा यूआईडीएआई को पूंजीगत व्यय को पूरा करने हेतु न्यूनतम राशि प्रदान/आबंटित नहीं की गई थी इसलिए वित्त मंत्रालय को अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से उनका पूंजीगत प्रावधान बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने संसद से प्राप्त अनुपूरक अनुदानों का पूर्णत: उपयोग नहीं किया था जो निधि आवश्यकताओं के अवास्तविक मूल्यांकन का सूचक था।

5.1.5 उप-शीर्ष के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि चार उप-शीर्षों /योजनाओं के अंतर्गत पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा उन्हें पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित किया गया था जिसने उद्देश्य जिसके लिए मूल बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किया गया था, को व्यर्थ किया जैसा नीचे **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4: संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना

वर्ष	उप/शीर्ष/योजनाएं	बजट प्रावधान	बचत	कारण
		(₹ करोड़ में)		
2014-15	4859.02.004.18 इलेक्ट्रानिक्स /आईटी एचडब्ल्यू उत्पादन को बढ़ावा	10.00	10.00	व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण
	2852.07.202.19-ईआरएनईटी इंडिया	0.10	0.10	-
	2852.07.202.71-मीडिया लैब एशिया	7.00	7.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती करने के कारण
	2852.07.202.82-एकीकृत नगर-क्षेत्र की स्थापना का सरलीकरण करना	0.10	0.10	-
2015-16	4859.02.004.18-इलैक्ट्रानिक्स/आईटीएचडब्ल्यू विर्निर्माण को प्रोत्साहन	20.00	20.00	इलेक्ट्रानिकस विकास निधि प्रबन्धक और बैंक के बीच अनुबंध के गैर-निष्पादन के कारण
2016-17	4859.02.004.18-इलैक्ट्रानिक्स/आईटीएचडब्ल्यू विर्निमार्ण को प्राेत्साहन	20.00	20.00	इलेक्ट्रानिकस विकास निधि योजना में प्रस्तावित निवेश को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि योजनाएं प्रारम्भ होने में विफल रही अथवा पूर्ण प्रावधान के गैर-उपयोग के कारण प्रभावित हुई।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि मीडिया लैब एशिया (एमएलए) को 30 अप्रैल 2012 के बाद वित्तीय सहायता जारी करने का मामला वित्त मंत्रालय के विचाराधीन था तथा इस प्रकार, एमएलए के लिए किए गए प्रावधान अप्रयुक्त रहे। इलैक्ट्रानिक/आईटी एच डब्ल्यू विर्निर्माण के प्रोत्साहन के संबंध में यह बताया गया है कि पूंजीगत अनुदानों के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक्स विकास निधि के लिए चिन्हित बजट कानूनी औपचारिकर्ताओं के कारण अप्रयुक्त रहा। तथापि, इस गैर उपयोग ने योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं किया था।

तथ्य यह रहता है कि पिछले तीन वर्षो के दौरान इलैक्ट्रानिक/आईटी एचडब्ल्यू विनिर्माण के प्रोत्साहन के संबंध में समस्त बजटीय राशि का उपयोग न होना खराब बजट तथा समस्त प्रावधानों के निरन्तर उपयोग न करने से बचने के लिए प्रभावशाली उपचारी उपाय करने में विफलता का सूचक है।

5.1.6 निधियों का उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

वर्ष 2016-17 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित उप-शीर्ष में निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि बचत पुनर्विनियोग की गई राशि से अधिक थीं जैसा नीचे **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: निधियों का उप-शीर्ष में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	उप शीर्ष में पुनर्विनियोग की गई राशि	वास्तविक व्यय	उप शीर्ष में पुनर्विनियोग के बाद अंतिम बचत
2016-17	2852.07.202.88-नियामक प्राधिकरण	ओ -148.00 एस - 0.00	11.87	138.47	21.40

5.1.7 उपशीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचत

2014-15 से 2014-17 के वर्षों के लिए विनियोग लेखाओं की पुनरीक्षा से पता चला कि पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन उप शीर्षों के अंतर्गत निरन्तर बचत थीं जो मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना/ गतिविधि मद के संबंध में घटिया बजट बनाने या कार्य निष्पादन में कमी या दोनों का सूचक है, जिसके ब्यौरे नीचे **तालिका 5.6** में दिए गए हैं।

तालिका 5.6: उपशीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचत

क्र. सं.	उप शीर्ष	वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान से बचत की प्रतिशतता	बचतों के लिए मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
1	3451.00.090.15 - इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2014-15	88.10	73.29	14.81	16.81	घरेलू यात्रा खर्चे तथा अन्य स्थापना से संबंधित खर्चों के प्रति निधियों की कम आवश्यकता
		2015-16	97.04	75.69	21.35	22.00	मरम्मत तथा अनुरक्षण निर्माण कार्यों निष्पादन न होना तथा स्थापना/संबंधित खर्चों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता होना
		2016-17	104.96	88.02	16.94	16.14	रिक्त पदों का न भरा जाना, तथा स्थापना संबंधी खर्चों की प्रति कम निधियों की आवश्यकता होना
2	2852.07.202.06 - एसटीक्यूसी	2014-15	92.00	76.05	15.95	17.34	रिक्त पदों का न भरा जाना,व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होना, स्थापना संबंधी खर्चों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता, एमओएफ द्वारा आरई स्तर पर कटौती करने तथा उपकरण का अधिप्रापण न होना
		2015-16	91.00	80.89	10.11	11.11	रिक्त पदों का न भरा जाना, तथा स्थापना संबंधी खर्चों की प्रति कम निधियों की आवश्यकता होना
3	4859.02.004.17 - एसटीक्यूसी	2014-15	56.00	18.47	37.53	67.02	मशीनरी तथा उपकरण के अधिप्रापण हेतु प्रस्तावों की

	तथा अन्य परियोजनाओं के लिए मशीनरी तथा उपकरण						प्राप्ति न होने, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती किए जाने के कारण
		2015-16	64.00	37.03	26.97	42.14	साईबर सिक्योरिटी परियोजनाओं हेतु निविदा प्रक्रिया में बिलंब, परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिये जाने, मशीनरी तथा उपकरण के अधिप्रापण हेतु उद्धरणों की प्राप्ति न होने के कारण
		2016-17	20.00	5.06	14.94	74.70	साईबर सिक्योरिटी परियोजनाओं हेतु निविदा प्रक्रिया में बिलंब, परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिये जाने, मशीनरी तथा उपकरण के अधिप्रापण हेतु उद्धरणों की प्राप्ति न होने के कारण

निरंतर बचत 11.11 प्रतिशत से 74.70 प्रतिशत तक की थी जो निधियों की आवश्यकता के अधिक अनुमान तथा निरन्तर बचतों से बचने के लिए प्रभावशाली उपचारी उपाय करने में विफलता का सूचक है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि दो उप-शीर्षों 3451.00.090.15 तथा 2852.07.202.06 के अंतर्गत क्रमश: एमईआईटीवाई सचिवालय तथा मानकीकरण जांच तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) के संबंध में वेतन तथा स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु व्यय प्रावधान किए गए थे। स्थापना प्रावधानों के अंतर्गत बचत सामान्यत: रिक्त पदों के न भरे जाने, मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों का निष्पादन न होने, एलटीसी, चिकित्सा हेतु प्रर्याप्त बिलों की प्राप्ति न होना तथा कम यात्रा खर्चे होने के कारण होती हैं।

उप-शीर्ष 4859.02.004.17 के संबंध में, एमईआईटीवाई ने सूचित किया कि बचत पिछले तीन वर्षों के दौरान दो मुख्य साइबर सिक्योरिटी इनीशिएटिव अर्थात एनसीसीसी तथा बोटनेट क्लीनिंग तथा मालवेयर एनेलासिस सेंटर की अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई थीं।

उत्तर व्यय के अनुमान तैयार करने में अधिक सचेतना की आवश्यकता को दर्शाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि निधियों की आवश्यकता को प्रस्तावित करते समय व्यय को प्रभावित करने वाले सभी घटकों पर उचित प्रकार से ध्यान दिया गया है।

5.1.8 निधियों की उपयोगिता

(i) लंबित उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी)

जीएफआर का नियम 212 (1), 2005 निर्धारित करता है कि किसी संस्थान या संगठन को गैर-आवर्ती अनुदान के संबंध में, इस उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था, सहायता-अनुदान के स्वीकृति के आदेश पर जोर दिया जाना चाहिए। आवर्ती अनुदान के मामले में, संबंधित मंत्रालय या विभाग को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अनुदान के संबंध में यूसी प्रस्तुत किये जाने के बाद ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत राशि जारी करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन के 12 महीनों के भीतर यूसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहां निर्धारित समय के भीतर अनुदानकर्ता से ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, मंत्रालय या विभाग किसी भी भविष्य अनुदान, सब्सिडी या सरकार से अन्य प्रकार के वित्तीय सहायता से ऐसी संस्था या संगठन को काली-सूची में डालने को स्वतंत्र होगा।

27 जुलाई 2017 तक वर्ष-वार लंबित यूसी की स्थिति **तालिका-5.7** में दी गयी है:

तालिका 5.7: वर्ष-वार लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र

अनुदान की संस्वीकृति का वर्ष	बकाया		प्राप्त यूसी		बकाया यूसी	
	सं.	राशि (₹करोड़ में)	सं.	राशि (₹करोड़ में)	सं.	राशि (₹करोड़ में)
2002-03 से 2009-10	2963	4456.63	2922	4355.34	41	101.29
2010-11	516	2212.08	510	2211.22	6	0.86
2011-12	497	1215.37	488	1208.43	9	6.94
2012-13	430	966.83	415	904.83	15	62.00
2013-14	413	1192.81	397	1159.27	16	33.54
2014-15	591	1847.46	552	1782.96	39	64.50
2015-16	504	1569.80	364	1093.13	140	476.67
कुल	**5914**	**13460.98**	**5648**	**12715.18**	**266**	**745.80**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 27 जुलाई 2017 तक कुल ₹745.80 करोड़ के 266 यूसी बकाया थे जो वर्ष 2002-03 से 2015-16 तक संस्वीकृति के वर्ष से संबंधित हैं। इसमें से, ₹644.51 करोड़ की राशि (86.42 प्रतिशत) के 225 यूसी (84.59 प्रतिशत) 2010-11 से 2015-16 तक की अवधि से संबंधित थे।

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि वि.व. 2015-16 के दौरान जारी किए गए अनुदानों के संबंध में यूसी को 01 अप्रैल 2017 (वि.व. 2017-18) से लंबित माना जाएगा। अतः एमईआईटीवाई ने संगठनों को जिसके संबंध में कोई एकल यूसी लंबित नहीं था, अनुदान जारी करके किसी भी जीएफआर प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया था। जहां तक अनुदान के उपयोग का संबंध है, यह बताया गया है कि एमईआईटीवाई में परियोजना समीक्षा एवं स्थायी समूह का गठन किया गया है, जो समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निधियों का उपयोग, लक्ष्य की अनुपलब्धता, यदि कोई हो, आदि की समीक्षा हेतु बैठक करते हैं तथा अनुशंसा करते हैं कि किस संगठन को अनुदान के आगे किस्त जारी किये जाऐंगे और कितनी की जाएगी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2015-16 के दौरान जारी अनुदानों के संबंध में यूसी जुलाई 2017 में लंबित यूसी पर सूचना प्रस्तुत करने के समय पहले ही देय हो चुके थे। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों से संबंधित ₹269.13 करोड़ के संगत धन मूल्य सहित 126 यूसी भी लंबित थे।

यूसी की प्राप्ति ही यह साक्ष्य देने हेतु एकमात्र तंत्र है कि निधियों का उपयोग प्रत्याशित उद्देश्य हेतु किया गया है। मंत्रालय को अनुदेयी निकायों द्वारा यूसी के सामयिक प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करना चाहिए।

5.1.9 रोकड़ प्रबंधन प्रणाली

संशोधित रोकड़ प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित उद्देश्यों[1] को पूरा करने की मांग करती है:

i. वित्त वर्ष मुख्यतः अग्रिम निर्गमों और कॉपर्स निधि में अंतरणों को शामिल करते हुए मदों से संबंधित बजटीकृत व्यय में अधिक समानता प्राप्त करना;

ii. अंतिम तिमाही मुख्य रूप में वित्त वर्ष के अंतिम माह के दौरान व्यय के प्रवाह को कम करना;

iii. निधियों को रखे जाने की प्रवृत्ति को कम करना;

iv. व्यय पैर्टन को प्रभावी रूप से मॉनीटर करना;

v. केन्द्र सरकार के सूचक बाजार उधार कैलेंण्डर की बेहतर योजना बनाना;

मासिक व्यय योजना (एमईपी) त्रैमासिक व्यय आबंटनों (क्यूईए) का आधार बनाते है। विभाग/मंत्रालय त्रैमासिक व्यय आबंटन (जोकि मासिक व्यय योजना के अंतर्गत प्रावधानों के कुल के बराबर होगा) में व्यय को नियमित करता है।

तालिका 5.8 वर्ष 2016-17 के लिए क्यूईए के प्रति वास्तविक व्यय की स्थिति प्रदान करती है।

तालिका 5.8: त्रैमासिक व्यय आबंटन और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तिमाही	त्रैमासिक व्यय आवंटन (योजना)	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	त्रैमासिक व्यय आवंटन (गैर-योजनागत	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य(+)
2016-17	पहली	733.36	1064.37	331.01	34.26	26.94	-7.32
	दूसरी	1098.62	733.18	-365.44	38.17	28.82	-9.35
	तीसरी	664.60	882.05	217.45	26.86	32.41	5.55
	चौथी	703.42	848.56	145.14	29.53	22.12	7.41
	कुल	**3200.00**	**3528.16**	**328.16**	**128.82**	**110.29**	**-18.53**

स्रोतः 2016-17 के लिए डीजी और पीआर पीएओ, एमईआईटीवाई कार्यालय द्वारा तैयार अनुमानों और व्यय के त्रैमासिक विवरण

[1] वित्त मंत्रालय ओएम सं. एफ सं. 21 (I)-बी (पीडी)/2014 दिनांक 22 जुलाई 2015

तालिका दर्शाती है कि सभी तिमाहियों में क्यूईए योजना के साथ व्यय संगत नहीं है जोकि त्रुटिपूर्ण वित्तीय नियंत्रण एवं प्रबंधन दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि दर्शाया गया क्यूईपी डीडीजी 2016-17 के अनुसार है। हालांकि, व्यय की सीमा पर निर्भर करते हुए प्रत्येक तिमाही के अंत तक क्यूईपी को ध्यान में रखते हुए इन्हे संशोधित/बदलाव किया जाता है। अतः संशोधित/बदलाव किए गए क्यूईपी को ध्यान में रखते हुए इस बात का दावा करना गलत होगा कि त्रैमासिक व्यय लक्ष्य और प्राप्ति में विसंगति थी।

स्वीकृति संशोधित क्यूईपी तथा उसके संशोधन के आधार को प्रस्तुत न किए जाने के कारण उत्तर को सत्यापित नहीं किया जा सकता।

5.1.10 रिक्त पदों के लिए बजट प्रावधान

बजट परिपत्रों 2014-15 से 2016-17 के अनुसार, "पदों के लिए स्थापना बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा, जोकि एक वर्ष या अधिक के लिए रिक्त पड़े हुए हैं। अन्यथा, रिक्त पदों के लिए प्रावधान करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इन रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण अंतिम बचतों की संभावनाओं से बचा जा सके।"

विनियोग लेखे 2014-15 की संवीक्षा के दौरान ₹12.40 करोड़ तथा ₹12.46 करोड़ की बचत क्रमश: उप-शीर्ष 3451.00.090.15 (डीईआईटीवाई) तथा 2852.07.202.06 (एसटीक्यूसी) के अंतर्गत पाई गई थीं। बचतों का एक कारण रिक्त पदों को न भरना था। वर्ष 2013-14 हेतु इन शीर्षों के अंतर्गत बचतों के लिए कुछ कारण भी प्रस्तुत किए गए थे।

यह भी आगे पाया गया था कि 2015-16 के दौरान रिक्त पदों को न भरे जाने और कम व्यय के कारण एसटीक्यूसी (एचओए 2852.07.202.06) द्वारा ₹13.96 करोड़ की बचत सूचित की गई थीं। पुन: 2016-17 में, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण नियामक अधिकारियों (एचओए 2852.07.202.88) द्वारा ₹21.40 करोड़ की बचत सूचित की गई थीं।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि नियामक प्राधिकारियों अर्थात् एसटीक्यूसी, साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इन एवं कैट समेत) और केवल सीसीए से संबंधित बचत हुई थीं और एमईआईटीवाई सचिवालय से संबंधित कोई

बचत नहीं हुई थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि एक वर्ष से अधिक के लिए रिक्त हुए पदों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, कम अवधि के लिए रिक्त पड़े हुए पदों से संबंधित बजट प्रावधान किए गए थे और नव सृजित पदों के लिए भी भरा जाना था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षों हेतु रिक्त पदों के लिए प्रावधानों से निरन्तर बचत अप्रयुक्त बजट प्रबंधन की सूचक है तथा यह बजट परिपत्र के उल्लंघन में है।

5.2 अनुदान सं.-25-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

5.2.1 प्रस्तावना

पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात् ग्रामीण पेय जल हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) {एसबीएम (जी)[2]} की समग्र नीति, योजना, निधीयन और समन्वय के नोडल मंत्रालय है।

5.2.2 बजट, व्यय तथा बचत

वर्ष 2014-17 के दौरान बजट वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधान की समग्र स्थिति का विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है:

तालिका 5.9: बजट, बचत एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान		व्यय		अव्ययित प्रावधान/बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2014-15	15377.50	0.00	12201.46	0.00	3176.04	0.00
2015-16	14330.89	0.00	13481.18	0.00	849.71	0.00
2016-17	26509.71	0.00	26475.66	0.00	34.05	0.00

2 पूर्व में यह कार्यक्रम निर्मल भारत अभियान कहलाया गया था।

तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹15,377.50 करोड़ के संस्वीकृत प्रावधान का 20.65 प्रतिशत गठित करने वाली ₹3,176.04 करोड़ की बचत थीं। तथापि, बचतों की प्रमात्रा 2015-16 में ₹849.71 करोड़ से 2016-17 में ₹34.05 करोड़ तक कम हुई।

5.2.3 अवास्तविक बजटीय अनुमानों के कारण बड़े अनुपूरक अनुदान

मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अनुपूरक अनुदानों की प्राप्ति की थी जिसका विवरण नीचे **तालिका 5.10** में दिया गया है:

तालिका 5.10: बड़े अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक आवंटन	अनुपूरक आवंटन	कुल आबंटन	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
2014-15	15266.85	110.65 *(0.72)*	15377.50	12201.46	-3176.04
2015-16	6243.87	8087.02 *(129.52)*	14330.89	13481.18	-849.71
2016-17	22509.70	4000.01 *(17.77)*	26509.71	26475.66	-34.05

कोष्ठक में आंकड़े मूल अनुदान के संबंध में अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2014-15 में, मंत्रालय ने सौर ऊर्जा आधारित दोहरा पम्प पाइप जल आपूर्ति योजना के संस्थापन के लिए ₹110.65 करोड़ (0.72 प्रतिशत) का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था। हालांकि, राज्यों के पास अव्ययित शेष और संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कमी के कारण प्राप्त अतिरिक्त अनुदान को अभ्यर्पित किया गया था।

2015-16 में, मंत्रालय ने मुख्यत: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को अंतरण के कारण अनुपूरक प्रावधान के रूप में ₹8,087.02 करोड़ (129.52 प्रतिशत) प्राप्त किया था। हालांकि, ₹8,087.02 करोड़ के अनुपूरक अनुदानों में से ₹849.71 करोड़ अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

2016-17 में, ₹4,000.01 करोड़ के अनुपूरक अनुदान, मूल अनुदान का 17.17 प्रतिशत राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को अंतरण हेतु आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राप्त किए गए थे।

2015-16 में बड़े अनुपूरक प्रावधान दर्शाता है कि मंत्रालय ने वास्तविक आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे और वास्तविक बजटीय अनुमानों को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-बजट बैठक करने के तंत्र का वांछित प्रभाव नहीं था।

5.2.4 उप-शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

पिछले तीन वर्षों हेतु लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने निम्नलिखित उप-शीर्ष, के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के लिए बड़े अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त किया था।

तालिका 5.11: अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
2015-16	3601.02.269.02-स्वच्छ भारत अभियान	1979.00	4032.40	4391.81	1619.59 *(40.16)*
2015-16	3601.02.789.19- मल-व्यवस्था एवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	797.00	1387.00	1469.51	714.49 *(51.51)*
2015-16	3601.02.796.19- मल-व्यवस्था एवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	362.00	631.00	673.08	319.92 *(50.70)*
2015-16	3602.02.269.02- स्वच्छ भारत अभियान	2.00	4.80	4.40	2.40 *(50.00)*
2016-17	2215.01.105.23- स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)	255.00	2.00	215.13	41.87 *(2093.50)*

कोष्ठक में आंकड़ों ने अनुपूरक प्रावधान के संबंध में बचतों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

जबकि मंत्रालय ने बड़ी अनुपूरक अनुदान प्राप्त की थी फिर भी उन्होंने उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। मुख्य अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग न किए जाने के कारण राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होना, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की प्राप्ति न होना तथा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता बताए गए थे।

5.2.5 संपूर्ण प्रावधान की बचत

पिछले तीन वर्षों के दौरान, चार उप-शीर्षों में संसद द्वारा प्राधिकृत ₹7.72 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था। संपूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य को दर्शाती हैं कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के पश्चात् अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। विवरण **तालिका 5.12** में दिए गए हैं।

तालिका 5.12: अव्ययित रहे संपूर्ण प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	बचत
2014-15	3602.02.264.01 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	1.02	1.02
2015-16	3602.02.264.01 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2.04	2.04
	3602.02.789.10 जल आपूर्ति-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	0.66	0.66
2016-17	3602.02.269.03 मल-व्यवस्था एवं स्वच्छता सेवाएं- स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)	4.00	4.00
	कुल	**7.72**	**7.72**

5.2.6 ₹10 करोड़ (उप-शीर्ष स्तर) से अधिक बचत

पिछले तीन वर्षों की संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत प्रावधानो का बड़ा भाग अप्रयुक्त रहा था और अन्य शीर्षों को अभ्यर्पित/पुनर्विनियोग किया गया था जोकि उस उद्देश्य को निष्फल बनाते है जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थें। ₹10 करोड़ और अधिक या बजट प्रावधानों के 25 प्रतिशत से अधिक की बचतों के उदाहरण नीचे **तालिका 5.13** में दी गयी हैं। मंत्रालय ने बचतों को पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति को आरोपित किया।

तालिका 5.13: अवास्तविक बजट

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
2014-15	2215.01.102.17 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	93.82	46.26	47.56	50.69
	2215.02.105.21 निर्मल भारत अभियान	123.00	91.03	31.97	25.99
	3601.02.789.19 मल व्यवस्था और स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	937.56	626.55	311.01	33.17
	3601.02.796.19 मल व्यवस्था एवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	425.80	284.79	141.01	33.12
2015-16	3601.02.269.02- स्वच्छ भारत अभियान	6011.40	4391.81	1619.59	26.94
	3601.02.789.19 मल व्यवस्था और स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	2184.00	1469.51	714.49	32.71

वर्ष	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
	3601.02.796.19 मल व्यवस्था और स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	993.00	673.08	319.92	32.22
2016-17	2215.01.102.19 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	81.51	48.34	33.17	40.69

5.2.7 बचतों का अभ्यर्पण

जीएफआर 2005 का नियम 56 इस बात पर बल देता है कि अनुदान या विनियोग में प्रावधान जिन्हें सफलता से उपयुक्त नहीं किया गया है उन्हें वर्ष के अंत की प्रतीक्षा किए बिना देखते ही शीघ्रातिशीघ्र सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। संभावित भविष्य आधिक्यों के लिए आरक्षण में कोई बचत नहीं रखी जानी चाहिए।

इन प्रावधानों के उल्लंघन में, बचत न तो अभ्यर्पित की गई थी या फिर इनको वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किया गया था जैसाकि नीचे **तालिका 5.14** में दिया गया है।

तालिका 5.14: बचतों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि
		संबंधित वर्ष की 31 मार्च को	प्रतिशतता	
2014-15	3176.04	3162.37	99.57	13.67
2015-16	849.71	849.10	99.93	0.61
2016-17	34.05	6.95	20.41	27.10

5.3 अनुदान सं.61: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

5.3.1 प्रस्तावना

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए केन्द्र स्तर पर नोडल मंत्रालय है।

मंत्रालय काम में लाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा, लाइटिंग, खाना पकाने और चालन शक्ति, शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग में नवीकरणीय शक्ति के उपयोग समेत विस्तृत स्पेक्ट्रम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा।

इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास अनुसंधान संस्थान/केन्द्र-राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, सहायक कार्यक्रम उदाहरण स्वरूप निवेश प्रोत्साहन, सूचना, शिक्षा एवं संचार (विज्ञापन और प्रचार) और अन्य कार्यालय व्यय समेत अंतर्राष्ट्रीय सहायता से संबंधित आधुनीकीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना है।

5.3.2 बजट, व्यय एवं बचत

बजट प्रावधानों की समग्र स्थिति जिसमें पिछले तीन वर्षों 2014-17 की पूंजीगत एवं राजस्व प्रवृत्ति, वास्तविक संवितरण और बचत हैं उनका विवरण नीचे **तालिका 5.15** में दिया गया है:-

तालिका 5.15: बजट, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान		व्यय		अव्ययित प्रावधान/बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2014-15	2762.39	295.00	2223.10	295.00	539.29	0.00
2015-16	4208.24	95.01	4150.26	94.52	57.98	0.49
2016-17	9882.81	115.00	7643.52	110.63	2239.29	4.37

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान बड़े प्रावधान अनुदान के राजस्व भाग में अप्रयुक्त रहे। 2016-17 के दौरान ₹2,239.29 करोड़, जो संस्वीकृत प्रावधान का 22.66 प्रतिशत बना, राजस्व भाग में अव्ययित रहा। 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान बड़े अव्ययित प्रावधान ने मंत्रालय द्वारा त्रुटिपूर्ण बजटीकरण को दर्शाया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (सितंबर 2017) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु संज्ञान में ले लिया गया था।

5.3.3 वित्त वर्ष के अंत में अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जीएफआर के प्रावधानों के विपरीत मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2014-17 के अंतिम दिन अपनी बचतों का अभ्यर्पण किया जैसा ब्यौरा नीचे **तालिका 5.16** में दिया गया है।

तालिका 5.16: बचतों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृत अनुदान		व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित न की गई बचत	अभ्यर्पण की तिथि
2014-15	राजस्व	2762.39	2223.10	539.29	526.67	12.62	31.03.2015
	पूंजीगत	295.00	295.00	-	-	-	-
2015-16	राजस्व	4208.24	4150.26	57.98	47.78	10.20	31.03.2016
	पूंजीगत	95.01	94.52	0.49	0.24	00.25	31.03.2016
2016-17	राजस्व	9882.81	7643.52	2239.29	1115.11	1124.18	31.03.2017
	पूंजीगत	115.00	110.63	4.37	4.39	-	31.03.2017

वित्त वर्ष के केवल अंतिम दिन में जाकर ही बचतों का अभ्यर्पण मंत्रालय के त्रूटिपूर्ण बजट तथा सरकारी नियमावली के गैर-अनुपालन को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन के लिए संज्ञान में ले लिया गया है।

5.3.4 ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (पीएसी) (10वीं लोक सभा, 1993-94) ने अपने 60वें प्रतिवेदन (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत त्रूटिपूर्ण बजट के साथ साथ अनुदान अथवा विनियोग में निष्पादन की कमी की सूचक हैं। समिति ने, इसलिए, यह वांछित किया था कि प्रत्येक वर्ष अनुदान के भाग में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा विस्तृत टिप्पण समिति को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। समीक्षा अवधि की अनुदान के वर्ग में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतों का ब्यौरा नीचे **तालिका 5.17** में दिया गया है:

तालिका 5.17: ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान का नाम एवं संख्या (राजस्व भाग)	बचत
2014-15	69 -एमएनआरई	539.29
2016-17	61- एमएनआरई	2239.29

संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत अधिक प्रावधान किए थे जिसका परिणाम बड़े प्रावधानों के अप्रयुक्त रहने में हुआ।

5.3.5 अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदान

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने 2014-17 की अवधि के दौरान अनुपूरक अनुदान प्राप्त की थी जैसा नीचे **तालिका 5.18** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.18: मूल तथा अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष		मूल प्रावधान	अनुपूरक	मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता	व्यय	बचत
2014-15	राजस्व	2439.39	323.00	13.24	2223.10	539.29
	पूंजीगत	95.00	200.00	210.53	295.00	-
2015-16	राजस्व	2708.21	1500.03	55.39	4150.26	57.98
	पूंजीगत	95.00	0.01	0.01	94.52	0.49
2016-17	राजस्व	9882.79	0.02	0	7643.52	2239.29
	पूंजीगत	100.00	15.00	15.00	110.63	4.37

मंत्रालय ने 2014-15 के दौरान राजस्व भाग के अंतर्गत ₹323.00 करोड़ की बड़ी अनुपूरक अनुदान प्राप्त की थी जो मूल प्रावधान का 13.24 प्रतिशत बनी तथा पूर्ण अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रहा जो निधियों की आवश्यकता के अवास्तविक अनुमान को दर्शाता है।

2015-16 के दौरान, मंत्रालय ने राजस्व वर्ग के अंतर्गत ₹1,500.03 करोड़ की बड़ी अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था जो मूल प्रावधान का 55.39 प्रतिशत बना।

शीर्ष-वार विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पांच मामलों में, मंत्रालय ने बड़ी अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए थे जो मूल प्रावधान के 62.15 प्रतिशत से 1066.67 प्रतिशत के बीच थी जैसा नीचे **तालिका 5.19** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.19: मूल तथा अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वस्तु शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के प्रति अनुपूरक की प्रतिशतता
2014-15	2810.00.105.02	2.25	24.00	1066.67
	4810.00.190.01	40.00	200.00	500.00
2015-16	2810.00.101.01	1525.00	950.00	62.30
	2810.00.101.02	885.00	550.01	62.15
2016-17	4810.00.101.03	--	15.00	बिल्कुल मूल प्रावधान नहीं था।

यह दर्शाता है कि मंत्रालय ने वास्तविक आधार पर व्यय अनुमान तैयार नहीं किए थे। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु संज्ञान में लिया (सितम्बर 2017)।

5.3.6 ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत (उप-शीर्ष स्तर)

पिछले तीन वर्षों के लेखाओं की समीक्षा ने प्रकट किया कि प्रावधानों के बड़े भाग विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त रहे तथा उनका अभ्यर्पण/अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोग किया गया था जिसने उद्देश्य जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, को विफल किया। बजट प्रावधानों की ₹एक करोड़ से अधिक की बचतों के उदाहरण **अनुबंध 5.1** में दिए गए हैं। यह मंत्रालय की ओर से त्रुटिपूर्ण वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु संज्ञान में ले लिया गया था।

5.3.7 वित्त वर्षों के बिल्कुल अंत में पुनर्विनियोजन के अत्यधिक आदेश जारी करना

पीएसी (14वीं लोक सभा) ने जुलाई 2006 में अनुशंसा की कि मुख्य लेखा नियंत्रक तथा लेखा नियंत्रक के सहयोग से विभागों के वित्तीय सलाहकारों को बजट प्रारूपण प्रक्रिया में और अधिक विश्लेषणात्मक इनपुटों को लाकर तथा प्रत्येक कार्यक्रम के व्यय प्रोफाइल पर आधारित बजट की अधिकतम राशि के भीतर बेहतर कार्यक्रम/प्राथमिकता तथा आबंटन, परिणामों के निर्धारण तथा परियोजनाओं के वर्तमान स्तर के संबंध में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे विश्लेषण में संसाधनों का अधिक वास्तविक एवं प्रभावी परिनियोजन को सुनिश्चित करने, अनुपूरक पर विश्वास को कम करने तथा बजट अनुमानों, अविवेकपूर्ण निरूपण निधियों के उपयोग, जहां बड़ी बचतों/अव्ययित प्रावधानों से पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता परंतु कम किया जा सकता है, के महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण में सहायता करने की अभिकल्पना की गई थी।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि अधिकांश पुनर्विनियोजन आदेश संबंधित वित्त वर्षों के अतं में जाकर ही जारी किए गए थे जैसा नीचे **तालिका 5.20** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.20: पुनर्विनियोजन के आदेश जारी करना

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी पुनर्विनियोजन आदेशों की कुल संख्या	वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी (जनवरी-मार्च)	अंतिम माह अर्थात् मार्च के दौरान जारी	अतिम तिमाही में जारी आदेशों का प्रतिशत	जारी कुल आदेशों की तुलना में अंतिम माह में जारी का प्रतिशत
2014-15	12	6	4	50.00	33.33
2015-16	21	13	10	61.90	47.62
2016-17	29	20	14	68.97	48.28

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष के अंत में पुनर्विनियोजन का परिणाम उप-शीर्षों में बचतों में हुआ जैसा नीचे **तालिका 5.21** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.21: वर्ष के अंत में पुनर्विनियोजन के कारण उप-शीर्ष स्तर में बचत

क्र.सं.	उप-शीर्ष	अंतिम तिमाही में पुनर्विनियोजित राशि	अंत में अभ्यर्पित बचत
2014-15			
1.	2810.00.101.02-ओएफएफ ग्रिड/संवितरित तथा विकेन्द्रीकृत नवकरणीय विद्युत	13.46	51.50
2015-16			
2.	2810.00.102.02-सभी ग्रामीणों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा	6.15	28.33
2016-17			
3.	3451.00.090.14-सचिवालय-एमएनआरई	2.44	3.80
4.	2810.00.101.01-ग्रिड इंटरेक्टिव नवीकरणीय विद्युत	185.32	548.02
5.	2810.00.104.04-अनुसंधान, विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	6.55	144.60

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि पुनर्विनियोजन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया था। तथापि तथ्य है कि पुनर्विनियोजन आदेश वित्त वर्ष के अंत में जारी किए गए थे।

5.3.8 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)

31 मार्च 2017 को वर्ष-वार बकाया यूसी की स्थिति नीचे **तालिका 5.22** में दी गई है।

तालिका 5.22: वर्ष-वार बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

अनुदान की संस्वीकृति का वर्ष	देय		प्राप्त यूसी		बकाया यूसी	
	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10 तक	29	6.08	0	0	29	6.08
2010-11	34	12.10	0	0	34	12.10
2011-12	43	30.15	0	0	43	30.15
2012-13	10	7.15	0	0	10	7.15
2013-14	26	32.31	0	0	26	32.31
2014-15	47	101.02	0	0	47	101.02
2015-16	996	1845.16	416	1600.55	580	244.61
कुल	**1185**	**2033.97**	**416**	**1600.55**	**769**	**433.42**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2017 को वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक के कुल ₹433.42 करोड़ के 769 यूसी विभिन्न अनुदेयी संगठनों से लंबित थे। यूसी के अभाव में इसका पता नहीं लगाया जा सकता था कि प्राप्तकर्ताओं ने विशिष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों का उपयोग किया था।

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि 31 अगस्त 2017 तक 551 उपयोग प्रमाण पत्र लंबित थे।

5.4 अनुदान सं.95: शहरी विकास मंत्रालय

5.4.1 प्रस्तावना

शहरी विकास मंत्रालय शहरी विकास के क्षेत्र में विस्तृत नीति तैयार करने तथा कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी है। शहरी विकास एक राज्य विषय है तथा भारत सरकार समन्वय तथा मॉनीटरिंग करने की भूमिका निभाती है जिसमें केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से शहरी विकास हेतु सहायता शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 हेतु तीन अनुदान अर्थात् अनुदान सं. 103 (शहरी विकास विभाग), अनुदान सं. 104 (लोक निर्माण कार्य) तथा अनुदान सं. 105 (स्टेशनरी एवं प्रींटिंग), 2015-16 हेतु तीन अनुदान अर्थात् अनुदान सं. 104 (शहरी विकास विभाग), अनुदान सं. 105 (लोक निर्माण कार्य), अनुदान सं. 106 (स्टेशनरी एवं प्रींटिंग) तथा वर्ष 2016-17 हेतु एक अनुदान अर्थात् अनुदान सं. 95 (शहरी विकास मंत्रालय) तैयार की थी।

5.4.2 बजट, व्यय एवं बचत

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के दौरान अनुदान के राजस्व तथा पूंजीगत भाग (प्रभारित तथा दत्तमत) के अतंर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधान की स्थिति नीचे **तालिका 5.23** में दर्शाई गई है।

तालिका 5.23: बजट, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		अव्ययित प्रावधान/बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2014-15	10660.62	9809.20	6018.02	7391.62	4642.60	2417.58
2015-16	12278.25	11068.89	8163.78	10588.76	4114.47	480.13
2016-17	18207.49	17324.08	15472.85	16824.76	2734.64	499.32

स्रोतः शीर्ष-वार विनियोग लेखे

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकेगा कि राजस्व भाग के अतंर्गत अव्ययित प्रावधान पूंजीगत भाग की तुलना में अधिक था। 2016-17 के दौरान 2015-16 की तुलना में अव्ययित प्रावधान राजस्व शीर्ष के संबंध में कम हुआ है तथा पूंजीगत शीर्ष के संबंध में सीमान्त रूप से बढ़ा है।

5.4.3 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यदि बचत उस अनुदान के अतंर्गत उपलब्ध नहीं है जिसमें भुगतान को डेबिट किया जाना अपेक्षित है अथवा यदि “नई सेवा” अथवा “सेवा के नए साधन” पर व्यय का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है तो भुगतान को प्राधिकृत किए जाने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अनुसार आवश्यक अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त किया जाना है। वर्ष 2014-15 से 2016-17 हेतु शहरी विकास मंत्रालय के विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने राजस्व भाग (दत्तमत) के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए। तथापि, वह उसका प्रभावी रूप से प्रयोग करने में विफल थे। वित्त वर्ष के अंत में अव्ययित शेष अनुपूरक प्रावधान से अधिक था जैसा नीचे **तालिका 5.24** में दिया गया है:

तालिका 5.24: राजस्व दत्तमत भाग के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत
2014-15	10425.25	170.04	10595.29	5954.79	4640.50
2015-16	9296.38	2898.43	12194.81	8084.10	4110.71
2016-17	15502.67	2621.05	18123.72	15395.49	2728.23

स्रोतः विनियोग लेखे से लिए गए आकड़े

इस प्रकार, मंत्रालय ने राजस्व (दत्तमत) भाग के अंतर्गत निरंतर अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए थे परंतु वह सम्पूर्ण अनुपूरक अनुदान का उपयोग करने में विफल रहा। बचत वास्तव में अनुपूरक अनुदानों से अधिक थी।

5.4.4 अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण में विलम्ब

पिछले तीन वर्षों के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने वित्त वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण किया। वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान, मंत्रालय ने ₹7,060.18 करोड़, ₹4,594.60 करोड तथा ₹3,233.96 करोड़ की कुल बचत में से क्रमशः ₹6,802.65 करोड़, ₹1,345.75 करोड़ तथा ₹108.56 करोड़ का अभ्यर्पण किया। इस प्रकार, ₹257.53 करोड़, ₹3,249.03 करोड़ तथा ₹3,125.40 करोड़ व्यपगत हुआ जैसा नीचे **तालिका 5.25** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.25: अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बचत	अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण की तिथि	अभ्यर्पित राशि	व्यपगत राशि	व्यपगत की प्रतिशतता
2014-15	7060.18	31.03.2015	6802.65	257.53	3.64
2015-16	4594.60	31.03.2016	1345.57	3249.03	70.71
2016-17	3233.96	31.03.2017	108.56	3125.40	96.64

स्रोतः शीर्ष-वार विनियोग लेखे

निधियों के अभ्यर्पण में विलम्ब के साथ साथ निधियों की पर्याप्त राशि को व्यपगत होने देना मंत्रालय की ओर से वित्तीय प्रबंधन में कमी का सूचक था तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु हानिकारक था।

5.4.5 अवास्तविक बजट

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, मंत्रालयों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्यय हेतु अनुदेश जैसे अन्य संबंधित सघंटको को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करना अपेक्षित है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि:

(ए) मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास के अंतर्गत किया गया प्रावधान पिछले तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) के दौरान वास्तविक आवश्यकता से पर्याप्त रूप से अधिक था। इसका परिणाम इन वर्षों के दौरान क्रमशः 56.59 प्रतिशत 58.62 प्रतिशत तथा 69.92 प्रतिशत के अव्ययित प्रावधान में हुआ जैसा नीचे **तालिका 5.26** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.26: पिछले तीन वर्षों हेतु मुख्य शीर्ष 2217 में निधियों की समग्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित राशि	
			राशि	प्रतिशतता
2014-15	663.02	287.80	375.22	56.59
2015-16	624.99	258.59	366.40	58.62
2016-17	3522.50	1059.41	2463.09	69.92

स्रोतः शीर्ष-वार विनियोग लेखे

₹2,463.09 करोड़ की कुल बचतों में से 2016-17 में ₹2,300 करोड़ केवल उप-शीर्ष-2217.05.797.02 (राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को अंतरण) के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा।

(बी) 'मुख्य शीर्ष-4058 स्टेशनरी एवं प्रीटिंग' के अतंर्गत किया गया प्रावधान वास्तविक आवश्यकता से अधिक था। आगे यह देखा गया था कि वर्ष 2015-16 के दौरान इस शीर्ष से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा

पूर्ण राशि (₹एक करोड़) को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई थी।

तालिका 5.27: पिछले तीन वर्षों हेतु मुख्य शीर्ष 4058 में निधियों की समग्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित शेष	कुल प्रावधान की प्रतिशतता के रूप में अव्ययित शेष
2014-15	1.15	0.02	1.13	98.26
2015-16	1.00*	0.00	1.00	100.00
2016-17	2.60	1.61	0.99	38.08

स्रोतः शीर्ष वार विनियोग लेखे

* मुख्य शीर्ष 4058 स्टेशनरी तथा प्रीटिंग को मूल निधि आबंटन ₹ 1.00 करोड़ था परंतु पूर्ण राशि को पुनर्विनियोजित किया गया था। इसलिए इस मुख्य शीर्ष से कोई व्यय नहीं किया गया था।

मुख्य शीर्ष 2217 तथा 4058 के अंतर्गत किए गए अधिक प्रावधान का अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था जो बजट में पर्याप्त सचेतना की कमी का सूचक है।

5.4.6 वर्गीकृत सार तथा नियंत्रण पंजिका/सहायता अनुदान पंजिका में दर्शाए गए व्यय का समाधान न होना

सहायता अनुदान पंजिका में विभिन्न अनुभागों द्वारा दर्ज व्यय तथा आहरण एवं संवितरण (डीडीओ) द्वारा दर्ज व्यय इसके वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा दर्ज व्यय से मेल खाना चाहिए। वर्ष 2016-17 हेतु अनुदान सं.95 से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि अभिलेखों के इन दो सेटों के बीच व्यय का मिलान करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित नहीं थी। न तो डीडीओ और न ही पीएओ ने वर्ष 2016-17 के दौरान दर्ज व्यय का मिलान किया था। व्यय नियंत्रण पंजिका/सहायता अनुदान पंजिका तथा वर्गीकृत सार की नमूना जांच ने वस्तु शीर्ष 31 तथा 35 के अतंर्गत निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया जैसा नीचे **तालिका 5.28** में ब्यौरा दिया गया हैः

तालिका 5.28: व्यय नियत्रंण पंजिका तथा वर्गीकृत सार में अंतर

(₹ करोड़ में)

सहायता अनुदान वस्तु शीर्ष	वर्गीकृत सार के अनुसार व्यय	सहायता अनुदान पंजिका के अनुसार	अंतर
31	1151.78	775.00	**376.78**
35	10796.30	4264.73	**6531.57**

स्रोतः आकड़े वर्गीकृत सार 2016-17 तथा सहायता अनुदान पंजिका 2016-17 से लिए गए है।

5.4.7 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)

संघ सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान की प्रभावकारिता तथा उपयोग को उपयोग प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 209 किसी भी अनुदानग्राही को सहायता अनुदान प्रदान करने के सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 212 जारी अनुदानों की उपयोग प्रमाणपत्रों जिसे अनुदानग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जैसा प्रपत्र (जीएफआर 19 ए) में निर्धारित किया गया है, की प्रक्रिया के माध्यम से मानीटरिंग की अभिकल्पना करता है। अनुदानग्राहियों द्वारा यूसी को वित्त वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2016 तक जारी अनुदानों जिनके यूसी 31 मार्च 2017 तक देय थे के संबंध में ब्यौरे की शहरी विकास मंत्रालय से मांग की गई थी। मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना से पता चला कि कुल ₹6,676.55 करोड़ के 422 यूसी 01 अप्रैल 2017 को लंबित थे। लंबित यूसी के अवधि-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैः

तालिका 5.29: उपयोग प्रमाण पत्र की समग्र बकाया स्थिति

वर्ष	अवधि	लंबित उपयोग प्रमाण पत्र	
		सं.	राशि (₹ करोड़ में)
1985-86 से 2005-06	10 वर्षों से अधिक	17	9.26
2006-07 से 2010-11	6 से 10 वर्षों के बीच	35	29.96
2011-12 से 2015-16	1 से 5 वर्षों के बीच	370	6637.33
कुल		**422**	**6676.55**

5.5 निष्कर्ष

वर्गीय स्तर तथा उप-शीर्ष स्तर पर बड़ी तथा निरंतर बचत, बचतों के गैर-अभ्यर्पण तथा अभ्यर्पण में विलम्ब, अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़े अनुपूरक अनुदान प्राप्त करना, उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान, उप-शीर्ष स्तर पर प्रावधान का गैर-उपयोग, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, बकाया उपयोग प्रमाण पत्र आदि दर्शाते हैं कि संघ सरकार द्वारा अधिक सचेतना तथा जीएफआर एवं बजट निरूपण प्रक्रिया से संबंधित वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुपालन की आवश्यकता है।

नई दिल्ली | **(ममता कुन्द्रा)**
दिनांक: 29 नवम्बर 2017 | **महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(राजीव महर्षि)**
दिनांक: 29 नवम्बर 2017 | **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

अनुबंध

अनुबंध 1.1

(पैराग्राफ 1.3.2.2 के संदर्भ में)

कुल अदत्त आर्थिक सहायता दावों से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसयू/निगम का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान केवल तीन तिमाहियों के अदत्त रहे दावे	2016-17 के दौरान प्रस्तुत किए गए चौथी तिमाही के दावे	2016-17 के अंत में अदत्त रहे दावे का अंत शेष	पिछले वर्षों के अदत्त दावों सहित, लेकिन वर्ष 2016-17 हेतु पिछली तिमाही के दावे को छोड़कर अदत्त रहे दावे
	1	**2**	**3**	**4**	**5=(4-3)**
1	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	2040.29	634.57	4044.91	3410.34
2	राष्ट्रीय रसायनिक एवं उर्वरक लिमिटेड	1236.44	1037.56	3186.99	2149.43
3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	243.60	228.37	379.67	151.30
4	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	350.86	7.82	337.60	329.78
5	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम	31.59	81.38*	274.46	193.08
6	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	7174.26	0.00**	7174.26	7174.26
7	भारतीय खाद्य निगम	92254.48	29921.33	204376.56	174455.23
	कुल	**103331.52**	**31911.03**	**219774.45**	**187863.42**

* ₹81.38 करोड़ में अतिरिक्त लागत/ईएससी शामिल है।

** अंतिम तिमाही की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

अनुबंध 2.1

(पैराग्राफ 2.2.1- ए के संदर्भ में)

राजस्व और पूँजीगत मुख्य शीर्षों जिनके अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' 2016-17 मे संचालित किया गया था जिसे मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय के 50 प्रतिशत से ज्यादा लेखाबद्ध किया गया, का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष -800 के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1.	2014-प्रशासनिक न्याय	927.98	470.92	50.75
2.	2506-भूमि सुधार	143.94	87.69	60.92
3.	2552-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (एनईआर)	566.52	404.97	71.48
4.	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	231.23	229.31	99.17
5.	3053-नागरिक उड्डयन	504.64	284.82	56.44
6.	4402-मिट्टी और जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	0.65	0.65	100.00
7.	4552- उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	384.03	194.08	50.54
8.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	25.77	19.23	74.62
9.	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	47.86	42.96	89.76
10.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं पर पूँजीगत परिव्यय	17.26	9.83	56.95
11.	4853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	36.29	36.29	100.00
12.	5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3247.60	3232.87	99.55
13.	5453-विदेश व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन पर पूँजीगत परिव्यय	60.00	65.00	108.33*
कुल		**6193.77**	**5078.62**	

** मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय, अधिक भुगतानों की वसूलियों की कटौती के कारण लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय से कम है।*

अनुबंध 2.2

(पैराग्राफ 2.2.1-बी के संदर्भ में)

ऐसे राजस्व मुख्य शीर्षों का विवरण जिनके अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्ति' 2016-17 मे संचालित किया गया था तथा जिसमें मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल प्राप्ति के 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति को लेखाबद्ध किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष: 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत प्राप्तियां	प्रतिशतता
1.	0029-भूमि राजस्व	3.54	2.37	66.95
2.	0030- टिकट और पंजीकरण शुल्क	183.17	102.39	55.90
3.	0047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	84.53	83.02	98.21
4.	0049- ब्याज प्राप्तियां	43496.06	24711.63	56.81
5.	0077-रक्षा सेवाएं - नौसेना	332.49	196.19	59.01
6.	0078- रक्षा सेवाएं - वायु सेना	2371.71	1856.53	78.28
7.	0080-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	353.16	353.16	100.00
8.	0202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	266.23	240.63	90.38
9.	0230- श्रम एवं रोजगार	27.59	22.82	82.71
10.	0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3427.95	3427.68	99.99
11.	408 - खाद्य भंडारण एवं वेयरहाऊसिंग	10.22	10.21	99.90
12.	425- सहकारिता	1.79	1.78	99.44
13.	435- अन्य कृषि कार्यक्रम	18.88	13.73	72.72
14.	515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.46	0.46	100.00
15.	701- मध्यम सिंचाई	19.00	19.00	100.00
16.	702- लघु सिंचाई	1.31	1.31	100.00
17.	0803- कोयला एवं लिग्नाइट	432.73	432.73	100.00
18.	0852- उद्योग	3046.12	1681.18	55.19
19.	1055- सड़क परिवहन	151.43	151.43	100.00
20.	1056- अंतर्मार्गीय जल परिवहन	15.17	15.17	100.00
21.	1456- नागरिक आपूर्ति	1.71	1.71	100.00
22.	1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7801.52	5195.78	66.60
	कुल	**62046.77**	**38520.91**	

अनुबंध 2.3

(पैराग्राफ 2.2.2-ए के संदर्भ में)

सरकारी खाते से बाहर विनियामकों की निधियां

क्र.सं	विनियामकों/स्वायत्त निकायों का नाम	निवेश का प्रकार/पूंजीगत निधि	राशि (₹ करोड़ में)
1.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड	आधिक्य निधि/कोर्पस निधि	1672.00
2.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	आधिक्य निधि	1322.32
3.	पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण	पूंजीगत/कोर्पस निधि	17.57
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद	निर्धारित/अक्षय फंड (आवेदन फंड)	463.73
5.	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद	विशेष सावधि जमा प्राप्ति (एसटीडीआर)	114.97
6.	भारतीय भेषज परिषद	सावधि जमा प्राप्तियां	29.86
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद	बैंक में एफडीआर	33.89
8.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद	निर्धारित/अक्षय फंड (आवेदन फंड)	3.29
9.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद	लोक जमा खाता	17.12
10.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	सावधि जमा/टीडीएस (परीक्षा फंड)	14.96
11.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण	अपने संसाधनों से निवेश	122.63
12.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	बैंक में एफडीआर सामान्य	1086.00
13.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	बचत बैंक खाता	1151.59
14.	भारतीय पुनर्वास परिषद	सामान्य आरक्षित निधि	14.15
		कुल	**6064.08**

अनुबंध 2.4

(पैराग्राफ 2.4.3 के संदर्भ में)

निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमाएं/अन्य देयताएं दर्शाती विवरणी

क्र.स.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2017 को शेष (₹ हजार में)	कब से निष्क्रिय
1.	8121.XXX-स्टाफ लाभ निधि (रेलवे)–निवेश खाता	आरक्षित कोष	100	1999-2000
2.	8121.111-आकस्मिक आरक्षित निधि - विद्युत		13,075	2006-07
3.	8223.101-अकाल सहायता निधि		3	2008-09
4.	8229.101-शिक्षा उद्देश्यों हेतु विकास निधियां		7	2002-03
5.	8229.102-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधियां		60	2002-03
6.	8229.108- खनन क्षेत्र विकास निधियां		102	2002-03
7.	8230.101-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)*		44,851	2008-09
8.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां		7,586	2008-09
9.	8235.105– सामान्य बीमा निधि		26,13,201	2005-06
10.	8337.103-भारतीय रेलवे सम्मेलन एसोसिएशन कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि	जमा	6,512	2001-02
11.	8342.107-संपदा शुल्क भुगतान के प्रति जमा		131	2008-09
12.	8342.111-टेलेक्स आवेदन जमाएं		79,306	2003-04
13.	8342.114-पट्टे पर दूरसंचार सुविधा जमाएं		16,947	2001-02
14.	8342.108-आयकर, सुपर कर, अधिक लाभ, कर एवं अतिरिक्त प्रभार की जमाएं		12,161	2001-02
15.	8443.114-निर्यात व्यापार जमाएं		1,52,527	1988-89
16.	8443.127-ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेंशनरों आदि जो पाकिस्तान प्रवास कर गए हैं, के दावों के लिए स्थानीय निकायों की जमाएं		2,106	1996-97
17.	8443.130-प्रोविडेंट सोसायटीज लिक्विडेशन खाता		13	2008-09
18.	8445.102-ब्रांच लाईन कंपनियों की जमाएं		65	1992-93
19.	8448.102-निगम निधि		3	2009-10

20.	8448.103-छावनी निधियां		1	2000-01
21.	8448.104-भारतीय बीमा संस्था निधि		291	2009-10
22.	8448.109-पंचायत निकाय निधि		84	2008-09
23.	8448.111-चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियां		52	1988-89
24.	8448-स्थानीय निधियों की जमा 120-अन्य निधियां		226	2004-05
25.	8449.104-खनन भविष्य निधि की जमा		1,601	1988-89
26.	8449.106-इंडो-यूएस समझौता 1974 के अंतर्गत खाता		16	1991-92
27.	8449.107-आय कर, सुपर कर सहित अधिक लाभ कर एवं अधिभार जमा		13,393	1991-92
28.	8449.108-ऋण के निर्वहन के लिए स्थानीय निकायों की जमा		3,297	2000-01
29.	8449.112-नारियल विकास निधि		5869	2012-13
30.	8449.113-तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास निधि		36,613	1999-2000
31.	8449.118-जापानी अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा		10,360	1995-96
32.	8450.101-पांडेचेरी का शेष		4,01,290	2008-09
33.	8450.102-गोवा, दमन एवं दीव का शेष		1,63,026	1988-89
34.	8450.104-अरूणाचल प्रदेश का शेष		5,68,251	1988-89
35.	8450.105-मिजोरम का शेष		12,44,138	1988-89
36.	8009.01.103-आईसीएस भविष्य निधि	अन्य देनदारियां	201	1999-2000
37.	8010.105-अन्य ट्रस्ट		1,923	1999-2000
38.	8010.102-अवध के स्व राजा द्वारा दिया गया दान		9,104	1992-93
39.	8010.104-धर्मार्थ एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए दान		10	2008-09
40.	8012.103-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को जारी विशेष प्रतिभूतियॉ		16,28,305	1988-89
कुल			**70,36,807**	

*2016-17 के दौरान पीपीए द्वारा समायोजित

अनुबंध 2.5

(पैराग्राफ 2.4.4.2 सी के संदर्भ में)

निवेश की अपूर्ण सूचना दर्शानेवाली विवरणी

क्र. सं.	विवरण सं. 11 का क्रम सं	निवेश का वर्ष	अभ्युक्ति- सूचना विवरणी सं. 11 में उपलब्ध नहीं है
1.	90	1993-94 से 1997-98	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
2.	95	2007-08	कुल भुगतान किया पूंजी में सरकारों का प्रतिशत, लाभांश की राशि।
3.	100	2013-14	शेयरों का प्रकार, शेयरों की संख्या, इसका अंकित मूल्य, और कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
4.	101	2015-16	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
5.	102	2015-16	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
6.	170	2011-12	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
7.	175	2016-17	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
8.	176	2016-17	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
9.	183	2002-03 से 2009-10	शेयरों की संख्या और इसका अंकित मूल्य
10.	184	2013-14 से 2016-17	लाभांश की राशि।
11.	185	2015-16 2016-17	कुल भुगतान किया पूंजी में सरकारों का प्रतिशत, लाभांश की राशि।
12.	238	1976-77 से 1978-79	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
13.	239	1979-80	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
14.	240	1976-77 से 1977-78	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
15.	241	1975-76 से 1977-78	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
16.	242	1976-77 से 1977-78	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
17.	269	1977-78	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता, लाभांश, लाभांश की राशि।
18.	272	1978-79	शेयरों की संख्या, इसका अंकित मूल्य।
19.	275	1971-72	कुल भुगतान किया पूंजी में सरकारों के निवेश का

			प्रतिशत।
20.	297	2014-15 तक 2015-16	कुल भुगतान किया पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
21.	298	2015-16 तक 2016-17	कुल भुगतान किया पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
22.	302	2015-16 2016-17	अंकित मूल्य, कुल भुगतान किये गए पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता, लाभांश की राशि।
23.	303	2015-16 2016-17	अंकित मूल्य कुल भुगतान किये गए पूंजी में सरकारों के निवेश का प्रतिशत, लाभांश की राशि।
24.	306	2015-16 2016-17	शेयर का प्रकार, शेयरों की संख्या, इसका अंकित मूल्य।
25.	307	2015-16	शेयर का प्रकार, शेयरों की संख्या, इसका अंकित मूल्य, लाभांश की राशि।
26.	313	1969-70 से 2016-17	कुल भुगतान किये गए पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
27.	316	1984-85 से 1999-00 2000-01	कुल भुगतान किये गए पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता, लाभांश की राशि।
28.	317	1975-76 से 2015-16, 2016-17	अंकित मूल्य, शेयरों की संख्या, भुगतान किये गए पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता, लाभांश की राशि

अनुबंध 2.6

(पैराग्राफ 2.4.4.4 बी के संदर्भ में)

सरकारी कर्मचारियो को ऋण और अग्रिम के अधिक-भुगतान दिखा रहा वक्तव्य

(₹ हजार में)

क्र.सं.	शीर्ष	अंत शेष	
1	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**		
	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	1296
2	**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**		
	7610-201-एचबीए	क्रे.	931
	7610-203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	185
	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	1022
3	**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**		
	7610-203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	366
	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	1264
4	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**		
	7610-201- एचबीए	क्रे.	4020
	7610-202–मोटरसाईकल खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	514
	7610-203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	1
	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	441
	7610-800- अन्य अग्रिम	क्रे.	3
5	**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय**		
	7610-201-एचबीए	क्रे.	692
	7610-202-- मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	321
6	**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**		
	7610-201- एचबीए	क्रे.	23898
	7610-202-- मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	32665
	7610-203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	2027
	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	9117
7	**कृषि मंत्रालय**		
	7610-800- अन्य अग्रिम	क्रे.	249
8	**अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय**		
	7610-201- एचबीए	क्रे.	1689
	7610-202-- मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	857
	7610-203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	178

	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	396
	7610-800- अन्य अग्रिम	क्रे.	1
9	**रक्षा मंत्रालय**		
	7610.00.203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	1800

अनुबंध 2.7

(पैराग्राफ 2.4.4.4- जी के संदर्भ में)

(क) अन्य ऋणी ईकाईंयों या संस्थानों के प्रति 20 वर्षों से अधिक के लिए बकाया मूलधन एवं ब्याज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ईकाईं का नाम	पूर्व की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2017 को बकाया की राशि	
			मूलधन	ब्याज
1.	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम (आईसीआईसीआई) लिमि., मुम्बई	1987-88	46.05	67.13
2.	पायराईट्स, फॉस्फेट तथा केमिकल्स लिमि., नई दिल्ली	1988-89	184.35	489.92
3.	हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमि., नई दिल्ली	1981-82	1913.94	648.83
4.	भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली	1984-85	2738.39	1293.16
5.	मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमि.	1987-88	404.36	529.72
6.	ब्रिटिश भारत निगम, कानपुर	1984-85	437.77	1251.34
7.	एल्गिन मिल्स कंपनी, कानपुर	1984-85	343.29	2447.20
8.	बर्डस जूट एवं एक्सपोर्ट लिमि., कोलकाता	1988-89	20.72	87.67
9.	इलेक्ट्रॉनिक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमि, दिल्ली	1987-88	22.01	53.55
10.	भारतीय ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमि., गुडगांव	1980-81	1208.82	3926.48
11.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमि., कोलकाता	1980-81	68.45	191.50
12.	बंगाल प्रतिरक्षा कंपनी लिमि., कोलकाता	1982-83	135.98	453.24
13.	हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता	1984-85	233.65	248.29
14.	भारत भारी उद्योग लिमि., कोलकाता	1988-89	46.44	514.14
15.	भारत ऑप्थेलमिक ग्लास लिमि., दुर्गापुर	1983-84	66.68	247.72
16.	राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमि., नेपानगर	1985-86	113.59	67.91

17.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लिमि., कोलकाता	1982-83	70.67	613.95
18.	भारतीय साईकिल निगम लिमि., कोलकाता	1981-82	201.30	603.90
19.	भारतीय चर्मशोधन एवं फुटवियर निगम, कानपुर	1979-80	156.43	656.21
20.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स एमएफजी. क. लिमि.	1992-93	511.11	1441.55
21.	पुनर्वास उद्योग निगम लिमि., कोलकाता	1985-86	163.47	800.01
22.	खनन एवं सहायक मशीनरी निगम लिमि., दुर्गापुर	1986-87	560.12	2309.58
23.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमि.	1981-82	210.95	1401.97
24.	भारत स्वर्ण खनन लिमि., कर्नाटक	1977-78	219.29	870.01
25.	मेसर्स कुमारधुबी फायरक्ले एंड सिलिका वर्कस लिमि.	1988-89	10.69	15.68
26.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	1989-90	77.71	311.39
27.	कोचीन पत्तन न्यास, कोची	1982-83	226.27	1031.36
28.	पारादीप पत्तन न्यास	1986-87	374.54	1355.45
29.	राज्य विद्युत बोर्ड	1990-91	101.19	256.86
30.	राजीव गांधी कैंसर संस्थान	1994-95	13.07	0.00
कुल			**10881.30**	**24185.72**

(ख) राज्य सरकारों के प्रति ऋणों के बकाया मूलधन एवं ब्याज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/यूटी सरकार के नाम	पूर्व की अवधि जिससे बकाया संबंधित हैं	31 मार्च 2017 को बकाया की राशि	
			मूलधन	ब्याज
1.	असम	1984-85	129.45	952.05
2.	गोवा	1987-88	83.01	232.95
3.	जम्मू एवं कश्मीर	1984-85	40.02	103.99
4.	मिजोरम	1988-89	15.26	36.35
5.	पुदुचेरी	1984-85	153.42	29.31
कुल			**421.16**	**1354.65**

अनुबंध 2.8

(पैराग्राफ 2.5.1 डी के संदर्भ में)

विदेशों में खरीद इत्यादि के लिए उचंत खाता की बकाया राशि (2007 तक)

(₹ हजार में)

क्र.सं.	आयातक का नाम	मामलों की सं.	राशि
1.	सड़क और भवन विभाग, गुजरात	1	1104
2.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	1	4326
3.	रेल मंत्रालय	2	8399
4.	पाइरेट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	2	249513
5.	रेल कोच फैक्टरी (कपूरथला)	1	1895
6.	रेलवे बोर्ड	1	13138
7.	रेल कोयला स्प्रिंग	1	7111
8.	दूरसंचार विभाग	6	14737
9.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1	39
10.	भारतीय किसान फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड	3	14257
11.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	1	2255
12.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3	3952
13.	सड़क परिवहन और राजमार्ग-तकनीकी मंत्रालय	3	15292
14.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	48297
15.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1	3648
16.	दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग, दिल्ली	1	78009
17.	भिलाई स्टील प्लांट	1	1200
18.	कोल इंडिया लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	3	231832
19.	सीएमएएल- डीएल	1	348
20.	झांजरा भिलाई स्टील प्लांट	1	906
21.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	2	59427
22.	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, ए.पी.	1	47476
23.	कृभको वर्षा खेती और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	1	7079
24.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग	1	4560
25.	प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	1	1132
26.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	1	1511
27.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2	-849
28.	एमओईएफ, पश्चिम बंगाल	1	3973
29.	वित्त मंत्रालय	3	13662
30.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1	79249

31.	पर्यटन मंत्रालय	1	54474
32.	कोयला मंत्रालय	1	57
33.	पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं जैव मंत्रालय	1	50
34.	शहरी विकास मंत्रालय	1	86676
35.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान	1	44
36.	महिला एवं बाल विकास विभाग- केंद्रीय	1	1538
37.	भारत सरकार	1	481
38.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1	-12105
	कुल	**57**	**1048693**

अनुबंध 2.9

(पैराग्राफ 2.5.2 के संदर्भ में)

ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2017 को शेष *(₹ हजार में)*		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हो गए
विवरणी सं. -13					
1.	8115.00.101	मूल्यह्रास आरक्षित निधियां - रेलवे (वाणिज्यिक लाईन)	डे.	21320212	2009-10
2.	8118.00.106	रेलवे पूंजीगत निधि	डे.	624830	2016-17
3.	8121.00.103	रेलवे पेंशन निधि-वाणिज्यिक लाइन	डे.	23291755	2016-17
4.	8229.00.200	अन्य विकास तथा कल्याण निधि	डे.	2109756	2007-08
5.	8235.00.118	सार्वभौम सेवा दायित्व निधि	डे.	12429	2016-17
6.	8235.00.135	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	डे.	1593805	2015-16
7.	8337.00.104	गैर- अंशदायी आईआरसीएई 'पीएफ-निवेश खाता	क्रे.	40637	2014-15
8.	8443.00.121	चुनाव से संबंधित जमा	डे.	1489	2015-16
9.	8445.00.104	रेलवे जमा- न्यास ब्याज खाता	डे.	198265	2005-06
10.	8445.00.800	रेलवे जमा- अन्य जमा	डे.	32729886	2005-06
11.	8446.00.102	अन्य डाक जमा	डे.	1477795	2014-15
12.	8446.00.800	डाक जमा- अन्य जमा	डे.	136439	2005-06
13.	8448.00.102	स्थानीय निधियों की जमा- म्यूनिसिपल जमा	डे.	3	2007-08
14.	8448.00.104	स्थानीय निधियों की जमा- भारतीय बीमा एसोसिएशन की निधियां	डे.	291	1976-77 से पूर्व
15.	8451.00.101	भोपाल गैस रिसाव विपदा राहत निधि - दावें तथा राहत निधियां	डे.	9371639	2005-06
16.	8451.00.102	भोपाल गैस रिसाव विपदा राहत निधि - दावें तथा राहत निधि निवेश खाता	क्रे.	9279983	2005-06
17.	8551.00.101	रक्षा अग्रिम	क्रे.	17469352	2015-16
18.	8670.00.104	कोष चेक	डे.	647	2015-16
विवरणी सं.-14					
19.	6002.00. 207	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऋण	डे.	1113248	2000-01
20.	6002.00. 223	स्विस परिसंघ और स्विस बैंक सरकार से ऋण	डे.	261978	2010-11

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2017 को शेष (₹ हजार में)		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हो गए
21.	6002.00. 226	अंतर्राष्ट्रीय विकास यूएसए के लिए एजेंसी ऋण	डे.	10222571	1995-96
22.	6002.00. 227	पीएल -480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट के तहत अमेरिका सरकार से ऋण	डे.	699197	1995-96
23.	6002.00.504	आईबीआरडी से ऋण के समायोजन किये जाने वाले ऋण	डे.	6137437	2016-17
24.	6002.00.507	ऋण (जीओजेपी), जापान से समायोजन किये जाने वाले ऋण	डे.	585177	2016-17
25.	8012.00.109	आय कर वार्षिक जमा	डे.	13983	2015-16
26.	8014.01.107	पीएलआई चिल्ड्रेन पॉलिसी योजना	डे.	10373	2014-15
27.	8014.02.105	आरपीएलआई प्रत्याशित अक्षय निधि आश्वासन योजनाएं	डे.	178349	2015-16
विवरणी सं.-14 क					
28.	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जारी प्रतिभूतियां	डे.	404339	2010-11
29.	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को जारी प्रतिभूतियां	डे.	215439	2002-03
विवरणी सं. - 15					
30.	6216.80.800	अन्य ऋण	क्रे.	12099	2010-11
31.	6225-01-800	अन्य ऋण	क्रे.	829	1994-95
32.	6245.01.101	निःशुल्क राहत	क्रे.	896	1986-87
33.	6245.02.101	निःशुल्क राहत	क्रे.	2157	1997-98
34.	6402.00.102	मृदा संरक्षण	क्रे.	7818	1995-96
35.	6402.00.203	भूमि सुधार एवं विकास	क्रे.	592	2007-08
36.	6405.00.106	मत्स्य पालन हस्तकला के मशीनीकरण	क्रे.	532	2016-17
37.	6425.00.108	अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रे.	883507	2003-04
38.	6515.00.102	सामुदायिक विकास	क्रे.	178	1986-87
39.	6801.00.201	पनबिजली उत्पादन	क्रे.	880938	2004-05
40.	6801.00.205	संचारण एवं वितरण	क्रे.	1391767	2005-06
41.	6851.00.102	लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	10958	2006-07
42.	6853.60.190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रे.	86208	2014-15

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2017 को शेष (₹ हजार में)		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हो गए
43.	7053.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रे.	377537	2010-11
44.	7465.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के लिए ऋण	क्रे.	11822976	2016-17
45.	7601.01.436	फसल कृषि व्यवस्था -वाणिज्यिक फसलें	क्रे.	1	2012-13
46.	7601.03.413	अन्य सहकारी समितियों को सहकारी ऋण	क्रे.	4189	2012-13
47.	7601.03.501	मृदा एवं जल संरक्षण - मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रे.	2185	2012-13
48.	7601.03.576	पशु पालन - मवेशी एवं भैंस विकास	क्रे.	11	2012-13
49.	7601.03.601	डेयरी विकास	क्रे.	29	2012-13
50.	7601.03.727	ग्राम एवं लघु उद्योग - लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	139	2012-13
51.	7601.03.786	बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋण	क्रे.	71707	2012-13
52.	7601.03.787	समुद्र कटाव रोकने की परियोजनाएं - अन्य ऋण	क्रे.	1239	2012-13
53.	7601.04.267	जल आपूर्ति - अन्य ऋण	क्रे.	149604	2012-13
54.	7601.04.312	शहरी विकास - लघु/मध्यम शहरों का समेकित विकास	क्रे.	191427	2012-13
55.	7601.04.360	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य ऋण	क्रे.	408	2012-13
56.	7601.04.411	सहकारिता क्रेडिट सहकारी समितियां	क्रे.	32687	2012-13
57.	7601.04.413	अन्य सहकारी समितियां	क्रे.	1473	2012-13
58.	7601.04.436	फसल कृषि व्यवस्था -वाणिज्यिक फसलें	क्रे.	135028	2012-13
59.	7601.04.443	फसल कृषि व्यवस्था - अन्य ऋण	क्रे.	338837	2012-13
60.	7601.04.501	मृदा एवं जल संरक्षण - मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रे.	99004	2012-13
61.	7601.04.579	पशु पालन - भेड़ एवं ऊन विकास	क्रे.	175	2012-13
62.	7601.04.601	डेयरी विकास	क्रे.	36	2012-13
63.	7601.04.726	ग्राम एवं लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग	क्रे.	6960	2012-13
64.	7601.04.727	ग्राम एवं लघु उद्योगें - लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	853	2012-13
65.	7601.04.729	ग्राम एवं लघु उद्योग - क्वायर उद्योग	क्रे.	354	2012-13

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2017 को शेष (₹ हजार में)		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हो गए
66.	7601.04.747	ग्राम एवं लघु उद्योग - अन्य ग्रामीण उद्योग	क्रे.	1088	2012-13
67.	7601.04.786	बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋण	क्रे.	4730	2012-13
68.	7601.04.825	अंतर्राज्यीय सड़कें या आर्थिक महत्व-सड़क निर्माण कार्य	क्रे.	18359	2012-13
69.	7601.04.826	अंतर्राज्यीय सड़कें या आर्थिक महत्व - यंत्र एवं उपकरण	क्रे.	106	2012-13
70.	7601.04.871	अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रे.	897	2012-13
71.	7601.07.800	अन्य ऋण	क्रे.	1580	2012-13
72.	7602.04.412	सहकारी उपभोक्ता सहकारी समितियां	क्रे.	593	2012-13
73.	7610.00.203	अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	392707	2004-05
विवरणी सं.-16					
74.	8002.00.103	कोषागार बचत जमा प्रमाणपत्र	डे.	6962	1976-77
75.	8002.00.105	बचत प्रमाणपत्र- बैंक सीरीज	डे.	189	2007-08

अनुबंध 2.10

(पैराग्राफ 2.6 के संदर्भ में)

बकाया में पड़े प्रोफार्मा लेखे

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयार लेखे की अवधि
कृषि मंत्रालय		
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2016-17
2.	बर्फ सह शीतलन संयत्र, कोची	2009-10
परमाणु ऊर्जा विभाग		
3.	नाभिकीय ईंधन परिसर, हैदराबाद	2014-15
4.	भारी जल सयंत्र, मुम्बई	2015-16
रक्षा मंत्रालय		
5.	जलपान गृह भंडार विभाग	2013-14
वित्त मंत्रालय		
6.	राजकीय अल्क्लॉयड कार्य, नीमच	2015-16
7.	राजकीय अल्क्लॉयड कार्य, गाजीपुर	2015-16
8.	राजकीय अफीम कारखाना, गाजीपुर	2015-16
9.	राजकीय अफीम कारखाना, नीमच	2015-16
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07
11.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान शाकीय सब्जी उद्यान, कांके, रॉची	2011-12
12.	एचएलएल जीवन रक्षा लिमिटेड	2014-15
13.	एचएससीसी (इण्डिया) लिमिटेड	2014-15
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
14.	फिल्म प्रभाग, मुम्बई	2009-10
15.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2013-14
विद्युत मंत्रालय		
16.	विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2014-15
17.	विद्युत विभाग लक्षद्वीप	2014-15
पोत परिवहन मंत्रालय		
18.	प्रकाश गृह एवं प्रकाश पोत निदेशालय, नोएडा	2011-12
19.	अण्डमान फेरी सेवा	2004-05
20.	पोत परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2013-14
21.	समुद्री विभाग (गोदी), अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2003-04
22.	बंदरगाह व्यवस्थापक बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1990-91
23.	कामराज पोत लिमिटेड	2016-17

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयार लेखे की अवधि
24.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2016-17
25.	भारतीय नौवहन निगम	2016-17
26.	भारतीय तलकर्षण निगम	2016-17
27.	हुगली डॉक पोर्ट इंजीनियर लिमिटेड	2016-17
28.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम	2016-17
29.	सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड	2016-17
30.	भारतीय बंदरगाह एवं रेल कंपनी लिमिटेड	2016-17
31.	सेतुसमुद्रम प्राधिकरण लिमिटेड (एससीएल)	2016-17
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
32.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2011-12
33.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2014-15
शहरी विकास मंत्रालय		
34.	राजकीय प्रेस, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2014-15
35.	भारत सरकार प्रेस, मिण्टो रोड, नई दिल्ली	2015-16
36.	भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड नई दिल्ली	2015-16
37.	भारत सरकार प्रेस, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	2015-16
38.	भारत सरकार प्रेस, निलोखेरी	2015-16
39.	भारत सरकार प्रेस, फरीदाबाद	2016-17
40.	भारत सरकार प्रेस, शिमला	2016-17
41.	भारत सरकार प्रेस, कोयम्बटूर	2015-16
42.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, भुवनेश्वर	2012-13
43.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, मैसूर	2014-15
44.	भारत सरकार प्रेस, कोलकाता	2015-16
45.	भारत सरकार प्रेस, कोराटी	2015-16
46.	भारत सरकार प्रेस, नासिक	2015-16
47.	भारत सरकार प्रेस, अलीगढ़	2015-16
48.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, चण्डीगढ़	2015-16
49.	भारत सरकार प्रेस, गंगटोक	2007-08
50.	भारत सरकार प्रेस, संत्रागाछी, हावड़ा	2014-15
51.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	2016-17
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
52.	ईसीजीसी लिमिटेड	2015-16
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		
53	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	2016-17
54.	हुडको	2015-16
कपड़ा मंत्रालय		

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयार लेखे की अवधि
55	भारतीय जूट निगम लिमिटेड	2015-16
56	बीजीईएल	2015-16
57	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	2015-16
पर्यटन मंत्रालय		
58	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16
59	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
60	डोनी पोलो अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
61	मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
62	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
63	पंजाब अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
64	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
65	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
66	कुमारक्रुप फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	2014-15
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
67	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2015-16
68	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान	2015-16
69	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड - केएपीएल	2015-16
70	बीवीएफसीएल	2016-17
71	एफएसीटी	2016-17
72	एफएजीएमआईएल	2016-17
73	एमएफएल	2016-17
74	एनएफएल	2016-17
75	पीडीआईएल	2016-17
76	आरसीएफ	2016-17
जनजातीय मामलों के मंत्रालय		
77	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	2016-17
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
78	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2016-17
इस्पात मंत्रालय		
79	एनएमडीसी लिमि.	2016-17
विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय		
80	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)	2016-17
81	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनडीआरसी)	2016-17

अनुबंध 2.11

(पैराग्राफ 2.7 के संदर्भ में)

2016-17 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/माफ की गई हानियों तथा गैर वसूलनीय राशियों की विवरणी

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानियों एवं गैर वसूलनीय को बट्टे खाते में डालना				के लेखे	
	उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली से माफी	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	0	0	1	0.80	0	0
परमाणु ऊर्जा	0	0	22	8.37	0	0
लोकसभा सचिवालय	0	0	3	0.29	0	0
अंतरिक्ष	0	0	8	8.59	0	0
कृषि और किसान कल्याण	0	0	1	0.11	0	0
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	0	0	1	64.87	1	0.85
डाक	27	86.97	31	22.47	4	0.51
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	0	0	1	0.75	0	0
राष्ट्रपति का सचिवालय	0	0	1	0.30	0	0
पर्यटन	0	0	2	57.27	0	0
कुल	**27**	**86.97**	**71**	**163.82**	**5**	**1.36**

अनुबंध 3.1

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

प्राधिकरण तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	1156848.95	103328.62	1260177.57	1136498.44	(-) 123679.13
II. पूंजी (ऋण एवं अग्रिम सहित)	166677.26	95042.72	261719.98	207389.86	(-) 54330.12
योग	**1323526.21**	**198371.34**	**1521897.55**	**1343888.30**	**(-) 178009.25**
प्रभारित					
III. राजस्व	613235.86	1463.20	614699.06	605198.10	(-) 9500.96
IV. पूंजी (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	4419247.14	1091355.30	5510602.44	5697040.31	(+) 186437.87
योग	**5032483.00**	**1092818.50**	**6125301.50**	**6302238.41**	**(+) 176936.91**
कुल योग	**6356009.21**	**1291189.84**	**7647199.05**	**7646126.71**	**(-) 1072.34**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			263427.50	190256.59	
कुल निवल प्रावधान			**7383771.55**		
कुल निवल संवितरण				**7455870.12**	

ख -डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	23122.00	150.41	23272.41	24208.89	(+) 936.48
II. पूंजी	406.26	150.01	556.27	504.45	(-) 51.82
योग	**23528.26**	**300.42**	**23828.68**	**24713.34**	**(+) 884.66**
प्रभारित					
III. राजस्व	0.60	3.08	3.68	2.96	(-) 0.72
IV. पूंजी	--	--	--	--	--
योग	**0.60**	**3.08**	**3.68**	**2.96**	**(-) 0.72**

कुल योग	**23528.86**	**303.50**	**23832.36**	**24716.30**	**(+) 883.94**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			757.41	730.90	
		कुल निवल प्रावधान	**23074.95**		
		कुल निवल संवितरण		**23985.40**	

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)
		ग - रक्षा सेवाएं			
दत्तमत					
I. राजस्व	148407.14	6551.91	154959.05	152135.28	(-) 2823.77
II. पूंजी	78499.55	0.01	78499.56	78604.11	(+) 104.55
योग	**226906.69**	**6551.92**	**233458.61**	**230739.39**	**(-) 2719.22**
प्रभारित					
III. राजस्व	91.71	--	91.71	62.00	(-) 29.71
IV. पूंजी	87.12	2.46	89.58	131.34	(+) 41.76
योग	**178.83**	**2.46**	**181.29**	**193.34**	**(+) 12.05**
कुल योग	**227085.52**	**6554.38**	**233639.90**	**230932.73**	**(-) 2707.17**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			48.60	77.87	
		कुल निवल प्रावधान	**233591.30**		
		कुल निवल संवितरण		**230854.86**	

		घ - रेलवे			
दत्तमत	357121.56	4569.45	361691.01	323848.66	(-)37842.35
प्रभारित	211.34	207.75	419.09	407.23	(-)11.86
कुल	**357332.90**	**4777.20**	**362110.10**	**324255.89**	**(-)37854.21**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			123062.26	113641.76	
		कुल निवल प्रावधान	**239047.84**		
		कुल निवल संवितरण		**210614.13**	

			योग			
कुल सीएफआई	**दत्तमत**	**1931082.72**	**209793.13**	**2140875.85**	**1923189.69**	**(-)217686.16**
	प्रभारित	**5032873.77**	**1093031.79**	**6125905.56**	**6302841.94**	**(+)176936.38**
कुल योग सीएफआई		**6963956.49**	**1302824.92**	**8266781.41**	**8226031.63**	**(-)40749.78**
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां				**387295.76**	**304707.12**	

विनियोग लेखे (सीएफआई) के अनुसार कुल व्यय एवं प्रावधान		**7879485.65**	**7921324.51**	
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता			**0.02***	
वित्त लेखे के अनुसार सीएफआई से कुल संवितरण			**7921324.53**	

टिप्पणी:

- अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण के लिए यह अनुदान कहलाता है।
- सीएफआई: भारत की संचित निधि
- सिविल, डाक, रक्षा और रेलवे अनुदान / विनियोग के विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़ो के पूर्णांक करने के कारण

अनुबंध 3.2

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

अनुदानों/विनियोगों में निवल बचत

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत(-) निवल आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	125878.69	54330.12	2199.56	--	(-)123679.13	(-) 54330.12
अनुदानों की संख्या	88	63	1	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	9501.24	516.55	0.28	186954.42	(-)9500.96	(+)186437.87
विनियोगों की संख्या	32	11	1	1	--	--
ख - डाक						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	--	51.82	936.48	--	(+)936.48	(-)51.82
अनुदानों की संख्या	--	1	1	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	0.72	--	--	--	(-)0.72	--
विनियोगों की संख्या	1	--	--	--	--	--
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	2823.77	--	--	104.55	(-)2823.77	(+)104.55
अनुदानों की संख्या	1	--	--	1	--	1
प्रभारित (₹ करोड़ में)	29.71	--	--	41.76	(-)29.71	(+)41.76
विनियोगों की संख्या	1	--	--	1	--	--
घ - रेलवे						
दत्तमत्त (₹ *करोड़ मे*)	31905.41	5959.36	--	22.42	(-) 31905.41	(-) 5936.94
अनुदानों की	15	1	--	1	--	--

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	**अव्ययित प्रावधान**		**आधिक्य**		**निवल बचत(-) निवल आधिक्य (+)**	
	राजस्व	**पूंजीगत**	**राजस्व**	**पूंजीगत**	**राजस्व**	**पूंजीगत**
संख्या						
प्रभारित (₹ *करोड़ में*)	22.57	--	0.08	10.63	(-) 22.49	(+) 10.63
विनियोगों की संख्या	9	--	2	1		

अनुबंध 3.3

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत प्राधिकरण एवं संवितरणों का वर्ष-वार समानुपात

(₹ करोड़ में)

		प्राधिकरण			संवितरण				
क्र.सं.	वर्ष	दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	निम्न की प्रतिशतता	
								दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81
13.	2012-13	1155063	4190305	5345368	977071	3816395	4793466	20	80
14.	2013-14	1222190	4493627	5715817	1014393	3975665	4990058	20	80
15.	2014-15	1228732	4596843	5825575	1078524	4211160	5289684	20	80
16.	2015-16	1312608	4816016	6128624	1232487	4296986	5529473	22	78
17.	2016-17	1521898	6125301	7647199	1343888	6302239	7646127	18	82

अनुबंध 3.4

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी

(₹5 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल					
7 -उर्वरक मंत्रालय					
1.	2852.03.101.06 - यूरिया सब्सिडी	ओ एस आर	51000.00 0.01 (-)0.01	51256.59	256.59
14 - दूरसंसचार विभाग					
2.	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	ओ एस आर	5300.00 208.58 (+)214.84	5908.74	185.32
3.	2071.01.105.02-परिवार पेंशन	ओ एस आर	961.92 103.70 (+)39.38	1194.59	89.59
20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)					
4.	2076.00.107.01 -सिविल	ओ एस आर	2363.54 348.02 (+)184.95	2905.83	9.32
5.	2079.00.800.01 - आयुध (आयुध उपकरण सहित) कारखाने	ओ एस आर	1104.18 0.01 (-)50.19	1064.42	10.42
6.	2080.00.800.01 -विविध	ओ एस आर	267.22 3.86 (+)1.80	284.46	11.58
7.	3054.02.337.05 - सीमा सड़क संगठन द्वारा एनएच का रखरखाव	ओ	144.46	150.25	5.79
8.	4076.01.112.01 -सिविल	ओ आर	101.49 (-)1.49	116.53	16.53
9.	4076.04.111.01 - आयुध (कारखानों के आयुध उपकरण समूह सहित)	ओ आर	227.67 (+)80.00	337.61	29.94
10.	5054.02.337.03 - सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत कार्य	ओ एस आर	2299.00 0.01 (+)265.52	2641.35	76.82
21 - रक्षा पेंशन					
11.	2071.02.101.01 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	ओ एस आर	72000.82 1564.28 (+)178.26	75649.65	1906.29

12.	2071.02.101.03- अवकाश नकदीकरण	ओ एस आर	2040.04 75.45 (-)156.29	2006.79	47.59
13.	2071.02.102.01- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	ओ एस आर	2965.28 316.24 (+)1.51	3361.42	78.39
14.	2071.02.102.03- अवकाश नकदीकरण	ओ आर	206.93 (-)1.51	213.89	8.47
15.	2071.02.103.01- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	ओ एस आर	4757.78 1156.00 (+)35.26	6149.50	200.46
28 - विदेश मंत्रालय					
16.	2061.00.103.01- विवेकाधीन व्यय	ओ	1870.00	1935.80	65.80
17.	2061.00.800.08- हज पर व्यय	ओ	6.00	12.13	6.13
18.	3605.00.101.09- बंग्लादेश को सहायता	ओ आर	150.00 (-)75.00	82.59	7.59
19.	3605.00.101.11 - नेपाल को सहायता	ओ एस आर	300.00 0.0025 (+)20.00	332.71	12.71
20.	4059.60.051.17 - विदेशी मामले	ओ	200.00	224.52	24.52
21.	4216.01.700.18 - विदेशी मामले	ओ	100.00	107.03	7.03
33 –विनियोग-ब्याज भुगतान					
22.	*6001.00.103.01 -91 दिवसीय राजकोष*	ओ आर	*753570.43* *(-)72696.05*	*690582.14*	*9707.76*
23.	*6001.00.115 -14 दिवसीय राजकोष*	ओ एस आर	*2438988.00* *44599.54* *(+)519142.46*	*3180675.97*	*177945.97*
35 - पेंशन					
24.	2071.01.102.01- साधारण पेंशन	ओ आर	1938.09 (+)228.50	2586.44	419.85
25.	2071.01.104.01- साधारण पेंशन	ओ	2897.71	3077.84	180.13
26.	2071.01.115.01- साधारण पेंशन	ओ आर	1675.68 (+)24.00	1738.27	38.59
27.	2071.01.117.01 - सरकारी अंशदान	ओ आर	2900.32 (+)139.50	3107.78	67.96
39 - अप्रत्यक्ष कर					
28.	2038.00.101.01 - आयुक्तालय	ओ एस आर	2901.02 245.00 (+)114.42	3274.16	13.72
42 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
29.	2211.00.001.05 - एनआरएचएम-आरसीएच फलैक्सिबल पूल	ओ आर	1350.00 (-)82.82	1272.19	5.01

44 - भारी उद्योग विभाग					
30.	4858.60.190.13 -हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड में निवेश	एस	663.59	1063.59	400.00
48 - पुलिस					
31.	2055.00.001.06 - आसूचना ब्यूरो	ओ एस आर	1390.15 28.00 (+)81.49	1595.17	95.53
32.	2055.00.105.01 - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय	ओ एस आर	14475.33 250.73 (+)10.05	14745.20	9.09
33.	4055.00.213.01 - कार्यालय भवन	ओ आर	193.08 (+)84.71	283.12	5.33
34.	4055.00.213.03 - बॉर्डर आउट पोस्ट	ओ	136.86	144.89	8.03
95 - शहरी विकास मंत्रालय					
35.	2059.80.001.01 - दिशा	ओ	198.72	203.96	5.24
36.	2059.80.001.02 - निष्पादन	ओ आर	602.41 (+)15.49	623.77	5.87
रक्षा **22 -रक्षा सेवाएं (राजस्व)**					
37.	2076.00.110-भण्डार	ओ आर	17726.17 (+)666.73	18698.51	305.61
38.	2077.00.800-अन्य खर्च	ओ एस आर	582.00 0.58 (+)25.00	656.93	49.35
39.	2078.00.110-भण्डार	ओ एस आर	7334.05 895.02 (-)48.47	8371.24	190.64
23 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत व्यय					
40.	*4076.01.050 -भूमि*	ओ आर	*10.00* *(+)10.00*	*39.23*	*19.23*
41.	4076.01.050 -भूमि	ओ आर	290.00 (-)100.00	216.14	26.14
42.	4076.01.101-एयर क्राफ्ट एवं एयरो-इंजन	ओ आर	1565.94 (-)371.10	1437.07	242.23
43.	4076.01.103-अन्य उपकरण	ओ आर	16173.35 (-)704.85	17822.91	2354.41
44.	4076.01.106- रोलिंग स्टॉक	ओ आर	282.76 (-)30.90	450.47	198.61
45.	*4076.02.050-भूमि*	ओ	*35.00*	*67.98*	*32.98*
46.	4076.02.050-भूमि	ओ आर	5.00 (-)4.37	59.85	59.22

47.	4076.02.101-एयर क्राफ्ट एवं एयरो-इंजन	ओ आर	3805.00 (-)845.00	2974.06	14.06
48.	4076.02.103-अन्य उपकरण	ओ एस आर	2600.00 0.0006 (+)653.69	3358.33	104.64
49.	4076.02.104-संयुक्त स्टाफ	ओ एस आर	958.59 0.0006 (-)177.43	799.60	18.44
50.	4076.02.202-निर्माण कार्य	ओ आर	635.45 (-)35.65	648.83	49.03
51.	4076.02.204-नौसेना बेड़ा	ओ आर	12467.00 (-)2650.00	9877.71	60.71
52.	4076.02.205-नौसेना डॉकहार्ड	ओ एस आर	1456.77 0.0007 (+)645.23	2165.07	63.07
53.	4076.03.101-एयर क्राफ्ट एवं एयरो-इंजन	ओ एस आर	17833.45 0.0025 (+)1087.62	19480.89	559.82
54.	4076.03.102-भारी और मध्यम वाहन	ओ आर	127.35 (-)0.08	132.98	5.71
55.	4076.03.103-अन्य उपकरण	ओ आर	9595.22 (-)1777.51	8612.38	794.67
56.	4076.03.202-निर्माण कार्य	ओ आर	1869.77 (-)58.90	1829.43	18.56
				योग	**197132.09**

ओ - वास्तविक; एस - अनुपूरक; आर - पुनर्वियोजन

अनुबंध 3.5

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक[1] की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल राजस्व (दत्तमत)				
1.	1-कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	48779.38	8184.27	17
2.	2 -कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	6620.04	624.83	09
3.	3 -पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग	2495.52	127.22	05
4.	4 -परमाणु ऊर्जा	12949.20	130.60	01
5.	7 -उर्वरक विभाग	74138.36	4008.17	05
6.	9 -नागर विमानन मंत्रालय	810.54	114.03	14
7.	12 -औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	3028.11	1034.56	34
8.	17 -खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	142394.34	26385.95	19
9.	19 -संस्कृति मंत्रालय	2430.07	169.12	07
10.	20 -रक्षा मंत्रालय (विविध)	61014.17	2970.99	05
11.	26 -पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1500.40	110.85	07
12.	27 -पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3463.03	143.65	04
13.	28 -विदेश मंत्रालय	12279.66	1120.16	09
14.	29 - आर्थिक कार्य विभाग	18304.67	11583.35	63
15.	30 - वित्तीय सेवाएं विभाग	4135.56	1240.22	30
16.	32 -राज्य को अन्तरण	32901.00	611.63	02
17.	37 -राजस्व विभाग	11914.02	889.90	07
18.	42 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का विभाग	41713.05	3853.40	09
19.	46 -गृह मंत्रालय	4839.59	326.54	07
20.	50 - आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	5411.05	190.06	04
21.	51 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	64168.78	1532.09	02
22.	52 - उच्चतर शिक्षा विभाग	29714.43	678.07	02
23.	53 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4113.42	179.57	04
24.	54 -श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	6432.86	1122.08	17

[1] बचतों में आर्थिक उपाय के भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू अनिवार्य कटौतियां भी शामिल है।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक[1] की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
25.	56 - विधि एवं न्याय	5012.01	1403.47	28
26.	58 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	5152.16	1510.51	29
27.	60 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3687.28	778.13	21
28.	61 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	9882.81	2239.29	23
29.	64 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1321.94	175.78	13
30.	66 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	29239.78	1459.49	05
31.	68 - विद्युत मंत्रालय	11879.34	3972.22	33
32.	74 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	54900.44	36014.93	66
33.	75 - ग्रामीण विकास विभाग	157443.03	1155.32	01
34.	77 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4481.86	168.77	04
35.	80 - पोतपरिवहन मंत्रालय	1509.24	144.42	10
36.	81 - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	2139.30	595.20	28
37.	85 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4731.84	483.68	10
38.	87 - वस्त्र मंत्रालय	6595.66	548.05	08
39.	93 - दमन एवं दीव	1387.52	232.55	17
40.	94 - लक्षद्वीप	1089.38	200.99	18
41.	95 - शहरी विकास मंत्रालय	18123.72	2728.23	15
42.	96 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	8381.61	2083.74	25
43.	97 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	18295.37	1227.76	07
44.	98 - युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	1756.87	195.37	11
राजस्व (प्रभारित)				
45.	*31* - विनियोग- ब्याज भुगतान	*508782.30*	*4267.76*	*01*
46.	32 - राज्यों को अन्तरण	*100646.36*	*5096.06*	*05*
पूंजीगत (दत्तमत)				
47.	4 - परमाणु उर्जा	7154.68	1735.33	24
48.	10 - कोयला मंत्रालय	1100.00	300.08	27
49.	17 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	51151.61	27091.82	53
50.	20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)	13027.98	301.58	02
51.	24 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	649.00	140.27	22
52.	26 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	175.00	100.34	57

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक[1] की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
53.	28 - विदेश मंत्रालय	2983.00	1369.88	46
54.	29 - आर्थिक कार्य विभाग	10142.92	1772.08	17
55.	30 - वित्तीय सेवा विभाग	33206.38	5032.84	15
56.	42 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1757.90	534.07	30
57.	46 - गृह मंत्रालय	300.36	101.31	34
58.	48 - पुलिस	9878.50	1010.32	10
59.	59 - खान मंत्रालय	158.39	122.10	77
60.	68 - विद्युत मंत्रालय	5511.67	1650.44	30
61.	74 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	86679.70	10821.33	12
62.	84 - अंतरिक्ष विभाग	3887.77	300.73	08
63.	86 - इस्पात मंत्रालय	200.00	200.00	100
64.	90 - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	683.68	204.95	30
65.	95 - शहरी विकास मंत्रालय	17225.48	493.01	03
66.	96 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	427.72	300.10	70
पूँजीगत (प्रभारित)				
67.	32 - राज्यों को अन्तरण	18100.00	336.41	02
68.	86 - इस्पात मंत्रालय	110.00	110.00	100
रक्षा सेवा राजस्व (दत्तमत्त)				
69.	22 - रक्षा मंत्रालय (राजस्व)	154959.05	2823.77	02
रेलवे राजस्व (दत्तमत्त)				
70.	2 - विविध व्यय (सामान्य)	1297.89	305.78	24
71.	3 - सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	8360.53	801.23	10
72.	4 - स्थायी तरीके एवं निर्माण कार्य की मरम्मत और रखरखाव	13710.68	848.76	06
73.	5 - मौलिक शक्तियों की मरम्मत और रखरखाव	6317.60	288.90	05
74.	6 - कैरिजेज और वैगन की मरम्मत और रखरखाव	14311.32	284.30	02
75.	7 - संयंत्र और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	8111.91	740.76	09

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक[1] की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
76.	8 - परिचालन व्यय- रोलिंग स्टॉक और उपकरण	12751.63	1069.81	08
77.	9 - परिचालन व्यय - यातायात	26308.01	2300.99	09
78.	11 - कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	6622.05	670.91	10
79.	12 - विविध कार्य व्यय	6818.60	788.72	12
80.	13 - भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	47169.76	4916.64	10
81.	14 - निधियों का पुनर्विनियोजन	54279.35	9066.35	17
82.	15 - सामान्य राजस्व को लाभांश - सामान्य राजस्व से लिया गया ऋण का पुन: भुगतान - विकास निधि से मिली राशि	9731.29	9731.29	100
पूंजीगत (दत्तमत्त)				
83.	16 - पूंजी	91589.80	1403.18	02
84.	16 - रेल निधि - मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि और पूंजीगत निधि	16663.06	4556.18	27
		कुल	**228639.60**	

अनुबंध 3.6

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान (₹ करोड़ में)	बचत (₹ करोड़ में)	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
सिविल राजस्व	**(दत्तमत्त)**				
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2014-15	22603.11	3114.80	14
		2015-16	16959.47	1658.72	10
		2016-17	48779.38	8184.27	17
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2014-15	6144.44	1304.41	21
		2015-16	6320.03	747.13	12
		2016-17	6620.04	624.83	09
3.	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मत्स्य पालन विभाग	2014-15	2726.16	517.57	19
		2015-16	2120.28	256.13	12
		2016-17	2495.52	127.22	05
4.	उर्वरक विभाग	2014-15	77112.31	2020.45	03
		2015-16	77100.56	536.14	01
		2016-17	74138.36	4008.17	05
5.	संस्कृति मंत्रालय	2014-15	2443.06	397.93	16
		2015-16	2121.56	165.36	08
		2016-17	2430.07	169.12	07
6.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2014-15	1515.07	281.93	19
		2015-16	1497.59	263.52	18
		2016-17	1500.40	110.85	07
7.	विदेश मंत्रालय	2014-15	11264.37	1402.54	12
		2015-16	11248.02	150.85	01
		2016-17	12279.66	1120.16	09
8.	आर्थिक कार्य विभाग	2014-15	16157.52	885.54	05
		2015-16	17941.94	6185.08	34
		2016-17	18304.67	11583.35	63
9.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2014-15	11745.25	3834.92	33
		2015-16	15811.86	300.91	02
		2016-17	4135.56	1240.22	30

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
10.	राज्यों को अन्तरण	2014-15	70757.00	9438.73	13
		2015-16	39678.78	7550.00	19
		2016-17	32901.00	611.63	02
11.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2014-15	36481.41	6505.28	18
		2015-16	32902.39	1001.55	03
		2016-17	41713.05	3853.40	09
12.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2014-15	6008.68	3273.28	54
		2015-16	5634.56	3868.40	69
		2016-17	5411.05	190.06	04
13.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2014-15	82695.14	14615.25	18
		2015-16	69861.55	8754.13	13
		2016-17	64168.78	1532.09	02
14.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2014-15	27656.08	4486.90	16
		2015-16	26855.37	1305.43	05
		2016-17	29714.43	678.07	02
15.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2014-15	3287.18	158.45	05
		2015-16	14802.92	210.76	01
		2016-17	4113.42	179.57	04
16.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2014-15	5783.82	1474.27	25
		2015-16	5646.15	826.98	15
		2016-17	6432.86	1122.08	17
17.	विधि एवं न्याय	2014-15	1992.88	241.96	12
		2015-16	3420.92	470.80	14
		2016-17	5012.01	1403.47	28
18.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2014-15	3693.51	932.51	25
		2015-16	3010.59	179.13	06
		2016-17	5152.16	1510.51	29

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
19.	विद्युत मंत्रालय	2014-15	8228.16	3590.65	44
		2015-16	8719.54	856.27	10
		2016-17	11879.34	3972.22	33
20.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2014-15	20103.39	1430.69	07
		2015-16	23433.94	1373.54	06
		2016-17	54900.44	36014.93	66
21.	ग्रामीण विकास विभाग	2014-15	121746.83	13116.63	11
		2015-16	129030.01	9239.37	07
		2016-17	157443.03	1155.32	01
22.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2014-15	3546.03	646.11	18
		2015-16	3844.01	199.61	05
		2016-17	4481.86	168.77	04
23.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2014-15	4905.79	840.74	17
		2015-16	4816.76	645.37	13
		2016-17	4731.84	483.68	10
24.	वस्त्र मंत्रालय	2014-15	5547.74	1657.68	30
		2015-16	4402.25	385.45	09
		2016-17	6595.66	548.05	08
25.	दमन एवं दीव	2014-15	1291.03	119.70	09
		2015-16	1377.52	279.00	20
		2016-17	1387.52	232.55	17
26.	शहरी विकास मंत्रालय	2014-15	8713.64	4553.51	52
		2015-16	10329.18	4053.46	39
		2016-17	18123.72	2728.23	15
27.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	2014-15	15143.17	9728.38	64
		2015-16	9064.87	1314.82	15
		2016-17	8381.61	2083.74	25
28.	महिला एवं बाल विकास	2014-15	21193.91	2652.77	13

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
		2015-16	17930.46	689.78	04
		2016-17	18295.37	1227.76	07
राजस्व (प्रभारित)					
29.	विनियोग-ब्याज भुगतान	*2014-15*	*449882.66*	*24784.40*	*06*
		2015-16	*476089.17*	*18818.79*	*04*
		2016-17	*508782.30*	*4267.76*	*01*
30.	राज्यों को अंतरण	*2014-15*	*64675.00*	*2861.68*	*04*
		2015-16	*88864.52*	*4285.73*	*05*
		2016-17	*100646.36*	*5096.06*	*05*
पूँजीगत (दत्मत)					
31.	परमाणु उर्जा	2014-15	4408.46	1024.20	23
		2015-16	4513.69	472.84	10
		2016-17	7154.68	1735.33	24
32.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2014-15	10678.26	192.89	02
		2015-16	20587.26	213.70	01
		2016-17	51151.61	27091.82	53
33.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	2014-15	353.50	145.49	41
		2015-16	462.00	120.21	26
		2016-17	649.00	140.27	22
34.	आर्थिक कार्य विभाग	2014-15	12515.86	2621.50	21
		2015-16	78412.12	1444.68	02
		2016-17	10142.92	1772.08	17
35.	वित्तीय सेवा विभाग	2014-15	24795.03	13725.47	55
		2015-16	29716.24	2150.21	07
		2016-17	33206.38	5032.84	15
36.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2014-15	1964.52	1092.16	56
		2015-16	1017.37	126.23	12
		2016-17	1757.90	534.07	30
37.	पुलिस	2014-15	9863.51	3924.49	40
		2015-16	9259.78	201.74	02
		2016-17	9878.50	1010.32	10

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
38.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2014-15	37436.27	1665.45	04
		2015-16	69326.81	6407.74	09
		2016-17	86679.70	10821.33	12
39.	अंतरिक्ष विभाग	2014-15	3656.58	1205.72	33
		2015-16	3464.52	420.72	12
		2016-17	3887.77	300.73	08
40.	शहरी विकास मंत्रालय	2014-15	8826.22	2137.48	24
		2015-16	10202.10	255.71	03
		2016-17	17225.48	493.01	03
पूँजीगत (प्रभारित)					
41.	राज्यों को अन्तरण	*2014-15*	*13000.00*	*1102.68*	*08*
		2015-16	*12600.00*	*101.80*	*01*
		2016-17	*18100.00*	*336.41*	*02*
रेलवे राजस्व (दत्तमत्त)					
42.	सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	2014-15	6472.70	366.92	06
		2015-16	6992.79	803.11	11
		2016-17	8360.53	801.23	10
43.	स्थायी मार्ग और निर्माण कार्य की मरम्मत और रखरखाव	2014-15	10403.99	123.47	01
		2015-16	11657.55	770.42	07
		2016-17	13710.68	848.76	06
44.	मोटिव पावर की मरम्मत और रखरखाव	2014-15	4920.70	138.01	03
		2015-16	5464.56	191.56	04
		2016-17	6317.60	288.90	05
45.	संयंत्र और उपकरण की मरम्मत और रखरखाव	2014-15	6340.96	314.94	05
		2015-16	7238.18	984.22	14
		2016-17	8111.91	740.76	09
46.	परिचालन खर्च - ट्रैफिक	2014-15	19713.11	638.65	03
		2015-16	22124.02	1583.59	07
		2016-17	26308.01	2300.99	09
47.	कर्मचारी कल्याण और	2014-15	5177.22	160.75	03

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
		2015-16	5861.45	544.78	09
		2016-17	6622.05	670.91	10
48.	विविध कार्य व्यय	2014-15	5654.59	548.31	10
		2015-16	6220.07	486.04	08
		2016-17	6818.60	788.72	12
49.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2014-15	30142.70	506.94	02
		2015-16	34574.38	2646.55	08
		2016-17	47169.76	4916.64	10
रेलवे पूंजीगत (दत्तमत्त)					
50.	पूंजीगत	2014-15	79272.06	5587.59	07
		2015-16	91561.86	12720.22	14
		2016-17	91589.80	1403.18	02
51.	रेलवे निधि- मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि और पूंजीगत निधि	2014-15	17560.95	169.83	01
		2015-16	20294.81	1917.72	09
		2016-17	16663.06	4556.18	27

अनुबन्ध 3.7

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

मामले जिनमें अभ्यर्पित की गई राशि बचतों से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	अनुभागो के अन्तर्गत बचतें	अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित की गई अधिशेष राशि
सिविल राजस्व (दत्मत्त)				
1.	07 -ऊर्वरक विभाग	4008.17	4267.02	258.85
2.	08 -औषधि विभाग	3.75	3.82	0.07
3.	89 -जनजातीय कार्य मंत्रालय	46.22	46.43	0.21
पूँजीगत (दत्मत्त)				
4.	14 -दूरसंचार विभाग	31.11	31.19	0.08
5.	44 -भारी उद्योग विभाग	20.72	21.20	0.48
6.	61 -नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	4.37	4.39	0.02
7.	81 -कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	24.74	25.54	0.80

अनुबंध 3.8

(पैराग्राफ 3.9 के सन्दर्भ में)

ऐसे मामले जिनमे 30/31 मार्च 2017 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
सिविल राजस्व (दत्तमत)						
1.	1-कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	8184.27	8095.89	8095.89	99	88.38
2.	2 -कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	624.83	616.74	616.74	99	8.09
3.	3 -पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग	127.22	110.90	110.90	87	16.32
4.	4 -परमाणु ऊर्जा	130.60	0.00	0.00	--	130.60
5.	7 -उर्वरक विभाग	4008.17	(4267.02)	(4267.02)	106	--
6.	9 -नागर विमानन मंत्रालय	114.03	112.04	112.04	98	1.99
7.	12 -औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	1034.56	892.00	892.00	86	142.56
8.	17 -खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	26385.95	26374.49	26374.49	99.96	11.46
9.	19 -संस्कृति मंत्रालय	169.12	116.30	116.30	69	52.82
10.	20 -रक्षा मंत्रालय (विविध)	2970.99	2138.50	2138.50	72	832.49
11.	26 -पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	110.85	33.62	33.62	30	77.23
12.	27 -पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	143.65	45.49	45.49	32	98.16
13.	28 -विदेश मंत्रालय	1120.16	626.03	626.03	56	494.13
14.	29 - आर्थिक कार्य विभाग	11583.35	5984.58	5984.58	52	5598.77
15.	30 - वित्तीय सेवाएं विभाग	1240.22	612.96	612.96	49	627.26
16.	32 -राज्यों को अन्तरण	611.63	111.62	111.62	18	500.01
17.	37 -राजस्व विभाग	889.90	867.42	867.42	97	22.48
18.	42 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का विभाग	3853.40	1600.97	1600.97	42	2252.43
19.	46 -गृह मंत्रालय	326.54	296.36	296.36	91	30.18

ऐसे मामले जिनमे 30/31 मार्च 2017 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
20.	50 - आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	190.06	171.23	171.23	90	18.83
21.	51 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1532.09	863.63	863.63	56	668.46
22.	52 - उच्चतर शिक्षा विभाग	678.07	556.40	556.40	82	121.67
23.	53 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	179.57	68.85	68.85	38	110.72
24.	54 -श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	1122.08	1089.49	1089.49	97	32.59
25.	56 - विधि एवं न्याय	1403.47	1337.64	1337.64	95	65.83
26.	58 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	1510.51	1400.00	1400.00	93	110.51
27.	60 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	778.13	775.70	775.70	99.69	2.43
28.	61 -नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2239.29	1130.11	1115.11	50	1109.18
29.	64 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	175.78	170.14	170.14	97	5.64
30.	66 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1459.49	9.22	9.22	1	1450.27
31.	68 -विद्युत मंत्रालय	3972.22	2625.33	2625.33	66	1346.89
32.	74 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	36014.93	33602.70	33602.70	93	2412.23
33.	75 - ग्रामीण विकास विभाग	1155.32	806.50	806.50	70	348.81
34.	77 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	168.77	139.84	139.84	83	28.93
35.	80 -पोत परिवहन मंत्रालय	144.42	125.32	125.32	87	19.10
36.	81 - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	595.20	590.51	590.51	99	4.69
37.	85 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	483.68	475.17	475.17	98	8.51
38.	87 - वस्त्र मंत्रालय	548.05	526.60	526.60	96	21.45
39.	93 - दमन एवं दीव	232.55	232.13	232.13	99.82	0.42
40.	94 -लक्षद्वीप	200.99	186.44	186.44	93	14.55
41.	95 -शहरी विकास मंत्रालय	2728.23	1.60	1.60	0.06	2726.63

ऐसे मामले जिनमे 30/31 मार्च 2017 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
42.	96 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	2083.74	2051.01	2051.01	98	32.73
43.	97 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1227.76	1032.73	1032.73	84	195.03
44.	98 - युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	195.37	190.79	190.79	98	4.58
राजस्व (प्रभारित)						
45.	*31* - विनियोग- ब्याज भुगतान	4267.76	0.00	0.00	--	4267.76
46.	32 -राज्यों को अन्तरण	5096.06	3564.26	3564.26	70	1531.80
पूंजीगत (दत्तमत)						
47.	4 -परमाणु ऊर्जा	1735.33	1642.02	1642.02	95	93.31
48.	10 -कोयला मंत्रालय	300.08	0.00	0.00	--	300.08
49.	17 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	27091.82	27091.80	27091.80	100	0.02
50.	20 -रक्षा मंत्रालय (विविध)	301.58	163.11	163.11	54	138.47
51.	24 -उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	140.27	138.22	138.22	99	2.05
52.	26 -पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	100.34	75.00	75.00	75	25.34

ऐसे मामले जिनमे 30/31 मार्च 2017 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
53.	28 -विदेश मंत्रालय	1369.88	1210.63	1210.63	88	159.25
54.	29 -आर्थिक कार्य विभाग	1772.08	1641.69	1641.69	93	130.39
55.	30-वित्तीय सेवा विभाग	5032.84	2.82	2.82	0.06	5030.02
56.	42 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	534.07	467.24	467.24	87	66.83
57.	46 -गृह मंत्रालय	101.31	95.29	95.29	94	6.02
58.	48 -पुलिस	1010.32	866.90	866.90	86	143.42
59.	59 -खान मंत्रालय	122.10	119.11	119.11	98	2.99
60.	68 -विद्युत मंत्रालय	1650.44	1463.13	1463.13	89	187.31
61.	74 -सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	10821.33	9732.38	9732.38	90	1088.95
62.	86 -इस्पात मंत्रालय	200.00	200.00	200.00	100	--
63.	90 -अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	204.95	202.88	202.88	99	2.07
64.	95 -शहरी विकास मंत्रालय	493.01	100.00	100.00	20	393.01
65.	96 -जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	300.10	280.92	280.92	94	19.18
पूँजीगत (प्रभारित)						
66.	32 -राज्यों को अन्तरण	336.41	136.41	136.41	41	200.00
67.	86 -ईस्पात मंत्रालय	110.00	110.00	110.00	100	--

टिप्पण:

1. कोष्ठक के आंकड़े यह इंगित करते हैं कि अभ्यर्पित की गयी राशि बचत से अधिक है।

2. समर्पण की तिथि के हिसाब से लेखापरीक्षा आदेश की तिथि अर्थात वह तिथि जब वित्त मंत्रालय द्वारा अभ्यर्पण को मंज़ूरी दी जाती है, ली गई है।

अनुबन्ध 3.9

(पैराग्राफ 3.12 के संदर्भ में)

ऐसे लघु/उप-शीर्ष पर पुनर्विनियोजन जो गैर-उपयोगिता के कारण विवेकहीन थे

(₹5 करोड़ एवं अधिक के पुनर्विनियोजन)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के तहत पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत
सिविल						
1.	14-दूरसंचार विभाग	3451.00.091.12 - संचार लेखा नियंत्रक	ओ एस	116.84 16.94	7.14	11.59
2.	15-इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2852.07.202.88 - नियामक प्राधिकरण	ओ	148.00	11.87	21.40
3.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	2052.00.090.01 -रक्षा विभाग	ओ एस	144.06 7.01	5.77	9.58
4.		2076.00.109.01 -सिविल	ओ एस	1067.75 9.87	61.75	63.16
5.	29-आर्थिक कार्य विभाग	2052.00.090.09 -आर्थिक कार्य विभाग	ओ एस	160.25 0.01	18.52	33.62
6.		2075.00.800.18 - डेबिट कार्ड के माध्यम से धन संग्रहण पर खर्च की गई लागत	एस	0.01	49.99	50.00
7.	30-वित्तीय सेवा विभाग	5465.01.797.01 - राष्ट्रीय निवेश कोष	ओ एस	1780.00 2845.00	500.00	5030.02
8.	*31 -विनियोग - ब्याज भुगतान*	*2049.01.200.03* - मुआवजा और अन्य बांड	ओ एस	*1649.95* *10.00*	*163.17*	*347.52*
9.		*2049.03.108.02* - औद्योगिक श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा निधि	ओ एस	*8849.85* *10.00*	*72.20*	*225.71*
10.	42-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210.06.001.09 - संक्रामक रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल	ओ	1423.92	69.62	273.91
11.	48-पुलिस	2055.00.103.01 - स्थापना एवं प्रशासन	ओ एस	4239.50 292.00	13.05	14.81
12.	52-उच्चतर शिक्षा विभाग	2251.00.090.17 -उच्चतर शिक्षा विभाग	ओ	95.99	6.00	7.19
13.		2202.80.800.44 - डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	ओ एस	366.78 0.01	10.63	26.25
14.	58 -सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2851.00.102.98 - उद्यमिता एवं कौशल विकास	ओ	133.23	11.80	13.56
15.	95-शहरी विकास मंत्रालय	2216.05.053.07 -अन्य अनुरक्षण कार्य	ओ एस	305.76 0.0034	7.00	14.51

क्र.सं	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के तहत पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत
16.		2217.05.001.02 -स्वच्छ भारत मिशन	ओ	101.86	139.03	140.19
रक्षा सेवाएं						
17.	22-रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2076.00.111 - निर्माण कार्य	ओ एस	7889.15 0.10	100.00	180.80
18.		2076.00.800 -अन्य खर्च	ओ एस	2281.17 58.00	29.46	85.69
				योग	**1277.00**	

अनुबंध 3.10

(पैराग्राफ 3.13 के संदर्भ में)

लघु/उपशीर्ष से पुनर्विनियोग का परिणाम अधिक व्यय में हुआ

(₹5 करोड़ एवं अधिक के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग का विवरण	लघु-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष में से पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अधिशेष व्यय
सिविल						
1.	42-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	4210.01.110.08 - केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची	ओ	24.00	13.91	15.69
2.	48-पुलिस	4055.00.202.04 -सामान्य	ओ एस	100.00 18.00	8.00	10.98
रक्षा						
3.	22 -रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2078.00.110 - भण्डार गृह	ओ एस	7334.05 895.02	48.47	190.64
4.	23- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4076.01.103 - अन्य उपकरण	ओ	16173.35	704.85	2354.41
5.		4076.01.106 - रोलिंग स्टॉक	ओ	282.76	30.90	198.61
6.		4076.02.202 - निर्माण कार्य	ओ	635.45	35.65	49.03
डाक						
7.	13 -डाक विभाग	3201.02.101.01 - मौजूदा डाक कार्यालय	ओ एस	7898.83 25.36	146.68	205.28
8.		3201.07.104.01 - उपदान	ओ	830.39	28.41	88.16
9.		3201.07.110.01 - लेखापरीक्षा स्टाफ के अलावा अन्य परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना के लिए सरकारी अंशदान	ओ	230.00	10.80	50.63
10.		3201.02.103.02 - वायु	ओ एस	143.00 15.00	5.33	5.35
				कुल	**1033.00**	

ओ - मूल; एस - अनुपूरक

अनुबंध 3.11

(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
सिविल							
1.	1-कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	2401.00.107.07 - कृषोन्नति योजना केन्द्रीय क्षेत्र	143.56	12.03	137.56	18.03	रिक्त पदों को न भरने, प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं देने और किराये के उच्च दावों के लंबित रहने के कारण।
2.	4 - परमाणु ऊर्जा	2852.09.211.04 - ईंधन पुनर्चक्रीय और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा	464.00	22.82	439.56	47.26	तेल और डीजल की कीमतों में कमी, कम दौरे और आर्थिक उपाय के कारण।
3.	11 - वाणिज्य विभाग	3453.00.194.05 - निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं	671.00	9.00	628.85	51.15	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।
4.	14 - दूरसंचार विभाग	2071.01.102.01 - साधारण पेंशन	1050.00	45.00	804.18	290.82	कम दावों का प्राप्ति के कारण।
5.	20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)	2076.00.113.01 - सिविल	1187.23	12.57	1136.55	63.25	7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आंशिक कार्यान्वयन, कपड़े और तम्बू पर कम व्यय, नागरिकों के वेतन और भत्ते तथा मोटर वाहनों के कारण।

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
6.		2080.00.101.01 - वेतन एवं भत्ते	377.00	18.00	354.81	40.19	वेतन और भत्ते के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन न होने के कारण।
7.	21 - रक्षा पेंशन	2071.02.101.03 - अवकाश नकदीकरण	2040.05	75.45	2006.79	108.71	सेवानिवृत्त लोगों की संख्या कम होने, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के कारण अवकाश नकदीकरण को रोकने तथा सेवानिवृत्त लोगों के क्रेडिट पर कम छुट्टी होने के कारण।
8.	30 - वित्तीय सेवा विभाग	5465.01.797.01 - राष्ट्रीय निवेश कोष	1780.00	2845.00	94.98	4530.02	अनुमान की तुलना में विनिवेश की प्राप्ति में कमी के कारण तथा राष्ट्रीय निवेश कोष को कम अंतरण के परिणामस्वरूप।
9.	*31* - विनियोग - ब्याज भुगतान	2049.01.200.03 - मुआवजा और अन्य बांड	*1649.95*	*10.00*	*1475.60*	*184.35*	*निवेशकों द्वारा दावों को वरीयता न देने और आहरण के कारण।*
10.		2049.03.108.02 -औद्योगिक श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना	*8849.85*	*10.00*	*8706.34*	*153.51*	*ब्याज दर में कमी के साथ-साथ कम अंशदान के कारण।*
11.	*33* - विनियोग - ऋण पुनर्भुगतान	*6001.00.106.22* - 8.5% राहत बांड, *2001*	*9.40*	*11.78*	*0.22*	*20.96*	*दावों की प्राप्ति न होने के कारण।*

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
12.		6002.00.216- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण	*5688.42*	*44.53*	*5553.30*	*179.65*	*कुछ ऋणों में ऋण राशि को रद्द करने तथा पुनर्भुगतान अनुसूची में संशोधन के कारण।*
13.		6002.00.250 - एशियाई विकास बैंक से ऋण	*3306.96*	*63.52*	*3266.40*	*104.08*	*विनिमय दर में भिन्नता के कारण।*
14.	38 - प्रत्यक्ष कर	2020.00.001.03 - संगठन और प्रबंधन सेवाएं	562.66	6.00	537.28	31.38	मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए कम निधि की आवश्यकता, कम दौरे किए जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, आईटी अधिप्रापणों तथा किराया, दरों और करों में संशोधन न होने तथा आर्थिक उपाय के कारण।
15.	39 - अप्रत्यक्ष कर	2038.00.101.05 - प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के भुगतान और लेखा कार्यालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) सीबीईसी	52.33	7.88	50.14	10.07	रिक्त पदों को न भरने तथा जीएसटी पोर्टल के प्रति कम निधि की गैर-आवश्यकता के कारण।
16.	68 - विद्युत मंत्रालय	2801.06.103.02 - ग्रामीण विद्युतीकरण एवं फीडर पृथक्करण	800.00	7.20	770.90	36.30	कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन तथा विज्ञापन के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
17.		2801.80.102.01 - वैधानिक प्राधिकरण	154.87	11.09	148.87	17.09	रिक्त पदों को न भरने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता, सॉफ्टवेयर की खरीद में विलंब, योजना के गैर-कार्यान्वयन, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के स्तर पर लगायी गयी कटौती तथा आर्थिक उपायों के कारण।
18.	74 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3054.01.337.01 - सड़क विंग द्वारा रखरखाव	2834.00	2041.40	2690.43	2184.97	राज्य महालेखाकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा निधियन प्रतिमान में परिवर्तन के कारण।
19.	81 - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	2230.03.796.09 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	136.98	20.92	87.04	70.86	केंद्रों की स्थापना के लिए मानदंडों को अंतिम रूप न देने से योजना आरंभ न होने के कारण।
20.	95 - शहरी विकास मंत्रालय	4217.60.190.14 - एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	1523.03	339.01	1433.20	428.84	कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग की प्राप्ति तथा सरकार से मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
21.	96 - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	3075.01.201.03 - फरक्का बैराज	67.57	24.00	61.49	30.08	सलाहकारी और संविदात्मक सेवाओं के गैर-भर्ती के कारण।.
22.		4702.00.800.06 - भूजल प्रबंधन और नियमन	200.00	25.00	42.91	182.09	मशीनरी और उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन न होने के कारण।

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
रक्षा सेवाएं राजस्व (दत्तमत)							
23.	22 - रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2076.00.103 - वेतन एवं भत्ते और सहायक बलों के विविध व्यय	1500.93	339.53	1255.05	585.41	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के गैर-कार्यान्वयन के कारण
24.		2076.00.111 - निर्माण कार्य	7889.15	0.10	7808.45	80.80	प्रक्रियात्मक विलंब के कारण कुछ रखरखाव परियोजनाएं भी नहीं ली जा सकीं
25.		2077.00.101 - नौसेना के वेतन एवं भत्ते	5265.00	228.37	4986.17	507.20	सीमाशुल्क ड्यूटी पर किए गए व्यय हेतु अन्य लघु शीर्षों को अंतरित निधि के कारण और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के भी कार्यान्वयन न होने के कारण
26.		2077.00.104 - सिविलियन के वेतन एवं भत्ते	2410.00	102.87	2173.45	339.42	7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आंशिक कार्यान्वयन के कारण
27.		2077.00.111 - निर्माण कार्य	1519.95	5.88	1377.06	148.77	प्रत्याशा से कम मांग होने तथा भवन के अनुरक्षण तथा प्रतिष्ठापन के संचालन पर निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण
28.		2077.00.112 - संयुक्त कर्मचारी	2226.44	60.97	2121.00	166.41	7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आंशिक कार्यान्वयन के कारण

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
29.		2078.00.101 - वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	12071.83	150.00	11513.31	708.52	7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आंशिक कार्यान्वयन के कारण
30.		2078.00.104 - सिविलियन के वेतन एवं भत्ते	1363.65	25.00	1345.91	42.74	7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आंशिक कार्यान्वयन के कारण
31.		2078.00.800 - अन्य खर्च	624.64	5.35	568.39	61.60	अर्थव्यवस्था उपायों के प्रवर्तन, आदेश द्वारा कम व्यय और कुछ अधिप्रापण को मूर्तरूप न दिये जाने के कारण।
डाक सेवाएं राजस्व (दत्तमत)							
32.	13 - डाक विभाग	3201.02.101.04 - प्रीमियम उत्पाद सेवाएं	180.12	5.00	167.87	17.25	अनुमान की तुलना में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति/कर्मचारियों का स्थानांतरण अधिक होने के कारण वेतन शीर्ष के अंतर्गत व्यय कम था।
33.		3201.03.101.08 - डाक जीवन बीमा शाखा मंडल कार्यालय	93.21	1.50	78.80	15.91	अनुमान की तुलना में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण के कारण वेतन के अंतर्गत कम व्यय के कारण तथा और प्रोत्साहन बिलों की प्राप्ति न होने के कारण।
34.		3201.06.101.05 - सीजीएचएस योजना के अंतर्गत भुगतान	22.98	1.30	21.26	3.02	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अनुमान की तुलना में बिलों की कम प्राप्ति होने के कारण।

अनुबंध 3.12

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

शेष अव्यतीत संपूर्ण प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचत
सिविल			
अनुदान सं. 1- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग			
1.	2416.00.800.09 - प्रावधान का समायोजन	5203.72	5203.72
2.	2435.01.800.26 - प्रावधान का समायोजन	200.00	200.00
अनुदान सं. 17- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग			
3.	2408.01.101.08 - आंतरिक राज्य आंदोलन, खाद्यान्नों को संभालने और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर बैठक व्यय हेतु बिना विधानसभा के यूटी के लिए केन्द्रीय सहायता	76.00	76.00
4.	3601.01.551.01 - आंतरिक राज्य आंदोलन, खाद्यान्नों को संभालने और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर बैठक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों हेतू केंद्रीय सहायता	2200.00	2200.00
5.	3602.01.551.01 - आंतरिक राज्य आंदोलन, खाद्यान्नों को संभालने और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर बैठक व्यय हेतू बिना विधानसभा के यूटी के लिए केन्द्रीय सहायता	224.00	224.00
6.	6860.04.190.04 - गन्ना विकास के लिए चीनी मिल	75.00	75.00
अनुदान सं. 20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)			
7.	3054.02.797.01 - सीमा सड़क के अंतर्गत कार्य	70.00	70.00
8.	5054.02.797.01 - सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत कार्य	380.00	380.00
अनुदान सं. 29 - आर्थिक कार्य विभाग			
9.	3075.60.101.01 - रेलवे को भुगतान	4300.80	4300.80
10.	3466.00.109.02 - एशियाई विकास कोष में योगदान -12	330.50	330.50
11.	3605.00.101.39 - भारतीय कंपनियों हेतु ब्याज समीकरण समर्थन	500.00	500.00
12.	5466.00.201.01 - पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) का अंशदान	163.98	163.98
13.	7475.00.800.10 - ऋण के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत आईएमएफ को ऋण (एनएबी)	1486.04	1486.04
अनुदान सं. 30 - वित्तीय सेवा विभाग			
14.	2235.60.102.03 - असंगठित क्षेत्र से लोगों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलंबन योजना	209.00	209.00
15.	3465.01.797.01 - सुरक्षा मुक्त निधि	625.00	625.00
अनुदान सं. 31 - विनियोग - ब्याज भुगतान			

शेष अव्यतीत संपूर्ण प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचत
16.	*2049.01.128 - नकद प्रबंधन बिल*	*1000.00*	*1000.00*
17.	*2049.05.101.01 - रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि*	*99.12*	*99.12*
18.	*2049.05.105.01 - रेलवे पेंशन निधि*	*71.50*	*71.50*
19.	*2049.05.105.10 - ऋण सेवा निधि पर ब्याज*	*108.56*	*108.56*
अनुदान सं. 32 - राज्यों को अन्तरण			
20.	3601.03.560.02 - स्वायत्त परिषद को अनुदान, छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्र	1000.00	1000.00
21.	7601.06.200 - अन्य अर्थोपाय अग्रिम	100.00	100.00
अनुदान सं. 33 -विनियोग - कर्जे का पुर्नभुगतान			
22.	*6001.00.124* - भारत मिलेनियम डिपोजिट के संबंध में मूल्य खाता के रखरखाव हेतु आरबीआई को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	*442.85*	*442.85*
23.	*6001.00.127* - नकद प्रबंधन बिल	*100000.00*	*100000.00*
अनुदान सं. 37- राजस्व विभाग			
24.	2047.00.110.01 - जीएसटीएन को अनुदान: एसपीवी	696.69	696.69
25.	4059.60.051.26 - राजस्व भवन का निर्माण	50.00	50.00
अनुदान सं. 42- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
26.	3606.00.237.05 - राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन को मजबूत बनाने के लिए सहायता सामग्री	1869.50	1869.50
27.	3606.00.251.02 - राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री सहायता	137.17	137.17
28.	4210.04.200.27 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)-आरएसएसवाई	50.00	50.00
29.	4210.80.190.05 - एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड	60.00	60.00
अनुदान सं. 48 - पुलिस			
30.	3601.01.117.06 - गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन	135.00	135.00
अनुदान सं. 54 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय			
31.	3601.03.326.01 - असंगठित कार्यकर्ता सामाजिक सुरक्षा कार्ड	64.70	64.70
अनुदान सं. 74 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
32.	5054.01.796.01 - नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (एनएच और राज्य सड़क) के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	400.01	400.01
अनुदान सं. 76 - भूमि संसाधन विभाग			
33.	3601.03.467.09 - डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	81.80	81.80

शेष अव्यतीत संपूर्ण प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचत
अनुदान सं. 80 - पोत परिवहन मंत्रालय			
34.	2852.06.102.21 - गैर-केंद्रीय पीएसयू शिपयार्ड और निजी क्षेत्र शिपयार्ड के लिए सब्सिडी	50.00	50.00
अनुदान सं. 86 - इस्पात मंत्रालय			
35.	*6858.04.190.01* - हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	*110.00*	*110.00*
36.	6858.04.190.01 - हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	200.00	200.00
अनुदान सं. 90 - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			
37.	5052.80.796.01 - जहाजों की खरीद	50.25	50.25
अनुदान सं. 95 -शहरी विकास मंत्रालय			
38.	2217.05.797.02 - राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को स्थानांतरित	2300.00	2300.00
अनुदान सं. 96 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय			
39.	3601.03.786.03 - सीमा प्रबंधन से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियां और निर्माण कार्य	120.28	120.28
अनुदान सं. 97 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय			
40.	3602.03.356.02 - निर्भया योजना	63.91	63.91
		योग	**125305.38**

अनुबंध 3.13

(पैराग्राफ 3.16 के सदंर्भ में)

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 1 - कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग					
1.	2416.00.102.02- किसानों को अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी	15000.00	13397.13	1602.87	वित्त मंत्रालय द्वारा संशाेधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण।
2.	3601.02.436.04 - कृषोन्नति योजना- राज्य योजना	1175.95	909.45	266.50	कम प्रस्तावों की प्राप्ति और राज्य सरकारों के पास पूर्व वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
3.	3601.02.437.02 - कृषोन्नति योजना- राज्य योजना	489.88	299.40	190.48	कम प्रस्तावों की प्राप्ति, राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और राज्य सरकारों के पास पूर्व वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
4.	3601.02.446.04 - कृषोन्नति योजना[- राज्य योजना	5374.00	3888.85	1485.15	कम प्रस्तावों की प्राप्ति और राज्य सरकारों के पास पूर्व वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
5.	3601.02.453.02 - कृषोन्नति योजना- राज्य योजना	300.93	156.45	144.48	
6.	3601.02.460.05 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति ड्रॉप अधिक फसलें (पीएमकेएसवाई)	1745.48	1494.97	250.51	
7.	3601.02.789.63 -कृषोन्नति योजना-राज्य योजना	808.48	555.52	252.96	अपर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और राज्य सरकारों के पास पूर्व वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
अनुदान सं. 2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
8.	2415.01.150.03 - आई.सी.ए.आर. कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड सहित मुख्यालय प्रशासन एवं कृषि बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना और प्रकाशन निदेशालय	545.21	319.21	226.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण।

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 3 -पशुपालन, डेयरी एवं मतस्य पालन विभाग					
9.	2405.00.103.14 - ब्लू क्रांति - एकीकृत मत्स्य पालन विकास और प्रबंधन	226.88	108.19	118.69	रिक्त पदों को न भरे जाने, एनएफडीबी के माध्यम से न करके विभाग द्वारा अंतर्देशीय मत्स्य पालन की कार्यान्वित की जा रही योजना और निधियों को कार्यान्मक शीर्षों और आर्थिक उपायों से पुनर्विनियोग किए जाने के कारण।
अनुदान सं. 4 - परमाणु उर्जा					
10.	4861.60.190.02 - भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	200	25.00	175.00	टुम्मालापल्ले परियोजना के लागत संशोधन के लिए सुरक्षा पर मंत्रीमंडल समिति के अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण।
11.	4861.60.203.44 - तीव्र प्रतिघातक ईंधन चक्र सुविधा (एफआरएफसीएफ)	900.00	465.45	434.55	कार्य आदेशों को जारी करने में विलम्ब परियोजना प्रबंधन परामर्श के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने और मोटर गाड़ी के प्रापण हेतु अनुमोदन की प्राप्ति न किये जाने के कारण।
12.	4861.60.209.19 - पिछला ईंधन चक्र परियोजनाएं	750.00	451.49	298.51	कुछ मुख्य आपूर्ति आदेशों के वितरण में विलंब और वास्तविक प्रगति या कार्य पर आधारित मशीनरी और उपकरण और मुख्य कार्यों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता, परामर्श अनुबंध में वृद्वि और माटरगाड़ी के लिए संस्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण।
अनुदान सं. 7 - ऊर्वरक विभाग					
13.	2401.00.105.26 - पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति	23100.02	18843.42	4256.60	स्वदेशी पीएवंके उर्वरकों के प्रति कम दावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 10 - कोयला मंत्रालय					
14.	4803.00.800.01 - कोयला अधिकार क्षेत्रों का अधिग्रहण	1100.00	799.92	300.08	स्वामित्व अधिकारों/भूमि टाइटल की गैर-उपलब्धता और कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 12 - औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग					
15.	2852.80.800.40 - मेक इन इंडिया	324.35	170.50	153.85	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कम प्रस्तावों की प्राप्ति, परिकल्पित गतिविधियों का भौतिककीकरण न होना और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी करने के कारण।
16.	2885.03.102.01 - दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट	1399.99	499.86	900.13	वित्त मंत्रालय द्वारा कम प्रस्तावों की प्राप्ति और संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण।
अनुदान सं. 14 - दूरसंचार विभाग					
17.	2071.01.102.01 -साधारण पेंशन	1095.00	804.18	290.82	कम दावों की प्राप्ति के कारण।
18.	2071.01.104.01 -साधारण पेंशन	1600.00	1328.81	271.19	
अनुदान सं. 17 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग					
19.	2408.01.102.02 - अनाज के लेनदेन में भारत और अन्य खाद्य निगम को देय सब्सिडी	103584.61	78334.61	25250.00	भारतीय खाद्य निगम को भुगतान योग्य आर्थिक सहायता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण।
20.	2408.01.102.14 - गन्ना की ऑफसेट लागत के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी एवं किसानों के गन्ना मूल्य की देय राशि का समय पर भुगतान की सुविधा	950.01	521.71	428.30	संपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने और योजना की वापसी के कारण।
21.	2408.01.797.01 - चीनी विकास कोष में स्थानांतरण	2000.00	1122.00	878.00	चीनी विकास निधि से वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कम मांग के कारण।
22.	2408.01.800.12 - चीनी उपक्रम को वित्तीय सहायता, प्रदान करने की योजना, 2014	800.00	616.52	183.48	कम मांग की प्राप्ति के कारण
23.	6408.01.190.02 - एफसीआई को देय अर्थोपाय अग्रिम	50000.00	23000.00	27000.00	अन्य चैनलों के माध्यम से दिए गए ऋणों के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)					

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
24.	2076.00.112.01 -सिविल	6232.88	5537.49	695.39	वेतन एवं भत्ते, राशन, एफओएल, कोयला एवं जलाऊ लकड़ी के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
25.	4076.04.052.01 - आयुध (कारखानों के आयुध उपकरण समूह सहित)	490.00	368.62	121.38	मशीनरी और उपकरण मदों के कम प्रापण और संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण।
26.	4076.05.111.01 - भूमि निर्माण आदि पर व्यय.	720.15	571.79	148.36	अधिक बिलों की प्राप्ति और संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान कमी के कारण।
अनुदान सं. 27 - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
27.	3435.03.102.05 - पर्यावरण संरक्षण और निगरानी	400.75	280.90	119.85	रिक्त पदों को भरे जाने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय विवरणी की प्राप्ति न करने, राज्य सरकारों द्वारा खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के कमियों के प्रशिक्षण के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 28 - विदेश मंत्रालय					
28.	2061.00.798.07 -नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	200.00	80.23	119.77	निविदा प्रक्रिया को पूरा न किए जाने के कारण।
29.	3605.00.101.10 - भूटान को सहायता	2814.50	2159.90	654.60	सही बैंक की निरंतर स्लाइडिंग के कारण परियोजनाओं में विलंब और पुनातसंगधु-1 पनबिजली परियोजना (एचईपी) के अंतर्गत साइट पर सशक्तीकरण उपायों और भूटान में एचईपी के संशोधित लागत अनुमानों को आंतिम रूप देने में विलंब के कारण।
30.	3605.00.101.12 -श्री लंका - अन्य सहायता कार्यक्रम	230.00	99.16	130.84	चल रही परियोजनाओं के वित्तीय और भौतिक प्रगति के अनुसार व्यय करने के आकलन के कारण।
31.	3605.00.101.14 - म्यांमार को सहायता	400.00	123.62	276.38	चल रही परियोजनाओं के वित्तीय और भौतिक प्रगति के अनुसार व्यय करने के आकलन और कालादान परियोजना हेतु निविदात्मक प्रक्रिया में विलंब के कारण।
32.	3605.00.101.33 - अफगानिस्तान को सहायता	520.00	263.02	256.98	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण।

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
33.	7605.00.097.01 - भूटान में चालू जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	2675.50	1281.57	1393.93	भौगोलिक कठिनाइयों एवं संबंधित विकास के कारण भुटान में एचईपी में धीमी प्रगति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण।
अनुदान सं. 29 - आर्थिक कार्य विभाग					
34.	2250.00.797.01 -वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष को स्थानांतरित	5889.16	389.16	5500.00	वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
35.	3465.01.797.02 - राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) के लिए स्थानांतरण	4000.00	15.00	3985.00	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि की गतिविधियों में कमी के कारण।
36.	5475.00.115.01 - बुनियादी ढांचा विकास हेतू सहायता - व्यवहार्यता अंतर निधियां	250.00	132.26	117.74	कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 30 - वित्तीय सेवा विभाग					
37.	2235.60.102.05 -अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	200.00	36.00	164.00	पूर्व वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण।
38.	2235.60.110.05 - आम आदमी बीमा योजना में सरकार का योगदान	450.00	100.00	350.00	कार्यान्वयन अभिकरण से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
39.	4416.00.190.03 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुन: पूंजीकरण के लिए सरकारी शेयर का योगदान	140.00	5.50	134.50	राजस्थान मरूधारा ग्रामीण बैंक हेतु सरकारी योगदान के प्रति कम निधियों की आवश्यकता और ओडिशा ग्राम्य बैंक के प्रायोजित बैंक के शेयर का निर्गम न किया जाना।
40.	5465.01.190.42 - लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) के माध्यम से कंपनियां शुरू करने के लिए भारत आकांक्षा निधि (आईएएफ) हेतु शेयर पूंजी	600.00	100.00	500.00	कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी (एनसीजीटीसी) के पास पूर्व वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण।
41.	5465.01.797.01 -राष्ट्रीय निवेश कोष	4625.00	94.98	4530.02	अनुमानित से विनिवेश प्राप्तियों को जारी करने में कमी और परिणामस्वरूप राष्ट्रीय निवेश कोष को कम अंतरण होने के कारण।

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 31 -विनियोग - ब्याज भुगतान					
42.	*2048.00.200.13* - सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद पर प्रीमियम का भुगतान	*1000.00*	*593.42*	*406.58*	स्विचिंग और वापस खरीदने के संचालन में कम प्रीमियम का भुगतान किए जाने के कारण।
43.	*2049.01.103.01* - 91 दिवसीय खजाना बिल पर छूट	*13863.95*	*10512.45*	*3351.50*	ब्याज दरों के घटने और निर्गमनों की कम मात्रा के कारण।
44.	*2049.01.108* -182 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज	*6305.25*	*5470.95*	*834.30*	
45.	*2049.01.110 - 364* दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज	*11544.70*	*8726.31*	*2818.39*	
46.	*2049.01.115 - भारतीय* रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	*500.00*	*111.99*	*388.01*	अर्थोपाय अग्रिमों का कम उपयोग और अधिशेष निधियों की उपलब्धता के ओवरड्राफ्ट के कारण।
47.	*2049.01.200.03* - प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	*1659.95*	*1475.60*	*184.35*	दावों को कम पसंद करना और निवेशकों द्वारा आहरण के कारण।
48.	*2049.03.104.02* - अन्य राज्य भविष्य निधि	*2957.19*	*2554.99*	*402.20*	अंशदान में वृद्धि के प्रति कम निधियों की आवश्यकता और ब्याज दर में कमी के साथ कम अंशदान के कारण।
अनुदान सं. 32 - राज्यों को अन्तरण					
49.	3601.01.104.21 - राज्य आपदा राहत निधि के लिए अनुदान सहायता	10470.00	8374.95	2095.05	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को पूरा न करना एवं वस्तु एवं सेवाकर का कार्यान्वयन न होने के कारण।
50.	3601.01.104.22- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	48868.36	45868.35	3000.01	उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न होने तथा विधिवत कप से गठित निकायों का अस्तित्व न होने के कारण।
अनुदान सं. 33 - विनियोग - कर्जे का पुर्नभुगतान					
51.	*6001.00.105.02 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष*	*500.00*	*14.00*	*486.00*	अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि से प्रतिभूतियों के डिस्चार्ज हेतु कम मांग के कारण।
52.	*6001.00.114 - भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम*	*500000.00*	*163489.00*	*336511.00*	अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के कम उपयोग के कारण।
अनुदान सं. 42 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
53.	2210.05.105.41 - एम्स जैसे सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन	1330.00	1173.73	156.27	नए एम्स अस्पतालों के साइटों के लिए भूमि के प्रापण में विलंब और निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
54.	2210.06.001.09 - संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल	1423.92	1219.63	204.29	रिक्त पदों को न भरे-जाने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति, मीडिया अभियानों को अनुमोदित किए जाने, मलेरिया, कालाजार एवं टीबी दवाईयों का प्रापण न किए जाने के कारण।
55.	2210.06.800.51 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)	270.00	30.73	239.27	रूपरेखा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अनुमोदन न किए जाने के कारण।
56.	3601.02.246.02 - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लैक्सी पूल	553.04	355.30	197.74	राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में निर्धारित दिनों की कम संख्या के कारण प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
57.	3601.02.263.14 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) - आरएसएसवाई	460.10	315.81	144.29	रूपरेखा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अनुमोदन न किए जाने के कारण।
58.	3601.02.789.35 - सार्वजनिक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण	682.85	387.58	295.27	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अनुमोदन किए जाने के कारण रूपरेखा को आंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
59.	3601.02.796.35 - सार्वजनिक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण	370.77	259.63	111.14	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर मंत्रीमण्डल के गैर -अनुमोदन के कारण रूपरेखा को अंतिम रूप न दिए जाने और कम प्रस्तावों की प्राप्ति और राज्यों की अवशोषण क्षमता के कारण।
60.	4210.03.105.12 - एम्स जैसे सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन	1060.00	779.42	280.58	कार्य की कम प्रगति, वाहनों की कम संख्या का प्रापण, राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों के अपग्रेड के पीएमएसएसवाई के चरण I, II, और III के प्रापण के कारण।
अनुदान सं. 44 - भारी उद्योग विभाग					
61.	6854.60.800.01 - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन	439.93	298.42	141.51	हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड से संबंधित ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण।
62.	6858.60.190.07 - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और पृथक्करण योजना (वीआरएस/वीएसएस) और वैधानिक बकाया राशि का कार्यान्वयन	1150.70	890.62	260.08	हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड से संबंधित ऋण को इक्विटी में बदलने और पुनरूद्वार योजना/स्वैच्छिक योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को निधियों के पुनर्विनियोग और वैधानिक देय राशियों के कारण।

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 46 - गृह मंत्रालय					
63.	2235.01.112.04 - पीएसी द्वारा अधिकृत कश्मीर और चाम्बा नीबात क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति	300.01	9.34	290.67	डीबीटी मोड के लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया को पूरा न किए जाने के कारण।
64.	3601.01.347.01 - पुनर्वास अनुदान	340.02	140.00	200.02	पूर्व निर्गम के उपयोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण।
अनुदान सं. 48 - पुलिस					
65.	2055.00.797.01 - निर्भया निधि को स्थानांतरित	307.60	207.60	100.00	वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार निर्भया निधि को कम अंतरण के कारण।
66.	4055.00.214.02 - भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य	310.00	111.61	198.39	निष्पादन अभिकरणों द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण।
67.	4055.00.215.03 - तटीय सुरक्षा हेतू राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए सहायता	720.00	24.71	695.29	तटीय सुरक्षा के लिए नावों के प्रापण हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन न होने के कारण।
अनुदान सं. 54 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
68.	2230.02.101.03 - रोजगार कार्यालय	712.78	187.88	524.90	योजना को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण।
69.	2230.02.789.02 - रोजगार कार्यालय	175.10	41.22	133.88	
अनुदान सं. 56 - कानून एवं न्याय					
70.	2015.00.800.01 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर व्यय	1700.00	425.35	1274.65	मतदाता सत्यापन कागज लेखापरीक्षा परीक्षण क्रय के लिए प्रस्तावों को मूर्तरूप न देने और इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के क्रय हेतु बिलों की प्राप्ति न होने के कारण।
अनुदान सं. 58 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय					
71.	2851.00.102.96 - प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1128.44	322.12	806.32	स्थानीय अवसंरचना के क्रय विकास के कारण कम प्रस्तावों की प्राप्ति और कार्यान्वयन अभिकरण से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।
अनुदान सं. 59 - खान मंत्रालय					

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
72.	4853.01.800.06 - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	152.30	36.11	116.19	भू-तकनीकी जहाज के प्रापण हेतु अनुबंधों को अंतिम रूप न दिए जाने और ग्रेवीओमीटर, जीओ लागर्स के प्रापण के प्रति बिलों के बिलम्बित प्रस्तुतीकरण और पुराने ग्रेवीटोमीटरों और अन्य मशीनों के मरम्मत कार्य की कम आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 60 - अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय					
73.	2225.04.277.03 - अल्पसंख्यकों हेतु पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति	880.47	584.90	295.57	कम स्टाफ के कार्य में लगाने और प्रशासनिक कारणों के कारण कुछ प्रस्तावों को मूर्तरूप न देने के कारण।
74.	2225.04.277.04 - अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति	514.99	287.10	227.89	
अनुदान सं. 61 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
75.	2810.00.101.01 - ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय पावर	3180.01	2824.23	355.78	पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्धारित शर्तों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी के कारण।
76.	2810.00.104.04 - अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	441.60	226.84	214.76	परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति और राज्य नोडल अभिकरणों द्वारा समापन रिपोर्टों/उपयोग प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण न किए जाने के कारण।
77.	2810.00.797.01 - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में स्थानांतरित	4947.00	3836.01	1110.99	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा कुछ योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण आरक्षित निधि को कम अंतरण।
अनुदान सं. 66 - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
78.	2802.80.102.08 -एलपीजी के लिए डीबीटीएल	17020.04	13000.00	4020.04	बिक्री की मात्रा का संकुचन तथा अधिक उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी पर आर्थिक सहायता छोड़ने के कारण।
अनुदान सं. 68 - विद्युत मंत्रालय					
79.	2801.01.800.01 - पकल दुल प्रोजेक्ट-जेकेएसपीडीसीएल	409.12	200.00	209.12	रोकड़ प्रबंधन आवश्यकताओं के अनुपालन के कारण।
80.	2801.05.105.03 - एकीकृत ऊर्जा विकास योजना के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन	2492.88	2079.76	413.12	

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
81.	2801.05.105.04 - पीएमडीपी 2015 जम्मू और कश्मीर पैकेज (केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से)	425.00	304.70	120.30	
82.	2801.05.797.01 - विद्युत प्रणाली विकास निधि के लिए स्थानांतरण (पीएसडीएफ)	1900.00	564.15	1335.85	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण।
83.	2801.05.800.04 - विद्युत प्रणाली के विकास के लिए योजना पीएसडीएफ से पूरा किए जाने वाले	400.00	219.31	180.69	परियोजना अस्तित्वों द्वारा संविदा के सौपने तथा प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण।
84.	2801.05.800.07 - पीएसडीएफ से मिलने वाली गैस आधारित उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए योजना	1500.00	344.84	1155.16	अंतराष्ट्रीय बाजार में गैस के मूल्यों में कटौती के कारण।
85.	4801.02.190.02 - राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम लिमिटेड	232.50	45.66	186.84	क्षतिपूर्ति तथा पुर्नावास लाभों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
86.	4801.05.800.01 - ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में निवेश	894.92	598.77	296.15	निधियों के अनवधान प्रावधान के कारण।
87.	6801.00.190.09 - विद्युत वित्त निगम - एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए	1997.95	1443.75	554.20	विभिन्न चालू परियोजनाओं द्वारा निधियों के धीरे समावेश के कारण।
88.	6801.00.789.03 - विद्युत वित्त निगम - एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए	386.24	136.89	249.35	
अनुदान सं. 74 -सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
89.	3054.01.337.01 - सड़क स्कंध द्वारा रखरखाव	4875.40	2690.43	2184.97	निधियन प्रतिमानों में परिवर्तन का राज्य महालेखाकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
90.	3054.04.337.09 - अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के सड़क के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	1233.00	746.34	486.66	चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति, नई सड़कों हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा बिलों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर सीआरपीएफ उपकर की कटौती के कारण।
91.	3054.80.797.01 - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि में अंतरण	7544.07	44.04	7500.03	वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राजस्व से पूंजीगत भाग में प्रावधान के पुन:

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
92.	3054.80.797.02 - केंद्रीय सड़क निधि में अंतरण के लिए ब्लॉक अनुदान	29847.00	10104.40	19742.60	वर्गीकरण के कारण।
93.	3601.02.105.01 -राज्य सड़क के लिए अनुदान	10833.00	5025.63	5807.37	चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति, राज्य सरकार द्वारा नई सड़कों के निर्माण के प्रति कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा उपयोग प्रमाण पत्रों की गैर-प्राप्ति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर सीआरएफ उपकर की कटौती के कारण।
94.	5054.01.190.01 - भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	19653.00	14910.46	4742.54	केन्द्रीय सड़क निधि के संशोधित, संवितरण प्रणाली के संशोधन, राज्य लोक निर्माण कार्य विभाग को कुछ परियोजनाओं का अंतरण, निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों से समय पर बिलों की गैर -प्राप्ति के कारण सीआरएफ एक उपकर की कटौती के कारण।
95.	5054.01.337.04 - अन्य राजमार्ग संबंधित योजनाएं - केंद्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित	1611.00	368.57	1242.43	निधियन प्रतिमान में परिवर्तन तथा नक्सल क्षेत्रों में चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति तथा बिलों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
96.	5054.80.797.01 - केंद्रीय सड़क निधि में अंतरण	33137.34	28104.60	5032.74	निधीयन प्रतिमानों में परिर्वतन तथा वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राजस्व भाग से पूंजीगत भाग में प्रावधान के पुन: वर्गीकरण के कारण।
अनुदान सं. 75 - ग्रामीण विकास विभाग					
97.	2216.03.105.08 - इंदिरा आवास योजना- कार्यक्रम घटक	124.40	17.32	107.08	कार्यान्वयन अभिकरणों तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
98.	2501.06.102.01 - आजीविका - कार्यक्रम घटक	868.01	723.61	144.40	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
99.	2505.02.101.09 - क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता	400.00	140.37	259.63	मोबाईल मानीटरिंग हेतु कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
100.	2505.02.101.13 - वेतन संवितरण के लिए सेवा शुल्क	450.00	158.09	291.91	डाक विभाग से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
101.	2515.00.800.26 - बीपीएल सर्वेक्षण	337.50	6.09	331.41	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों प्राप्ति तथा पिछले वर्ष की लंबित देयताओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
102.	3601.02.420.02 - ईएपी घटक	5000.00	4262.29	737.71	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 81 - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय					
103.	2230.03.102.15 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	1438.23	1066.10	372.13	योजना की स्वीकृति तथा प्रारम्भ में विलम्ब, मापदण्डों को अंतिम रूप न देने तथा व्यवसायिकों की भर्ती न करने के कारण।
104.	2230.03.789.08 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	304.16	153.35	150.81	केन्द्रों की स्थापना हेतु मापदण्डों को अंतिम रूप न देने के कारण योजना को प्रारम्भ न करने के कारण।
अनुदान सं. 85 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
105.	2553.00.101.01 - सहायता अनुदान	3950.00	3499.50	450.50	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा, मणिपुर तथा पंजाब में चुनावों के कारण आदर्श आधार संहिता लागू करने तथा जिला प्राधिकरणों द्वारा समय पर उपयोग/लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण।
अनुदान सं. 88 - पर्यटन मंत्रालय					
106.	3452.80.104.01 - प्रत्यक्ष व्यय	398.00	271.09	126.91	वैश्विक तथा घरेलू प्रचारक आयोजनों तथा अभियानों में अपर्याप्त भागीदारी तथा कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 90 - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह					
107.	5052.80.201.01 - जहाजों की खरीद	141.34	20.78	120.56	जहाज निर्माण संविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा शिप टिक्टिंग एडवांस रिजर्वेशन सिस्टम के सुधार हेतु केन्द्रीय रेल सूचना प्रणाली के साथ अनुबंध को अंतिम रूप न दिए जाने तथा पैक्स वैसल की संविदा सौंपने में विलम्ब के कारण।

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 93 - दमन एवं द्वीप					
108.	2801.05.103.01 - संचालन और अनुरक्षण	909.00	712.23	196.77	हाई टेंशन उपभोक्ताओं को खुली पहुँच विद्युत क्रय प्रणाली बदलने, विद्युत की कम लागत तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित स्तर पर की गई कटौती के कारण।
अनुदान सं. 94 - लक्षद्वीप					
109.	3052.01.103.01 - भारतीय पोत परिवहन निगम	400.00	200.00	200.00	जहाजों को चलाने तथा अनुरक्षण के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
110.	4216.01.106.03 -शहरी विकास-निर्माण	630.00	499.63	130.37	चालू निर्माण कार्यों की धीमी गति,उपभोक्ता विभागों से प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति की गैर -प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
111.	4217.60.190.14 - एमआरटीएस एवं मेट्रो परियोजनाएं	1862.04	1433.20	428.84	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति तथा सरकार से मैट्रो रेल परियोजनाओं हेतु स्वीकृति की गैर-प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 96 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय					
112.	2810.00.797.01 - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरण	2500.00	1675.00	825.00	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को कम अंतरण के कारण।
113.	3435.04.101.08 - राष्ट्रीय गंगा योजना	2150.00	1440.50	709.50	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांगों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 97 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
114.	2235.02.102.42-अम्ब्रेला आईसीडीएस	379.58	131.75	247.83	राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु -गृह योजना की पुनर्सरचना,संशोधित राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना हेतु सहमत प्राधिकारी की गैर-स्वीकृति तथा कम बैठकों/कार्यशालाओं के आयोजन के कारण।
115.	2235.02.103.72 -निर्भया योजना	286.27	41.09	245.18	महिला हैल्पलाईन तथा वन स्टैप सेंटर योजना की पुनर्सरचना, निर्भया योजना पर मंत्रालयों को अनुपूरक के आबंटन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदेशों को जारी न किए जाने के कारण, इसके अप्रयुक्त रहने के कारण।

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मत्रांलय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
रक्षा सेवाएं **अनुदान सं. 22 -रक्षा सेवाएं (राजस्व)**					
116.	2076.00.103 - वेतन एवं भत्ते और सहायक बलों के विविध व्यय	1840.46	1255.05	585.41	7 वीं केंद्रीय वेतन आयोग के गैर-कार्यान्वयन के कारण
117.	2076.00.105 -परिवहन	4054.25	3428.02	626.23	ई-टिकट के लिए रेलवे द्वारा प्रभारित प्रभारों की कमी के कारण
118.	2077.00.104 -सिविलियन के वेतन एवं भत्ते	2512.87	2173.45	339.42	7 वीं केंद्रीय वेतन आयोग के आंशिक कार्यान्वयन के कारण
119.	2078.00.105 -परिवहन	1047.42	762.75	284.67	आर्थिक और मितव्ययिता उपायों के सख्त कार्यान्वयन के साथ-साथ 7 वीं केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी और ई-टिकटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन
अनुदान सं. 23 - रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय					
120.	4076.01.102 - भारी और मध्यम वाहन	3411.72	2359.86	1051.86	प्रमुख पूंजीगत खरीद और पूंजीगत बुकिंग में राजस्व प्रापण दोनों नई योजनाओं में प्रस्तावों के अनुमोदन नही होने के कारण।
121.	4076.02.101 - एयरक्राफ्ट एवं एयरो-इंजन	3805.00	2974.06	830.94	तकनीकी आधार पर मिग 29 के स्वीकृति में कमी और देरी के कारण।
122.	4076.02.104 - संयुक्त कर्मचारी	958.59	799.60	158.99	अतिरिक्त महानिदेशालय सिग्नल इंटेलिजेंस के संबंध में कमान के स्ट्रैटेजिक फोर्स और सिग्नल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट की सामरिक परियोजनाओं की धीमी प्रगति के चलते
123.	4076.02.204 -नौसेना का बेड़ा	12467.00	9877.71	2589.29	वितरण कार्यक्रम और प्रमुख जहाज निर्माण अनुबंधों के अनुबंध माइलस्टोन्स में गिरावट के कारण।
124.	4076.03. 103 -अन्य उपकरण	9595.22	8612.38	982.84	प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए कम आबंटन के कारण और एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एवं ई-रखरखाव प्रबंधन प्रणाली योजनाओं के आधुनिकीकरण के अंतर्गत वितरण अवधि के लिए अनुबंध में संशोधन के कारण और नई जेनरेशन बंद कॉम्बैट मिसाइलों के साथ-साथ मिराज -2000 के उन्नयन विमान के अंतर्गत एयर टू एयर मिसाइल के विलंब के कारण।

अनुबंध 3.14

(पैराग्राफ 3.17 के संदर्भ में)

उप-शीर्षों के अंतर्गत सतत बचत दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)			
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग						
1.	2415.01.150.03 - कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति बोर्ड सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन एवं कृषि में सूचना और प्रकाशन का निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन	2014-15	530.30	284.11	246.19	46
		2015-16	452.27	285.65	166.62	37
		2016-17	545.21	319.21	226.00	41
दूरसंचार विभाग						
2.	2071.01.102.01-साधारण पेंशन	2014-15	989.11	792.45	196.66	20
		2015-16	911.32	781.40	129.92	14
		2016-17	1095.00	804.18	290.82	27
विदेश मंत्रालय						
3.	3605.00.101.14- म्यांमार को सहायता	2014-15	330.00	104.34	225.66	68
		2015-16	270.00	117.07	152.93	57
		2016-17	400.00	123.62	276.38	69
आर्थिक कार्य विभाग						
4.	7475.00.800.10 - ऋण के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	2014-15	2972.08	2427.59	544.59	18
		2015-16	1486.04	692.60	793.44	53
		2016-17	1486.04	--	1486.04	100
वित्तीय सेवा विभाग						
5.	5465.01.797.01 - राष्ट्रीय निवेश कोष	2014-15	11200.00	1253.30	9946.70	89
		2015-16	7940.00	--	7940.00	100
		2016-17	4625.00	94.98	4530.02	98
विनियोग - ब्याज भुगतान						
6.	*2048.00.200.13 - सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद पर प्रीमियम का भुगतान*	*2014-15*	*1000.00*	*--*	*1000.00*	*100*
		2015-16	*1000.00*	*38.22*	*961.78*	*96*
		2016-17	*1000.00*	*593.42*	*406.58*	*41*
7.	*2049.01.115 - भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज*	*2014-15*	*800.00*	*433.57*	*366.43*	*46*
		2015-16	*500.00*	*74.28*	*425.72*	*85*
		2016-17	*500.00*	*111.99*	*388.01*	*78*
8.	*2049.01.128 - नकद प्रबंधन बिल*	*2014-15*	*1500.00*	*93.57*	*1406.43*	*94*
		2015-16	*1000.00*	*--*	*1000.00*	*100*
		2016-17	*1000.00*	*--*	*1000.00*	*100*

विनियोग - कर्जे का पुर्नभुगतान						
9.	*6001.00.114 - भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज*	*2014-15*	*500000.00*	*316116.00*	*183884.00*	*37*
		2015-16	*500000.00*	*83843.00*	*416157.00*	*83*
		2016-17	*500000.00*	*163489.00*	*336511.00*	*67*
10.	*6001.00.127 - नकद प्रबंधन बिल*	*2014-15*	*100000.00*	*10000.00*	*90000.00*	*90*
		2015-16	*100000.00*	--	*100000.00*	*100*
		2016-17	*100000.00*	--	*100000.00*	*100*
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
11.	2210.06.001.09 - संक्रामक रोगों के लिए फ्लैक्सी पूल	2014-15	1661.49	1128.47	533.02	32
		2015-16	1167.51	972.65	194.86	17
		2016-17	1423.92	1219.63	204.29	14
विद्युत मंत्रालय						
12.	4801.02.190.02 - भारत के राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम	2014-15	915.00	73.74	841.26	92
		2015-16	993.00	76.83	916.17	92
		2016-17	232.50	45.66	186.84	80
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
13.	3601.02.105.01 - राज्य सड़क के लिए अनुदान	2014-15	2607.06	2064.75	542.31	21
		2015-16	2868.00	2363.87	504.13	18
		2016-17	10833.00	5025.63	5807.37	54
पर्यटन मंत्रालय						
14.	3452.80.104.01 - प्रत्यक्ष व्यय	2014-15	446.20	279.79	166.41	37
		2015-16	457.20	296.68	160.52	35
		2016-17	398.00	271.09	126.91	32
शहरी विकास मंत्रालय						
15.	4216.01.106.03 - शहरी विकास निर्माण कार्य	2014-15	609.00	499.89	109.11	18
		2015-16	720.01	534.66	185.35	26
		2016-17	630.00	499.63	130.37	21

अनुबंध 4.1

(पैराग्राफ 4.4.1 एवं 4.5.2 के संदर्भ में)

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 में समाहित विषय शीर्ष तथा उनका विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
विषय वर्ग 1 (कार्मिक सेवा एवं लाभ)	
01- वेतन	इसमें यात्रा खर्चों (अवकाश यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथा अवकाश नकदीकरण सहित कार्मिकों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण व्यय भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के सत्कार भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
02- मजदूरी	इसमें वर्तमान में आकस्मिकता से देय कर्मियों एवं श्रमिकों की मजदूरी शामिल होगी।
03- समयोपरि भत्ता	राशि का भुगतान अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उनके कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्यालयी समय के बाद कार्यालयी कार्य संपन्न करने हेतु किया जाएगा।
04- पेंशन संबंधी प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के पेंशन के भुगतान एवं सभी प्रकार की ग्रेच्युटी के अलावा सर्विस निधि अनुदान एवं अंशदायी भविष्य निधि शामिल होगा। तथापि, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि शामिल नहीं होगा।
05- पारितोषिक	इसमें सरकारी कर्मचारियों को केवल मंत्रालय/विभाग में परिचालित होनेवाली योजनानुसार प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
06- चिकित्सकीय उपचार	इसमें सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
विषय वर्ग 2 (प्रशासनिक व्यय)	
11- घरेलू यात्रा व्यय	इसमें परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित भारत में की गई ड्यूटी के लिए यात्रा के प्रति किया गया सभी प्रकार का खर्च, परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित शामिल होगा लेकिन छुट्टी यात्रा रियायत को छोड़कर जो कि वेतन का भाग होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों को भारत में यात्रा के प्रति टीए/डीए भी शामिल होगें।
12- विदेशी यात्रा व्यय	इसमें वैज्ञानिकों की विदेशी प्रतिनियुक्ति सहित; भारत से बाहर की ड्यूटी यात्रा दौरे, पर किए जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत से बाहर किए जाने दौरों पर टीए/डीए पर व्यय भी शामिल होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
13- कार्यालयी व्यय	इसमें कार्यालय संचालन के लिए किए जाने वाले वाली सभी आकस्मिक खर्चे शामिल होंगे जैसे कि फर्नीचर, डाक, कार्यालयी मशीनों एवं उपकरणों का अनुरक्षण एवं खरीद, वर्दियां सर्द और गर्म मौसम प्रभारें (आकस्मिक निधि से कर्मचारियों को किए भुगतान को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत और जल प्रभारें, लेखन-सामग्री, फार्मों की छपाई, कार्यालयी उद्देश्य के लिए स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों जैसे - एम्बुलेंस, वैन इत्यादि की खरीद एवं अनुरक्षण। इसमें कार्यालयी उपयोग के लिए गाड़ियों पर किए जाने वाला पीओएल व्यय भी शामिल होगा।
14- किराया, दरें एवं कर	इसमें किराए पर लिए गए भवनों के किराये, निगम दरें एवं करों आदि का भुगतान शामिल होगा। इसमें भूमि का पट्टा प्रभार भी शामिल होगा।
15- रॉयल्टी	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
16- प्रकाशन	इसमें कार्यालयी कोड, मैनुअलों एवं अन्य दस्तावेजों के छपाई पर हुए व्यय शामिल होंगे चाहे वे मूल्यांकित हो या अमूल्यांकित, लेकिन प्रचार सामग्री की छपाई पर व्यय शामिल नहीं होगा। इसमें प्रकाशन की बिक्री पर एजेंटों को दिए जाने वाली छूट भी शामिल होंगी।
20- अन्य प्रशासनिक खर्चे	इसमें विभागीय कैंटीन, आवभगत/मनोरंजन खर्चे, उपहार तथा किए गए दौरों पर व्यय, सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 3 (संविदात्मक सर्विसिंग एवं आपूर्तियॉं)	
21- आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
22- आयुध और गोला बारूद	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं को आयुध और गोला बारूद पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
23- राशन की लागत	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं के राशन पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
24- पीओएल	इसमें पुलिस एवं अन्य अर्द्ध सैनिक वाहनों के पीओएल पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परिवहन वाहनों के पीओएल पर किए जाने वाले व्यय शामिल होगा, लेकिन उनको छोड़कर जो कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
25- कपड़ा और तंबू	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक के कपड़े और तंबू पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
26- विज्ञापन एवं प्रचार	इसमें प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं बिक्री के लिए एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन शामिल होगा। इसमें मेलों व प्रदर्शनियों पर व्यय भी शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माण कार्यों, मशीनरी तथा उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय दर्ज होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
28- व्यवसायिक सेवाएं	इसमें कानूनी सेवाओं की प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को पारिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को पारिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें दी गई सेवाओं, अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होंगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय, खर्चे के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
30- अन्य संविदात्मक सेवाएं	इसमें सेवा या प्रतिबद्धता प्रभारों तथा प्राप्त उपहारों के सैद्धांतिक मूल्य आदि पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 4 (अनुदान, इत्यादि)	
31- सहायता अनुदान-सामान्य	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा।
33- आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
34-छात्रवृत्ति/वृत्तिका	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
36- सहायता अनुदान-वेतन	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
विषय वर्ग 5 (अन्य व्यय)	
41- गुप्त सेवा व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
42- एकमुश्त प्रावधान	इसमें योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों जहॉं प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हो, के संबंध में व्यय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों में, व्यय के अन्य विषयों का अलग-अलग ब्यौरा भी दिया जाएगा।
43- उचंत	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नही है।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण/अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सर्विस व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45- ब्याज	इसमें पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर छूट शामिल होंगी।
46- केन्द्र राज्य संसाधनों का अंतरण	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नही है।

विषय शीर्ष	विवरण
50- अन्य प्रभार	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य छूटें, उत्पाद शुल्क क्षतिपूर्ति, इनाम तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे।
विषय वर्ग 6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय)	
51- मोटर परिवहन	कार्यालय को चलाने के लिए प्रयोग में आने वाले वाहनों से अलग कार्यात्मक गतिविधियों (जैसे-एम्बुलेंस वैन) के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों का खरीद एवं अनुरक्षण शामिल।
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे।
53- मुख्य निर्माण कार्य	इसमें भूमि के अधिग्रहण ढाचों की लागत भी शामिल होगी।
54- निवेश	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
55- ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे।
56- उधारों का पुनर्भुगतान	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
60- अन्य पूंजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
विषय वर्ग 7 (लेखा समायोजन)	
61- मूल्यह्रास	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
62- आरक्षित	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
63- अंत: खाता अंतरण	इसमें आरक्षित निधि से तथा अंतरण इत्यादि को, पूंजी से राजस्व को वापस लिखना शामिल होगा।
64- बट्टे खाते/हानियां	इसमें बट्टे खाते में डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानियां, व्यापारिक हानियां शामिल होंगी।
70- वसूलियां कटौती	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

अनुबंध 4.2

(पैराग्राफ 4.14.2 के संदर्भ में)

योजनागत निधि का गैर-योजनागत व्यय के लिए विपथन

क्र. सं.	वाउ. सं.	तिथि	राशि (₹ वास्तविक में)	विवरण	के अंतर्गत वर्गीकृत	के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था	टिप्पणी
1	वी1022	26-08-2016	47250.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय को लेखन-सामग्री की आपूर्ति
2	वी1032	26-08-2016	6210.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	नेम प्लेट, रबर स्टाम्प, विजिटिंग कार्ड के लिए भुगतान
3	वी1041	26-08-2016	88375.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में प्रतिष्ठापित विंडो, स्पिलिट, टावर एसी के एएमसी के लिए भुगतान
4	वी105	25-04-2016	161913.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090549913	एचपी डेस्कटॉप कम्प्यूटर की खरीद
5	वी1088	01-09-2016	7500.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090549913	संयुक्त सचिव (एमडीडब्ल्यूएस) के आवास में प्रिंटर की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन
6	वी1100	05-09-2016	13016.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय यूएस (एसबीएम-I एवं II) को नये पर्दे की आपूर्ति हेतु भुगतान
7	वी1108	06-09-2016	4725.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय सचिव सम्मेलन कक्ष के लिए पैनासोनिक कोर्डलेस फोन की आपूर्ति हेतु भुगतान
8	वी1110	06-09-2016	51882.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में विद्युत सामग्री की आपूर्ति एवं मरम्मत हेतु भुगतान
9	वी1111	06-09-2016	654549.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	अनुचरों/सलाहकारों (सेवानिवृत्त व्यक्तियों) को पारिश्रमिक एवं परिवहन हेतु भुगतान
10	वी1134	08-09-2016	41478.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	सामा. अनुभाग, डब्ल्यू-1, एसबीएम-II, संसद अनुभाग तथा अन्य अनुभागों में प्रतिष्ठापित फोटोकॉपी मशीन हेतु भुगतान
11	वी1147	08-09-2016	20423.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एमडीडब्ल्यूएस में विद्युत सामग्री की आपूर्ति एवं मरम्मत हेतु भुगतान

12	वी1164	09-09-2016	5000.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	श्री निरंजन चौधरी, डीएस (एसबीएम) को ब्रीफकेश/बैग की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति
13	वी1165	09-09-2016	285705.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रियों (मासिक आधार पर), ओएसडी, जेएस तथा प्रोटोकॉल कार्यों हेतु टैक्सी के किरायों का भुगतान
14	वी1170	09-09-2016	8523.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्यालय एमओएस (डीडब्ल्यूएस) में उपयोग हेतु विद्युत सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
15	वी1179	15-09-2016	22500.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय जेएस, एसबीएम में कृत्रिम प्लांट की आपूर्ति
16	वी1188	16-09-2016	12277.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग हेतु गैर-लेखन सामग्रियों (ग्लास, एयर फ्रेशनर, राष्ट्रीय झंडा, आदि.) की आपूर्ति हेतु भुगतान
17	वी1197	16-09-2016	4211.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कमरा सं.- 806 तथा मंत्रालय के यूएस (ए) में तीन एसी की स्थापना हेतु भुगतान
18	वी1225	21-09-2016	4950.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एएसओ को कार्यालय कुर्सी उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
19	वी1229	21-09-2016	91096.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्यालय एमओएस कृषि भवन में दो स्पिलिट एसी की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु भुगतान
20	वी1230	21-09-2016	761370.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	माह अगस्त 2016 के लिए मंत्रालय को परिचारकों, स्वीपरों तथा वाच एवं वार्ड सर्विसिंग उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
21	वी1235	21-09-2016	30600.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय ओएसडी (डीडब्ल्यूएस) में लकड़ी की दीवार रैक आपूर्ति हेतु भुगतान
22	वी1236	21-09-2016	42075.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय जेएस (एसबीएम) में चार कुर्सीयां उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
23	वी1245	21-09-2016	9302.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमडीडब्ल्यूएस में उपयोग हेतु लेखन-सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान

24	वी1255	22-09-2016	114404.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आवश्यकता आधार पर एवं मासिक आधार पर वाहनों को किराये पर लिये जाने हेतु भुगतान
25	वी1256	22-09-2016	32870.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में विद्युत सामग्री की आपूर्ति एवं मरम्मत हेतु भुगतान
26	वी1276	26-09-2016	8721.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में विद्युत उपकरण की आपूर्ति/मरम्मत हेतु भुगतान
27	वी1301	27-09-2016	22391.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	लेखन सामग्रियों (लिफाफा, कार्ड बोर्ड एवं स्पायरल पैड) की आपूर्ति हेतु भुगतान
28	वी1316	28-09-2016	11250.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	फ्लेक्स बैनर एवं हिन्दी पखवाड़ा के लिए प्रमाणपत्र की आपूर्ति हेतु भुगतान
29	वी1317	28-09-2016	27061.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न फ्लोरों पर विविध विद्युत तथा फॉल्स सिलिंग कार्यों के किया गया भुगतान
30	वी1319	28-09-2016	1600.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एमओएस कार्यालय कृषि भवन में विंडो एसी की स्थापना एवं विघटित करने के लिए भुगतान
31	वी1321	29-09-2016	52847.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमओएस (डीडब्ल्यूएस) के लिए फोटोकॉपी रिकोह एमपीसी3003एसपी टोनर के टोनर कार्टिज की आपूर्ति
32	वी1326	29-09-2016	253628.00	विज्ञापन एवं प्रचार	221501102190826	345100090540013	विज्ञान भवन में ग्रामीण-शहरी आईएनडीओएसएएन में शामिल होने हेतु फूलों की व्यवस्था हेतु उप निदेशक, सीपीडब्ल्यूडी, बागवानी मंडल, को भुगतान
33	वी1330	30-09-2016	2964654.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	डीईओज एवं कार्यालय सहायक को 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया गया।
34	वी1340	04-10-2016	160630.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	अगस्त 2016 के दौरान मंत्रालय, कार्यालय एमआरडी (डीडब्ल्यूएस/ पीआर/आरड) तथा कार्यालय ओएसडी

							(डीडब्ल्यूएस) में विदेशी फूलों की आपूर्ति हेतु भुगतान
35	वी1355	07-10-2016	13669.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमडीडब्ल्यूएस में गैर-लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
36	वी1364	07-10-2016	53132.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्यालय अपर सचिव तथा समिति कक्ष में ट्यूबलाईट, एमसीबी एवं एलईडी पेनल लाईटिंग हेतु भुगतान
37	वी1365	07-10-2016	8370.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	विभिन्न अधिकारियों के इंकिंग स्टाम्प एवं विजिटिंग कार्ड हेतु भुगतान
38	वी1390	13-10-2016	112200.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एएयूआई के माध्यम से लगे हुए आकस्मिक ड्राइवरों को वेतन, परिवहन तथा ओटीए का भुगतान
39	वी1402	14-10-2016	51974.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	सीमित निविदा पूछताछ के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी क्रिकेट टुर्नामेंट 2016-17 के लिए क्रिकेट एसेसरीज की आपूर्ति हेतु भुगतान
40	वी1413	18-10-2016	10000.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	श्री नवीन कुमार, एएसओ (कोऑर्डि.) को अंतर मंत्रालयी क्रिकेट टुर्नामेंट से संबंधित विविध व्यय करने हेतु अग्रिम
41	वी1504	28-10-2016	24092.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीबीएम 1892 की सर्विसिंग के लिए भुगतान
42	वी1505	28-10-2016	11416.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीबीवी 9526 की सर्विसिंग के लिए भुगतान
43	वी1510	28-10-2016	5513.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	डीडीजी के पीए को कुर्सी की आपूर्ति हेतु भुगतान
44	वी1535	03-11-2016	40793.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एमओईएफ द्वारा अभ्यर्पित नये कमरे में सभी फर्नीचर की पोलिश हेतु भुगतान
45	वी1536	03-11-2016	35640.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एमओईएफ द्वारा अभ्यर्पित नये कमरे में लकड़ी की पैनलिंग हेतु भुगतान

46	वी1544	03-11-2016	1140.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय में उपयोग हेतु पेन-ड्राईव की खरीद
47	वी1545	03-11-2016	5715.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में लेखन-सामग्री की आपूर्ति
48	वी1546	03-11-2016	4221.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के लिए कार्टिज की आपूर्ति
49	वी1547	03-11-2016	9057.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमडीडब्ल्यूएस में गैर-लेखन सामग्री की आपूर्ति
50	वी1556	03-11-2016	1443.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के अधिकारियों को समाचारपत्रों की प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान
51	वी1596	09-11-2016	8982.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीबीएम 2082 की सर्विसिंग के लिए भुगतान
52	वी160	28-04-2016	37313.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	संसद कार्य की समाप्ति के लिए देर तक बैठे कर्मचारियों के लिए अल्प-आहार एवं रात्री भोजन हेतु भुगतान
53	वी1623	11-11-2016	3494.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	दो जोडे केबल एंड पीवीसी चैनल की आपूर्ति हेतु भुगतान
54	वी1659	24-11-2016	63207.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एमओएस (डीडब्ल्यूएस) के कार्यालय में फर्निचर की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापना हेतु भुगतान
55	वी1685	25-11-2016	29895.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एएयूआई के माध्यम से लगे हुए आकस्मिक ड्राइवरों को वेतन, परिवहन तथा ओटीए का भुगतान
56	वी1709	28-11-2016	4641.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार की मरम्मत हेतु भुगतान
57	वी1710	28-11-2016	2171.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	पेट्रोल के लिए भुगतान की प्रतिपूर्ति
58	वी1716	29-11-2016	16315.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग के लिए गैर-लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
59	वी1747	02-12-2016	21664.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में ट्यूबलाईट, एलईडी, पंखा, आदि, की आपूर्ति हेतु भुगतान
60	वी1756	02-12-2016	20262.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीएजे 5425 की मरम्मत हेतु भुगतान
61	वी1761	06-12-2016	174800.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	पेट्रोल, डीजल, तेल एवं लुब्रिकेंट की आपूर्ति हेतु भुगतान

62	वी1794	09-12-2016	673806.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में कार्य करने हेतु लगे हुए सेवानिवृत व्यक्तियों के मासिक पारिश्रमिक का भुगतान
63	वी1798	09-12-2016	130933.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के समिति कक्ष के नवीनीकरण हेतु भुगतान
64	वी1807	16-12-2016	20735.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. - डीएल3सीसीसी 7558 की सर्विसिंग/मरम्मत हेतु भुगतान
65	वी1809	16-12-2016	15016.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	मंत्रालय के अधिकारियों को आतिथ्य सुविधा हेतु भुगतान
66	वी1823	19-12-2016	183334.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	पेट्रोल, डीजल, तेल एवं लुब्रिकेंट की आपूर्ति हेतु भुगतान
67	वी1846	22-12-2016	14362.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग के लिए लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
68	वी1858	22-12-2016	5775.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग के लिए लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
69	वी1859	22-12-2016	12740.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग के लिए लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
70	वी1867	26-12-2016	9900.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	अपर सचिव के कार्यालय में 15 लि. के गीजर की आपूर्ति हेतु भुगतान
71	वी1882	28-12-2016	4000.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	श्री योगेश कुमार, एसओ द्वारा ब्रीफकेश/बैग की खरीद हेतु प्रतिपूर्ति
72	वी1894	29-12-2016	30538.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार के टायरों को बदलवाने हेतु भुगतान
73	वी1946	05-01-2017	272624.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालयों, एमओएस के पीएस, ओएसडी, निदेशक, सामान्य अनुभाग (मासिक आधार पर) तथा प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए टैक्सी को किराये पर लेने हेतु भुगतान
74	वी1952	05-01-2017	13065.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग होनेवाले अधिकारियों के तौलिये, कार तौलिये तथा सीट कवर की धुलाई हेतु भुगतान

75	वी1965	16-01-2017	40000.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आईएसओ 9001:2008 हेतु ।[लौ] निगरानी प्रभारों हेतु भुगतान
76	वी2007	18-01-2017	111285.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मासिक आधार पर मंत्रालयों के लिए/दैनिक आधार पर निदेशक के लिए तथा प्रोटोकॉल ड्यूटी पर वाहनों को किराये पर लेने हेतु भुगतान
77	वी2038	20-01-2017	5513.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	निदेशक (एसबीएम) के पीएस को कुर्सी उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
78	वी2051	24-01-2017	12416.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
79	वी2053	24-01-2017	16525.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग होनेवाले अधिकारियों के तौलिये, कार तौलिये तथा सीट कवर की धुलाई हेतु भुगतान
80	वी2055	24-01-2017	22560.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आकस्मिक ड्राईवरों को वेतन, ओटीए तथा परिवहन हेतु भुगतान
81	वी2060	24-01-2017	22050.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पुस्तकों की खरीद हेतु भुगतान
82	वी2065	24-01-2017	70510.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आकस्मिक ड्राईवरों को वेतन, ओटीए तथा परिवहन हेतु भुगतान
83	वी2069	24-01-2017	42066.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय मंत्रालय में फर्नीटर की मरम्मत एवं गृह-सामग्री हेतु भुगतान
84	वी2070	24-01-2017	64800.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	संसद कार्य की समाप्ति के लिए देर तक बैठे कर्मचारियों के अल्प-आहार हेतु भुगतान
85	वी2079	24-01-2017	11467.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. - 5425 के रेडियेटर के प्रतिस्थापन हेतु भुगतान
86	वी2149	31-01-2017	38597.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालयों के लिए लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
87	वी2154	31-01-2017	17185.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आकस्मिक ड्राईवरों को वेतन, परिवहन तथा ओटीए हेतु भुगतान
88	वी2174	02-02-2017	97650.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय सचिव में उच्च गुणवत्ता ब्लाईंड की आपूर्ति हेतु भुगतान
89	वी2178	02-02-2017	7091.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान

90	वी2185	03-02-2017	30573.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	सामान्य अनुभाग, डब्ल्यू-1, एसबीएम-II, संसद अनभाग एवं अन्य अनुभागों में स्थापित फोटोकॉपी मशीन हेतु भुगतान
91	वी2186	03-02-2017	51525.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय डीडीजी में सोफा सेट एवं कुर्सियों की आपूर्ति हेतु भुगतान
92	वी2187	03-02-2017	72000.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में लगाने के लिए प्रधानमंत्री के 60 फोटो फ्रेम उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
93	वी2215	09-02-2017	92700.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	सचिव के विंग में तेल हीटरों की आपूर्ति हेतु भुगतान
94	वी2241	10-02-2017	1000.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	हिन्दी पर वर्कशॉप के लिए अतिथि व्याख्याता को मानदेय का भुगतान
95	वी2250	10-02-2017	29890.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्टिज की आपूर्ति हेतु भुगतान
96	वी226	16-05-2016	116930.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पौधों, फूल गमला तथा गुलदस्तों की आपूर्ति हेतु भुगतान
97	वी2267	13-02-2017	192584.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	पीओएल की आपूर्ति हेतु भुगतान
98	वी2285	20-02-2017	4859.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीएजे 5426 की मरम्मत हेतु भुगतान
99	वी2287	20-02-2017	5850.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	श्रीमती नेहा चौहान, सहा. निदेशक (डीडब्ल्यूएस) के लिए रिवोल्विंग कुर्सी की आपूर्ति हेतु भुगतान
100	वी2304	21-02-2017	8500.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	बैग/ब्रीफकेश हेतु प्रतिपूर्ति
101	वी2313	21-02-2017	3681.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	अधिकारियों के आवास पर सामाचारपत्रों की खरीद हेतु भुगतान
102	वी2317	22-02-2017	65813.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में तेल हीटरों की आपूर्ति हेतु भुगतान
103	वी2357	27-02-2017	4925.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एसी के स्थानांतरण हेतु भुगतान
104	वी2379	01-03-2017	9000.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के ओएसडी तथा डीएस के लिए लकड़ी के फर्नीचर की आपूर्ति हेतु भुगतान

105	वी2406	10-03-2017	3990.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के लिए लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
106	वी2407	10-03-2017	14008.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के लिए गैर लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
107	वी2412	16-03-2017	16155.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार डीएल3सीबीएम 1892 की सर्विसिंग हेतु भुगतान
108	वी2422	18-03-2017	665072.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में कार्य हेतु लगे सेवानिवृत्त व्यक्तियों को मासिक पारिश्रमिक एवं परिवहन का भुगतान
109	वी2427	18-03-2017	123280.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एएयूआई के माध्यम से लगे हुए आकस्मिक ड्राईवरों को वेतन, परिवहन, ओटीए का भुगतान
110	वी2431	18-03-2017	35216.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए किराये पर लिये वाहनों हेतु भुगतान
111	वी2459	22-03-2017	180281.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पेट्रोल, डीजल, तेल तथा लुब्रिकेंट की आपूर्ति हेतु भुगतान
112	वी2467	22-03-2017	21459.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	स्टाफ कार डीएल3सीएजे 5426 की सर्विसिंग हेतु भुगतान
113	वी247	17-05-2016	6000.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय को बोतलों की आपूर्ति हेतु प्रतिपूर्ति
114	वी2473	22-03-2017	3464.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एसी के स्थानांतरण हेतु भुगतान
115	वी2485	23-03-2017	20662.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	स्टाफ कार डीएल3सीएजे 5425 की सर्विसिंग हेतु भुगतान
116	वी2486	23-03-2017	14006.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एसबीएम-II में एसी की मरम्मत हेतु भुगतान
117	वी2522	25-03-2017	29134.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	फर्नीचर के मरम्मत/ड्राई-क्लिनिंग हेतु भुगतान
118	वी2524	25-03-2017	2853.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	स्टाफ कार डीएल 3सीएजे 5426 की मरम्मत हेतु भुगतान
119	वी261	18-05-2016	111235.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एएयूआई के माध्यम से लगे हुए आकस्मिक ड्राईवरों को वेतन, परिवहन, ओटीए का भुगतान

120	वी2625	31-03-2017	37200.00	अन्य प्रभार	221501102191250	345100090540013	एसी की खरीद हेतु भुगतान
121	वी2628	31-03-2017	8400.00	अन्य प्रभार	221501102191250	345100090540013	जीएस (डब्ल्यू एवं ए) के पीएस के लिए प्रिंटर की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन का भुगतान
122	वी2646	31-03-2017	281900.00	अन्य प्रभार	221501102191250	345100090540013	एलईडी टीवी की आपूर्ति हेतु भुगतान
123	वी2647	31-03-2017	56000.00	अन्य प्रभार	221501102191250	345100090549913	कम्प्यूटर की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु भुगतान
124	वी325	25-05-2016	181069.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्यालय एमआरडी (डीडब्ल्यूएस) के लिए फर्नीचर सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
125	वी328	25-05-2016	6295.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों को आतिथ्य सुविधाओं हेतु भुगतान
126	वी368	02-06-2016	18684.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय वाहन के एसी असेम्बली की मरम्मत हेतु भुगतान
127	वी369	02-06-2016	7500.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	ब्रीफकेश/कार्यालय बैग हेतु प्रतिपूर्ति
128	वी384	02-06-2016	4331.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमडीडब्ल्यूएस में क्रॉकरी सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
129	वी397	03-06-2016	10815.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों को आतिथ्य सुविधाओं हेतु भुगतान
130	वी474	14-06-2016	6720.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमओएस (डीडब्ल्यूएस) में पानी की बोतल की आपूर्ति हेतु भुगतान
131	वी497	15-06-2016	11250.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कीट और कृंतक नियंत्रण हेतु भुगतान
132	वी587	29-06-2016	3605.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	सर्विसिंग नियमावली पुस्तिका की आपूर्ति हेतु भुगतान
133	वी672	08-07-2016	24119.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्यालय ओएसडी, जेएस, ईए, अपर सचिव आदि में विद्युत सामग्री की आपूर्ति मरम्मत हेतु भुगतान
134	वी689	13-07-2016	307479.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आवश्यकता के आधार पर तथा मासिक आधार पर वाहनों को किराये पर लिये जाने हेतु भुगतान

135	वी695	13-07-2016	19063.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	निदेशक, जेएस, एसओ, सचिव के कार्यालय तथा अन्य कमरों में विद्युत सामग्री के आपूर्ति/मरम्मत हेतु भुगतान
136	वी702	13-07-2016	641628.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय को एमटीएस उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
137	वी708	14-07-2016	21659.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए वाहनों को किराये पर लेने हेतु भुगतान
138	वी729	18-07-2016	28688.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में पेडेस्टल पंखा की आपूर्ति हेतु भुगतान
139	वी731	18-07-2016	3069.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के अधिकारियों के आवास पर समाचारपत्रों की खरीद हेतु प्रतिपूर्ति
140	वी747	20-07-2016	4900.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	ब्रीफकेश/कार्यालय बैग हेतु प्रतिपूर्ति
141	वी763	20-07-2016	109995.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एएयूआई के माध्यम से लगे हुए आकस्मिक ड्राईवरों को वेतन, परिवहन, ओटीए का भुगतान
142	वी774	21-07-2016	144370.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में विदेशी फूलों की आपूर्ति हेतु भुगतान
143	वी80	21-04-2016	5635.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आकस्मिक ड्राईवरों को वेतन, परिवहन, ओटीए का भुगतान
144	वी805	25-07-2016	22500.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में विनाईल फ्लोरिंग के लिए भुगतान
145	वी807	25-07-2016	45900.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में विजिटर कुर्सी की आपूर्ति हेतु भुगतान
146	वी815	25-07-2016	2964654.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	3 महीनों के लिए कार्यालय सहायक एवं डीईओ उपलब्ध कराने हेतु 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान
147	वी834	28-07-2016	5250.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पूर्ववर्ती एमटीएस के लिए सर्दी की वर्दी हेतु भुगतान
148	वी865	04-08-2016	48000.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	श्री एसएच जैदी, सहायक सलाहकार को रिटेनरशिप का भुगतान

149	वी881	05-08-2016	79223.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	केटीएस, एमडीएफ बॉक्स आदि के साथ दूरभाष प्रणाली की आपूर्ति, केबलिंग तथा स्थापना हेतु भुगतान
150	वी882	05-08-2016	3762.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के वाहनों की मरम्मत
151	वी890	08-08-2016	14850.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	वॉल पंखों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु भुगतान
152	वी894	09-08-2016	6500.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	ब्रीफकेश/कार्यालय बैग हेतु प्रतिपूर्ति
153	वी905	10-08-2016	22526.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों को आतिथ्य सुविधा हेतु भुगतान
154	वी909	11-08-2016	29700.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पर्यावरण भवन के 8वें एवं 9वें तल में फॉल्स सिलिंग फिक्स करने हेतु भुगतान
155	वी910	11-08-2016	20503.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एसओ (कोऑर्डि.) के कार्यालय में लकड़ी के कपबोर्ड हेतु भुगतान
156	वी945	17-08-2016	10547.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग हेतु डस्ट पैन की आपूर्ति हेतु भुगतान
157	वी958	19-08-2016	7975.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध करायी गयी डिश टीवी के रिचार्ज हेतु प्रतिपूर्ति
158	वी983	19-08-2016	10720.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के वर्ग 'ग' कर्मचारियों (पूर्ववर्ती वर्ग 'घ') को गर्मी की वर्दी की आपूर्ति हेतु एजेंसी को भुगतान
159	वी997	24-08-2016	14673.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में विद्युत सामग्री की आपूर्ति एवं मरम्मत हेतु भुगतान
160	वी1082	01-09-2016	1208.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एसएसएवंएफए के डीओ लेटर हेड की आपूर्ति
161	वी1083	01-09-2016	1970.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540020	आतिथ्य सुविधा के लिए प्रतिपूर्ति
162	वी1204	16-09-2016	108020.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आकस्मिक ड्राईवरों को वेतन, ओटीए एवं परिवहन के लिए भुगतान
163	वी1398	14-10-2016	20413.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090549913	मंत्रालय के कम्प्यूटर/प्रिंटर एवं लैपटॉप एवं सर्वर की एएमसी हेतु भुगतान

164	वी1493	27-10-2016	131708.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एमडीडब्ल्यूएस के कार्यालय में लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
165	वी1513	28-10-2016	357954.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आवश्यकता के आधार पर तथा मासिक आधार पर वाहनों को किराये पर लिये जाने हेतु भुगतान
166	वी1729	29-11-2016	1970.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पुस्तकालय के लिए उपन्यास की खरीद हेतु भुगतान
167	वी1196	16-09-2016	4454.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540012	श्री अरूण बरोका को जेएफके विद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए (डीओपीटी प्रशिक्षण) में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एफटीए का भुगतान
168	वी1313	28-09-2016	23337.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540011	कोमल मित्तल, सहायक सचिव को एलबीएसएनएए से दिल्ली तक का स्थानांतरण टीए का भुगतान
169	वी1341	04-10-2016	101190.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540011	सेवानिवृत्ति पर टीए का भुगतान
170	वी1414	18-10-2016	97966.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540011	सेवानिवृत्ति सचिव को स्थानांतरण पर टीए का भुगतान
171	वी1980	16-01-2017	120.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540011	सीपीजीआरएएम समीक्षा के लिए कार्यालय टूर हेतु भुगतान
172	वी2180	03-02-2017	30227.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540011	योजना से संबंधित न होनेवाले कार्यालय टूर के लिए मेसर्स बाल्मर एवं लौरी को हवाई यात्रा टिकट का भुगतान
173	वी618	01-07-2016	8550.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एसी तथा स्टेबलाईजर की मरम्मत हेतु भुगतान
174	वी619	01-07-2016	31978.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में विद्युत उपकरण की आपूर्ति/मरम्मत हेतु भुगतान
175	वी634	01-07-2016	3475.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540020	आतिथ्य सुविधा के लिए प्रतिपूर्ति
176	वी1959	10-01-2017	7560.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	टीडीएस के लिए ई-रिटर्न (24क्यू एवं 26क्यू) फाईल करने हेतु भुगतान

177	वी1973	16-01-2017	34410.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीसीसी-6501 की सर्विसिंग/मरम्मत करने हेतु भुगतान
178	वी1981	16-01-2017	714677.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के कार्य में लगे हुए सेवानिवृत्त व्यक्तियों को मासिक पारिश्रमिक एवं परिवहन का भुगतान
179	वी1998	16-01-2017	9000.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	गैर-लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
180	वी2048	24-01-2017	110477.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के स्टाफ कार के लिए पीओएल की प्राप्ति हेतु भुगतान
181	वी2240	10-02-2017	111264.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में हीटर की आपूर्ति हेतु भुगतान
		कुल	**17862878**				

अनुबंध 5.1

(पैराग्राफ 5.3.6 के संदर्भ में)

₹ एक करोड़ से अधिक की बचत (उप-शीर्ष स्तर)

उप-मुख्य	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक वितरण	बचत	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
2014-15				
3451.00.090.14	36.14	29.99	6.15	वित्त मंत्रालय और आर्थिक उपायों द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.101.01	1454.00	1082.49	371.51	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.101.02	769.00	747.17	21.83	---- वही ------
2810.00.103.01	14.00	12.44	1.56	कार्यान्वयन अभिकरणों से संपूर्ण प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.104.01	90.50	68.68	21.82	अनुसंधान संस्थानों द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.105.01	25.00	14.15	10.85	कार्यान्वयन अभिकरणों से संपूर्ण प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.105.02	26.25	25.21	1.04	उपयुक्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.105.05	13.00	6.90	6.10	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.105.06	12.00	3.96	8.04	---- वही ------
2810.00.105.08	2.00	0.97	1.03	---- वही ------
2810.00.789.01	25.00	15.00	10.00	---- वही ------
2015-16				
2810.00.101.01	2475.00	2458.99	16.01	कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.102.02	79.00	55.24	23.76	कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों/उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने और वित्त

				मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.104.01	59.25	43.25	16.00	कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.105.02	2.48	0.76	1.72	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.789.03	8.00	5.33	2.67	राज्य नोडल अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण बचत हुई थी।
3601.03.105.01	40.00	37.25	2.75	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
4810.00.190.01	3.00	00.00	3.00	'मिनीरत्न' की स्थिति को प्राप्त करने पर बजटीय सहायता/गारंटियों के प्रति सरकार पर निर्भरता न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।
2016-17				
2810.00.101.01	3180.01	2824.23	355.78	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने, पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी और निर्धारित मापदंड को पूरा करते हुए पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.104.04	441.60	226.84	214.76	परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति और समापन रिपोर्टों/उपयोग प्रमाणपत्रों और राज्य नोडल अभिकरणों द्वारा व्यय की विवरणी प्रस्तुत न करने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.104.05	53.00	32.00	21.00	स्वायत्त निकायों से पर्याप्त प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.789.01	163.00	122.27	40.73	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.789.04	5.00	00.00	5.00	अनुसंधान संस्थानों द्वारा अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत न करने के कारण संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

2810.00.796.02	87.00	69.48	17.52	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.797.01	4947.00	3836.01	1110.99	व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों को अंतिम रूप न देने के कारण आरक्षित निधि के कम अंतरण के कारण बचत हुई थी।
3601.03.108.01	40.00	00.00	40.00	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं का कार्यात्मक शीर्षों में प्रावधान के अंतरण के कारण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।
3601.03.789.23	5.00	00.00	5.00	---- वही ------
4810.00.101.03	15.00	10.63	4.37	दिल्ली जल बोर्ड और केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलंब के कारण बचत हुई थी।

शब्दावली

विनियोग	:	विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
विनियोग लेखे	:	विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) के प्रति हुए वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अंतर्गत बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं। अनुदान से अधिक किसी भी प्रकार के व्यय का संसद द्वारा नियमन किए जाने की आवश्यकता है
विनियोग अधिनियम	:	संसद द्वारा जब विनियोग विधेयक पारित किया जाता है तो यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
विनियोग विधेयक	:	लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय किन्तु जो संसद के समक्ष पहले से रखे गए विवरण में दर्शायी हुई राशि से किसी भी स्थिति में अधिक न हो, की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धनराशि के विनियोग के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
पूंजीगत व्यय	:	इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम आते हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां	:	पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियां, विनिवेश से प्राप्तियां आदि शामिल है।
प्रभारित विनियोग	:	संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अंतर्गत समेकित निधि पर 'प्रभारित' व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।

भारत की समेकित निधि (सीएफआई)	:	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। सीएफआई से समस्त व्यय दत्तमत्त अथवा प्रभारित विनियोग द्वारा किया जाता है। यह राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्जे इत्यादि) नामक दो प्रभागों से निर्मित है।
भारत की आकस्मिकता निधि	:	संसद द्वारा विधि अनुसार अग्रदाय के रूप में, एक ऐसी आकस्मिकता निधि स्थापित की गई है जिसमें विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी है जिसमें से अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु उनके द्वारा अग्रिम दिया जा सके जब तक संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अंतर्गत इस प्रकार का व्यय संसद द्वारा विधि अनुसार प्राधिकृत न हो जाए।
पीएफएमएस **(इससे पहले सीपीएसएमएस के नाम से प्रचलित)**	:	लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (इससे पहले केन्द्रीय योजनागत योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीएसएमएस) के नाम से प्रचलित) एक साफ्टवेयर है जो लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। साफ्टवेयर के अंतर्गत भारत सरकार की योजनागत योजनाओं के लिए एक समान लेन-देन आधारित ऑन-लाइन निधि प्रबंधन तथा भुगतान प्रणाली एवं एम.आई.एस. को स्थापित किया गया है। इस मंच का विस्तार अब राज्य खजानों में सीधे प्राप्त होने वाली योजनागत निधियों के प्रभावी भुगतान के लिए राज्य सरकारों तक किया जा चुका है।
ऋण शोधन	:	देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
अनुदान की मॉगें	:	अनुदान की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं तथा यह व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से फुटनोटों के माध्यम से दर्शाती है तथा इन्हें संसद में दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें लोकसभा में सम्बद्ध मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने के कुछ दिन पहले उस मंत्रालय द्वारा सदन के पटल पर रखी जाती है।

	:	चूंकि अनुदान मांगें सकल व्यय के लिए होती है तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले निवल व्यय को दर्शाता है, अत: सकल व्यय की कटौती में प्राप्तियों को समायोजित करने के पश्चात् दोनों के योग में सामंजस्य किया जाना चाहिए।
ई-लेखा	:	यह लेखांकन प्रक्रिया की दक्षता तथा शुद्धता को सुधारने के उद्देश्य से सिविल लेखा संगठन हेतु एक इलेक्ट्रानिक भुगतान तथा लेखांकन साफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। यह मूल्य संवर्धित रिपोर्टिंग तथा मानीटरिंग क्रियाविधि हेतु दैनिक, मासिक तथा वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के समाकलन सहित मूल लेखांकन की एक प्रणाली प्रदान करता है।
अधिक अनुदान	:	ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में प्राधिकृत राशियों से सार्थक रूप में बढ़ जाते हैं, तो उस अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
बाह्य ऋण	:	सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अनुबन्धित ऋण अर्थात् विश्व बैंक, आई.बी.आर.डी. आई.डी.ए. आदि से कर्जा।
राजकोषीय घाटा	:	यह राजस्व प्राप्तियों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अतिरिक्त ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि सहित हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार की कुल उधारी तथा लम्बित ऋण में हुए इजाफे को भी दर्शाता है।
बर्तमान मूल्य पर जीडीपी	:	बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। इसका आकलन चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान लागू कीमतों पर किया जाता है।
आन्तरिक कर्ज	:	भारत में जनता से लिए गए नियमित ऋण, आन्तरिक कर्ज के अंतर्गत आते हैं, इसे "भारत में उठाया गया कर्ज" भी कहते हैं। यह भारत की समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जो तक सीमित होता है।
मुख्य शीर्ष	:	लेखे में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड आवंटित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष एक प्राप्ति शीर्ष है या राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष या ऋण शीर्ष है।

लघु शीर्ष	:	लघु शीर्ष को तीन अंकों वाला कोड आवंटित किया गया है, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत "001" से प्रारंभ होता है।
नई सेवा	:	इसका अभिप्राय पहले से संसद के संज्ञान में न लाये गये किसी नए नीतिगत निर्णय द्वारा उत्पन्न हुए तथा निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है जिसमें एक नया कार्यकलाप अथवा एक नए निवेश का तरीका शामिल होता है।
सेवा का नया साधन	:	किसी वर्तमान गतिविधि के एक महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न तथा निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक विशाल व्यय।
मूल अनुदान	:	किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए 'वार्षिक वित्तीय विवरण' में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
प्रारंभिक घाटा	:	राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा निकल आता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके ब्याज रहित व्यय के आधिक्य के रूप में भी इसे देखा जा सकता है।
लोक लेखा	:	समेकित निधि में शामिल धन के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अथवा उसके पक्ष में प्राप्त सभी प्रकार के धन को भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें 'कर्ज' से संबंधित ऐसे लेन-देन शामिल होते हैं जो समेकित निधि में शामिल नहीं होते। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।
लोक ऋण (भारत का)	:	भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार जिसे सी.एफ.आई में लेखाबद्ध किया गया।
पुनर्विनियोजन	:	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण।
राजस्व घाटा	:	यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर होता है।
राजस्व व्यय	:	यह सरकार के सामान्य अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों, सब्सिडी तथा अंतरण आदि चलाने के लिए किया जाता है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के उद्देश्य से किए गए हों।

राजस्व प्राप्तियां	:	इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
स्टॉक	:	स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तातरणीय न हो बल्कि जो हस्तांतरण दर्ज करके तथा लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके हस्तांतरित किया जा सके।
अनुपूरक अनुदान	:	यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित किसी कानून द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में परिकल्पित न की गई किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हो तो सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधान के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त किया जाता है।
बचत का अभ्यर्पण	:	केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में पायी गयी प्रत्याशित बचतों को वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की सूचना लेखापरीक्षा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित किया जायेगा।
बचत	:	जब व्यय बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती हैं।
दत्तमत्त अनुदान	:	अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित होता है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in